ादश माला, खंड 37, अंक 6

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2003
18 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIA...
No. 56
Date 8/4/04

(खण्ड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

रश्न संख्या

गये पत्र

समिति

तिवेद

सर्

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2003/18 अग्रहायण, 1925 (शक)

का

शुद्धि पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
117	16 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़िए :		
	"(घ) अधिकांश योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।"		
438	6	10 दिसम्बर, 2003	बुधवार, 10 दिसम्बर, 2003

विषय-सूची

त्रयोदश माला खंड 37, चौदहवां सत्र, 2003/1925 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2003/ 18 अग्रहायण, 1925 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 101 – 105	3-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	31-300
* तारांकित प्रश्न संख्या 106 – 120	31-69
अतारांकित प्रश्न संख्या 1043 – 1163, 1165 – 1198	69-300
सभा पटल पर रखे गये पत्र	304-311
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	311
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
अड़तालीसवां से चौवनवां प्रतिवेदन	311-312
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
पचासवां प्रतिवेदन	312
सदस्यों द्वारा निवेदन	316-325, 327-328, 336-337
(एक) पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को निरुद्ध किए जाने के बारे में	316-325
(दो) देश में वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता के बारे में	327-328
(तीन) उत्तर प्रदेश और बिहार में धान की खरीद के मानदण्डों में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में	336-337
नियम 377 के अधीन मामले	340-346
(एक) हरियाणा में अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आदिबद्री को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रतन लाल कटारिया	340-341
(दो) गुजरात में नवोदय विद्यालय बोरखड़ी में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभ के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री मानसिंह पटेल	341

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात पर द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के झांसी–लखनादौन भाग को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री वीरेन्द्र कुमार	341
(चार) अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के वन क्षेत्रों में बसे परिवारों को पुनर्वास पैकेज का लाभ दिए जाने की आवश्यकता	
श्री विष्णु पद राय	341-342
(पांच) देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री भेरूलाल मीणा	342-343
(छह) आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के चहुँमुखी विकास के लिए एक संदर्शी योजना बनाए जाने और इस जिले में बार–बार पड़ने वाले सूखे की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री कालवा श्रीनिवासुलू	343-344
(सात) उत्तर–प्रदेश में फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरुणा नदी में बार–बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु इस नदी से गाद निकाले जाने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्म राज सिंह पटेल	344
(आठ) महाराष्ट्र में परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानवत तालुका में प्रस्तावित नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश रामराव जाधव	344-345
(नौ) बुन्देलखंड विकास स्वायत्त परिषद की स्थापना करने और बुन्देलखंड क्षेत्र का विकास करने के लिए इस परिषद को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल	345
(दस) हज विमान–किराया राजसहायता पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. एम. बनातवाला	345-346
(ग्यारह) प्रशासनिक मूल्य तंत्र के हटाए जाने के पश्चात् प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	346
(बारह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ग्रामीण विकास कार्य की समीक्षा के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह	346

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 347-365

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन 347-351

श्री मधुसूदन मिस्त्री 351, 360

श्री किरीट सोमैया 351-356

श्री चन्द्रनाथ सिंह 356-357

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 357-359

श्री जसवंत सिंह 360-364

खंड 2 से 23 और 1 365

पारित करने के लिए प्रस्ताव 365

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक 365-398

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 367, 369, 393-397

श्री अरुण जेटली 368-369, 391-393

श्री पवन कुमार बंसल 369-373

श्री थावरचन्द गेहलोत 373-375

श्री वरकला राधाकृष्णन 375-378

डा. मन्दा जगन्नाथ 378-379

श्री के. मलयसामी 379-381

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 381-385

श्री आदि शंकर 385-387

श्री सुरेश रामराव जाधव 387-389

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर 389-391

खंड 2 से 4 और 1 397-398

पारित करने के लिए प्रस्ताव 398

परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

परिसीमन (संशोधन) विधेयक 398-429

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 398-399, 426-428

श्री अरुण जेटली 399-401, 420-426

श्री के. ए. सांगतम 401-403

श्री महेश्वर सिंह 403-405

श्री वरकला राधाकृष्णन 405-409

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 409-410

श्री के. मलयसामी 410-412

श्री राम विलास पासवान 412-416

कुंवर अखिलेश सिंह 417-418

श्री रामदास आठवले 418-419

श्री सुरेश रामराव जाधव 419-420

खंड 2 से 6 और 1 429

पारित करने के लिए प्रस्ताव 429

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक 429-438

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री अरुण जेटली 429-430, 435-436

श्री पवन कुमार बंसल 430-431

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 431-435

श्री सुरेश रामराव जाधव 435

खंड 2 से 6 और 1 436-437

पारित करने के लिए प्रस्ताव 437-438

लोक सभा

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2003/18 अग्रहायण, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ. प्र.) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में किसानों की धान की खरीद के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में धान की खरीद के मानक में छूट दी गई है परन्तु उत्तर प्रदेश और बिहार की किसानों को खरीद में ऐसी छूट नहीं दी गई है।..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सब जानते हैं कि मैंने सदन में बार–बार यह आग्रह किया है कि आपको यदि कोई बात कहनी है तो उसे प्रश्नकाल में नहीं कह सकते। आप सब प्रश्नकाल के बाद ये विषय उठाएं।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है क्योंकि यह एक गम्भीर विषय है। उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ किसानों का मामला है। इसके साथ बिहार के किसान भी जुड़े हैं। केन्द्र सरकार इसमें राजनीति कर रही है। ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे प्रश्नकाल स्थगित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझता हूं, इसलिए आप इस विषय पर जीरो आवर में बोल सकते हैं। अभी नहीं बोलिए। मैं आपको प्रश्नकाल के बाद बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहता हूं, इसलिए मेरी बात सुन ली जाए। मेरा सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : मेरी बात दो मिनट सुन ली जाए। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अभी क्या बात कहनी है?

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, मैं प्रश्नकाल में बाधा नहीं डालना चाहता, लेकिन हमने मेडिकल कालेजों में नामांकन के संबंध में महत्वपूर्ण विषय पर सूचना दी है। विद्यार्थी केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी परेशान हैं... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी सभी से प्रार्थना है कि जिन सदस्यों के मेरे पास एडजर्नमेंट मोशन हैं...

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी तमिलनाडु में प्रेस की आजादी के संबंध में नोटिस दिया है। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी के लिए कहा है और इसका मतलब आप भी उसमें हैं। जिन सदस्यों के नोटिस हैं, मैं उन पर निर्णय प्रश्नकाल के बाद दूंगा। तब तक प्रश्नकाल आगे बढ़ाना आवश्यक है। प्रभुनाथ जी, मैंने आपसे भी कहा है कि मैं आपको पहले बोलने का मौका दूंगा और उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं। मैं आपको जीरो आवर में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्व डीजीपी, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 5.12.2003 को गोपनीय दस्तावेज राज्य सरकार में भेज कर सनसनी फैल गई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जीरो आवर में इस विषय को उठाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से हथियार प्राप्त करने की बात कही गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने उनको अभी बोलने की परमिशन नहीं दी है। मैं उनको जीरो आवर में बोलने की परमिशन दूंगा। अभी प्रश्नकाल शुरु हुआ है।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण विकास योजनाएं

+

*101. **श्री अधीर चौधरी :**

डा. चरण दास महंत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय प्रावधानों में वृद्धि के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन करने वाली अनेक योजनाओं पर नियंत्रण खो रही है जैसाकि दिनांक 15 दिसम्बर, 2003 के "दि स्टेट्समैन" में उल्लेख है;

(ख) क्या ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु धनराशि का राज्य सरकारों द्वारा कम उपयोग किया गया है अथवा उनका अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार इसके तथ्य, विवरण और कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

दिनांक 15.9.2003 के स्टेट्समैन में छपी रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। सरकार ने प्रत्येक योजना के दिशा–निर्देशों में एक आन्तरिक निगरानी तंत्र की स्थापना की है जिससे योजना के उद्देश्यों को उनके कार्यान्वयन द्वारा हासिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।

1999–2000 से 2002–03 की अवधि के दौरान कुल आबंटन में निधियों के उपयोग का प्रतिशत क्रमशः 89%, 93%, 82%, और 106% था। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कुल आबंटन के 15% को अगले वित्तीय वर्ष में अग्रसारित कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से, मंत्रालय ने विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक व्यवस्था की है। इन तंत्रों में राज्य प्राधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा आवधिक समीक्षा बैठकें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों (क्षेत्र अधिकारी योजना) द्वारा क्षेत्र के दौरे, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राज्य सरकार से आवधिक प्रगति रिपोर्टें, कार्यक्रमों का समवर्ती और तीव्र मूल्यांकन आदि शामिल हैं। हाल ही में राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है जिसमें संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है। अन्य निगरानी पहल में परिसम्पत्तियों के सत्यापन के लिए जिला स्तरीय निगरानी और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सत्यापन शामिल हैं।

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रतिक्रिया यह है कि मंत्री जी ने जल्दबाजी में वक्तव्य दिया है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं जीरो आवर में आपको प्रॉयरिटी से परमिशन दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मेरी पहली प्रतिक्रिया यह है कि मंत्री जी ने जल्दबाजी में वक्तव्य दिया है क्योंकि मैंने राज्य–वार सूचना मांगी थी और वह नहीं दी गयी।

महोदय, यह सही है कि हमारे देश की प्रगति ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर निर्भर करती है, जैसा कि हम मानते हैं कि भारत में अधिकांश लोग गांवों में ही रहते हैं। पिछले वर्षों में किए गए सभी प्रयासों के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। वर्ष 1980 में गांव के लोगों पर विशेष जोर दिया गया। उन्हें और अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी गईं ताकि वे मजबूत बन सकें और उन्हें बोझ न समझकर संसाधन माना जाए।

अब समय आ गया है। इस बात का फिर से मूल्यांकन किया जाए कि किस तरह के ठोस परिणाम इन सब चीजों से मिले क्योंकि धनराशि का अन्यत्र प्रयोग जोर–शोर से हो रहा है और स्थानीय अधिकारियों की मिली–भगत से धनराशि का विपथन निरंतर जारी है। जहां तक मेरे राज्य पश्चिम बंगाल का संबंध है, तो मैं कह सकता हूं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा

धनराशि के विपथन के बारे में दी गई रिपोर्ट के बाद भी पंचायती राज संस्थान भ्रष्टाचार के शीर्ष स्थान बन गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, ऐसे भी समाचार हैं कि ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए नियत धनराशि का इस्तेमाल राजस्व घाटा पूरा करने के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल में जिन गैर सरकारी संगठनों को ग्रामीण विकास परियोजनओं के क्रियान्वयन में साथ–साथ भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें एक परिपत्र के माध्यम से वंचित किया गया है जो स्वयं–सहायता समूहों के गठन को रोकता है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह पूछ सकता हूं कि एस.जी.एस. वाई. के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राशि जारी की गई है? अब तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों को शामिल किया गया है? जहां तक केन्द्रीय आबंटन का संबंध है, योजना के शुरू होने के समय से एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी की है कि एस.जी.एस.वाई. के नाम में आई.आर.डी.पी. के पुनर्स्थापन के बावजूद आई.आर.डी.पी. में अब तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप और कितने अनुपूरक प्रश्न जोड़ना चाहते हैं?

श्री अधीर चौधरी : महोदय, एस.जी.एस.वाई. का लक्ष्य पांच वर्षों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के 30 प्रतिशत लोगों को शामिल करने का था। मैं जानना चाहूंगा कि योजना के शुरू होने के समय से एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत कितने परिवारों को शामिल किया गया है।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, उन्होंने विशेष रूप से यह पूछा है कि खासकर एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी राशि आबंटित और जारी की गई, मैं अद्यतन आंकड़े दे सकता हूं। वर्ष 2002–2003 में एस.जी. एस.वाई. के अंतर्गत पश्चिम बंगाल सरकार को 90.68 करोड़ रुपये दिए गए थे जिसमें से मात्र 53.55 करोड़ रुपये सिर्फ व्यय हुए। इसका मतलब, निष्पादन 59 प्रतिशत तक हुआ था। अन्य योजनाओं के अंतर्गत विशेष रूप से एस.जी.एस.आर.वाई–I और II में, निष्पादन 58 प्रतिशत तक हुआ। इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत निष्पादन 79 प्रतिशत तक हुआ। अपने जवाब में मैंने जो आंकडे दिए हैं वह पूरे देश से संबंधित हैं। माननीय सदस्य सभी राज्यों की विस्तृत सूचना चाहते हैं, मैं उस सूचना को माननीय सदस्य तक पहुचा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, अब यह आपका अनुपूरक प्रश्न है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मेरे प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया। मैंने माननीय मंत्री से पूछा है कि एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के 30 प्रतिशत लोगों को शामिल करना था, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लोगों को शामिल किए जाने का प्रतिशत कितना है।

अब, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यह कल्पना की गई थी कि 1000 की जनसंख्या वाले सभी पर्यावासों (गांवों) को वर्ष 2003 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि इसे अब तक हासिल किया गया है या नहीं, जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, योजना के अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि जारी की गई और निर्मित सड़कों की लंबाई कितनी है तथा अब तक कितने पर्यावासों (गांवों) को शामिल किया गया है? ग्रामीण त्वरित जल योजना (रूरल एक्सलरेटेड वाटर स्कीम) के अंतर्गत राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई?

इसके अलावा हमारे माननीय राष्ट्रपति का सपना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान की जाएं जिसे पी.यू.आर.ए. कहा जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्ययोजना बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप प्रश्न पूछना नहीं बंद करेंगे तो मैं आपके अनुपूरक प्रश्नों को अनुमति नहीं दूंगा। कृपया मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य न करें। आप जानते हैं कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। आप इस तरह से सभा का समय नहीं ले सकते।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, यह भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सपनों से जुड़ा है, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के संबंध में कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, उनके अनुपूरक प्रश्न के कई प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे के स्तर के बारे में पूछा है जो कम हो गया है। एस.जी.एस. वाई. और अन्य रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा 37.1 प्रतिशत था।

अब, यह कम होकर 27.09 प्रतिशत रह गया है।

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैंने पूछा है कि क्या सरकार

1000 की जनसंख्या वाले पर्यावासों (गांवों) को वर्ष 2003 तक सड़क से जोड़ने में समर्थ है। इसका उत्तर नहीं दिया गया ... *(व्यवधान)* यह क्या है? ...*(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के लिए पूछ सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं, मुझे इस पर चर्चा की अनुमति देनी पड़ेगी क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

[हिन्दी]

डा. चरणदास महंत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा, मगर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। जब–जब भी मंत्रियों को भाषण देने का अवसर मिला है, जिन राज्यों में इनकी सरकारें नहीं हैं, इन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने धनराशि का उपयोग नहीं किया है तो वह दूसरी मद में खर्च कर दिया है। लेकिन मैंने अपने प्रश्न में इनसे लिस्ट मांगी थी, उसका उत्तर मंत्री जी ने नहीं दिया है, यह उसे यहां रख दें, यही संरक्षण मैं आपसे चाहता हूं।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने आज से एक–दो साल पहले यह कहा था कि इन योजनाओं की निगरानी के लिए हम संसद सदस्यों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने उनका गठन करने के कागजी आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन क्या संसद सदस्यों को इसका कुछ अधिकार है तथा कितने संसद सदस्यों को इसकी बैठक करने की सूचना मिली है या किसी संसद सदस्य ने यह बैठक की है, यदि हां तो यहां हाथ उठाकर आपके सामने प्रस्तुत करा दें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि हम भाषण करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमने 'टू दि प्वाइंट' रिप्लाई दिया है। दूसरी बात यह है कि रूरल डेवलपमेंट के द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जाती हैं, सांसद ने कहा कि कैसे उसका यूज होता है, कैसे उसका लाभ मिलता है, इस पर मेरा कहना है कि हमने इसके लिए विजिलैंस मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है। मुझे खुशी है कि बहुत सारे राज्यों ने विजिलैंस मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : आपने इसकी समीक्षा की है या नहीं, यह बताइये।

श्री काशीराम राणा : उसमें हमने लोक सभा के सांसद को चेयरमैन तथा राज्य सभा के सांसद को उपाध्यक्ष बनाया है। मैं कहना चाहूंगा कि शुरूआत में बहुत सारे राज्यों ने विजिलैंस मॉनीटरिंग कमेटी नहीं बनाई थी, जब हमने बहुत फोर्स किया तो कहीं–कहीं पर उन्होंने कमेटी बनाई, मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन हमारे मंत्रालय की ओर से यह प्रयास होता है कि विजिलैंस मॉनीटरिंग कमेटी सैट अप हो और उसकी मीटिंग बुलाई जाए। ...*(व्यवधान)* ये सब स्कीमें हैं जिन्हें वाच करना, सुपरवाइज करना तथा अकाउंटेबिलिटी लेना, यह सब उसके पास है। मैं कहूंगा कि वैस्ट बंगाल सरकार ने अभी तक विजिलैंस कमेटी नहीं बनाई है। मैंने उनसे दो बार रिक्वैस्ट की है, मैं चाहूंगा कि वह कमेटी बनायें। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सदन को बार–बार डिस्टर्ब करते हो। प्लीज बैठिए, यह कोई तरीका नहीं है। आप भी बैठिए, जब आपका नम्बर आयेगा तब प्रश्न पूछिये। श्री रतन लाल कटारिया जी प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

डा. चरणदास महंत : क्या मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा देकर यहां आकर बैठी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जो ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : जब आपके चीफ मिनिस्टर यहां आकर बैठे थे, क्या आपने उस समय उनसे पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आप बैठिए, नो क्रॉस टाक प्लीज।

श्री रतन लाल कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो 70 हजार करोड़ रुपये से भी ऊपर सहायता दी जाती है, उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए जो विजिलैंस कमेटी बनाई गई है, क्या कुछ राज्य इस कमेटी को बनाने में या उसका संचालन करने में आनाकानी कर रहे हैं? अगर हां, तो विभाग ने इस बारे में क्या एक्शन लिया है?

इसके साथ ही मैं यह जानना चाहूंगा कि कापार्ट के माध्यम से जो एन.जी.ओज़ को करोड़ों रुपये की सहायता दी जा रही है, क्या उसकी मॉनीटरिंग के लिए या एन.जी.ओज़ के माध्यम से जो धन खर्च किया जा रहा है, उसकी वास्तविकता पता लगाने के लिए

भी क्या सरकार ने कोई मॉनीटरिंग सैल बनाया है? अगर हाँ, तो क्या इस प्रकार की कुछ कंप्लेन्ट्स आई हैं कि कुछ एन.जी.ओज़ ने पैसा ले लिया, लेकिन जिस कार्य के लिए उन्होंने पैसा लिया, वे कार्य नहीं हुए?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि विजिलैंस और मॉनीटरिंग के माध्यम से किन राज्यों ने गठन किया है और काम कर रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक 28 राज्यों ने इस कमेटी की मीटिंग कई जिलों में ली है। सब जिलों में नहीं ली है, लेकिन कई जिलों में ली है। लेकिन जिन जिलों में इस समिति की मीटिंग नहीं लेते हैं, उनको बार–बार हमारे मंत्रालय से सूचना गई है। वे कहते हैं कि करेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग जो कहेंगे कि आप नहीं बनाएंगे तो हम रूरल डैवलपमैंट विभाग के माध्यम से जो पैसा दे रहे हैं, राशि दे रहे हैं, उसको देने में भी हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन वह करना अच्छा नहीं है। इसलिए आप करें।

दूसरी बात जो पर्टिकुलरली कापार्ट के बारे में कही, कापार्ट के बारे में भी जो हमारा विभाग है, उसके माध्यम से एरिया ऑफिसर के माध्यम से उस पर विजिलैन्स और मॉनीटरिंग होती है। इतना ही नहीं, हरेक जिले और राज्यों में भी उसकी विजिलैन्स और मॉनीटरिंग के माध्यम से जांच होती है। जहां–जहां ऐसी चीजें ध्यान में आई है कि वे काम बराबर नहीं कर रहे है, उन पर कार्रवाई करने का काम भी हमने किया है।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोध दर्ज करने के बाद माननीय मंत्री कह रहे है कि वे इसका राज्य–वार ब्यौरा देंगे, यदि सदस्य वैसा चाहता है, जबकि प्रश्न के भाग (ग) में विशेष रूप से राज्य–वार ब्यौरा मांगा गया है। प्रश्न के भाग (घ) के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर में केवल नौकरशाही निगरानी की बात कही गई है और पंचायत आधारित जिला नियोजन या स्थानीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वयन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या इससे संविधान के भाग IX के क्रियान्वयन और इस विषय पर स्थायी समिति की 37वीं रिपोर्ट की पूरी उपेक्षा नहीं प्रतिबिम्बित होती?

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, मणि शंकर अय्यर जी जो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं ज्यादा डीटेल में नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इनकी सोच जो थी कि स्टेटवाइज पूरी डीटेल्स रूरल डिपार्टमेंट के सब विभागों की जानकारी जो देनी है, उसकी एक पुस्तिका तैयार होनी चाहिए और हमारे पास यह पुस्तिका है कि कितना फंड दिया, कितना एलोकेट हुआ था, कितना खर्च हुआ। वे चाहें तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। अभी भी तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : मंत्री जी कह रहे हैं कि चाहें तो दे सकते हैं, जबकि सवाल ही यह है। आप यह जवाब उसमें देते।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मुझे आपके संरक्षण की जरूरत है, सदस्य ने इसकी पहले ही इच्छा जताई है। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं – 'चाहें तो'?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : हम ऐसी सूचना प्रदान कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : जो पूछा जाता है, उस सवाल का जवाब तो लिखित में दीजिए। यह जवाब में आप कह सकते थे। प्रश्न के लिखित जवाब में पार्ट सी की पूरी उपेक्षा हुई है, इसकी मैं निन्दा करना चाहता हूं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : नहीं महोदय। आपको जो कहना है वह कह सकते हैं लेकिन मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा इनफॉर्मेशन देनी है, वह दी है और जो–जो जानकारी उनको चाहिए, वह मैं देने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : आप सदस्य की भावना से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के पहले हिस्से की कोई टिप्पणी दी है, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है, उसका कोई जवाब नहीं आया। यदि मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी की समझ में नहीं आया हो, तो मैं दुबारा पूछने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो सवाल किया गया था कि संसदीय समिति की जो 37वीं रिपोर्ट है, उसकी उनके मंत्रालय में उपेक्षा हो रही है, उसके बारे में उन्होंने अपने उत्तर में न तो पंचायतों का जिक्र किया है और न ही डिस्ट्रिक्ट लैवल प्लानिंग की बात कही है और न अपनी मिनिस्ट्री की टास्कफोर्स के बारे में कुछ बताया है। ये केवल अफसरशाही पर निर्भर करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को जो मूल काम करना है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। हम कहते हैं कि उनकी आवाज सुनिए, लेकिन वह नहीं सुनी जाती है। इसीलिए तो बर्बाद हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात सिम्पल है और इतनी है कि केवल अफसरशाही से काम कराना मैम्बर नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव के हाथ में काम दिया जाए। इस बारे में उत्तर दीजिए। करना चाहते हैं या नहीं, सिर्फ वही उत्तर दीजिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष महोदय, हम बिल्कुल करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, सब वही हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य ने जिस 37वें संसदीय प्रतिवेदन की बात कही है। हम उसके अनुसार करने और उत्तर देने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हू कि उन्होंने सांसदों को अपने जिले के हैडक्वार्टर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दिए गए धन के सदुपयोग की जांच के लिए बनी कमेटियों का चेयरमैन बनाया है। मैंने अपने यहां तीन महीने मीटिंग ली है। मीटिंगों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मीटिंग में जाना बेकार है क्योंकि हम जो भी चीज पकड़ते हैं, उसके संबंध में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं दूसरे की बात नहीं, बल्कि अपनी बात कहना चाहता हूं। मैंने मंत्री महोदय को इस बारे में लिखकर निवेदन किया है कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में 1997 में एक पुल के निर्माण के लिए मुझ से कहा गया था कि 20 लाख रुपए लगेंगे। मैंने 20 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए। पहले 15 लाख कहा, फिर कहा कि 5 लाख लगेंगे। इस प्रकार मैंने 20 लाख रुपये स्वीकृत कर दिए, लेकिन 1997 से अब तक वह पुल नहीं बना है। जब मैं इस समिति का चेयरमैन बना और इस बारे में जांच कराई, तो अब कहते हैं कि उस पुल के लिए 1 करोड 27 लाख रुपये लगेंगे। मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूं, मैं जानना चाहता हू कि पहले इंजीनियर ने किस आधार पर कहा कि उस पुल में 15 लाख रुपये लगेंगे, फिर कहा कि 20 लाख लगेंगे और 20 लाख रुपये दे दिए, लेकिन पुल नहीं बना। अब जब मैं जिला स्तरीय कमेटी का चेयरमैन बना, और मैंने जब इसकी जांच कराई तो वह पुल अभी तक क्यों नहीं बना, तो उसी पुल को बनाने की लागत अब 1 करोड़ 27 लाख बताई जा रही है, इसके क्या कारण हैं?

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां एक दूसरा पुल उसी के पास बेईमानी के आधार पर लोकल एम.एल.ए. ने बनवा दिया और उस पुल की लागत 1 करोड़ 30 लाख आई है। इसलिए अब कह रहे हैं कि आपको भी 1 करोड़ 30 लाख रुपये देने होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पहले इंजीनियर ने किस आधार पर 20 लाख रुपये का प्राक्कलन बनाया और अब वही प्राक्कलन बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख रुपये कैसे हो गया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या व इस प्रकरण की सी.बी.आई. से जांच कराएंगे, क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से इसकी हाई लैवल इन्क्वायरी कराई जाए?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, माननीय पासवान जी ने जो बात कही है, मैं भी वहां से पूरा ब्यौरा मंगवाऊंगा, लेकिन मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे भी मुझे इस बारे में बताएं। मैं पूरी इन्क्वायरी कराऊंगा और जो भी करने का होगा, वह मैं करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : आपके पास कौन सी मशीनरी है जिसके माध्यम से आप इन्क्वायरी कराएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, मंत्री जी ने कहा है कि वे हाई लैवल इन्क्वायरी करायेंगे।

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, यहां हमारे उप प्रधान मंत्री जी भी उपस्थित हैं, पहले सांसदों की मांग थी कि डी.आर.डी.ए. की चेयरमैनशिप जिले में सांसद को मिलनी चाहिए। उस समय श्री सुन्दर लाल पटवा जी मंत्री थे, उन्होंने इस बात को मान्य किया, लेकिन बाद में यह बात ठंडे बस्ते में चली गई। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विजिलैंस और मॉनीटरिंग कमेटी का जिलास्तर पर सांसद को चेयरमैन बनाया है, ऐसा बताया गया और आर्डर भी गए, लेकिन मंत्रालय की अर्बन एवं रुरल डैवलपमेंट की संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते, जो अनुभव मुझे हुआ है वह मैं बताना चाहता हूं कि हमने अभी 9 राज्यों का प्रवास किया। हम सभी ने अनुभव किया कि एक या दो राज्यों में ही यह इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकी राज्य इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। मैंने महाराष्ट्र में दो बार मीटिंग ली। मैं यह कहना चाहता हूं कि सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम जितनी भी है, अर्बन एंड रूरल मिनिस्ट्री की नहीं बल्कि अन्य मंत्रालयों की, जैसे सर्वशिक्षा अभियान है, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, प्रश्न पूरा कीजिए। इतना लम्बा प्रश्न पूछेंगे, तो कैसे काम चलेगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सर, जिला स्तर पर जितनी भी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम आती हैं, उनमें सांसदों को नहीं पूछा जाता। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : खैरे जी, इस पर अनेक लोगों को प्रश्न पूछना है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रकांत खैरे : सांसदो को नही पूछा जाता, इसलिए इसका थोड़ा विस्तार करें और उसमें सिर्फ अर्बन या रूरल डेवलेपमेंट का ही नहीं, बल्कि हैल्थ डिपार्टमेंट का भी इन्वाल्वमेंट होना चाहिए। राज्यों में जितनी भी सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स हमारे चुनाव क्षेत्रों या जिलों में जाती है, उनका चेयरमैन सिर्फ अर्बन या रूरल डेवलपमेंट कमेटी का ही नहीं होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं और इसकी हर तीन महीने में मीटिंग भी होनी चाहिए, यह मांग भी मैं करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पहले चेयरमैन तो बना दें।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स के अंतर्गत सेंटर से जो पैसा जा रहा है उसकी निगरानी के लिए आप क्या सख्त कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि राज्यों के पास पैसा नहीं है। ... *(व्यवधान)* यह महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है, मैं अन्य मंत्रालयों की बात नहीं करूंगा, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात करूंगा और इसके लिए हमने विजिलेंस मॉनीटरिंग कमेटी बनाई है। महोदय, यह बात भी सही है कि बहुत सारे राज्यों में हमारे द्वारा रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्होंने विजिलेंस मॉनीटरिंग कमेटी नहीं बनाई। हमने उन्हें अल्टीमेटम भी दिया और सावधान भी किया कि अगर आप ये कमेटी नहीं बनायेंगे या बनाई हुई कमेटी की मीटिंग नहीं बुलायेंगे तो हम जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद जब सैकिंड इंस्टालमेंट रिलीज़ करते हैं तो हम इसे इस तरह ट्रीट करेंगे और अगर आपने मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग क्वाटरली नहीं बुलाई तो उस पर हम एक्शन भी ले सकते हैं। इसके बारे में मंत्रालय बहुत ही सीरियस है और इसके बारे में आगे सख्ती से जो कार्यवाही करनी है, वह करेंगे। मैं उन राज्यों का नाम नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जो अभी सवाल उठा रहे हैं और उन्हीं राज्यों में कमेटियां नहीं बनी हैं।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की जनगणना

\+

*102. **श्री उत्तमराव पाटील :**

श्री विष्णु पद राय :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की जनगणना पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका परिणाम क्या निकला;

(ग) यदि नहीं, तो शेष राज्यों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की जनगणना का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की पहचान के लिए अर्हक होने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या अब भी बड़ी मात्रा में ग्रामीण लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की सूची मांगी है;

(च) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के बारे में सूची भेजने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्यों को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का उत्थान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (छ) एक विवरण सभापटल पर दिया गया है।

विवरण

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, जिन्हें मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है, का पता लगाने के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) रहने वाले लोगों की जनगणना करवाना है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दसवीं योजना के दौरान सहायता के लिए बी पी एल परिवारों का पता लगाने और बी पी एल जनगणना, 2002 को जून, 2003 तक पूरा करने की सलाह दी गई है। तथापि, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पी यू सी एल) की 2001 की रिट याचिका सं. 196 पर 5 मई, 2003 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण राज्य सरकारों को केस की अगली सुनवाई होने तक बी पी एल सूची को अंतिम रूप न देने की सलाह दी गई है। बी पी एल जनगणना (2003) के परिणामों को, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद ही अंतिम रुप दिया जाएगा।

बी पी एल जनगणना, 2002 में गरीबों का चयन प्रत्येक गांव में शत-प्रतिशत कवरेज के साथ घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने के जरिए किया जाना होता है। पिछली बी पी एल जनगणना में अपनाए गए अपवर्जित मानदंडों को शामिल करके "आय" दृष्टिकोण/"व्यय" दृष्टिकोण की बजाए बी पी एल जनगणना 2002 के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों सूचकांकों के आधार पर प्रत्येक परिवार के जीवन की कोटि को दर्शाते हुए अंक आधारित रैंकिंग को अपनाया गया है।

बी पी एल के लिए परिवारों की पात्रता हेतु अंक बिन्दु निर्धारित नहीं किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबों का पता लगाने के लिए निर्धारित अंकों का निर्णय लेने और परिवारों को "गरीब" तथा "गैर-गरीब" में उप-श्रेणीबद्ध करने के लिए लोचशीलता प्रदान की गई है। निर्धारित अंक वास्तविकताओं को

ध्यान में रखते हुए एक राज्य में जिले से जिले में, ब्लॉक से ब्लॉक में तथा गांव से गांव में एक समान हो सकते हैं या भिन्न भिन्न हो सकते हैं। निर्धारित अंकों के बारे में निर्णय समूचे राज्य के आंकड़ों को सारणीबद्ध करने के बाद लिया जा सकता है।

गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा कराये गए पंचवर्षीय उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1999–2000 के लिए योजना आयोग के आकलन के अनुसार ग्रामीण आबादी का 27.09 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था। तथापि राज्य सरकारों को योजना आयोग के वर्ष 1993–94 के आकलनों के अनुरूप बी पी एल परिवारों की सूची को अंतिम रूप देने की सलाह दी गई है।

वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के लिए सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए क्रमशः 18376.00 करोड़ रु. (संशोधित अनुमान) तथा 14070.00 करोड़ रु. (बजट अनुमान) का कुल केन्द्रीय आबंटन रखा गया है। यह मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण लोगों के उत्थान के लिए मजदूरी रोजगार, स्वरोजगार, क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वच्छता तथा पेयजल आपूर्ति जैसे अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न सख्या 102 का ठीक से उत्तर नहीं दिया है। मैंने साफ तौर पर पूछा था कि क्या सभी राज्यों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की जनगणना पूरी कर ली है, यह मेरा प्रश्न था लेकिन इसका उत्तर ठीक से नहीं दिया गया। यहां लिखा है कि जून, 2003 तक जनगणना पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि अनेक राज्यों में जनगणना की कार्यवाही, सर्वेक्षण की शुरूआत भी नहीं की है, अनेक राज्यों के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो लोग जनगणना करने के काम करते हैं, जैसे गांवों मे ग्रामसेवक, टीचर एवं पटवारी है, इन लोगों ने जनगणना के लिए सहयोग दिया है और वे इसके लिए अलग से मेहनताना मांगते हैं। क्या इस बात से सेंट्रल गवर्नमेंट अवगत है और यदि है तो इसके लिए आपने कोई आर्थिक प्रावधान राज्यों को देने का तय किया है या निश्चित किया है?

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष महोदय, बीपीएल का सर्वे करने की कमेटी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सन् 2001 में ही गठित की गई। डॉ. संजीवा रेड्डी उसके चेयरमैन बना कर, टैक्नोक्रेट, एक्सपर्ट्स और प्लानिंग कमीशन के रिप्रजेंटेटिव तथा अन्य सब लोगों को मिला कर कमेटी काम कर रही है। उसके मुताबिक, उसके डायरेक्शन से हाऊस टू हाऊस, ब्लाक टू ब्लाक और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे हो रहा है और उसके मुताबिक सर्वे में एक ही चीज आई है कि पहले जो सर्वे था वह इंकम और एक्सपेंडीचर के आधार पर था और अभी जो सर्वे हो रहा है वह इकोनोमिक एंड सोशल पैटर्न पर हो रहा है और यह जून, 2002 तक पूरा होना था लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में केस किया गया तथा ऊधर रिट पेटीशन दाखिल होने के बाद स्टे का आदेश दिया है, जब तक इसके बारे में अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक वह नहीं करेगा, लेकिन हमारी तरफ से पूरी तैयारी है।

श्री उत्तमराव पाटील : मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न यह है कि कितने राज्यों ने इसका सर्वे किया है। मंत्री जी की स्टेटमेंट के आधार पर मैंने प्रश्न पूछा था, जब मंत्री जी वेस्ट बंगाल गए थे तो उन्होंने कहा था,

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

यह जो स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट के आधार पर मैंने क्वश्चन किया कि ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने अभी तक इस बारे में केन्द्र को मालूमात नहीं दी है। मैं स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं, उसका आप उत्तर दीजिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : बहुत से राज्यों ने यह काम पूरा किया है।

श्री उत्तमराव पाटील : विरोधी पक्ष के राज्य भी इसमें आ सकते हैं, लेकिन गुजरात में यह नहीं हुआ है। आप साफ बोलिये। *...(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक उसकी पूरी इन्फोर्मेशन हमारे पास अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वह विथहैल्ड है, यह लीगल मैटर है, लेकिन हम अभी तक उसकी राह देख रहे हैं, लेकिन काफी स्टेट्स ने इन्फोर्म किया है और हमें काफी इन्फोर्मेशन मिली है।

श्री विष्णु पद राय : मेरे छोटे से तीन सवाल हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तीन सवाल नहीं पूछ सकते, केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री विष्णु पद राय : एकदम छोटे–छोटे तीन सवाल हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई फायदा नहीं है, केवल एक प्रश्न का ही उत्तर मिलेगा।

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बी सी करके कहूंगा। उनके उत्तर के भाग दो में कहा गया है कि बी.पी.एल. सेंसस 2002 का डोर टू डोर सभी लोगों का सर्वे करेंगे, प्रत्येक

गांव का सर्वे करेंगे। मेरा पहला सवाल अंडमान का निकोबार जिला, जहां निकोबारी ट्राइबल डिस्ट्रक्ट डिक्लेयर्ड है, जहां 50 सालों से नॉन ट्राइबल्स रहते हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड, लोकल सर्टिफिकेट आदि दिया गया और वोटर लिस्ट में उसका नाम दिया गया है। निकोबारी ट्राइबल्स 100 परसेंट बी.पी. एल. कैटेगरी में 50 साल से आते हैं तो क्या भारत सरकार नॉन ट्राइबल्स को, जो उस एरिया में रहते हैं, क्या उनका सर्वे कराकर बी.पी.एल. में लायेगी या नहीं, यह मेरा पहला सवाल है? मैं काले पानी से आया हूं, उसके कारण मेरा सवाल बी है कि जो बी.पी.एल. सर्वे करने के लिए पैटर्न बनाया गया, इकोनोमिक और सोशल इंडीकेटर्स के मुताबिक 13 पाइंट्स और 52 स्कोरिंग में सर्वे हो चुका है, लेकिन ग्रामसभा में स्कोरिंग का ड्रफ्ट लिस्ट दिया है, साथ में फार्म स्कोरिंग नहीं दिया, उसके कारण से नये पैटर्न में ग्रामसभा में पास हुआ, लेकिन बाद में विलेजर्स ने, पुअर हाउसहोल्ड्स ने राइटिंग में उपराज्यपाल महोदय को शिकायत की कि दोबारा ग्रामसभा बुलाकर इसे फाइनल कर दिया जाये, इसके स्कोरिंग में गलती हुई है क्या भारत सरकार दोबारा अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में दोबारा ग्रामसभा बुलाकर जो स्कोरिंग के खिलाफ शिकायत की थी, ओरिजनल फार्म और आवेदन करने के जो फार्म हैं, दोनों शिकायतें ग्रामसभा में रखकर दोबारा बी.पी.एल. का सर्वे करेंगे या नहीं? मेरा तीसरा छोटा सा सवाल है कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में भेदभाव पैदा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और उड़ीसा में 1997 का बी.पी.एल. फैमिलीज का परसेंटेज 60 से 70 परसेंट है और अंडमान निकोबार में 20 परसेंट के नीचे है, जो सबसे दूर है, उसमें ऐसा क्यों हुआ। बी.पी. एल. का सेंसस करने में 1997 की जो गलती हुई थी, क्या टेंथ प्लान में आप उसकी भरपाई करेंगे? ये मेरे तीन छोटे से ए. बी. और सी. सवाल हैं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष जी, इनका जो पहला सवाल है कि नॉन ट्राइबल एरिया में बी.पी.एल. का सर्वे करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि वह तो सब जगह करना ही चाहिए, हो जायेगा। दूसरा इनका जो सवाल था कि ग्रामसभा के माध्यम से यह पूरा रिवाइज करने की जो उन्होंने गलती की थी, वह करेंगे, वह जरूर करेंगे। तीसरे 1997 में गलती से 10 परसेंट का एवरेज था तो जरूर दसवीं योजना में यह जो होगा, उसको हम रैक्टीफाई करने की कोशिश करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न सरकार के द्वारा हो रहा है, मगर 2002–2003 के बजट में आपने 18376 करोड़ रुपये रखे थे, 2003–2004 में 14077 करोड़ रुपये आपने रखे हैं, इसी तरह अगर पैसा कम होता जायेगा तो गरीबी बढ़ने की संभावना है। इसलिए मेरा सवाल यह है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो आने वाला 2004–2005 का बजट है, इसमें आप कितना प्रावधान करने वाले हैं?

अभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 26 परसेंट है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगले वर्ष इस संख्या को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय करने वाली है? इसके साथ–साथ ग्रामीण विकास का नाम बदलकर बी.जे.पी. विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि यदि ग्रामीण विकास आपको करना है तो इस तरह के लोगों को ऊपर उठाना चाहिए।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक 2003–04 का बजट ऐलोकेशन का सवाल है, माननीय सदस्य ने कहा है कि वह पिछले वर्ष के कम्पेरीजन में कम है। पिछले साल का बजट एस्टीमेट जब रिवाइज्ड हुआ था तब उसमें बढ़ोत्तरी की गयी थी। उस समय 18 हजार 376 करोड़ रुपये दिये गये थे। इस साल भी हमें पूरी आशा है कि यह जो 14 हजार 70 करोड़ रुपये का बजट है, उसमें भी बढ़ोत्तरी होगी। इसी तरह उन्होंने आने वाले साल के लिए पूछा है, तो उसमें भी ऐसी ही बढ़ोत्तरी होगी। अल्टीमेटली सरकार चाहती है कि गांव और गांव के लोगों का विकास करना है तो उसके लिए जरूरी फंड होना ही चाहिए।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची के बारे में यह प्रश्न उठाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जो सूची बनायी गयी है, वह सही नहीं है। कई जगह ऐसा देखा गया है कि गरीबों के नाम उस सूची में छूट गये हैं यानी उस सूची में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति का नाम न होकर अमीर लोगों के नाम हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये। दूसरे लोगों को भी प्रश्न पूछना है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : जब कभी हम ग्रामीण लोगों के बीच में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति अत्याधिक गरीब है और गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहा है और जिसका नाम उस सूची में होना चाहिए, उसका नाम उस सूची में नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई तौर–तरीका नहीं है या हम इस तरह अधिकृत नहीं हैं कि अगर हम जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या ब्लाक अधिकारी को लिखकर देते हैं कि यह आदमी गरीब है इसलिए इसका नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में होना चाहिए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सालों तक उस व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में नहीं होता। सरकार द्वारा चालू की गयी योजनाओं के लाभ से वह व्यक्ति निरंतर वंचित रहता है। जन प्रतिनिधि होने के नाते भी हम उसका नाम उस सूची में नहीं जुड़वा पाते। ब्लाक और पंचायत में वह कागज घूमता रहता है। मेरा कहना है कि गरीबों

को एक विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री जी इस दिशा में विचार करके कोई ऐसा तौर–तरीका निकालेंगे या ऐसा आदेश देंगे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में लिखकर दें तो निर्धारित समय के अंदर उस व्यक्ति का नाम, यदि वह उपयुक्त पाया जाता है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की सूची में जोड़ा जा सके।

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम उस सूची में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष महोदय, ओनरेबल मैम्बर ने जो शंका जताई है, वह कुछ जगह सही है लेकिन 73वें अमेंडमेंट एक्ट के मुताबिक यह पूरा अधिकार ग्राम सभा को है और ग्राम सभा के मुताबिक ...*(व्यवधान)*

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा कहां होती है? ...*(व्यवधान)*

ग्राम सभाएं होती ही नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माने जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : अध्यक्ष महोदय, वह सब कागज में होती हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठिए।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा के माध्यम से ये सभी लिस्टें तैयार होती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर यह नम्बर कम रखा जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : उसमें करैक्शन होगा, किसी की कम्पलेंट होगी तो उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन ग्राम सभा के मुताबिक किसी भी मैम्बर का कहीं आया होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसे करेक्ट करने के लिए ऑथौराइज्ड किया गया है। इसलिए वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है।

हिरासत में हुई मौतें

\+

*103. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान देशभर में पुलिस हिरासत में किए जाने वाले उत्पीड़न के मद्देनजर कानूनों में संशोधन करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिरासत में बढ़ती मौतों पर रोक लगाने के लिए साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

डी.के. बसु बनाम प. बंगाल राज्य तथा अन्य के मामले में निर्णय सुनाते समय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की ताकि विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हिरासती हिंसा के मामलों में वृद्धि को रोका जा सके। विधि आयोग ने अपनी 113वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114ख शामिल करने की सिफारिश की है जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुचाने के कथित अपराध के लिए पुलिस अधिकारी पर अभियोजन चलाते समय, यदि वह साक्ष्य उपलब्ध हो कि चोट उस अवधि के दौरान पहुंचाई गई थी जब उक्त व्यक्ति पुलिस हिरासत में था, तो न्यायालय यह मान सकता है कि चोट उक्त अवधि के दौरान उक्त पुलिस अधिकारी द्वारा पहुंचाई गई है, जिसकी हिरासत में यह व्यक्ति था। आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि अनुमान के प्रश्न पर विचार करते समय, न्यायालय द्वारा हिरासत की अवधि, पीड़ित द्वारा दिए गए बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और मजिस्ट्रेट द्वारा रिकार्ड किए गए साक्ष्य सहित सभी संबद्ध परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

दांडिक कानून (मूल और क्रियाविधिक दोनों ही) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। तदनुसार, दांडिक कानूनों से संबंधित मामलों पर विधि आयोगी की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को उनकी राय जानने के लिए भेज दी गई हैं। साक्ष्य अधिनियम सहित क्रियाविधिक कानूनों में और आगे संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों की राय पर निर्भर करेगा।

अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने का प्रस्ताव करते हुए वर्ष 1994 में संसद में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 प्रस्तुत किया गया था:–

(i) सिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों के सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात् महिलाओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाना।

(ii) नजरबंद अथवा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में उसके द्वारा नामित उसके मित्र/रिश्तेदार को सूचना देने का अनिवार्य प्रावधान करना।

(iii) नजरबंद व्यक्ति के अनुरोध पर, उसे मेडिकल रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराना।

(iv) हिरासत में कथित मौत, लापता होने अथवा बलात्कार के मामले में न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाना।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : अध्यक्ष जी, यह इनका दूसरा प्रश्न है। इस तरह हमारा समय मारा जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माने जी, इस बात पर ध्यान दीजिए कि यह इनका दूसरा प्रश्न है। वह प्रश्न खत्म हो गया है। यह सप्लीमैंट्री नहीं है, अगला प्रश्न शुरू हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने चिन्ता व्यक्त की थी कि हिरासत में जो मौत होती है, उसे कैसे रोका जाए, उसके संबंध में क्या कानून बनाया जाए। आपने ऐवीडैंस एक्ट की धारा 114 में कुछ अमैंडमेंट किए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश दिया था, उस आदेश की मंशा को ध्यान में रखते हुए आपने कानून में जो संशोधन किए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं या अभी और संशोधन की आवश्यकता है? उस संशोधन के बाद हिरासत में मौतें कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? कितनी मौतें हुई हैं और आज तक कितने लोगों को सजा हुई है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : चूंकि यह सब्जैक्ट कनकरैंट लिस्ट में है, इसलिए इसमें पूरा कानून बनाकर क्रिमिनल अमैंडमेंट ला 1994 में राज्य सभा में इंट्रोडक्यूस हो चुका है। वह स्टैंडिंग कमेटी में गया था और वहां से भी आ चुका है। लेकिन इस सबको स्टेट्स को सर्कुलेट करना पड़ता है। स्टेट्स को सर्कुलेट किया हुआ है। अब होम मिनिस्ट्री यह सोच रही है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, कि उनकी टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए कि इतने समय तक उनके कमैंट्स आ जाएं ताकि इसे आगे चलाया जाए।

जहां तक प्रश्न के दूसरे पार्ट की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने और जो बहुत सारी बातें कही हैं, उनके बारे में जस्टिस मैलामैथ कमेटी बिठाई गयी थी। उसकी रिकमैंडेशन आ चुकी है और उसके मुताबिक क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म्स के बारे में, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एवीडैंस एक्ट, तीनों शामिल हैं, उन सब पर भी गौर किया जा रहा है कि और क्या–क्या किया जा सकता है। सैक्शन 25, 26 और 27 ऑफ ऐवीडैंस एक्ट को अमैंड करने के भी क्रिमिनल लॉ अमैंडमैंट बिल में ऑलरैडी प्रावधान किए गए हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर हिरासत में मौतें हो रही हैं, यह हम और आप सब जानते हैं। शासन और प्रशासन ने पुलिस को जो शक्तियां दी हुई हैं, वे कई बार उनका उपयोग न करते हुए दुरुपयोग करते हैं जिसके कारण पुलिस कस्टडी में मनुष्य के शरीर में चोट आती है, मौत होती है जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन, प्रशासन द्वारा पुलिस को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, अगर हिरासत में उसके कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, ऐसी स्थिति में मृतक व्यक्ति के परिवार या संबंधी को कम्पनसेशन देने के संबंध में क्या कोई कानून है या कोई कानून बनाने के बारे में आप विचार कर रहे हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : अभी कम्पनसेशन देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो सुझाव आया है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात ला दूं, क्योंकि उन्होंने यह बात पहले प्रश्न के समय भी की थी कि किसी को सजा मिली है या नहीं, सन् 2000 से 2003 तक पुलिस की हिरासत में 475 कस्टोडियल डैथ्स हुई हैं जो ज्यूडीशियल कस्टडी के अलावा हैं। ज्यूडीशियल कस्टडी में जो लोग जेल में होते हैं, उनमें से कई इनफार्म, ओल्ड एजेड होते हैं और उनकी एलमैंट भी बड़ी प्रोट्रैक्टेड होती हैं, बहुत सारी डैथ्स इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन दोनों केसेज में सब स्टेट्स को ह्यूमन राइट्स कमीशन को हर कस्टोडियल डैथ की इनफार्मेशन देनी पड़ती है। उन्होंने 475 में से 21 केसेज में एक्शन रिकमैंड किया है। उन्होंने ज्यूडीशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी की डैथ में 21 केसेज में प्रॉसीक्यूशन, सजा देने, सस्पैंड करने, डिसीप्लीनरी एक्शन लेने की रिकमैंडेशन की है। कम्पनसेशन का अभी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : कम्पनसेशन देने के बारे में क्या आप विचार कर रहे हैं?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैंने कहा कि जो आपका सजेशन आया है, जब मैम्बर्स कमेटी की रिकमेंडेशन पर गौर हो रहा है और ज्यूडिशियल रिफॉर्म्स के सिलसिले में जो बिल लाएंगे, उसमें जरूर आपके सुझाव को ध्यान में रख लिया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, संविधान की धारा 21 में जो मौलिक अधिकार हैं, उसके मुताबिक जीवन और स्वतंत्रता

की सुरक्षा का सवाल है और इसमें लिखा है : "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।" जो सरकार द्वारा जवाब आया है कि कुछ दिन पहले जो दूसरे सदन में सरकार ने जवाब दिया है, उसके मुताबिक 30 अप्रैल के राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4212 के जवाब में तीन साल के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जो शिकायतें दर्ज हुई हैं, वे 90,852 हैं और उसी दिन 30 अप्रैल 2001 के अतारांकित प्रश्न सं. 4235 के जवाब में सरकार ने कहा कि तीन साल में 832 लोग कस्टडी में मारे गए हैं। जो ये मारे जाने वाले लोग हैं, यह स्वाभाविक है कि इनके संविधान का जो मौलिक अधिकार है, उनका उल्लंघन हुआ है। सीबीआई एक सबसे बड़ी संस्था है लेकिन सीबीआई के पास एक से एक मुकदमें आते हैं लेकिन सीबीआई पर यह चार्ज नहीं लगा है कि उसने कभी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया हो। बिना थर्ड डिग्री का इझतेमाल किए हुए भी सारी चीजों की वह जांच करने का काम करती है और वैसी परिस्थिति में जिसमें दुश्मनी हो, उसने एनकाउंटर करवा दो। थाने में कौन लोग मारे जाते हैं? बिल्कुल गरीब आदमी मारे जाते हैं जिनकी न कोई एप्रोच होती है और न उनके पास पैसा होता है। बड़े–बड़े जो लोग होते हैं, उन्होंने तो पैसा दिलवा दिया होता है। यह ह्यूमन राइट्स का विषय है। पिछले दिनों हम लोगों ने झज्जर का मामला उठाया था। थाने में मरने का भी मामला था। दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आंख निकाल दी जाती है, कहीं कुछ होता है। इस तरह की अमानवीय घटनाएं होती हैं और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करें और सबसे बड़ा एक काम सरकार करे कि जो थाने का एसएचओ होता है, उस एसएचओ को इतनी पॉवर है कि यदि कुछ दफाओं को हटा दिया जाए तो डीजीपी पुलिस और आई.जी. को भी वह बंद करके रख सकता है। सिर्फ आप एसएचओ को जिम्मेदारी दे दें कि इसके लिए एसएचओ जिम्मेदार होगा तो मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत इस तरह की घटनाएं होने से रुक सकती हैं। मैं सरकार से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि आपने राज्य सरकार को लिखा है। किस–किस राज्य सरकार ने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि आपको इस कानून में संशोधन करने की आवश्यकता हो, यहां तक कि इंज्यरी भी अगर किसी की होती है तो उसके लिए कानून के मुताबिक वह सजावार होता है। यह कब तक लाएंगी या यह अमेंडमेंट बिल कब तक लाएंगे या कब तक आप एवीडेंस एक्ट में अमेंडमेंट करेंगे? यह कब तक सरकार लाने जा रही है और कौन–कौन सी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं भेजी है या बिल्कुल नहीं भेजी है या सरकार कब तक इसको एवीडेंस एक्ट में संशोधन करने का विचार करती है? किस सैशन में सरकार इस अमेंडमेंट बिल को लाने जा रही है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : बहुत सारी सरकारों से जवाब नहीं आए हैं। मेरे पास इस समय डिटेल्स नहीं हैं लेकिन मैंने जैसा कि पहले ही सप्लीमेंट्री प्रश्न के जवाब में कह कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक फाइनल इंस्ट्रक्शन जा रही है कि जिन राज्य सरकारों का एक पर्टिकुलर तिथि तक जवाब नहीं आया है तो हम यह प्रिज्यूम करेंगे कि ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : पर्टिकुलर तिथि मतलब कब तक?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : एक महीने का समय या बीस दिन की डेट दे देंगे, यह होम मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है। यह अभी चला जाएगा ताकि उसके बाद हम इस अमेंडमेंट बिल को आगे ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : अगला पार्लियामेंट का जो सैशन आएगा, क्या बजट सैशन में आप इस बिल को लाएंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : कोशिश करेंगे कि उसको उस वक्त तक राज्य सरकार से उनको फाइनल नोटिस देकर हम फाइनल करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आदिशंकर : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में अकसर हई पुलिस मुठभेड़ों की जानकारी है। हाल ही में तमिलनाडु पुलिस द्वारा श्री वेंकटेश पन्नैयार की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह अपने घर में सो रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी मुठभेड़ों के संबंध में केन्द्र सरकार के पास कोई शिकायत दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु पुलिस द्वारा सेरिया नामक एक महिला का उत्पीडन किया गया। चेन्नै उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक प्रतिकूल टिप्पणी की थी। मैं केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्री आई.डी. स्वामी : इसके लिए अलग नोटिस की जरूरत है क्योंकि मुख्य प्रश्न हिरासत में हुई मृत्यु के बारे में है न कि मुठभेड़ के बारे में है। मुठभेड़ अब मुद्दा नहीं है। हिरासत में हुई मृत्यु ही मुद्दा है। इसलिए अलग नोटिस की जरूरत है।

भूमि-अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण

***104. श्री प्रबोध पण्डा :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त योजना को देश के शेष जिलों में भी लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त प्रयोजन हेतु राज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गई है/आबंटित की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) भूमि अभिलेखों के कम्प्यटरीकरण की योजना भू–स्वामियों को मांग किए जाने पर स्वामित्व संबंधी ब्यौरों की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1988–89 में आरम्भ की गई थी। अभी तक देश के 593 जिलों में से 582 जिलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। इस योजना के अंतर्गत (राज्य–वार) कवर किए गए जिलों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(ग) से (ङ) मेघालय राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दीव और लक्ष्यद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों में शेष 11 जिलों को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपने भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने और तत्पश्चात् कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ करने हेतु अनुरोध किया गया है।

(घ) यह एक मांग आधारित योजना है, अतः राज्य–वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जांच की जाती है और तदनुसार निधियाँ जारी की जाती हैं। योजना के आरम्भ होने से लेकर, भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (30.11.2003 तक) 288.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शामिल किए गए जिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	23
4.	बिहार	37
5.	गुजरात	25
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू–कश्मीर	14
10.	कर्नाटक	27
11.	केरल	14
12.	मध्य प्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	35
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	0
16.	मिजोरम	9
17.	नागालैंड	8
18.	उड़ीसा	30
19.	पंजाब	17
20.	राजस्थान	32
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	29
23.	त्रिपुरा	4
24.	उत्तर प्रदेश	70
25.	पश्चिम बंगाल	18
26.	छत्तीसगढ़	16
27.	झारखण्ड	22
28.	दादरा व नगर हवेली	1
29.	दिल्ली	9
30.	पांडिचेरी	1
31.	चंडीगढ़	1
32.	दमन व दीव	1
	योग	582

श्री प्रबोध पण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा पटल पर रखे गए विवरण को पढ़ लिया है। उत्तर में यह उल्लेख है कि भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण की योजना में 593 जिलों में 582 जिलों को पहले ही शामिल कर लिया गया है। इसलिए यह माना जाता है कि इन जिलों के मामले भू–स्वामियों का भूमि रिकार्ड भी पहले ही तैयार कर लिया गया है।

इस प्रसंग में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अतिरिक्त भूमि कितनी है जो संबंधित राज्यों के भूमि परिसीमन अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त हैं। राज्य–वार अतिरिक्त भूमि की कुल धनराशि कितनी है? मैं माननीय मंत्री से राज्य–वार आंकड़े देने का अनुरोध करता हूं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : महोदय, जैसा कि पहले ही उत्तर दिया जा चुका है, कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत 593 जिलों में से 582 जिले ही शामिल किए गए हैं। 1988–89 की शुरूआत से कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 288 करोड़ रुपये की लागत पर देश में 6111 तालुकों में से 3114 ताल्लुकों को शामिल किया गया है। जहां तक शेष ताल्लुकों और जिलों के भूमि रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण का संबंध है तो यह योजना है कि दसवीं योजना तक कम्प्यूटरीकरण कार्य हो जाएगा।

विशेषकर माननीय सदस्य भूमि परिसीमन अधिनियम के अनुसार कुल अतिरिक्त भूमि के बारे में जानने के इच्छुक हैं। उन्हें आंकडे बताना कठिन है। मैं निश्चित रूप से उन्हें सूचित करूंगा।

श्री प्रबोध पण्डा : महोदय, मैं अतिरिक्त भूमि के बारे में जानना चाहता था। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री आंकड़े देंगे।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। भूमि रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण भूमि सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लाभदायक होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार भूमि सुधार कार्यक्रम और इस बात का आकलन करने की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में इसे जहां तक क्रियान्वित किया है, की समीक्षा करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के मंत्रियों की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : हमने इस संबंध में पिछले साल मीटिंग बुलाई थी, जिसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। अगर आप सबकी इच्छा है तो हम फिर हरेक राज्य के सम्बन्धित मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि इस बारे में जितनी अच्छी कार्यवाही होनी चाहिए, वह हम जरूर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जो पूर्व में एक जिले में भूमि रिकार्ड से जुड़ा हुआ था। कम्प्यूटरीकरण का मुख्य प्रयोजन क्या है? जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भूमि सुधार संबंधी सूचना की तत्काल आपूर्ति को सुकर बनाना है। यदि कोई व्यक्ति जाकर भूमि रिकार्ड हेतु आवेदन करे और उसे वह सूचना नहीं मिलती है तो कम्प्यूटरीकरण का कोई फायदा नहीं है। वह व्यक्ति किसान होता है जिसे भूमि रिकार्ड की सर्वाधिक जरूरत होती है। पंचायत स्तर और ग्रामस्तर पर कम्प्यूटर की जरूरत होती है। निचले स्तर पर जो व्यक्ति भूमि सुधार का प्रभार होता है वह तलाती अथवा पटवारी होता है। यदि उसे खाते उतारा की जरूरत होती है तो उसके लिए आवेदन करने के लिए उसे तालुक के पास जाना पड़ता है। इस तरह तत्काल क्रियान्वयन कहां है?

इसलिए जब तक ग्राम स्तर पर जब जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि रिकार्ड नहीं मिलता तो कम्प्यूटरीकरण का क्या फायदा है? अथवा यदि आप किसी व्यक्ति को ताल्लुक अथवा जिला मुख्यालय में जाने के लिए कहें तो उसे वहां जाने के लिए पैसा खर्च करना गलत है। फिर उसे कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से उस व्यक्ति को राहत देने पर विचार कर रही है जो ग्राम स्तर पर रिकार्ड चाहता है; यह राहत उसे कैसे दी जाती है और कब दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : माननीय सदस्य का यह कहना कि इसका कोई फायदा नहीं, यह सही नहीं है। हमने देखा है और इस बारे में तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा ने अपना काम पूरा कर लिया है। वैस्ट बंगाल का भी काम पूरा होने वाला है। हाथ से जो रिकार्ड लिखा जाता है, उसमें देरी काफी होती है और खर्चा भी ज्यादा आता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, उनका प्रश्न अलग है। बेहतर होगा यदि आप इसे और सुनें। अर्थात वह आपसे यही चाहते हैं।

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : इसमें हमारी सहायता होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों एक ही राज्य के हैं।

[हिन्दी]

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : वह होगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास पाटील : मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कठिनाइयां आ रही हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री काशीराम राणा) : तालुक स्तर पर कार्य पूरा करने के बाद हम निचले स्तर पर जाएंगे। आखिरकार हमारा उद्देश्य इस कार्य को करना है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

मैट्रो रेल सेवाएं

+

*105. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :**

श्रीमती कान्ति सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के इर्द–गिर्द स्थित राज्यों में मैट्रो रेल सेवाएं आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों को, विशेषकर उन राज्यों को जिनके शहरी क्षेत्रों और नगरों की जनसंख्या चालीस लाख से अधिक है, को अपने विशाल शहरी क्षेत्रों और नगरों के लिए मैट्रो रेल प्रणाली हेतु योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त राज्यों द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई योजनाओं और उनकी मंजूरी का ब्यौरा क्या है;

(ड) इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता की पेशकश की है; और

(च) राज्यों और दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली मैट्रो (जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली – (एम आर टी एस) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आस–पास किसी राज्य तक बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (डी. एम.आर.सी.) ने दिल्ली एम.आर.टी.एस. को उत्तर प्रदेश में नौएडा तथा हरियाणा में गुड़गांव तक विस्तार करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु अध्ययन आरंभ किए हैं।

(ग) से (ड) केन्द्र सरकार मैट्रो रेल प्रणाली सहित प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन सुविधाओं में सुधार हेतु तकनीकी–आर्थिक अध्ययन के लिए राज्यों के प्रस्तावों पर गुणागुण के आधार पर विचार करती है और इस प्रयोजन के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के अध्ययनों की लागत के एक भाग (40 प्रतिशत) के लिए धनराशि प्रदान करती है। केन्द्र सरकार द्वारा अब तक सोलह राज्यों को पच्चीस नगरों में इस प्रकार के अध्ययनों के लिए लगभग 1281 लाख रुपयों की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। मैट्रो रेल परियोजनाओं के संबंध में कर्नाटक सरकार ने डी.एम.आर. सी. द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार से 1 करोड़ रु. की अनुमोदित वित्त सहायता के साथ बंगलौर के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बंगलौर के लिए प्रस्तावित मैट्रो रेल योजना में दो कारीडोर में लगभग 33 कि.मी. की कुल दूरी शामिल है। यह प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा गया है। प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रकृति और मात्रा के बारे में बताना संभव नहीं है।

(च) डी.एम.आर.सी. ने किसी राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने क्रमशः बंगलौर, हैदराबाद, मुंबई तथा अहमदाबाद नगरों में मैट्रो रेल प्रणालियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु डी.एम.आर.सी. के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों में बंगलौर के लिए दो कारीडोर (लगभग 33 कि.मी. की कुल दूरी) तथा हैदराबाद के लिए दो कारीडोर (लगभग 39 कि.मी. की कुल दूरी) का प्रस्ताव है। मुंबई और अहमदाबाद के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अभी तक केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मैट्रो रेल का कार्य चल रहा है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी इसको लेकर जागरूकता पैदा हुई है। अब देश के अधिक जनसंख्या वाले शहरों में भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के अध्ययनों की लागत का एक भाग, 40 प्रतिशत धनराशि उनको प्रदान करती है। दिल्ली के बगल में गुडगांव और नौएडा शहर भी है। वहां भी मैट्रो रेल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुम्बई, बंगलौर, चैन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना आदि बड़े शहरों में भी मैट्रो रेल की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली की मैट्रो रेल का विस्तार क्या गुडगांव और नौएडा तक भी करने का सरकार का विचार है और यदि है तो कब तक इसका विस्तार किया जाएगा? इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्य सरकारों ने अपने यहां मैट्रो रेल की स्थापना के लिए आपके पास प्रस्ताव भेजे हैं, उनको कब तक मंजूर करके उस पर काम शुरू कर दिया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है। मैंने अपने उत्तर में उन राज्यों को बताया है जो इन प्रस्तावों के साथ आगे आए हैं। मैं पहले ही उनका उल्लेख कर चुका हूं। मैट्रो और अन्य प्रणालियों हेतु अध्ययनार्थ वित्त पोषण की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के लिए, छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए, भावनगर और जामनगर के लिए गुजरात ने और केरल ने त्रिवेन्द्रम के लिए, मध्यप्रदेश ने ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के लिए, महाराष्ट्र ने मुम्बई और ठाणे के लिए प्रस्ताव किया है। इसके साथ पटियाला के लिए पंजाब से प्रस्ताव आया है। चैन्नै के लिए तमिलनाडु से प्रस्ताव आया है। इन परियोजनाओं के अध्ययन हेतु प्रस्ताव आए हैं। मैंने पहले ही इसका उल्लेख उनसे कर दिया है।

दसवीं योजना में हमने मुख्य रूप से तकनीकी–आर्थिक व्यवहार के अध्ययन हेतु दो सौ करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है कि हम विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए लागत की 40 प्रतिशत धनराशि प्रदान कर रहे है। तदनुसार डी.एम.आर.सी. कुछ शहरों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है। डी.पी.आर. मिलने के बाद इसे योजना आयोग के पास भेजा जाएगा। योजना आयोग द्वारा अनुमोदन मिलने के पश्चात् यह मंत्रिमंडल के पास जाएगा। मंत्रिमंडल में जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा परियोजना करारों पर हस्ताक्षर किए जायेंगे। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि यदि यह पटना से आएगा तो मैं पटना के डी.पी.आर. में जाऊंगा और उनकी सहायता करने का भी प्रयास करूंगा।

मध्याहन् 12.00 बजे

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, बंगलौर से तो प्रस्ताव इस विषय में प्राप्त हो गया है। मुम्बई, अहमदाबाद से अभी नहीं आया है। आप इन तीनों के लिए क्या कार्रवाई करेंगे, यह बताएं?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मुम्बई के बारे में जैसा मैंने बताया कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, उसके बाद ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कर्नाटक राज्य इसमें बहुत आगे बढ़ गया है। कर्नाटक में प्लानिंग कमीशन से आने के बाद कार्रवाई शुरू होगी।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पदक विजेताओं को पुरस्कार

*106. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :** क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को लाखों रुपए देने का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कई पदक विजेताओं को घोषित राशि अभी तक नहीं दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पदक विजेताओं को घोषित राशि कब तक दी जाएगी?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे ओलम्पिकस, विश्व चैम्पियनशिपों, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों तथा एशियाई तथा राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिपों के पदक विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार की विद्यमान योजना के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेल, 2002 में हमारे खिलाडियों के उत्कृष्ट प्रर्दशन को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा परिवर्धित नकद प्रोत्साहन घोषित किए गए थे जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान, पर्याप्त बजटीय प्रावधान उपलब्ध नहीं था। अतः मंत्रालय ने इन पदक विजेताओं को आंशिक भुगतान किया था। इसी बीच, इस संबंध में पहले से की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के रूप में, अतिरिक्त धनराशि के अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से संपर्क किया गया है। जैसे ही उसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, प्रतिबद्ध नकद पुरस्कारों की शेष राशि का एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेल 2002 के विजेताओं को भुगतान कर दिया जाएगा। इन खेलों के पदक विजेताओं के नामों की सूची, विवरण के रूप में संलग्न है, जिन्हें आंशिक भुगतान किया गया था।

विवरण

एशियाई खेल

1. बहादुर सिंह सागू
2. सरस्वती साहा
3. के.एम. बीनामोल
4. सुनीता रानी
5. अंजू बॉबी जार्ज
6. नीलम जसवंत सिंह
7. जिन्सी फिलिम्स
8. सोमा बिस्वास

9. मनजीत कौर
10. मंजूम कूरीकोज
11. एस. गीता
12. यासीन मर्चेंट
13. रफतहबीब
14. शिव कपूर
15. बी.सी. रमेश
16. शमशेर सिंह
17. नीर गुलिया
18. रमेश कुमार
19. बी. सी. सुरेश
20. संजीव कुमार
21. दिनेश कुमार
22. जगदीश
23. मनप्रीत सिंह
24. सुंदर सिंह
25. जगदीश के.के.
26. राम मेहर सिंह
27. लिएण्डर पेस
28. महेश भूपति
29. के. एम. बीनू
30. माधुरी ए. सिंह
31. बॉबी अलायसियस
32. पी. रामचन्द्रन
33. मनोज लाल
34. सतबीर सिंह
35. भूपेन्द्र सिंह
36. जटा शंकर
37. परमजीत सिंह
38. गीत सेठी
39. आलोक कुमार
40. दिलीप टिर्की
41. देवेश सिंह चौहान
42. भरत कुमार
43. जुगराज सिंह
44. दिनेश नायक वाथीर
45. वीरन रस्कुन्हा
46. विक्रम विष्णु पिल्लै
47. इग्नेस टिर्की
48. बिमल लाकड़ा
49. गगन अजित सिंह
50. प्रभजोत सिंह
51. दलजीत सिंह ढिल्लन
52. ताजबीर सिंह
53. कंवलप्रीत सिंह
54. धनराज पिल्लै
55. दीपक ठाकुर
56. नितिन मोंगिया
57. मानवजीत सिंह
58. मनशेर सिंह
59. अनवर सुलतान
60. सुमा शिरूर
61. अंजली भागवत
62. दीपाली देशपांडे
63. मनीषा मल्होत्रा
64. शक्ति सिंह
65. अनिल कुमार
66. जे.जे. शोभा
67. सुनीता रानी
68. इंदरजीत लाम्बा
69. भगीरथ सिंह
70. राजेश पट्टू
71. दीप अहलावत
72. जेनील कृष्णनन
73. इंदर पाल सिंह
74. रोशन लाल
75. पी. टी. पॉलोज
76. असीम मोंगिया

77. आर. महेश
78. राजेश चौधरी
79. सुरेन्द्र भण्डारी
80. सानिया मिर्जा
81. विशाल उप्पल
82. मुस्तफा घौसे
83. पलविन्दर सिंह चीमा

राष्ट्रमंडल खेल

1. अभिनव बिन्द्रा
2. समीर अम्बेकर
3. समरेश जंग
4. विवेक सिंह
5. अली खान
6. राज्य वर्धन सिंह
7. जसपाल राणा
8. मुकेश कुमार
9. भंवर लाल ढाका
10. महावीर सिंह
11. राज्य वर्धन सिंह
12. चरण सिंह
13. ए. पी. सुब्बैय्या
14. अनवर सुलतान
15. अंजली भागवत
16. सुमा शिरूर
17. राजकुमारी
18. श्वेता चौधरी
19. शीला कानूनगो
20. थौंडव मुथू
21. विक्की बट्टा
22. सी.पी.एस. कुमार
23. कुंजूरानी देवी
24. सनमाचा चानू
25. सुनैना
26. प्रतिमा कुमारी
27. प्रसमीता मंगराजन
28. नीलम सेठी लक्ष्मी
29. शैलजा पुजारी
30. मुहम्मद अली कमर
31. सोम बहादुर पुन
32. जितेन्द्र कुमार
33. चेतन बबूर
34. एस. रमन
35. सौम्यदीप राय
36. कृष्ण कुमार
37. रमेश कुमार
38. पलविन्दर सिंह चीमा
39. अनुज कुमार
40. शोकिन्दर तोमर
41. अनिल कुमार
42. नीलम जसवंत सिंह
43. अंजू बॉबी जार्ज
44. अकरम शाह
45. भूपिन्दर सिंह
46. अमनदीप कौर
47. सुमराई टेटे
48. सुमन बाला
49. कान्ती बा
50. सीता गुसाँई
51. टिंगोरलीमा चानू
52. हेलेन मेरी
53. पाकपी देवी
54. सुरजा लता देवी
55. मसीरा सुरीन
56. मनजिन्दर कौर
57. संगई चानू
58. प्रीतम रानी सिवाच

59. ममता खरब

60. ज्योति सुनीता कुल्लू

61. सबा अंजुम

62. अपर्णा पोपट

केन्द्रीय सतर्कता-आयोग की शक्तियाँ

*107. **श्री जी. एस. बसवराज** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–विधेयक पारित होने के बाद केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के कार्यकरण के पर्यवेक्षण का अधिक अधिकार मिल जाने से बेहतर परिणाम सामने आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों, निगमों, समितियों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों की जाँच करने का अधिकार है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सभी संगठनों में भ्रष्टाचार को रोकने में इससे कितनी मदद मिलेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003 (वर्ष, 2003 के अधिनियम संख्या 45) के प्रति दिनांक 11.09.2003 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और दिनांक 12.09.2003 को उपर्युक्त अधिनियम, भारत के असाधारण राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया। इस बारे में मिले परिणाम अभी, इतनी जल्दी नहीं आँके जा सके हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (घ) के अनुसार, उपर्युक्त आयोग को, उपर्युक्त अधिनियम की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट श्रेणी के किसी अधिकारी अर्थात् संघ के काम–काज का निष्पादन करने हेतु केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के किसी अधिकारी और केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के किसी अधिकारी तथा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अनुसार स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनियों, समितियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी शिकायत की जाँच करने अथवा जाँच या छान–बीन करवाने का अधिकार है, जो कि उपर्युक्त सरकार द्वारा इस बारे में सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसमें यह आरोपित हो कि अधिकारी ने भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम, 1988 के अनुसार कोई अपराध किया है और कोई ऐसा अपराध किया है जिसके संबंध में उपर्युक्त अधिनियम की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी लोक- सेवक पर लगे आरोप की, दंड–प्रक्रिया–संहिता, 1973 के अनुसार एक साथ सुनवाई की जाए।

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003 का लक्ष्य, ऐसे संगठनों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना है।

औषधियों की एक समान दर

*108. **श्रीमती प्रभा राव :**

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए दवा के पैकेट पर स्थानीय कर को सम्मिलित करके औषधियों को एक समान मूल्य मुद्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि विभिन्न राज्यों में स्थानीय कर की दरें भिन्न–भिन्न होती हैं और सरकार का विचार राज्य सरकारों के परामर्श से इस मुद्दे का समाधान किस तरह से करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या करों की अलग–अलग दरों के मद्देनजर पैक पर औषधि का मूल्य और उस पर लगने वाले बिक्री कर को पृथक–पृथक मुद्रित करने का भी निर्णय लिया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या दवाओं के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) में स्थानीय कर को न शामिल करने संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) स्थानीय करों की दरें राज्यवार भिन्न–भिन्न होती हैं। सभी राज्यों में प्रत्येक स्थानीय कर की दर को एक समान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त (छ) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए व्यापक कानून

*109. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के लिए व्यापक कानून बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 में विशेषज्ञ दल ने सिफारिश की थी कि क्षेत्र को परिभाषित करने और इसके प्रोत्साहन के लिए व्यापक ढांचा बनाने के उद्देश्य से लघु उद्यमियों के लिए पृथक कानून बनाया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार लघु उद्यम विकास विधेयक, 2003 का प्रारूप पुनः तैयार करने की योजना बना रही है;

(च) क्या लघु उद्योगों ने केन्द्र सरकार से उन्हें क्रय वरियता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(छ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई; और

(ज) केन्द्र सरकार द्वारा लघु उद्योगों को खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें समर्थ बनाने हेतु क्या अन्य प्रोत्साहन दिए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) सरकार ने प्रारूप विधायन अर्थात् "लघु उद्यम विकास विधेयक" तैयार कर लिया है, जिसमें लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर से सम्बद्ध क्रेडिट, मार्किटिंग, ट्रेड संरक्षण, लेबर सम्बद्ध विवरणी/निरीक्षण, लघु उद्योग यूनिटों का पंजीकरण, सरकारी खरीद, इत्यादि के संबंध में चिन्ता जतायी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1997 में श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में गठित लघु उद्यमियों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि लघु उद्यमों के लिए अलग विधि होनी चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि विधि का उद्देश्य "लघु उद्यम सेक्टर को परिभाषित करना तथा सेक्टर के सम्वर्धन के लिए बोर्ड के फ्रेमवर्क की रूपरेखा तैयार करना है"।

(ङ) संघ सरकार ने विधि नियमों के सरलीकरण, लघु उद्योग सेक्टर को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया के संबंध में एक अध्ययन करने संबंधी कार्य तथा लघु उद्योग के लिए एक एकल व्यापक विधि सुझाने संबंधी कार्य भारतीय प्रशासनिक कालिज (ए.एस.सी.आई.), हैदराबाद को सौंपा है। ए.एस.सी.आई. लघु उद्योगों के लिए लघु उद्यम विकास विधेयक तैयार कर रहा है। ए.एस.सी. आई. द्वारा तैया किया गया प्रारूप विधेयक 4 जुलाई, 2002 को हुई लघु उद्योग बोर्ड की 47वीं बैठक में लघु उद्योग बोर्ड के सदस्यों के समक्ष रखा गया था। उसके उपरान्त प्रारूप को सभी संबंधितों को परिचालित किया गया था तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर ए.एस. सी.आई. ने एक संशोधित प्रारूप तैयार किया। राज्य सरकारों तथा अन्य स्टैक होल्डर्स से पुनः टिप्पणियां मांगी गई। प्राप्त टिप्पणियों को मद्दे नजर रखते हुए संघ सरकार ने लघु उद्यम विकास विधेयक को पुनः प्रारूपित किया है।

(च) और (छ) सरकार का लघु उद्योग (एस.एस.आई.) से स्टोर परचेज कार्यक्रम पहले ही विद्यमान है, जिसमें 358 मदें केवल लघु उद्योग यूनिटों से खरीद हेतु आरक्षित रखी गई हैं तथा लघु उद्योग को 15% तक की मूल्य वरीयता अनुमेय है।

(ज) लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) का सम्वर्धन और विकास करना सरकार की जागरूक नीति रही है, जोकि समय-समय पर घोषित विभिन्न उपायों से स्पष्ट है। अगस्त, 2000 में सरकार द्वारा एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई थी, ताकि क्रेडिट की सुगम पहुंच, प्रौद्योगिकी बुनियादी संरचना, मार्किटिंग तथा उद्यमिता विकास के साथ-साथ लघु उद्योग को घरेलू तथा विश्वव्यापी, दोनों तौर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके। इसके अलावा सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने 20% के जमा घटा प्राईम लेण्डिंग रेट (पी.एल.आर.) के बैंड के भीतर ब्याज पर लघु उद्योग के लिए क्रेडिट देने के लिए बैंकों को अनुदेश, लघु उद्यमी कार्ड स्कीम शुरू करना, निवेश सीमा, इत्यादि में चुनिन्दा इजाफा करने सहित विभिन्न अन्य उपायों/प्रोत्साहन की भी घोषणा की है ताकि लघु उद्योग ओपन मार्किट में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सके।

आवास योजनाएं

*110. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार**

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक विभिन्न केन्द्रीय ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/जारी धनराशि का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित समय के अंतर्गत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्यवार क्या उपलब्धियां रहीं;

(घ) क्या नौवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक आवासहीन लोगों को आवास प्रदान किए जाने का लक्ष्य था;

(ङ) क्या 109.53 लाख आवासीय इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2002 तक मात्र 50.34 लाख आवासों का निर्माण/उन्नयन किया गया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) उक्त अवधि के दौरान दुरुपयोग की गई या अनुमोदित मानदंडों से अधिक व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) वर्ष 2001–02, 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान अब तक मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), ग्रामीण आवास के प्रमुख कार्यक्रमों तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत आबंटित/रिलीज की गई, उपयोग की गई निधियों तथा निर्मित/सुधार किए गए आवासों की संख्या के राज्यवार विवरण संलग्न हैं।

(घ) से (च) 1998 में घोषित राष्ट्रीय आवास नीति के अनुसरण में गरीबों तथा निराश्रितों तक लाभ पहुंचाने पर बल देते हुए प्रतिवर्ष लगभग 12.50 लाख आवासों के मौजूदा लक्ष्य के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 13 लाख नए आवास बनाने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2003 की अपनी रिपोर्ट सं. 3 में उल्लेख किया है कि 109.53 लाख आवासीय इकाइयों के लक्ष्य की तुलना में विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत मार्च, 2002 तक केवल 50.34 लाख आवास बनाए या उनमें सुधार किया गया। तथापि, इस मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मत्रालय की विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत तथा आवास एवं शहरी विकास निगम लि. (हडको) तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) के प्रयासों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52.38 लाख आवास बनाए/सुधारे गए थे। कार्य योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा अपर्याप्त बजटीय संसाधन है। इसके फलस्वरूप, 9वीं योजना के अंत तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

(छ) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह भी उल्लेख किया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में 1.83 करोड़ रु. की राशि का दुरुपयोग/गबन हुआ था। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार उक्त अवधि के दौरान आवासों के निर्माण/सुधार कार्य संबंधी मानदंडों से बढ़कर लगभग 4.04 करोड़ रु. का अधिक खर्च भी किया गया था।

(करोड़ रु.)

राज्य	निधियों का दुरुपयोग/गबन	अधिक खर्च	कुल राशि
आंध्र प्रदेश	0.56		0.56
असम		1.36	1.36
छत्तीसगढ़		0.97	0.97
गुजरात		0.70	0.70
कर्नाटक	0.02		0.02
मणिपुर	0.39		0.39
मिजोरम	0.25		0.25
हिमाचल प्रदेश		0.18	0.18
उड़ीसा		0.23	0.23
तमिलनाडु		0.19	0.19
त्रिपुरा		0.22	0.22
पश्चिम बंगाल	0.61	0.19	0.80
कुल	1.83	4.04	5.87

संबंधित राज्य सरकारों से सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।

(ज) सरकार उपलब्ध बजटीय संसाधनों से ही ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक आवासों के निर्माण/सुधार कार्य के लिए सहायता देने का प्रयास कर रही है।

विवरण

विगत 2 वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक (5.12.2003) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन (केन्द्र + राज्य), केन्द्रीय रिलीज (केन्द्र + राज्य), उपयोग और निर्मित/सुधार किए गए आवासों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2001–02				2002–03				2003–04			
		आबंटन	रिलीज	उपयोग	निर्मित/सुधारे गए आवासों की संख्या	आबंटन (के + रा.)	रिलीज (के + रा.)	उपयोग	निर्मित/सुधारे गए आवासों की संख्या	आबंटन (के + रा.)	रिलीज (के + रा.)	उपयोग	निर्मित/सुधारे गए आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आंध्र प्रदेश	15725.94	24115.19	15553.62	822.28	16093.63	16476.20	20122.58	126837	18225.83	9137.96	9227.91	57992
2	अरुणाचल प्रदेश	740.08	703.41	822.02	4542	759.89	984.57	665.38	3423	837.00	424.47	308.48	1626
3	असम	16652.15	11494.84	10974.00	46817	17098.20	13316.44	10433.62	65587	18832.79	9416.44	2505.29	10446
4	बिहार	42718.39	26630.72	30940.08	167979	43717.12	26306.53	29339.43	172524	49509.11	25023.59	5041.82	41857
5	छत्तीसगढ़	2689.19	2756.71	2796.40	22996	2752.07	2703.80	2923.19	16255	3116.68	2537.52	1243.65	4503
6	गोवा	101.60	70.71	56.88	317	103.97	52.00	49.80	269	117.76	51.71	27.07	83
7	गुजरात	4519.50	8166.59	4364.16	27497	4625.13	7357.34	5330.60	27053	5237.95	4342.25	2709.46	10212
8	हरियाणा	1528.19	1856.39	1677.30	9814	1563.93	1586.35	1927.66	9840	1771.12	1752.24	689.64	2768
9	हिमाचल प्रदेश	676.07	1137.56	706.68	3852	691.88	1143.45	626.66	3413	783.55	398.05	130.18	512
10	जम्मू–कश्मीर	808.73	1364.36	1143.06	7632	827.63	611.53	911.35	5749	937.28	534.45	278.25	1844
11	झारखण्ड	12551.05	5136.68	7723.47	50136	12844.51	7274.45	8064.81	40482	14546.23	7128.59	1342.21	8340
12	कर्नाटक	8134.51	7038.59	7261.22	43824	8324.69	6469.63	7502.49	42452	9427.61	6796.55	4079.34	20533
13	केरल	5040.77	5087.91	4618.14	21372	5158.63	3960.40	4517.33	32107	5842.08	2946.08	2529.11	17638
14	मध्य प्रदेश	9384.51	9959.45	9534.23	64962	9603.89	9357.35	10206.99	63691	10876.32	8617.25	4387.97	15215
15	महाराष्ट्र	14433.05	14524.60	18346.48	88773	14770.44	13479.60	21137.15	80928	16727.41	8263.64	5679.12	24514
16	मणिपुर	882.41	445.81	293.45	1538	906.01	346.68	551.34	2571	997.96	252.17	14.31	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	मेघालय	1172.39	588.60	754.91	3953	1203.80	1208.20	741.83	3305	1325.92	397.07	416.47	2353
18	मिजोरम	281.45	232.45	223.78	1275	288.97	232.77	231.06	1305	318.31	159.20	95.73	538
19	नागालैंड	756.83	778.41	648.52	4473	777.12	388.56	666.73	6698	855.93	428.00	93.38	669
20	उड़ीसा	12659.96	61984.05	32576.78	169488	12955.96	43391.26	80678.23	444669	14672.47	29330.65	13583.19	59409
21	पंजाब	1012.34	1149.51	919.92	5317	1036.00	798.06	1028.10	5651	1173.27	550.25	451.61	2253
22	राजस्थान	4264.37	4421.27	4635.03	30471	4364.08	4199.08	4715.54	3750092	4942.27	4093.85	2576.02	20150
23	सिक्किम	202.90	178.43	237.31	1754	208.33	199.83	155.17	1149	229.47	114.75	165.34	1059
24	तमिलनाडु	7897.15	9439.27	12065.45	43540	8081.77	8273.91	14446.87	62988	9152.52	9152.52	4722.98	17006
25	त्रिपुरा	1711.80	2225.35	1713.38	10382	1757.67	2636.51	2050.88	10321	1935.96	1310.65	1172.27	3486
26	उत्तर प्रदेश	28793.49	31371.17	29346.45	171944	29466.67	27995.78	31225.28	177190	33370.67	16685.33	2702.21	17533
27	उत्तरांचल	2990.65	1819.51	2464.75	11245	3060.57	2682.12	2297.13	11799	3466.07	1733.04	1063.17	4858
28	पश्चिम बंगाल	16972.43	14272.62	12293.36	71553	17369.21	13548.11	14951.88	86377	19670.45	9275.24	3289.49	20511
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	143.47	171.55	187.99	858	146.82	40.32	188.68	532	166.27	0.00	66.14	456
30	दादरा व नगर हवेली	75.29	49.70	22.38	202	77.05	0.00	3.48	54	87.26	33.35	0.00	0
31	दमन व दीव	31.16	15.58	9.12	66	31.89	0.00	8.24	48	36.12	0.00	0.37	4
32	लक्षद्वीप	2.44	1.62	3.10	15	2.50	2.50	2.75	5	2.83	2.84	1.01	6
33	पांडिचेरी	71.22	23.31	42.09	266	72.90	74.63	57.31	403	82.55	41.28	20.27	94
	कुल	215625.47	249211.91	214955.52	1171081	220742.95	217097.95	277759.53	1543267	249275.02	160930.96	70613.56	368533

(के + रा) केन्द्र + राज्य मैचिंग अंश

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य

*111. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्य से काफी अधिक संख्या में आवेदन प्रायोजित किए जाने से लक्षित लाभार्थियों में असंतोष उत्पन्न हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भागीदार बैंकों की उदासीनता संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में जिला ऋण योजना और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लगातार खराब प्रदर्शन प्रमुख कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के मार्ग–दर्शी सिद्धांतों के अनुसार 125% के वार्षिक लक्ष्य तक के आवेदन–पत्रों को प्रायोजित करना है। आवेदन–पत्रों का अतिरिक्त प्रायोजित किया जाना, आवेदकों की अपात्रता के कारण अस्वीकृतियों को मद्दे नजर रखते हुए, लक्ष्य की प्राप्ति का सुनिश्चिय किया जाना चाहिए।

(ग) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल है, आयु, शैक्षिक अर्हता, शामिल क्रियाकलाप, वार्षिक पारिवारिक आय, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए समपार्श्विक मुक्त वित्तपोषण इत्यादि। इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए केन्द्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर विभिन्न अभिकरणों के साथ समीक्षाएं की जाती हैं।

(घ) डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानज पर सूचना केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार पी.एम.आर.वाई. के मामले में वर्ष 1993–94 से 2002–03 के बीच संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में 1350 के कुल लक्ष्य के मुकाबले में 1273 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ङ) कार्य–निष्पादन में आगे और सुधार करने की दृष्टि से मामले को भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ उठाया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार

*112. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दिल्ली के लघु उद्योगों के लिए निर्धारित क्षेत्र का विस्तार करने का है ताकि इस क्षेत्र से संचालित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लाभ के लिए दिल्ली के अन्य गैरसूचीबद्ध क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रयास ऐसी औद्योगिक इकाइयों को गैरसूचीबद्ध क्षेत्रों से अन्यत्र स्थानांतरित करने की सरकार की पूर्व कार्यवाही के अनुरूप होंगे;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या दिल्ली में विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार पर अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ऐसी अन्य एजेंसियों से परामर्श लिए जाने का विस्तार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 24 गैर नियोजित/रिहायशी समूह क्षेत्रों, जहा 70% से अधिक उद्योगों का संकेन्द्रण है, के स्व–स्थाने नियमितिकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। ये सिफारिशें दिल्ली मे भूमि की कमी और सभी गैर नियोजित यूनिटों के पुनर्स्थापन की लागत को ध्यान में रखकर की गयी थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 20 दिसम्बर 2002 के अपने संकल्प संख्या 113 के तहत उद्योगों के इस प्रकार के स्व–स्थाने नियमितिकरण की सिफारिश की है। यह सिफारिश करते समय उन्होंने दिल्ली मास्टर प्लान–2001 के संदर्भ मे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नीतिगत उपायो की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित उप–दल की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा है। दिल्ली के विभिन्न भागों में उद्योगों के संकेन्द्रण, दिल्ली में नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों, नये औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता आदि के मौजूदा परिदृश्य को ध्यान में रखकर इस उपदल ने इन क्षेत्रों के पुनर्विकास होने और कुछ विनियमनों/नियोजन सिद्धांतों का अनुपालन करने पर गैर नियोजित औद्योगिक समूहों को नियमित करने की सिफारिश की।

सरकार ने महसूस किया है कि नया मास्टर प्लान–2021 तैयार करते समय दिल्ली के नियोजित विकास के विभिन्न अहम मुद्दों का सम्पूर्ण एवं व्यापक तरीके से निवारण किये जाने की जरूरत है। तदनुसार उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली मास्टर प्लान–2021 तैयार करने में आसानी हो। दिशानिर्देशों में उन विभिन्न मुद्दों का ब्यौरा है जिनका निवारण किये जाने की आवश्यकता है और इसमें गैर औद्योगिक क्षेत्रों में 70% या उससे अधिक उद्योगों के संकेन्द्रण का मुद्दा शामिल है। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण को मास्टर प्लान–2021 तैयार किये जाने के दौरान गैर नियोजित क्षेत्रों में उद्योगों के संकेन्द्रण के मुद्दे को देखने के लिए कहा गया है। इसमें सभी संबंधित एजेंसियों/पणधारियों से परामर्श करना होगा।

मास्टर प्लान–2021 तैयार करने के लिए दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है ताकि सुझाव और इन पर प्रत्युत्तर प्राप्त किये जा सकें जिससे दिल्ली मास्टर प्लान–2021 तैयार करते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन पहलुओं पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा सके।

दिल्ली मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अनुसार दिया जाता है जिसमें सार्वजनिक सुझाव/सिफारिशें आमंत्रित करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी करना तथा प्रस्तावित मास्टर प्लान के सभी पहलुओं पर सभी पणधारियों से गहन विचार विमर्श करना अपेक्षित है।

नशाखोरी

*113. **श्री पी. एस. गढ़वी** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 2003 के "एशियन एज", नई दिल्ली में "पुलिस टु कर्ब मेडिसिनल ड्रग एब्यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं जिनका चिकित्सकों द्वारा 'ड्रगिस्टों और केमिस्टों' के साथ मिलीभगत से खुलेआम उपयोग किया जा रहा है;

(ग) अभी तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोई नशाखोरी प्रबंधन बनाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) बताया जाता है कि नुसखे पर दी जाने वाली दवाइयां, जिनका सामान्य रूप से दुरुपयोग किया जाता है प्रोक्सीवॉन, फेंसाडेल, कोरेक्स, वुपेरेनोर्फिन, डाइजीपाम, नाइट्रेजेपाम, लोराजपाम और टिडीजेसिक है। तथापि, यह दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि दिल्ली में उनकी अनधिकृत बिक्री में चिकित्सकों और दवा विक्रेताओं के बीच कोई सांठ–गांठ हो।

(ग) चालू वर्ष (30 नवम्बर, 2003 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से दवाइयां रखने अथवा नुसखे पर दी जाने वाली दवाइयों, जिनका नशेड़ियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, के संबंध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(घ) से (च) केन्द्रीय सरकार ने अल्कोहल और नशीले पदार्थों (औषधियां) के दुरुपयोग के रोकथाम की एक योजना प्रारम्भ की है जिसके तहत गैर सरकारी संगठनो को नशे के आदी लोगों को नशा करने से रोकने, उनमें जागरूकता पैदा करने, उनका उपचार और पुनर्वास करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

ओलम्पिक खेल

*114. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण और सरकार की अन्य एजेंसियों ने आगामी ओलम्पिक खेलों हेतु अपनी रणनीति तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कि आगामी ओलम्पिक खेलों के लिए भारतीय दल कम से कम पांच पदक जीते, किसी विदेशी कोच को भारत में लाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हमारे एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त धन निर्धारित किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री विक्रम वर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भूतपूर्व अंतराष्ट्रीय खिलाडियों तथा प्रशिक्षण पद्धति विशेषज्ञों के परामर्श से, विभिन्न खेल विधाओं के लिए दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल.टी.डी.पी.) को अंतिम रूप

दे दिया है और इन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, संभावित पदक विजेताओं को अपेक्षित वैज्ञानिक और उपस्कर सहायता, प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय और विदेशी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण तथा संबंधित परिसंघों द्वारा दी गयी अपेक्षाओं के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अलावा, होनहार खिलाड़ियों को "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना" के अंतर्गत और "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के अंतर्गत भी विदेशों में प्रशिक्षण और टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए, वैज्ञानिक समर्थन हेतु उपस्करों की खरीद के वास्ते तथा देश में प्रशिक्षण और सहभागिता के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

रणनीति के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रमों से भी प्रायोजन जुटाया गया है तथा इसके माध्यम से अनेक खिलाड़ी लाभान्वित हुए हैं।

अंततः, अगले ओलम्पिक खेलों की तैयारी की निगरानी के लिए, सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है, जिसे ओलम्पिक खेल–2004 के लिए भारतीय दल की तैयारी से संबंधित सभी मामलों पर अपनी सिफारिशें लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने, उन भारतीय टीमों और खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए जिन्होंने ओलम्पिक–2004 के लिए पहले ही क्वालीफाई कर लिया है अथवा जिनके क्वालीफाई करे लेने की संभावना है, अनेक विदेशी कोच लगाये हैं। ऐसे कोचों का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दर्शाया गया है।

(ङ) से (छ) हमारे खिलाड़ियों/एथलीटों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना, प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि से संबंधित योजनाओं से वहन किया जाता है। इन योजनाओं के लिए वर्ष 2003–04 के लिए 46.67 करोड़ रु. का संयुक्त बजटीय प्रावधान है जिसे पर्याप्त समझा गया है।

विवरण

ओलम्पिक खेल 2004 के लिए भारतीय टीम/खिलाड़ियों की तैयारी के लिए लगाये गये विदेशी प्रशिक्षकों की सूची

क्र.सं.	खेल–विद्या	नाम	देश
1	तीरंदाजी	श्री चाये वुंग लिग	कोरिया
2	रोइंग	श्री निकोले वुल्पे	रोमानिया
3	कुश्ती (जी.आर)	श्री एन्देजरेज मालिना	पोलैण्ड
4	याटिंग	श्री रोड हेगेबाल्स	आस्ट्रेलिया
5	एथलेटिक्स (स्प्रिंट)	श्री यूरी ओगोरोडिनिक	उक्रेन
6	एथलेटिक्स (थ्रो)	श्री व्लोददी मी हडलिन	उक्रेन
7	याटिंग–470 क्लास	डा. लेक्स बर्ट्रनाड	आस्ट्रेलिया
8	याटिंग–स्टार क्लास	श्री एन्ड्रयू रशवर्थ	इंग्लैण्ड
9	याटिंग–48 इआर क्लास	श्री जूलियन बैथवेट	आस्ट्रेलिया
10	याटिंग–420 क्लास	श्री क्रिस कैली	इंग्लैण्ड
11	कुश्ती (एफ एस)	श्री व्लादीमीर मेस्टविरिशविलि	जार्जिया
12	रिकवरी विशेषज्ञ (एथलेटिक्स)	सुश्री इन्ना जेवेरेया	उक्रेन
13	रिकवरी विशेषज्ञ (एथलेटिक्स)	श्री अलियाक्सेई हस्पाड्रिक	बेलारुस
14	एथलेटिक्स (थ्रो)	श्री यूरी मिनाकोव	उक्रेन
15	रिकवरी विशेषज्ञ (एथलेटिक्स)	श्री व्लोयदीमीर पोट्रेबेको	उक्रेन

[हिन्दी]

संघ-लोक-सेवा-आयोग-परीक्षाओं का माध्यम

*115. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल :**

श्री शिवाजी माने :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ–लोक–सेवा–आयोग की परीक्षा में अंग्रेजी जानने वाले उम्मीदवार हिन्दी जानने वाले उम्मीदवारों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में होते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किस–किस परीक्षा में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाएँ अनिवार्य हैं;

(घ) संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में हिन्दी भाषा का उपयोग किए जाने के विकल्प की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा यह बताया गया है कि उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने वाले सभी उम्मीदवारों से उचित और एक सा बरताव किया जाता है। परीक्षाएँ भारत–सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा अधिसूचित परीक्षा के नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं। इन नियमों में अन्य बातों के साथ–साथ, परीक्षाओं की योजना, उनके पाठ्यक्रम और उनके प्रश्न–पत्रों के प्रश्नों के उत्तर लिखने के उपलब्ध विकल्प सहित परीक्षा में बैठने की पात्रता से जुड़ी शर्तें निहित होती हैं। उपर्युक्त आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं में समूचे देश के उम्मीदवार बैठते हैं। परीक्षाओं की योजना, किसी भी क्षेत्र/भाषा से जुड़े उम्मीदवारों से किसी भी तरह का भेद–भाव होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहने देने की दृष्टि से अच्छी तरह सोच–विचार कर बनाई जाती है। उपर्युक्त आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं में अंग्रेजी जानने वाले उम्मीदवारों को हिन्दी जानने वाले उम्मीदवारों से कोई तरजीह नहीं दी जाती।

(ग) संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य नहीं है। उन परीक्षाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनमें अंग्रेजी/सामान्य अंग्रेजी का एक अनिवार्य प्रश्न–पत्र या प्रश्न–पत्र का अंश होता है।

(घ) और (ङ) संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम के रूप में संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का चलन आरंभ किए जाने के मुद्दे पर संघ–लोक–सेवा–आयोग द्वारा नियुक्त की गई डॉ. सतीश चन्द्र–समिति ने विचार किया। उपर्युक्त समिति की सिफारिशें ध्यान में रखकर, इस संवेदनशील मुद्दे पर कोई आम राय कायम करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

(क) उन परीक्षाओं का विवरण जिनमें अंग्रेज़ी/सामान्य अंग्रेजी का प्रश्न–पत्र अथवा प्रश्न–पत्र का अंश होता है:

क्रम सं.	परीक्षा का नाम	लिखित परीक्षा के कुल अंकों की तुलना में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के अंकों की प्रतिशतता –			प्रश्न–पत्र का स्वरूप	प्रश्न–पत्र का स्तर	अभ्युक्तियाँ
		प्रतिशतता	अंग्रेज़ी के प्रश्न–पत्र के अंक	लिखित परीक्षा के कुल अंक			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा	प्रश्न–पत्र अर्हक स्वरूप का ही होता है। इस प्रश्न–पत्र में प्राप्त अंकों का रैंक निश्चित करने की दृष्टि से शुमार नहीं किया जाता।			पारम्परिक	मैट्रिक के स्तर का	इसी स्तर का और अर्हक स्वरूप का ही, भारतीय भाषाओं का एक और प्रश्न–पत्र होता है।
2.	भारतीय वन सेवा–परीक्षा	21.4%	300	1400	पारम्परिक	विज्ञान अथवा – इंजीनियरी स्नातक	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	इंजीनियरी सेवा–परीक्षा	10%	100	1000	वस्तुनिष्ठ	इंजीनियरी/विज्ञान–स्नातक	यह प्रश्न–पत्र, सामान्य योग्यता–परीक्षण के प्रश्न–पत्र का ही एक भाग होता है
4.	भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा	10%	100	1000	वस्तुनिष्ठ	स्नातक	
5.	भू–विज्ञानी–परीक्षा	14.3%	100	700	वस्तुनिष्ठ	विज्ञान–स्नातक	
6.	संयुक्त रक्षा–सेवाओं की परीक्षा						
	(क) आई.एम.ए./ए.एफ.ए./एन.ए. की भर्ती की	33.3%	100	300	वस्तुनिष्ठ	स्नातक	
	(ख) ओ.टी.ए. की भर्ती की	50%	100	200	वस्तुनिष्ठ	स्नातक	
7.	राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ–सेना अकादमी–परीक्षा	22.2% –	200	900	वस्तुनिष्ठ	इण्टरमीडिएट	यह प्रश्न–पत्र, सामान्य–योग्यता परीक्षण के प्रश्न पत्र का ही एक भाग होता है
8.	विशेष श्रेणी रेलवे अप्रैंटिस परीक्षा	16.7%	100	600	वस्तुनिष्ठ	इण्टरमीडिएट	
9.	केन्द्रीय पुलिस बलों की परीक्षा	22.5%	90	400	पारम्परिक	स्नातक	

(ख) ऐसी सीधी भर्ती परीक्षाएं जिनमें अंग्रेज़ी का कोई भी प्रश्न–पत्र नहीं होता:

1. सिविल सेवाओं की प्रारम्भिक परीक्षा
2. संयुक्त चिकित्सा सेवाओं की परीक्षा

[अनुवाद]

कृषि योग्य भूमि

*116. **श्री रघुनाथ झा** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुल 320 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से मात्र 181 मिलियन हैक्टेयरभूमि ही कृषि योग्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान, कितनी गैर–कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय के नौ स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार, 329 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र (देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र) में से 183.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। इसमें 141.2 मिलियन हैक्टेयर निबल बुआई क्षेत्र, वर्तमान

में अप्रयुक्त पड़ी भूमि के अंतर्गत 14.8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र, वर्तमान में अप्रयुक्त भूमि के अलावा खाली पड़ी भूमि के अंतर्गत 10.1 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र, कृषि योग्य बंजरभूमि के अंतर्गत 13.8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तथा विविध पेड़–पौधों के अंतर्गत 3.6 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

शेष क्षेत्र विभिन्न भूमि उपयोगों जैसे वन, स्थायी चरागाह, अन्य गोचर भूमि, ऊसर तथा कृषि के लिए अयोग्य भूमि और गैर कृषि उपयोगों जैसे भवनों, सड़कों, रेलवे, नदियों, नहरों, जल के अन्य स्रोतों आदि के तहत आता है, जिसे अत्याधिक लागत के बिना कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

(घ) कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग मुख्यतः तीन योजनाओं/कार्यक्रमों, नामतः नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी.आर.) के जल ग्रहण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि संरक्षण हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाना, झूम खेती वाले क्षेत्रों में अवक्रमित भूमि को वाटरशेड आधार पर विकसित करने/उपजाऊ बनाने के लिए वाटरशेड विकास परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत गत पाँच वर्षों (1998–99 से 2002–03 तक) तथा चालू वर्ष (2003–04) के दौरान उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को वाटरशेड पद्धति के आधार पर विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजर–भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को 1.4.1995 से वाटरशेड विकास संबंध मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत गत पाँच वर्षों (1998–99 से 2002–03 तक) के दौरान स्वीकृत क्षेत्र तथा जारी निधियों का ब्यौरा भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समस्याग्रस्त भूमि के अंतर्गत विकसित किया गया कुल क्षेत्र

(वास्तविक हजार हैक्टेयर में और वित्तीय लाख रुपये में)

क्रम संख्या	योजना	1998–99		1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03		2003–04		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाना	29.53	372.30	19.19	322.50	14.45	152.00	3.20	340.00	20.784	791.870	5.28	340.01	87.15	1978.67
2	नदी घाटी परियोजनाओं तथा बाढ प्रवण नदियों में भू–संरक्षण योजना (आर.वी.पी. एण्ड एफ.पी. आर.)	244.73	11498.55	302.08	12656.25	229.41	11447.07	163.23	10310.85	204.03	11995.37	39.60	2610.12	1183.07	60518.21
3.	पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती वाले क्षेत्रों के लिए वाटरशेड विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू.डी.पी. एस.सी.ए.)	40.548	1714.85	27.961	1683.15	30.774	1797.87	22.005	1535.19	19.336	1967.25	5.521	572.00	518.214	9270.31
	योग	314.808	13585.70	349.231	2005.65	274.634	13396.94	188.44	12186.04	244.15	14754.49	50.40	3522.13	1788.43	71767.19

गत पाँच वर्षों (वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक) के दौरान आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. और डी.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत क्षेत्र तथा जारी की गई निधियाँ (वास्तविक हजार हैक्टेयर में और वित्तीय लाख रुपये में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	1998–99		1999–2000		2000–01		2001–02		2002–03		योग	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.)	518.19	6199.90	701.32	8307.42	1104.01	12977.97	797.89	18599.53	335.52	26793.150	3456.93	72877.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी. ए.पी.)	440.00	7300.00	1139.00	9500.00	1685.50	19000.01	1026.00	20951.62	1239.00	25000.00	87281.13	81751.63
3	मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.)	200.00	7999.36	750.00	8500.00	829.50	13499.79	679.50	15003.00	801.00	18500.00	66762.15	63502.15
	योग	1158.19	21499.26	2590.32	26307.42	3619.01	45477.77	2503.39	54554.15	2375.52	70293.15	157500.21	218131.75

कृषि उत्पाद विपणन

*117. **श्री बीर सिंह महतो :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि उत्पादों के विपणन हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान स्थापित कृषि क्लिनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की राज्य–वार संख्या क्या है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के जरिये गत तीन वर्षों में वर्षवार कितना रोजगार सृजित किया गया?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघप्रिय गौतम) : (क) कृषि उत्पादों सहित के.वी.आई. उत्पादों की मार्किटिंग के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। ऐसे उत्पादों की मार्किटिंग विभागीय और सेल्ज आउटलेट्स के माध्यम से की जाती है। ऐसे उत्पादों की मार्किटिंग के संवर्धन के लिए देश के अन्दर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तथा उत्पादक संस्थानों को निर्यातों के संवर्धन के लिए अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। के.वी.आई.सी. को ट्रेड फेयरों, प्रदर्शनियों, क्रेता–विक्रेता मिलन इत्यादि में भाग लेने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, के.वी.आई. उत्पादों की अच्छी खासी मार्किटिंग के संवर्धन के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन हेतु कन्फेडरेशन (संघ) (सी.पी.के.वी.आई.) का गठन किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे खाद्य संसाधित सेक्टर के विकास के लिए 10वीं योजना अवधि के दौरान 6 योजना स्कीमों का प्रचालन कर रहे हैं। बैकवर्ड तथा फारवर्ड एकीकरण की योजना स्कीम तहत और अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के संबंध में अनुदान अन्य बातों के साथ–साथ, मार्किट सर्वेक्षण के लिए, परीक्षण, मार्किटिंग तथा ब्रांड–बिल्डिंग के रूप में उपलब्ध है।

(ख) सरकार, अपने आप किसी कृषि क्लिनिक तथा कृषि बिजनेस केन्द्रों की स्थापना नहीं करती है। तथापि जैसा कि कृषि मंत्रालय ने सूचित किया है कि वे सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के माध्यम से एग्री क्लिनिक्स तथा एग्री बिजनेस सेन्टरों का संवर्धन कर रहे हैं, एग्री क्लिनिक्स तथा एग्री बिजनेस सेन्टरों के नेटवर्क की स्थापना कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बैंक ऋण की सहायता से उनके द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक तौर पर जीवनक्षम उपक्रमों के माध्यम से कृषि विकास हेतु सहायता के संबंध में सभी पात्र कृषि स्नातकों को सुअवसर विस्तारित करना है। वर्ष 1.10.2002 से 31.3.2003 की अवधि के दौरान 416 एग्री क्लिनिक्स तथा एग्री–बिजनेस सेन्टरों की स्थापना की जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) चूंकि एग्री क्लिनिक्स तथा एग्री–बिजनेस सेन्टरों संबंधी स्कीम की शुरूआत 9.4.2002 को की गई थी, सृजित रोज़गार के अवसरों का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है–

वर्ष	सृजित रोज़गार के अवसर
2002–03	416
2003–04 (6.12.2003 तक)	354

विवरण

1.10.2002 से 31.3.2003 की अवधि के दौरान स्थापित क्लिनिक्स तथा एग्री बिजनेस सेन्टरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एग्रीक्लिनिकस तथा एग्रीबिजनेस सेन्टरों की संख्या
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	50
2	अरुणाचल प्रदेश	–
3	असम	–
4	बिहार	11
5	गोवा	–
6	गुजरात	33

1	2	3
7	हरियाणा	10
8	हिमाचल प्रदेश	–
9	जम्मू–कश्मीर	–
10	कर्नाटक	107
11	केरल	03
12	मध्यप्रदेश	04
13	महाराष्ट्र	52
14	मणिपुर	–
15	मेघालय	–
16	मिजोरम	–
17	नागालैंड	–
18	उड़ीसा	15
19	पंजाब	–
20	राजस्थान	93
21	सिक्किम	–
22	तमिलनाडु	28
23	त्रिपुरा	–
24	उत्तर प्रदेश	09
25	पश्चिम बंगाल	–
26	चंडीगढ़	–
27	नई दिल्ली	–
28	पांडिचेरी	01
29	छत्तीसगढ़	–
30	झारखंड	–
31	उत्तरांचल	–
	योग	416

खनिज की खोज

*118. **श्री चन्द्रभूषण सिंह :**

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को देश में खनिज का पता लगाने के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) खनिज का पता लगाने के कार्य में शामिल होने के लिए इन कम्पनियों को किन–किन राज्यों में कार्य करने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या पर्यावरणविदों के विरोध और वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की चेतावनी के बावजूद कुछ राज्यों ने इन कम्पनियों को अनुमति दे दी है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में खनिज सम्पदा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) इन कंपनियों द्वारा खनिज का पता लगाने के कार्य के कितने प्रस्ताव अभी तक राज्यवार मंजूर किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) की धारा 5(1) के तहत् खनिजों के गवेषण के लिए टोही परमिट (आर.पी.) अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस (पी.एल.) अथवा खनन पट्टा (एम एल) केवल किसी भारतीय नागरिक या भारत में पंजीकृत किसी कंपनी को ही प्रदान किया जा सकता है। अतः खनन विधान की मौजूदा स्कीम के तहत् बहु–राष्ट्रीय कंपनी (एम एन सी) को खनिजों के गवेषण के लिए टोही/पूर्वेक्षण प्रचालन प्रारंभ करने की अनुमति तब तक नहीं है जब तक वे भारत में एक भारतीय कंपनी के रूप में पंजीकृत न हों।

राज्य सरकारों की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा एम एम डी आर एक्ट की प्रथम अनुसूची में शामिल खनिजों के संबंध में बृहद क्षेत्रों हेतु 65 पूर्वेक्षण लाइसेंस (अक्तूबर, 1996 से दिसम्बर 1999 के दौरान) तथा 157 टोही परमिट (वर्ष 2000 से नवम्बर, 2003 तक) प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिनमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के पक्ष में प्रदान किए गए पी.एल./आर.पी. शामिल हैं। जिन राज्यों में ऐसी मंजूरी प्रदान की गई है, वे हैं – आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र।

(घ) पर्यावरणविदों और/अथवा विश्व खनन कांग्रेस द्वारा खनन गवेषण का विरोध किए जाने के बारे में कोई भी सूचना इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है। वस्तुतः दिसम्बर, 2003 के विश्व खनन कांग्रेस के घोषणापत्र में यह स्वीकार किया गया कि गवेषण में निवेश को बढ़ाना एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) खनिज सम्पदा की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया है और खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम सी आर, 1960) तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (एम सी डी आर,1988) तैयार की है। यद्यपि एम सी आर, 1960 टोही परमिटों, पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों के विनियमन से संबंधित है और एम सी डी आर खनिजों के संरक्षण, वैज्ञानिक खनन और पूर्वेक्षण एवं खनन प्रचालनों के संबंध में पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

(छ) खनिज गवेषण (यानी बृहद क्षेत्रों हेतु पी.एल.और आर.पी.) हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक राज्यवार मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	बृहद क्षेत्र के लिए अनुमोदित पी.एल. की सं.	अनुमोदित आर.पी. की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	–	37
2.	बिहार	1	–
3.	गुजरात	2	–
4.	हरियाणा	3	1
5.	कर्नाटक	–	37
6.	छत्तीसगढ़	1	23
7.	महाराष्ट्र	1	–
8.	राजस्थान	54	30
9.	उत्तर प्रदेश	3	2
10.	झारखंड	–	1
11.	उड़ीसा	–	13
12.	मध्य प्रदेश	–	12
13.	पश्चिम बंगाल	–	1
	कुल	65	157

उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि

*119. **श्री रामजीवन सिंह :**

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यूरिया और फॉस्फेटिक उर्वरकों दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण अवयव अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उर्वरक इकाइयों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और इसके परिणामस्वरूप उर्वरकों की कीमतों में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) केन्द्र सरकार का विचार उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को किस तरह बेअसर करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) जी हाँ, वर्ष 2002–03 के दौरान प्रचलित कीमतों की तुलना में अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड की कीमतों में वृद्धि हुई है। सप्ताहिक फर्टिलाइजर मार्केटिंग बुलेटिन के अनुसार चालू वर्ष के दिनांक 20.11.2003 तक अमोनिया का लागत एवं माल भाड़ा सहित औसत मूल्य 214.29 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन की तुलना में वर्ष 2002–03 के दौरान 148.33 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन था। फॉस्फोरिक एसिड का मूल्य वर्ष 2002–03 के लिए लागत एवं मालभाड़ा सहित 341.50 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन था। एफएआई संघ द्वारा वर्ष 2003–04 के लिए आपसी बातचीत से 356 अमरीकी डॉलर प्रति मी. टन तय किए जाने के बाद भी फॉस्फोरिक एसिड के मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) आयातित अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड के मूल्य में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषकों के लिए बिक्री मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्र सरकार इन उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) घोषित/निर्दिष्ट करती है जो सम्पूर्ण देश में समान रूप से लागू होता है। वर्ष 2003–04 के दौरान सरकार ने किसी उर्वरक के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि नहीं की है। इसके अतिरिक्त डीएपी और एमओपी नामक फॉस्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरक, विभिन्न श्रेणियों के मिश्रित उर्वरक और एसएसपी रियायत योजना के अधीन शामिल है और सरकार रियायत/राजसहायता (मानक सुपुर्दकी लागत और अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के अंतर के बराबर) का भुगतान करती है। रियायत/राजसहायता की घोषणा आयातित कच्चा माल/मध्यवर्तियों (अमोनिया और फॉस्फोरिक अम्ल सहित) के मूल्य और विदेशी मुद्रा विनियम दर को अद्यतित करने के पश्चात तिमाही आधार पर की जाती है।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंर्तगत धनराशि का अन्य कार्य हेतु उपयोग

*120. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) के लिए निर्धारित धनराशि के अन्यत्र उपयोग के सम्बन्ध में कुछ निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक इस योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) योजना के अंतर्गत अभी तक आरंभ किए गए/पूरे किए गए कार्यों का राज्यवार/श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 8 मई, 2002 के आदेश के अनुसार, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आबंटित निधियों के अन्यत्र उपयोग संबंधी कोई दिशा–निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। दिशा–निर्देशों के अनुसार, कोई भी राज्य सरकार एक योजना के संसाधनों का अन्य योजनाओं में अंतरित नहीं कर सकती है।

(ग) से (ङ) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को, पिछले वर्ष के दौरान रिलीज की गई निधियों के उपयोग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को अगली किस्त तब तक रिलीज नहीं की जाती है जब तक कि पूर्व वर्ष में रिलीज की गई निधियों के उपयोग का प्रमाण–पत्र मंत्रालय में प्राप्त नहीं हो जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों, जिन्होंने वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक उपयोग के प्रमाण–पत्रों के साथ प्रस्ताव भेज दिए हैं, की संख्या को दर्शाने वाले राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(च) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत श्रेणीवार कार्यों के ब्यौरे मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू एवं पूर्ण हो चुके कार्यों की कुल संख्या को दर्शाने वाले राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिलो की कुल सं.	प्राप्त प्रस्ताव	
			चरण–1	चरण–2
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	22	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	13	0	0
3	असम	23	0	0
4	बिहार	37	10	10
5	छत्तीसगढ़	16	16	7
6	गोवा	2	1	0
7	गुजरात	25	20	17
8	हरियाणा	19	19	19
9	हिमाचल प्रदेश	12	1	2
10	जम्मू–कश्मीर	14	12	12
11	झारखंड	22	6	11
12	कर्नाटक	27	15	21
13	केरल	14	4	5
14	मध्य प्रदेश	45	41	40
15	महाराष्ट्र	33	6	4
16	मणिपुर	9	1	0
17	मेघालय	7	0	0
18	मिजोरम	8	0	0
19	नागालैंड	8	3	5
20	उड़ीसा	30	4	11
21	पंजाब	17	8	11
22	राजस्थान	32	32	32
23	सिक्किम	4	4	0
24	तमिलनाडु	28	28	28
25	त्रिपुरा	4	1	3
26	उत्तरांचल	13	2	2
27	उत्तर प्रदेश	70	8	15
28	प. बंगाल	19	0	1
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	0	0
30	दादरा व नागर हवेली	1	0	0
31	दमन व दीव	2	0	0
32	लक्षद्वीप	1	0	0
33	पांडिचेरी	1	0	0
	कुल	580	242	256

विवरण-II

वर्ष 2002–03 और 2003–04 (अक्तूबर, 2003 तक) के दौरान एस जी आर वाई के अंतर्गत पूरे किए गए और चालू कार्यों की संख्या का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यों की सं.			
		2002–03		2003–04*	
		पूरे कर लिए गए	चालू	पूरे कर लिए गए	चालू
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	88119	20458	31850	50780
2	अरुणाचल प्रदेश	2411	128	30	131
3	असम	40517	23478	11697	26961
4	बिहार	66876	44557	22447	43878
5	छत्तीसगढ़	37215	6305	13944	10038
6	गोवा	27	34	9	74
7	गुजरात	20884	9125	17734	14587
8	हरियाणा	29933	548	4165	4158
9	हिमाचल प्रदेश	8761	6214	7887	8207
10	जम्मू–कश्मीर	17419	633	2010	4693
11	झारखंड	39153	26085	6394	22830
12	कर्नाटक	126445	17912	42301	60482
13	केरल	12999	17956	5214	16901
14	मध्य प्रदेश	161574	30594	58250	43990
15	महाराष्ट्र	72068	44784	21638	60353
16	मणिपुर	4278	1389	167	432
17	मेघालय	2952	1009	29	19
18	मिजोरम	5277	546	905	202
19	नागालैंड	474	190	एन.आर.	एन.आर
20	उड़ीसा	96868	17825	21816	21373
21	पंजाब	17227	4122	5710	8577
22	राजस्थान	57073	12535	32647	27439

1	2	3	4	5	6
23	सिक्किम	778	463	एन.आर.	एन.आर.
24	तमिलनाडु	79225	5432	53031	47670
25	त्रिपुरा	13921	2111	6192	2481
26	उत्तरांचल	4654	6134	एन.आर.	एन.आर.
27	उत्तर प्रदेश	253913	88686	58259	65449
28	प. बंगाल	154857	54705	44969	52870
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	एन.आर.	एन.आर.	11	21
30	दादरा व नागर हवेली	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
31	दमन व दीव	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.
32	लक्षद्वीप	एन.आर.	7	एन.आर.	एन.आर.
33	पांडिचेरी	198	61	82	83
	अखिल भारत	1416096	444026	469388	594679

*अक्तूबर, 2003 तक।

एन आर–सूचित नहीं।

केन्द्रीय भंडार के लिए सरकारी आवास का आबंटन

1043. श्री शीशराम सिंह रवि :

श्री अरुण कुमार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कल्याणकारी परियोजना होने के कारण केन्द्रीय भंडार को 1/– रुपया प्रतिमाह के हिसाब से किराए पर सरकारी मकान का आबंटन किया गया है लेकिन इसने कई आवासों को अपने कर्मचारियों को आंशिक या पूर्ण रूप से आवास के लिए आबंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय भंडार द्वारा आबंटित परिसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार को विशेष रूप से लेखन सामग्री विभाग चलाने के लिए आबंटित सरकारी मकान को वापस लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करना

1044. श्री मानसिंह पटेल :

श्री हरिभाई चौधरी :

श्री बीर सिंह महतो :

श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विशेषकर गुजरात, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या समाधान के लिए कोई ठोस योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय, गुजरात, प. बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर सहित देश भर के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार की स्व–रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की मजदूरी रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना की आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यान्वित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय की योजनाएं चालू प्रकृति की हैं और विभिन्न तंत्रों द्वारा इनकी प्रभावी निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

असम में गैस क्रैकर परियोजना

1045. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक करके असम में 3700/– करोड़ रुपये की गैस क्रैकर परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु दबाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो इसमें असम सरकार द्वारा वास्तव में कितनी मांग की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों ने गैस क्रैकर परियोजना हेतु कोई विकल्प सुझाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर असम सरकार का क्या जवाब तथा प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार के अधिकारीगण असम गैस क्रैकर परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु दबाव डालने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों/सरकारी अधिकारियों से मिलते रहे हैं। चूंकि परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए भारी मात्रा में राजसहायता सन्निहित है, अतः यह सुझाव दिया गया है कि आज के वातावरण में राज्य सरकार, वैकल्पिक प्रस्तावों का पता लगाने पर भी विचार करे।

मुरलीडीह कोयला खान में अत्याधिक बोझ कम करना तथा अत्याधिक कोयला खनन करना

1046. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरलीडीह कोयला खान में ठेकेदारों को लगाकर अत्याधिक बोझ कम करने तथा अत्याधिक कोयला खनन करने का कार्य जारी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया में लगे ठेकेदारों और व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार मुरलीडीह में मलबे तथा कोयले को हटाने तथा परिवहन के लिए हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को किराए पर लिया जा रहा है।

(ख) कोयला कम्पनी द्वारा दी गयी सूचनानुसार मुरलीडीह में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को, एक ठेकेदार के माध्यम से किराए पर लिया गया है जिसने 25 कामगारों को नियोजित किया है।

केन्द्रीय भंडार द्वारा अत्यधिक मूल्य वसूलना

1047. श्री अमर राय प्रधान : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खुले बाजार या अन्य सहकारी भंडार में बेचे जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की तुलना में केन्द्रीय भंडार में उन्हीं विभिन्न वस्तुओं के लिए अत्यधिक मूल्य वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिनांक 01.10.2002 और 30.11.2003 के दौरान केन्द्रीय भंडार को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसी प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है एवं की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्त्ताओं को जवाब देने में कितना समय लगा;

(घ) क्या 'राष्ट्रीय सहारा' में दिनांक 10.11.2003 को "केन्द्रीय भंडार में सामान आम बाजार से महँगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (च) इस बारे में जानकारी उपर्युक्त सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एल्यूमिनियम का उत्पादन

1048. श्री अनन्त नायक : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002–2003 के दौरान एल्यूमिनियम का उत्पादन और भंडार कितना रहा;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एल्यूमिनियम के भंडार के बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में अत्याधिक एल्यूमिनियम का उचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) एल्यूमिनियम के प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2002–2003 के दौरान एल्यूमिनियम का कुल उत्पादन 6,89,041 मीट्रिक टन (एम टी) था और 31.3.2003 को स्टॉक 15,023 मीट्रिक टन (एम टी) था। मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (मालको) के सिवाय, जिसने स्टॉक में मामूली बढ़ोत्तरी की संभावना सूचित की हैं, अन्य सभी प्राथमिक उत्पादकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके स्टॉक में बढ़ोत्तरी की प्रत्याशा नहीं है।

(घ) एल्यूमिनियम क्षेत्र विनियंत्रित है और एल्यूमिनियम तथा इसके उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेन्स (ओ जी एल) श्रेणी के अधीन रखा गया है। और इसलिए इसका मुक्त रूप से व्यापार किया जा सकता है।

मूल शहरी अवसंरचना का विकास संबंधी अध्ययन

1049. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2020 तक मूल शहरी अवसंरचना विकसित करने संबंधी "इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड रेटिंग एजेंसी" द्वारा कराए गए अध्ययन पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने मूल शहरी सुविधाएं विकसित करने में निजी भागीदारी आमंत्रित करने हेतु कोई रणनीति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विकास हेतु कौन से वैकल्पिक वित्तीय स्रोत प्रदान किए जायेंगे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) इंवेस्टमेंट क्रेडिट और रेटिंग एजेंसी द्वारा वर्ष 2020 तक बुनियादी शहरी अवस्थापना विकसित करने के संबंध में किए गए अध्ययन के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) से (च) केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इस क्षेत्र में सुधार लाने और शहरों में पानी और सफाई सेवाओं में सफल सरकारी–निजी भागीदारी करने के सबंध में दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ–साथ, नीति संबंधी रूपरेखा, कार्यान्वयन संबंधी व्यवस्था, अनवरत सुधार और निजी क्षेत्र भागीदारी (पीएसपी) के लिए अनुकूल वातावरण, पीएसपी निजी क्षेत्र भागीदारी के विस्तार क्षेत्र का चयन और सरकारी–निजी भागीदारी का प्रबंधन शामिल है।

शहरी विकास राज्य का विषय होने के कारण यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों की है कि वह इन दिशानिर्देशों को अपनी जरूरतों के अनुरूप अपनाएं।

अधिकारियों/राजनीतिज्ञों पर सी.बी.आई. के छापे

1050. श्री टी. गोविन्दन : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकारियों/राजनीतिज्ञों पर छापे मारे है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और उसे उपर्युक्त सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.)

1051. श्री के. मुरलीधरन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केरल में एक सरकारी क्षेत्र के "फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ.ए.सी.टी.)" नामक उपक्रम में कई कर्मचारी अपना रोजगार गंवा रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने एफ.ए.सी.टी., कोचीन में कार्यरत कर्मचारियों के संरक्षण हेतु कोई उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। चूँकि कंपनी को निरंतर हानि हो रही है अतः इसे अपने प्रचालनों को जारी रखने के लिए लागत कटौती उपाय करने पड़े। इन उपायों में अधिशेष कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश कर जनशक्ति को युक्ति संगत बनाना शामिल है। इसके अतिरिक्त फैक्ट के कोचीन प्रभाग के अमोनिया–यूरिया संयंत्र के प्रचालन आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो जाने के कारण इसके प्रचालनों को बंद करना पड़ा। अतः कंपनी के इस संयंत्र के अधिशेष कामगारों की छंटनी करने के लिए भारत सरकार ने अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाने के लिए कंपनी प्रबंधन द्वारा अपनायी जा रही कार्य पद्धति सरकार की नीतियों के अनुरूप ही है।

दोषसिद्धि मामलों की दर में कमी

1052. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में दोषसिद्धि मामलों की दर में कमी आई है जैसा कि दिनांक 13.9.03 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "गवर्नमेंट डाटा शोज डीप इन कन्वीक्शन रेट" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां दोषसिद्धि मामलों की दर में कमी आई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या राज्यों को क्या निर्देश दिए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचनानुसार, वर्ष 1999, 2000 और 2001 के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत कुल संज्ञेय अपराध की दोषसिद्धि दर क्रमशः 39.6, 41.8 और 40.8 थी। दोषसिद्धि दर में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में कमी देखी गई। वर्ष 1999 से 2001 तक के दौरान भारतीय दंड संहिता के तहत कुल संज्ञेय अपराध की दोषसिद्धि दर के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) असम और गुजरात राज्यों में वर्ष 1999 से वर्ष 2001 तक दोषसिद्धि दर में कमी का रुझान देखा गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2001 में दोषसिद्धि दर में कमी देखी गई। सरकार ने 22 अगस्त, 2003 को राज्य सभा में दांडिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2003 प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, गवाहों के मुकर जाने की बुराई को रोकने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नई धारा 164क शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1999–2001 के दौरान कुल भारतीय दंड संहिता अपराधों की दोषसिद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999	2000	2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35.9	32.6	37.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.6	50.7	56.1
3	असम	28.9	21.1	19.7
4	बिहार	19.1	19.9	20.1
5	छत्तीसगढ़	उ.न.	उ.न.	55.3
6	गोवा	21.3	17.6	18.8
7	गुजरात	33.0	28.6	24.7
8	हरियाणा	30.0	32.4	31.9
9	हिमाचल प्रदेश	28.0	29.2	21.8
10	जम्मू–कश्मीर	41.4	36.6	41.0
11	झारखंड	उ.न.	उ.न.	27.1
12	कर्नाटक	27.9	31.9	29.8
13	केरल	38.2	47.9	50.0
14	मध्य प्रदेश	47.2	54.2	47.1
15	महाराष्ट्र	15.7	12.6	13.1
16	मणिपुर	27.3	30.8	59.6
17	मेघालय	43.1	29.5	30.2

1	2	3	4	5
18	मिजोरम	93.6	77.5	84.9
19	नागालैंड	90.3	76.0	81.2
20	उड़ीसा	15.0	16.5	14.2
21	पंजाब	40.4	46.1	39.6
22	राजस्थान	51.2	51.2	53.5
23	सिक्किम	62.1	45.2	56.2
24	तमिलनाडु	65.4	64.2	62.8
25	त्रिपुरा	23.2	15.0	18.5
26	उत्तरांचल	उ.न.	उ.न.	52.9
27	उत्तर प्रदेश	50.4	55.0	54.9
28	प. बंगाल	16.3	22.6	17.4
	कुल (राज्य)	39.9	41.1	40.3
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	28.8	27.6	51.1
30.	चंडीगढ़	57.6	56.3	45.7
31	दादरा व नागर हवेली	30.2	45.6	22.1
32	दमन व दीव	25.9	26.7	23.5
33.	दिल्ली	32.4	48.7	50.4
34.	लक्षद्वीप	14.3	0.0	25.0
35.	पांडिचेरी	86.0	91.9	85.8
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	35.3	50.2	52.8
	कुल (अखिल भारत)	39.6	41.8	40.8

मामलों का पंजीकरण

1053. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने ऐसा परिपत्र/निर्देश जारी किया है कि दहेज मामले में महिला प्रकोष्ठ के खिलाफ अपराध की जांच के बिना कोई मामला पंजीकृत नहीं किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999 से महिला अपराध प्रकोष्ठ से जांच या बिना जांच के दिल्ली में जिला–वार और वर्ष–वार कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(घ) इन मामलों में महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच न कराए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1999 से शादी के 7 वर्षों बाद दहेज के कितने मामले दर्ज किए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी नहीं। श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) महिला अपराध प्रकोष्ठ के गठन से, जब कभी भी पीड़ित उनसे सहायता के लिए सम्पर्क करता है तो स्थानीय पुलिस की कार्रवाई करने के संबंध में जिम्मेवारी कम नहीं हो जाती है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने 1999 से 30 नवम्बर, 2003 तक की अवधि के दौरान दहेज से सम्बन्धित 799 मामले दर्ज किए हैं।

विवरण

महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच के साथ अथवा जांच के बिना पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

जिला	1999	2000	2001	2002	2003 (30.11.2003 तक)
उत्तर	67	100	87	87	53
उत्तर–पश्चिम	226	181	208	287	252
केन्द्रीय	64	49	75	70	51
नई दिल्ली	9	8	17	14	24
उत्तर–पूर्व	91	89	122	168	129
पूर्व	104	109	187	145	114
दक्षिण	127	162	180	235	212
दक्षिण–पश्चिम	150	164	168	195	125
पश्चिम	281	294	312	239	189
कुल	1119	1156	1356	1440	1149

[हिन्दी]

इंडियन स्कूल आफ माइन्स का स्थानान्तरण

1054. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश खान क्षेत्र सिंहभूम में स्थित हैं, जबकि इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद में स्थित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त विद्यालय को सिंहभूम में नवामंडी नामक स्थान पर स्थानांतरित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी हाँ। कुछ खनिज पट्टियां झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित हैं।

(ख) वर्तमान में इण्डियन स्कूल ऑफ माइंस को धनबाद से किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। धनबाद में और उसके आस–पास भी बड़ी संख्या में खानें हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की तीसरी बार गणना

1055. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु उद्योग क्षेत्र की तीसरी बार गणना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने देश में लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) क्षेत्र की तीसरी गणना नवम्बर, 2002 से अप्रैल, 2003 के बीच देश भर में की गई। इस गणना में सभी पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों को पूर्ण गणना आधार पर तथा अपंजीकृत लघु उद्योग क्षेत्र को नमूना सर्वेक्षण के माध्यम से कवर किया गया। गणना के तुरन्त परिणाम अगस्त, 2003 में जारी कर दिए गए थे। तुरन्त परिणामों के अनुसार 31.3.2001 तक पंजीकृत लगभग 23 लाख कुल इकाइयों से 62.35% इकाइयां चालू हालत में पाई गईं। प्रत्येक पंजीकृत लघु उद्योग इकाई में औसत रोज़गार, सकल उत्पादन तथा स्थायी निवेश क्रमशः 4.6 व्यक्ति, 15.23 लाख रुपए तथा 7.11 लाख रुपए था। अपंजीकृत क्षेत्र में औसत रोज़गार 2. 11 व्यक्ति था।

(ख) जी, हां।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान वृद्धि दर के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र का निष्पादन निम्न प्रकार है:

वर्ष	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02	2002–03
वृद्धि दर (%)	7.70	8.16	8.23	6.08	7.68

नेपाल पुलिस के साथ आसूचना का आदान-प्रदान

1056. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस और नेपाल अपराध और अपराधियों के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ आसूचना के आदान–प्रदान के लिए सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों द्वारा किस प्रकार के अपराधों पर आसूचना का आदान–प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) यह समझौता कब तक लागू होगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) भारत और नेपाल के इन्टरपोल अधिकारियों की जुलाई 2003 में आयोजित तीसरी बैठक में दोनों पक्षों में औषधियों के अवैध व्यापार, मानव के अवैध व्यापार, अपराधियों और असामाजिक तत्वों की आवा–जाही, चोरी किए गए वाहन तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त वाहनों सहित पारस्परिक हित के मामलों में अपराध और अपराधियों पर आसूचना का आदान–प्रदान करने पर सहमति हुई।

दिल्ली पुलिस और नेपाल पुलिस के बीच कोई अलग समझौता नहीं हुआ था।

दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा मिनी टाउनशिप का निर्माण

1057. श्रीमती रेणुका चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन की दिल्ली विश्वविद्यालय रेलवे स्टेशन के पास लगभग एक हजार फ्लैटों वाला मिनी टाउनशिप बनाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित टाउनशिप का ब्यौरा, लागत और मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली परियोजना फेज–I में उसके द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण योजना के अनुसार संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसी) ने प्रतियोगी बोली के आधार पर चयन किए जाने वाले निजी विकासकों के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय स्टेशन के समीप लगभग 1000 फ्लैटों के लिए एक आवास योजना हेतु बोलियां आमंत्रित की हैं।

डीएमआरसी स्वयं आवास योजना का विकास नहीं कर रहा है। इस स्तर पर योजना की लागत के बारे में बताया नहीं जा सकता है क्योंकि यह प्राप्त बोलियों पर निर्भर करेगी।

(ग) इस प्रयोजन के लिए डीएमआरसी ने 20.11.2003 को प्रमुख समाचार–पत्रों में एक विज्ञापन दिया है, जिसमें प्रतियोगितात्मक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उन विकासकों को आमंत्रित किया है, जो निर्धारित मानदंड पूरा करते हैं।

अन्वेषण और अभियोजन प्रणाली की समीक्षा

1058. **श्री गुनीपाटी रामैया :**

श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश और गुजरात में हाल के आपराधिक मुकदमों के मद्देनजर वर्तमान अन्वेषण और अभियोजन प्रणाली की समीक्षा पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) गवाहों के मुकर जाने की बुराई को रोकने के लिए एक विधेयक नामतः दांडिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 दिनांक 22 अगस्त, 2003 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, धारा 161, 162 को संशोधित करने तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में नई धाराएं 164क तथा 344 शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों में अपेक्षित है कि उन सभी व्यक्तियों के बयान, जो मृत्युदंड अथवा सात वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों की उपयुक्त जांच के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं, मजिस्ट्रेट द्वारा शपथ लेकर रिकार्ड किए जाएंगे, जो स्वयं को भी इस बात से संतुष्ट करेगा कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन के अधीन नहीं वरन् स्वेच्छा से बयान दे रहा है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि मिथ्या शपथ के लिए संक्षिप्त विचारण का प्रावधान किया जाए तथा संक्षिप्त विचारण के पश्चात मिथ्या शपथ के लिए दंड में वृद्धि की जाए।

यह विधेयक गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को जांच के लिए भेज दिया गया है।

राज्यीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोयला खनन

1059. **श्री गंता श्रीनिवास राव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने राज्य की सीमाओं के बाहर कोयला खनन शुरू करने और इसे कहीं भी खुले बाजार में बेचने हेतु अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे राज्य जिनके पास कोई पर्याप्त कोयला भंडार नहीं है, वस्तुतः अपनी निजी कोयला भंडार उत्पादक कंपनियां स्थापित कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश जैसे कोयला बहुल राज्यों में कार्य शुरू कर सकती हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ग) वर्ष 1979 में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार के उपक्रम पृथक छोटे पॉकेटों में स्थित ओपन कास्ट खानों में नॉन–कोकिंग कोयले के कोयला खनन प्रचालन आयोजित कर सकते हैं। इस नीति को, केवल पृथक छोटे पॉकेटों में ओपनकास्ट पद्धति द्वारा नान–कोकिंग – भंडार का खनन करने के मौजूदा प्रतिबन्ध के बिना, कोयला खनन करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों को अनुमति देकर वर्ष 2001 में और अधिक उदारीकृत बना दिया गया। कोयला खनन के लिए अधिकृत राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा अपने ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के अर्न्तगत देश में कहीं भी कोयला खनन प्रचालन किए जा सकते हैं और इस प्रकार उत्खनित किए गए कोयले को खुले बाजार में बेचा जा सकता है।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

1060. **श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती राज्यों विशेषकर गुजरात के अनेक युवकों को पाकिस्तान जाने और प्रशिक्षण हेतु आतंकवादी संगठनों में शामिल होने का प्रलोभन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे युवकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनमें से कुछ युवक पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और अनेक राज्यों में सक्रिय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो उग्रवाद विरोधी आपरेशन में मारे गए हैं अथवा पकड़े गए हैं; और

(ङ) इस अवैध धंधे के पीछे क्या कारण है और सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियां रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) से (ङ) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान की सीमा–पार से आतंकवाद फैलाने की नीति के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में कुछ युवक प्रशिक्षण हेतु पाकिस्तान ले जाए जाते हैं और फिर उन्हें भारत में पुनः प्रवेश कराया जाता है। कुछ ऐसी भी रिपोर्टें हैं कि कुछ मुस्लिम युवक प्रशिक्षण हेतु बांग्लादेश, पाकिस्तान ले जाए गए हैं।

इस स्थिति से निपटने के लिए, सरकार ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, दोनों ओर से घुसपैठ रोकने हेतु सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना और सुसमन्वित आसूचना पर आधारित आतंकवादी–रोधी अभियान चलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र और राज्य आसूचना तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में बहुत से पाक समर्थित आतंकवादी/जासूसी माड्यूल का पता लगाया गया है/निष्क्रिय किया गया है।

साहसिक कार्यकलाप

1061. श्री ए. ब्रह्मनैया :

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण युवाओं सहित युवाओं के लिए नदी पार तैराकी से संबंधित किसी युवा साहसिक कार्यकलाप का सूत्रपात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यकलाप के लिए अलग से धनराशि आबंटित की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2002–2003 के दौरान अब तक दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कार्यकलाप हेतु आंध्र प्रदेश में किसी स्थान का चयन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में अनुकम्पा के आधार पर भर्ती

1062. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल के भर्ती शिविरों में अनुकम्पा के आधार पर भर्ती हेतु अभ्यार्थियों को बुलाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2002 के दौरान ऐसे कितने अभ्यार्थियों को बुलाया गया था;

(ग) क्या दिनांक 18 अक्तूबर, 2002 के ज्ञापन संख्या I-14013/12002–कार्मिक 2–13449–531 के अनुपालन में 11 नवम्बर, 2002 को आयोजित शिविर में चुने गए अभ्यार्थियों को भर्ती परीक्षा और चिकित्सा जांच करने के बावजूद बाद में अधिक आयु होने के आधार पर अनर्हक घोषित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त मामले में जांच कराने का है;

(च) सरकार द्वारा ऐसे अभ्यार्थियों के भविष्य की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) उक्त अभ्यार्थियों को कब तक भर्ती किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां। उन उम्मीदवारों को जो सरकार के अनुदेशों के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के पात्र होते हैं, को भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) द्वारा आयोजित विशेष भर्ती कैम्पों में एक बोर्ड द्वारा मूल्यांकन के लिए बुलाया जाता है।

(ख) वर्ष 2002 के दौरान कुल 82 ऐसे उम्मीदवारों को विशेष भर्ती कैम्प में बुलाया गया जिनमें से 71 उपस्थित हुए।

(ग) और (घ) कैम्प में अन्तिम चयन नहीं किया जाता है। बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात अंतिम चयन किया जाता है। आयु में छूट

के मामले पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कठिन कार्य परिस्थितियों और अन्य सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। तात्कालिक भर्ती के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी।

(ङ) इस मामले में जांच–पडताल करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(च) मृतक कार्मिक के परिवारों/निकटतम सम्बन्धियों को अनुग्रह पूर्वक अनुदान/पारिवारिक पेंशन/डी सी आर जी/छुट्टी के बदले नकद भुगतान आदि के रूप में पर्याप्त वित्तीस सहायता प्रदान की जाती है।

(छ) उन उम्मीदवारों, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता मापदण्ड पूरे नहीं करते हैं, के नामों पर भर्ती के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारी

1063. श्री बालकृष्ण चौहान : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री 29–7–2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1254 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूचना के कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां, जानकारी एकत्र कर ली गई है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की सं.	श्रेणीवार, कर्मचारियों की कुल सं में अ. पि. व., अ. जा. एवं अ. ज. जा. के कर्मचारियों की संख्या		
			अ. पि. व.	अ. जा.	अ. ज. जा.
1	2	3	4	5	6
ग्रामीण विकास विभाग					
1	श्रेणी क	51	00	06	03
2	श्रेणी ख	138	02	21	07
3	श्रेणी ग	157	09	27	06
4	श्रेणी घ	94	05	26	04
भूमि संसाधन विभाग					
5	श्रेणी क	20	00	01	01
6	श्रेणी ख	29	02	03	00
7	श्रेणी ग	30	01	05	00
8	श्रेणी घ	19	02	07	01
पेयजल आपूर्ति विभाग					
9	श्रेणी क	18	00	02	00
10	श्रेणी ख	21	00	03	00
11	श्रेणी ग	24	01	04	02
12	श्रेणी घ	11	01	01	01

1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान					
13	श्रेणी क	78	02	10	03
14	श्रेणी ख	68	02	08	02
15	श्रेणी ग	172	37	24	03
16	श्रेणी घ	131	23	67	07
लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद					
17	श्रेणी क	28	02	05	01
18	श्रेणी ख	51	04	06	02
19	श्रेणी ग	49	07	09	02
20	श्रेणी घ	33	11	05	05

टिप्पणी :

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू हुआ।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित जानकारी सेवा पंजिका में दी गयी जानकारी के अनुसार है।
3. श्रेणी "क" के पदों पर नियुक्त अधिकांश अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य श्रेणी "क" सेवाओं के उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

प्रश्न-पत्रों का लीक होना

1064. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कैट जैसी परीक्षाओं और राज्य स्तरीय परीक्षाओं जैसे महाराष्ट्र–लोक–सेवा–आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लीक हुए प्रश्न–पत्र खुले तौर पर बेचे जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कदाचारों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है/योजना तैयार की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) संयुक्त प्रवेश–परीक्षा (कैट) के प्रश्न–पत्र के लीक होने के मामले की केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा छान–बीन की जा रही है। चूँकि भारतीय प्रबंधन–संस्थाओं द्वारा संचालित की जा रही संयुक्त प्रवेश–परीक्षा (कैट), एक प्रतिष्ठित परीक्षा है और उपर्युक्त परीक्षा के लीक हो गए प्रश्न–पत्र के लीक हो जाने का मुद्दा एक गम्भीर मुद्दा है, अतः भारत–सरकार ने उपर्युक्त मामले की जाँच–पड़ताल करने के लिए दिनांक 24.11.2003 को पूर्व नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, श्री वी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में एक, एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। उपर्युक्त एक सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति, उन परिस्थितियों की जाँच–पड़ताल करेगी, जिनके कारण उपर्युक्त पेपर लीक हो गया तथा उपर्युक्त समिति इस बात का भी पता लगाएगी कि क्या उपर्युक्त परीक्षा के संचालन की प्रणाली में कोई चूक हो गई एवं उपर्युक्त प्रश्न–पत्र के लीक हो जाने में, जिम्मेदार व्यक्तियों/अभिकरण की ज़िम्मेदारी तय करेगी और उपर्युक्त संयुक्त प्रवेश–परीक्षा (कैट) संचालित किए जाने की प्रणाली की जाँच–पड़ताल करेगी एवं ऐसे उपाय सुझाएगी, जिनसे कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ नहीं हों। महाराष्ट्र–लोक–सेवा–आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली, राज्य–स्तरीय परीक्षाएं, संबंधित राज्य–लोक–सेवा–आयोगों के अधिकार–क्षेत्र में आती हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी भेषज उद्योग का उत्पादन

1065. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी भेषज उद्योग का उत्पादन कुल विश्व बाजार के एक प्रतिशत से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अन्तरराष्ट्रीय भेषज व्यवसाय में स्वदेशी भागीदारी में सुधार करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति–2002" घोषित की। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

(क) जन साधारण की खपत वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक दवाओं की समुचित मूल्य पर देश में प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(ख) भेषज क्षेत्र में कारोबार मूलक बाधाओं को कम करते हुए गुणवत्ता वाले लागत प्रभावी उत्पादन और भेषजों के निर्यात के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना।

(ग) औषध और भेषज उत्पादन पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को सुदृढ़ बनाना ताकि भारतीय भेषज उद्योग में गुणवत्ता को एक आवश्यक विशेषता बनाया जा सके और भेषजों के युक्तिसंगत प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) भारत में भेषजों में अनुसंधान एवं विकास में उच्चतर स्तर के निवेश को सारणीबद्ध करने के लिए अनुरूप माहौल सृजित करके भारत के लिए संगत या विशेष क्षेत्रीय बीमारियों पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए और देश में आवश्यकताओं के अनुरूप भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

(ङ) भेषज उद्योग के लिए प्रोत्साहन ढांचा सृजित करना जो भेषज उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा दे और नई प्रौद्योगिकियों और नई औषधों के लाने में प्रोत्साहन दे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जो सरकार पर भेषज–नीति 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू करने पर रोक लगाता है। सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

चकमा शरणार्थियों की नागरिकता

1066. **डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
श्री अम्बरीश :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ शरणार्थियों विशेषकर बांग्लादेश के चकमा शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन राज्य सरकारों जिन पर इस निर्णय से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, से भी इस संबंध में परामर्श किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) सरकार, अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमाओं को नागरिकता अधिकार प्रदान करने से संबंधित मामले से पहले ही अवगत है। नागरिकता प्रदान करने के संबंध में अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमाओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को अभी तक इसलिए नहीं निपटाया जा सका है क्योंकि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार की सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

संबंधित मंत्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दुरुपयोग

1067. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री अनिल बसु :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री प्रबोध पण्डा :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने हाल में प्रधान मंत्री से भेंट की थी और संबंधित मंत्रालयों द्वारा सरकारी क्षेत्र के

कुछ उपक्रमों के दुरुपयोग के बारे में शिकायत की थी जैसाकि अनेक प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकारी उद्यम–चयन–बोर्ड के अध्यक्ष ने भी इस संबंध में सरकार को लिखा था;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे दुरुपयोग को रोकने हेतु कोई दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) मंत्रिमंडल–सचिवालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने दिनांक अक्तूबर 16, 2003 को प्रधानमंत्री से भेंट की। उपर्युक्त बैठक के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने प्रधानमंत्री को पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता–आयोग द्वारा पहलकदमी के तौर पर उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी करवाई और सार्वजनिक क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यपालकों के जेहन में ग़लती से बैठा सतर्कता से जुड़ा डर दूर करने की आवश्यकता पर विचार किया, जिसकी वजह से उन्हें निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है। केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य–संचालन में स्वायत्तता और जवाबदेही, दोनों ही कायम करने के लिहाज से किए जा सकने वाले विभिन्न उपायों की रूप–रेखा प्रस्तुत की। उपर्युक्त चर्चा के दौरान, किसी भी समय, केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने न तो किन्हीं केन्द्रीय मंत्रियों के नामों का ज़िक्र किया और न ही किसी केन्द्रीय मंत्री पर कोई आरोप लगाया।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में अपना सतर्कता–तंत्र है। सतर्कता–एककों के अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता–अधिकारी होते हैं, जिन्हें केन्द्रीय सतर्कता–आयोग के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. जाँच

1068. **श्री राजनारायण पासी :**
श्री जी. जे. जाधीया :

क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो अथवा केन्द्रीय अन्वेषण–अभिकरणों द्वारा गत चार वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस–सेवा के कितने अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष–वार, पद–वार मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) केन्द्र–सरकार को कितने राज्यों की ओर से भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में संलिप्त आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के नाम प्राप्त हुए हैं और केन्द्र–सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या आई.ए.एस. अधिकारियों में भ्रष्टाचार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग/केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो की रिपोर्टों के बाद कितने दोषी आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों को हटाया गया है अथवा बरख़ास्त किया गया है;

(च) कितने अधिकारियों को अब तक सेवा से नहीं हटाया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) इस बारे में उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है :

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या	भारतीय पुलिस–सेवा के अधिकारियों की संख्या
2000	17	5
2001	17	3
2002	3	2
2003	7	0

(ख) राज्य–सरकारों द्वारा केन्द्र–सरकार को ऐसे मामले ही भेजे जाने अपेक्षित होते हैं जिनमें उपर्युक्त सेवाओं में से किसी सेवा के किसी सदस्य पर सेवा से बरख़ास्तगी/सेवा से निकाले जाने/अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिए जाने अथवा उनकी पैंशन में से कटौती किए जाने की शास्ति जैसी भारी शास्ति लगाना प्रस्तावित किया गया हो अथवा जिनमें उपर्युक्त सेवाओं में से किसी सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम, 1988 के अनुसार मुक़दमा चलाने हेतु केन्द्र–सरकार द्वारा मंज़ूरी दी जानी अपेक्षित हो। पिछले चार वर्षों अर्थात् वर्ष, 2000 से वर्ष,

2003 तक के दौरान, 6 राज्यों से ऐसे प्रस्ताव मिले। 11 मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में कार्रवाई कर ली गई है और उनमें लिया गया निर्णय संबंधित राज्य–सरकारों को संप्रेषित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जैसा कि उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर से सुस्पष्ट है, इस बारे में कोई सामान्य बयान नहीं दिया जा सकता।

(ङ) शून्य।

(च) और (छ) चार। इस बारे में राज्य–सरकारों द्वारा अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1969 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव भेजे जाने अपेक्षित होते हैं।

[अनुवाद]

विख्यात व्यक्तियों द्वारा अवैध आप्रवास

1069. श्री वी. वैत्रिसेलवन : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई एजेन्सियाँ और प्रसिद्ध व्यक्ति भारत से अवैध आप्रवासन में लिप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी एजेंसियों अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) और (ख) बताया गया है कि पंजाब के एक पॉप सिंगर तथा गुजरात की एक शास्त्रीय नृत्यांगना भारत से अवैध आप्रवासन में संलिप्त हैं।

(ग) संबंधित राज्य सरकारें इन मामलों की जांच कर रही हैं।

रोजगार आश्वासन योजना

1070. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार आश्वासन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यवार/वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है;

(ख) क्या अब तक जारी की गई धनराशि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) आज की तिथि अनुसार इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.), नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित की जा रही थी। यह योजना दसवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

डी डी ए अधिकारियों का विचारण

1071. श्री रामजी लाल सुमन :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों का न्यायालय में विचारण हेतु वाद दायर करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी बी आई ने किन अनियमितताओं का पता लगाया है और इन मामलों के अन्वेषण में कितना समय लगेगा?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री सुभाष शर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, श्री जगदीश चन्द्र, पूर्व निदेशक (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण, श्री अशोक कपूर, पूर्व वरिष्ठ निजी सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध उनके द्वारा दर्ज किए गए निम्नलिखित दो मामलों में दिनांक 6.10.2003 के पत्र द्वारा अभियोग स्वीकृति मांगी है।

(i) आर सी.ए.सी. 1/03–ए–0001 दिनांक 26.3.2003– उपर्युक्त तीनों अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग स्वीकृति मांगी गई है।

(ii) आर सी.– डी ए 1-2003–ए–0025 दिनांक 3.4.2003– दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा के संबंध में अभियोग स्वीकृति मांगी गई है।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आर सी.ए.सी1/ 03–ए–0001 में की गई जांच से पता चला है कि श्री सुभाष शर्मा

और श्री जगदीश चन्द्र मॉडर्न पब्लिक स्कूल एजूकेशनल सोसाइटी के पक्ष में करीबी चार एकड़ अप्रयुक्त भूमि रद्द करने के मामले में उक्त सोसाइटी के प्रति अनुचित पक्षपात दिखाने के अपराध में शामिल हैं। आर सी–डीए 1–2003–ए–0025 दिनांक 3.4.2003 में जांच से पता चला है कि श्री सुभाष शर्मा ने एपीवाई होटलियरस् एंड डलबपरस् के साथ मिलकर अवैध रूप से पैसा लेकर उन्हें अनुचित लाभ दिया है।

उक्त मामले मार्च–अप्रैल, 2003 में पंजीकृत किए गए थे तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अक्तूबर, 2003 में अपनी जांच रिपोर्टें प्रस्तुत की।

[अनुवाद]

मेट्रो के लिए हल्के आधुनिक डिब्बे

1072. श्री के. येरननायडू : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो के लिए आधुनिक हल्के डिब्बों का देश में निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डिब्बे किन स्थानों पर बनाए जा रहे हैं और इस कार्य में किनका सहयोग लिया जा रहा है; और

(ग) देश के इस क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भर हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने दिल्ली द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस) परियोजना फेज–I के लिए "240 डिब्बों के अभिकल्प, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और चालू करने" हेतु एम आर एम नामक एक संकाय को ठेका दिया है जिसमें मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापान (लीडर); रोटेम कंपनी, साउथ कोरिया और मित्सुबिशी इलैक्ट्रिकल कारपोरेशन, जापान शामिल हैं। इस ठेके में प्रौद्योगिकी अन्तरण के जरिए क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण के साथ भारत में 180 आधुनिक हल्के डिब्बों का निर्माण शामिल है। एम आर एम ने इन स्वदेशी डिब्बों को जोड़ने/निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को लगाया है। कुछ चालन (प्रोपल्सन) उपकरणों के लिए एम आर एम ने एल्सटोम इंडिया लिमिटेड को सम्बद्ध किया है तथा इसके द्वारा उत्पादन शुरू किया गया है। कुछ अन्य प्रकार के उपस्करों की आपूर्ति के लिए आटोमीटर एलाइन्स लिमिटेड, नोयडा, एमको पावर लिमिटेड, बंगलौर और के–लाइट चेन्नई एम आर एम द्वारा कार्य में लगाई गई अन्य भारतीय कंपनियां हैं।

(ग) यद्यपि, ऐसे डिब्बों के निर्माण मे आत्मनिर्भरता के लिए इस स्तर पर कोई निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है मध्यावधि में मूल्य के हिसाब से लगभग 55 प्रतिशत का लक्ष्यनियत किया गया है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए मानदंड

1073. श्री पुन्नूलाल मोहले :

श्री राजैया मल्याला :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की पहचान के मानदंडों में परिवर्तन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान और केरल सरकारों ने केन्द्र सरकार से, बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के माध्यम से पहचान किए जाने वाले बी.पी.एल. परिवारों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा को समाप्त करने का, अनुरोध किया है।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बी.पी.एल. जनगणना, 2002 के माध्यम से पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या, योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए वर्ष 1999–2000 के लिए अनुमानित गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या या संगणित समायोजित अंश के अनुसार व्यक्तियों की संख्या, जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। अस्थायी गरीबों के लिए भी अतिरिक्त 10 प्रतिशत की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

औषधि और स्वापकों की तस्करी

1074. श्री ज्योतिरादित्य मा. सिन्धिया : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य निषिद्ध औषधियों और स्वापकों की तस्करी में प्रयुक्त भू–मार्ग पुनः शुरु हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि विभिन्न आतंकवादी संगठन स्वापक तस्करी के माध्यम से अपने कार्यकलापों का वित्तपोषण करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तस्करी मार्ग के पुनः शुरू होने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं;

(घ) तस्करों द्वारा कौन सी कार्यप्रणाली अपनायी जा रही है;

(ङ) वर्ष 2001, 2002 और 2003 के दौरान की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) अवैध नशीली औषधियों के जब्ती के आंकड़े यह इंगित नहीं करते कि भारत और पाकिस्तान के बीच निषिद्ध औषधियों तथा स्वापक पदार्थों की तस्करी के लिए प्रयोग किया जाने वाला भूमार्ग पुनः सक्रिय हो गया है।

(ख) यह सुझाने वाली कोई पक्की आसूचना नहीं है कि विभिन्न आतंकवादी संगठन स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार द्वारा अपने अभियानों का वित्त पोषण कर रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) सीमा–पार के तस्करों द्वारा भारत–पाक सीमा से स्वापक औषधियों की तस्करी के लिए अपनाए गए कुछ तरीके इस प्रकार हैं :–

1. पाक स्थित अवैध व्यापारियों द्वारा अंधेरे की आड़ में, स्वापक औषधियों को सीमा बाड़ के एक तरफ छुपा कर रख देना और तत्पश्चात दूसरी तरफ के अवैध व्यापारियों द्वारा खेप प्राप्त कर लेना,
2. व्यक्ति द्वारा ले जाकर,
3. नजदीकी जातीय सम्पर्क वाले दोनों ओर की सीमा पर स्थित गांवों में रहने वाले लोगो द्वारा पैदल/ऊंट पर सीमा को पार करके।

(ङ) अपराध से संबंधित मामले राज्य का विषय होने के कारण स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों के ब्योरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। नराकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2001, 2002 और 2003 में स्वापक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान मूल के क्रमशः 32, 8 और 12 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(च) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की सुरक्षा एजेन्सियाँ उच्च स्तर की चौकसी बनाए रखती हैं तथा वे सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

नाल्को का विस्तार

1075. श्री चन्द्रनाथ सिंह :

श्री परसुराम मांझी :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी (नाल्को) के विस्तार के द्वितीय चरण को अनुमोदन प्रदान कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना पूंजी निवेश शामिल है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए किस रीति से धनराशि की व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो विस्तार योजना कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (घ) नाल्को ने कुल 4091.51 करोड़ रुपए (आंतरिक संसाधनों और वाणिज्यिक ऋणों से वित्त पोषण) के निवेश से अपनी बॉक्साइट खानों की क्षमता 48,00,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 63,00,000 टन प्रति वर्ष करने, एल्युमीनियम शोधनशाला की क्षमता 15,75,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 21,00,000 टन प्रति वर्ष करने, एल्युमीनियम प्रगालक की क्षमता 3,45,000 टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4,60,000 टन प्रति वर्ष करने तथा कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता को 8 X 120 मेगावाट से बढ़ाकर 10 X 120 मेगावाट करने हेतु द्वितीय चरण के विस्तार का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सरकार इस प्रस्ताव की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

खेतड़ी ताम्र खानों को बंद करना

1076. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की खेतडी ताम्र खदानों को बंद करने का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन खदानों में कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के तहत खेतड़ी तांबा खानों को बंद करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।

(ख) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खेतड़ी कॉपर खानों में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शनों के आधार पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी आर एस) के लाभ शामिल हैं। इसके अलावा, वी आर एस से कामगारों को उक्त अधिनियम की धारा 25 (ओ) के तहत खानें बंद होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि से कई गुणा अधिक लाभ मिल पाएंगे।

(ग) और (घ) उक्त (क) और (ख) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत श्रम सहकारिता संस्थानों को शामिल करना

1077. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्रम सहकारिता सोसायटियों को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति देने के बारे में महाराष्ट्र सरकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राहम स्टेंस की हत्या का मामला

1078. **प्रो. ए. के. प्रेमाजम** :

श्री सुनील खां :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल ने ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों की हत्या के कुछ दिनों बाद मनोहरपुर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इस दल ने दौरे के दौरान इन हत्याओं में 'विदेशी षडयंत्र' को साक्ष्य मिलने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कथित साक्ष्य को जांच हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दल ने किन विवरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) ग्राहम स्टेंस और उनके दो बच्चों की हत्या के तुरंत बाद 27 जनवरी, 1999 को डा. मुरली मनोहर जोशी, मंत्री, मानव संसाधन विकास, श्री जार्ज फर्नांडीस, रक्षा मंत्री और श्री नवीन पटनायक, तत्कालीन इस्पात और खान मंत्री ने मनोहरपुर गांव (जिला क्योंझर) का दौरा किया। हत्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय षडयंत्र का कोई भी साक्ष्य ध्यान में नहीं आया है।

भूमि आबंटन

1079. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली के विभिन्न कल्याण और सांस्कृतिक संगठनों को कार्यालय तथा भवन बनाने के लिए भूमि आबंटित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों को भूमि आबंटित की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कितने संगठन प्रतीक्षा सूची में हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य की निगरानी रखी है कि आबंटित भूमि निर्धारित प्रयोजन के लिए ही प्रयुक्त की जा रही है अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उल्लंघनों के बारे में पता चलने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों को भूमि आबंटित की गई, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) आबंटन के लिए प्रतीक्षारत ऐसे 15 संगठन हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों में कार्यालय भवन के लिए भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया था।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अथवा अन्य निर्दिष्ट दुरुपयोगों के अनुसार मामला दर मामला आधार पर समुचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

कल्याण और सांस्कृतिक संगठनों को भूमि के आबंटन की सूची

क्र.सं.	आबंटी का नाम	स्थान/प्लाट सं. (सेक्टर/ब्लाक/पाकेट)	क्षेत्र (व.मी.)	आबंटन का प्रयोजन	आबंटन की तारीख
1	सिटीजनशिप डबलपमेंट सोसाइटी	स्थानः मयूर विहार स्कीम प्लाट नं. : 12 (97) (सेक्टर : ब्लाक : / पाकेट :)	795.00	कार्यालय भवन	1/3/2000
2	बॉडेड लेबर लिबरेशन फ्रंट	स्थानः द्वारका स्कीम प्लाट नं. ऑफ (सेक्टर 8: ब्लाक : / पाकेट :)	300.00	कार्यालय	30.1.2001
3	फांउडेशन फार एविएशन एंड सस्टेनेबल टूरिजम	स्थानः तुगलकाबाद एरिया स्कीम प्लाट नं. 43 (सेक्टर : ब्लाक : / पाकेट :)	1000.00	कार्यालय	13.6.2001
4	गुजरात को–आप मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि.	स्थानः जनकपुरी स्कीम प्लाट नं. 24/1 (सेक्टर : ब्लाक : / पाकेट :)	940.64	कार्यालय भवन	12/9/2001
5	सोसाइटी फार इंडियन ओसियन स्टडीज	स्थानः लाडो सराय स्कीम प्लाट नं. 2 (सेक्टर : ब्लाक : / पाकेट :)	1071.33	कार्यालय भवन	3/8/2001
6	डी.ओ.ई.ए. सी सी सोसाइटी	स्थानः द्वारका स्कीम प्लाट नं. 3 (सेक्टर 8 /ब्लाक : / पाकेट :)	4277.88	कार्यालय भवन	14/8/2001

विकास बोर्ड

1080. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने कोंकण क्षेत्र के विकास को महाराष्ट्र में विद्यमान तीन विकास बोर्डों के प्रतिवेदन के अनुभव के मद्देनजर एक विकास बोर्ड गठित करने हेतु एक मसौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव महाराष्ट्र में विकास बोर्ड गठित करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। योजना आयोग ने महाराष्ट्र में मौजूदा तीन विकास बोर्डों के कार्यकरण पर निष्पादन मूल्यांकन अध्ययन किया था और सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) फिलहाल, महाराष्ट्र में विकास बोर्डों को गठित करने हेतु संविधान में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

उड़ीसा में खेल विकास

1081. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों के विकास के बारे में उड़ीसा सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त अवधि में इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता उपलब्ध कराई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, उड़ीसा सरकार से पिछले 3 वर्षों के दौरान 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14 प्रस्तावों को कुल 434.84 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता सहित अनुमोदित कर दिया गया है।

स्कूलों में खेल–कूद के संवर्धन की योजना के अंतर्गत, पिछले 3 वर्षों के दौरान, उड़ीसा सरकार से वर्ष 2002–2003 के दौरान, 17.00 लाख रुपए की रकम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर विचार किया गया था और 17.00 लाख रुपए का अनुदान उस राज्य को जारी कर दिया गया था।

[हिन्दी]

पनधारा विकास कार्यक्रम

1082. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक महाराष्ट्र और बिहार सरकारों से केन्द्र सरकार को पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार कितने परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ख) जिलावार अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए; और

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने के लिए तीन कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है।

आइ.डब्ल्यू.डी.पी. परियोजनाओं की प्राथमिकता प्रति वर्ष राज्य सरकारों के साथ परामर्श से निर्धारित की जाती है। ऐसे परियोजना प्रस्तावों, जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जाता है, पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श से अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु विचार किया जाता है।

महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक सतारा, नागपुर, औरंगाबाद, बीड, लातूर, सॉंगली, यवतमाल, धुले, जलगॉंव, बुलढाना, वर्धा, जालना, पूणे, औसमानाबाद, नंदुरबार, चन्द्रपुर, भन्डारा, गोन्दिया, अमरावती और रत्नगिरी जिलों के लिए आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत 24 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत सारन, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया, नालन्दा, गया, किशनगंज, मुंगेर, वैशाली और नवादा जिलों के लिए 10 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

महाराष्ट्र और बिहार के लिए डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महाराष्ट्र और बिहार में कोई डी.डी.पी. परियोजनाएँ कार्यान्वित नही की जा रही हैं।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या

क्रम संख्या	जिले	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04 अभी तक	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	अहमदनगर	85	20		20	125
2	ए.बाद	15	12		12	39
3	अकोला		26	52	14	92
4	वाशिम	0	0	0	12	12
5	अमरावती	0	18	36	18	72
6	बीड	54	12		12	78
7	बुलढाना	61	18	27	18	124

1	2	3	4	5	6	7
8	चन्द्रपुर	20	6	9	6	41
9	धुले	20	14	0	6	40
10	नंदुरबार	0	0	0	8	8
11	गढ़चिरौली	40	6	0	6	52
12	जलगाँव	20	14	35	14	83
13	जालना	25	4	0	4	33
14	लातूर	38	8		8	54
15	नागपुर	0	2	5	2	9
16	नांदेड	15	8	0	8	31
17	नासिक	0	26	52	26	104
18	औसमानाबाद	11	6	0	6	23
19	पुणे	0	24	48	22	94
20	परभनी	39	8	0	4	51
21	हिंगोली	0	0	0	4	4
22	सॉंगली	15	12	0	14	41
23	सतारा	11	8	0	8	27
24	शोलापुर	84	20	0	20	124
25	यवतमाल	25	24	36	24	109
	योग	578	296	300	296	1470

बिहार राज्य में डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत स्वीकृत वाटरशेड परियोजनाओं की संख्या

क्रम संख्या	जिले	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04 अभी तक	योग
1	भबुआ	5	10	10	10	35
2	जमुई	9	14	14	14	51
3	मधुबनी	3		8	8	19
4	नवादा	7	18	18	18	61
5	रोहतास	2	4	4	4	14
6	सीतामढ़ी	2	0	6	6	14
	योग	28	46	60	60	194

उर्वरकों का निर्यात

1083. श्री राधा मोहन सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत किन–किन देशों को उर्वरकों का निर्यात करता रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने भारत के "कृषक भारती एड ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" से उर्वरकों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न देशों को निर्यात किए गए उर्वरकों की कीमत का देशवार ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बहरीन, यू ए ई, इंडोनेशिया, शारजाह और म्यांमार को यूरिया, एनपीके मिश्रित, एमओपी और एसएसपी उर्वरकों का निर्यात किया।

निर्यात किए गए उर्वरकों का विवरण निम्नानुसार है:–

देश	वर्ष	उर्वरक	निर्यात की गई मात्रा (000 मी.टन)	निर्यात का अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)
बंगलादेश	2000–01	एमओपी	12.84	853
नेपाल	2000–01	यूरिया	56.83	2935
	2001–02	यूरिया	12.92	640
	2002–03	यूरिया	18.74	1278
	2003–04 (30.11.2003 तक)	यूरिया	40.01	2750
	2000–01	एसएसपी	2.21	56
	2001–02	एसएसपी	1.38	35
	2002–03	एसएसपी	5.41	186
	2002–03	एमओपी	1.10	82
श्रीलंका	2000–01	एसएसपी	0.20	5
यू ए ई	2000–01	कम्पलेक्स (15:15:15)	0.04	4
बहरीन	2001–02	कम्पलेक्स (15:15:15)	0.02	2
शारजाह	2002–03	एनपीके कम्पलेक्स	0.04	7
म्यांमार	2001–02	यूरिया	2.8	138
इंडोनेशिया	2002–03	एसएसपी	0.3	12

(ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीवीएफसीएल) और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड को वर्ष 2002–04 के दौरान नेपाल की कंपनियों/एजेंसियों/सहकारी समितियों को क्रमशः 15,000 मी. टन और 35,000 मी. टन यूरिया का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है।

[अनुवाद]

अवैध पार्किंग

1084. श्री रामजी मांझी : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर

अवैध पार्किंग विशेषकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास अवैध पार्किंग, पर अंकुश लगाने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान। दिल्ली पुलिस दिल्ली में प्रायः अनधिकृत/अवैध पार्किंग की चैकिंग करती है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास पार्किंग, दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने निगम में संबंधित अधिकारियों को पार्किंग क्षेत्र में क्षमता से ज्यादा वाहन खड़ा न करने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका
परिषद का बकाया

1085. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन–कौन से सरकारी विभाग है जिन पर नई दिल्ली नगर परिषद का बकाया है और यह बकाया विभागवार कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बकाए को समाप्त करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के बकाए को चुकता न किए जाने की स्थिति में इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) 30 नवंबर, 2003 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न सरकारी विभागों पर भुगतान न हुए लाइसेंस शुल्क पर उपार्जित ब्याज सहित विद्युत और जल प्रभार के कारण 36,46,96,776/– रु. और परिसर के लाइसेंस शुल्क के कारण 2,70,62,77,178/– रु. की राशि बकाया है। विद्युत/जल प्रभार और लाइसेंस शुल्क के विभाग–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा चूककर्ता विभागों से बकाया शुल्क की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। विद्युत/जल प्रभार का भुगतान न करने से विद्युत/जल आपूर्ति काटी जा सकती है और लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने से सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत बेदखल करने संबंधी कार्यवाही की जा सकती है।

~~विवरण-I~~

विद्युत/जल प्रभार के कारण विभाग–वार बकाया

क्र.सं.	संगठन	कुल राशि
1.	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	11562486
2.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	3523491
3.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	2846937
4.	केन्द्र सरकार के कार्यालय	17908461
5.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं	368649
6.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	132388186
7.	दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली उच्च न्यायालय	2368
8.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	2257241
9.	दिल्ली अग्निशमन सेवाएं	874715
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	5774193
11.	दिल्ली दुग्ध योजना	10504
12.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	5040749
13.	गेरिसन इंजीनियर, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस	66203392
14.	सरकारी विद्यालय	253134
15.	सरकारी अस्पताल	402965
16.	आयकार विभाग	2097
17.	भारतीय जीवन बीमा निगम	41800
18.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली	2737030
19.	रक्षा मंत्रालय	7094390
20.	मदर डेयरी	171329
21.	दिल्ली नगर निगम	3858501
22.	उत्तर रेलवे	66925997
23.	दिल्ली पुलिस	10732809
24.	डाकघर	3778571
25.	प्रैस क्लब ऑफ इंडिया	63481
26.	केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन	11118424
27.	लोक निर्माण विभाग	5579910
28.	राज्य सरकार के अतिथि गृह	2943899
29.	सरकारी होटल	231067
कुल राशि		364696776

विवरण-II

लाइसेंस शुल्क की राशि का विभाग–वार बकाया

क्रम सं.	विभाग का नाम	लाइसेंस शुल्क	ब्याज	कुल
लोक नायक भवन				
1	संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय	242744864	653859090	896603954
2	गृह मंत्रालय	5271555	18063288	23334843
3.	सुपर बाजार सहकारी भंडार, खाद्य और आपूर्ति विभाग	183072740	72596345	255669085
चाणक्य भवन				
4.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	27020974	15192499	42213473
5.	मंत्रिमंडल सचिवालय	1662800	52058	1714858
6.	रक्षा मंत्रालय	25296160	2610251	27906411
अकबर भवन				
7.	विदेश मंत्रालय	519445432	525069201	1044514633
8.	दूर–संचार विभाग	74103299	22514870	96618169
चंद्रलोक बिल्डिंग				
9.	विद्युत वित्त निगम		26424	26424
10.	स्वास्थय मंत्रालय	739556	1651627	2391183
11.	संचार मंत्रालय		53800	53800
यशवंत प्लेस				
12.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो, छठी मंजिल	16532511	9541338	26073849
13.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सातवीं मंजिल	16092510	18951794	35044304
14.	आयकार विभाग	14609075	1476058	16085133
मयूर भवन				
15.	आयकर विभाग	70516057	124983053	195499110
16.	केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन	18146180	22447959	40594139
मोहन सिंह प्लेस				
17.	दूर–संचार विभाग	5460	1441062	1446522
पालिका केन्द्र				
18.	दिल्ली पुलिस	230416	256872	487288
	कुल	1215489589	1490787589	2706277178

[अनुवाद]

केरल में खनिज रेत खनन

1086. श्री वी. एम. सुधीरन : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल में उत्तर कायमकुलम से अलापुझा तट तक फैले क्षेत्र में खनिज रेत खनन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने तक किसी कंपनी को खनन पट्टा अधिकार देने हेतु राज्य सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर अधिनियम) की धारा 5(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन हेतु खान मंत्रालय को केरल सरकार से 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लिमिटेड (के आर ई एम एल) के पक्ष में अलापुझा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इलमेनाइट, रूटाइल आदि के लिए खनन पट्टे स्वीकृत करने के बारे में हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) केरल से माननीय संसद सदस्य श्री वी.एम. सुधीरन और अन्य संसद सदस्यों ने पर्यावरणीय आधार पर अलापुझा तट से सटे कायमकुलम के उत्तरी क्षेत्र के लिए के आर ई एम एल को खनन पट्टा स्वीकृत करने संबंधी केरल राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति उठाई है।

(ङ) एम एम डी आर अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन संबंधी प्रस्तावों और केरल के संसद सदस्यों से प्राप्त संदर्भों को परमाणु ऊर्जा विभाग को भेजा गया है। कुछेक मामलों में परमाणु ऊर्जा विभाग से प्राप्त अंतरिम उत्तर में यह सुझाव है कि उन्होंने के आर ई एम एल से अन्य बातों के साथ यह सूचित करने का अनुरोध किया है कि क्या पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंध योजना अध्ययन कराया गया है और क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त की गई है।

विवरण

राज्य केरल - खनन पट्टा

जिला - अलापुझा

क्र.सं.	पार्टी का नाम	रियायत की प्रकृति	खनिज	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.5	4.6.2003
2.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.5	4.6.2003
3.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.65	4.6.2003
4.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.6529	6.10.2003

1	2	3	4	5	6
5.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.4395	6.10.2003
6.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.9384	6.10.2003
7.	मैसर्स केरल रेअर अर्थ एण्ड मिनरल लि.	खनन पट्टा	इलमेनाइट, रूटाइल, ल्यूकोझेन, जिरकॉन एवं सिल्लिमेनाइट	4.5425	6.10.2003

सरकारी कालोनियों में आधारभूत सुविधाएं

1087. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ विशिष्ट कालोनियों विशेषकर त्यागराजनगर, वसंत विहार इत्यादि में बहुमंजिले क्वार्टरों में टाईप I, II और III आवासों के आबंटियों को वाश बेसिन, सिंक, पंखों ट्यूबलाइट्स जैसी आधारभूत नागरिक/बिजली संबंधी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की हैं जबकि कुछ कॉलोनियों में ऐसी सुविधाएं सरकारी आवासों के आबंटियों से इनकी 10% कीमत जमा करने के पश्चात् दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह संविधान के खंड 15(2) (ख) का उल्लंघन है जो नागरिकों के लिए समानता का अधिकार का उपबंध करता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी श्रेणी के आवासों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार रिहायशी आवास के सभी नए निर्माणों में मानक उपस्करों के रूप में सिंक, वाशबेसिन, पंखे, ट्यूब लाइटें आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। पुराने निर्माणों में, जहां इस समय लागू विनिर्देशों के अनुसार ये उपस्कर उपलब्ध नहीं कराए गए थे, यदि आबंटी अंशदान के रूप में लागत के निर्धारित प्रतिशत का भुगतान करता है, तो सिंक, वाशबेसिनें, वायर गेज शटर, मेजिक आई, अतिरिक्त सीलिंग फेन आदि जैसे उपस्कर उपलब्ध कराये जाते हैं। त्यागराज नगर में टाइप–I क्वार्टरों में सरकार द्वारा जारी विशेष स्वीकृति पर ये उपलब्ध कराये गए थे। वसन्त विहार में टाइप– I क्वार्टरों में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है जबकि टाइप–II क्वार्टरों में सिंक और टाइप– III क्वार्टरों में सिंक वाशबेसिन मूल निर्माण के भाग के रूप में उपलब्ध कराए गए थे।

(ग) संविधान के खण्ड 15(2) (ख) के अंतर्गत मूल अधिकार राज्य पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा उस खण्ड में उल्लिखित प्रकार के स्थानों पर नागरिकों के जाने के संबंध में इनमें से किसी आधार पर विभेद करने पर प्रतिबंध लगाता है। स्थानों की इस सूची में सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गए विभिन्न प्रकार के रिहायशी आवास शामिल नहीं हैं।

(घ) रिहायशी आवास के पुराने निर्माणों में मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन

1088. श्री के. पी. सिंह देव :

श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर स्वरोजगार कार्यक्रम की कोई समीक्षा/मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार, योजनावार कितनी प्रगति हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए

ग्रामीण विकास योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और इसे किस तरह प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास के लिए नई योजना शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय फील्ड स्तर पर योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने, कार्यान्वयन के दौरान होने वाली समस्या का पता लगाने ताकि जरूरत पड़ने पर मध्यावधि सुधार किया जा सके और कार्यान्वयन के प्रभाव की जांच करने के लिए समय-समय पर देश भर में केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कराता है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, का समवर्ती मूल्यांकन 2002-2003 के दौरान कराया गया था। इस योजना की मुख्य उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

योजना की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) गरीबों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में आमतौर पर सफल रही है। अधिकांश समूहों में बचत नियमित हैं। स्व-सहायता समूह के सदस्यों ने समूह के साथ सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी आम जागरूकता और जानकारी को बेहतर बनाया है। योजना से सबसे अधिक ग्रामीण महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। एस. जी.एस.वाई. में उनके शामिल होने से, उनके परिवारों के खर्चों के प्रबंधन में उनके आत्मविश्वास में सुधार हुआ है, विचारों के आदान-प्रदान की योग्यता बढ़ी है, सामाजिक बुराईयों से अपने आपको सुरक्षित रखने की क्षमता बढ़ी है और उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना बढ़ी है। महिला स्वरोजगारी अपने दैनिक जीवन पर और अधिक नियंत्रण रखती प्रतीत होती हैं और अपने परिवार के सदस्यों की तुलना में अधिक मजबूत स्थिति में हैं।

कुल 83.51% व्यक्तिगत लाभार्थियों का विचार है कि एस. जी.एस.वाई. क्रियाकलाप से उनके आय को बढ़ाने में मदद मिली है। लगभग 60.59% लाभार्थियों ने सूचना दी है कि एस.जी.एस. वाई. गतिविधियों में जुड़ने से उनकी बचतों को बढ़ाने में भी उन्हें मदद मिली है। कुल व्यक्तिगत लाभार्थियों के तीन चौथाई से अधिक लाभार्थियों ने विचार व्यक्त किया है कि एस.जी.एस.वाई. गतिविधियों के परिणामस्वरूप उनमें स्व-रोजगार की इच्छा जागी है। लगभग 40.34% लाभार्थियों ने दावा किया है कि एस.जी.एस. वाई. गतिविधि शुरू करने के बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है। लगभग 38% लाभार्थियों ने महसूस किया कि स्वरोजगारी बनने के बाद वे अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य एवं शैक्षिक सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं।

एस. जी. एस. वाई. गतिविधियों से अधिकांश लाभार्थियों (58.15%) को स्वरोजगार की इच्छा को पूरा करने में मदद मिली है। यह उत्तरांचल (95.04%) और तमिलनाडु (91.52%) राज्य के प्रतिशत आंकड़ों से साबित होता है। 48.53% स्व सहायता समूहों में एस.जी.एस.वाई. गतिविधि के प्रभाव के रूप में आय में बढोत्तरी देखी गई है। तथापि एस.जी.एस.वाई. का मुख्य उद्देश्य, जो बी.पी. एल. परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, कुछ हद तक ही पूरा हुआ है क्योंकि अधिकांश समूहों ने अभी अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू ही की हैं और इन्हें स्थायी होने में एक या दो वर्ष से अधिक का समय लग सकता है।

[अनुवाद]

गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1089. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए कोई ऋण मुहैया कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में इस ऋण से वित्तपोषित चालू योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जहां तक शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है विश्व बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी गरीबी उपशमन स्कीमों के लिए कोई ऋण मुहैया नहीं कराया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ईरान में उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना

1090. श्री कमलनाथ :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में, विशेषकर ईरान में, गैस आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने की वित्तीय संभाव्यता का अवगमन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना लाभ हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं, वर्तमान में संघ सरकार का ईरान में या किसी अन्य देश में गैस आधारित यूरिया परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी.आई.एल. के कार्य और प्रगति

1091. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीर्घावधि योजना, संरक्षण, अनुसंधान, विकास, उत्पादन और बिक्री के क्षेत्र में आज की तारीख में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए कार्यों और उनमें हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने नई खानों को खोलने और बंद पड़ी खानों को पुनः चालू करने के लिए नया सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कोयला कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कुल कितनी नई कोयला खानें खुलीं और कितनी बंद हुई हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) कोल इंडिया लि. में दीर्घावधि आयोजना, संरक्षण, अनुसंधान तथा विकास और उत्पादन से संबंधित कोल इंडिया लि. की उपलब्धियों और किए गए कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) दीर्घावधि आयोजना :– प्रत्येक पंचवर्षीय योजनावधि के लिए, सी.आई.एल. अपनी अनुषंगियों के साथ मिलकर योजनावधि हेतु योजना पत्र तैयार करती है जिसमें विभिन्न भौतिक और वित्तीय पैरामीटर शामिल हैं। योजना–पत्र पर कोयला मंत्रालय और योजना आयोग में विचार–विमर्श किया जाता है और तब उसे अंतिम रूप दिया जाता है। इसके मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान योजना पत्र की समीक्षा की जाती है।

राष्ट्रीयकरण के बाद से मार्च, 2003 तक सी.आई.एल. में 416 परियोजनाएँ (2 करोड़ रु. तथा उससे अधिक की) स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 331 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 85 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अधीन है।

दसवीं योजनावधि के दौरान, 92 परियोजनाओं को शुरू करने की योजना है।

(ii) संरक्षण : खान आयोजना के दौरान, सुरक्षा पर उचित ध्यान देते हुए कोयला संसाधनों के उपयोग के हेतु इस पक्ष पर विचार किया जाता है। तदनुसार, कार्य की पद्धति का चयन किया जाता है और उपरिशायी, अद्योःशायी कोयला सीमों के खनन तथा उस खान के आस–पास उसी कोयला सीम की खदानों की स्थिति, जिसके लिए योजना प्रस्तावित की गई है, पर उचित ध्यान दिया जाता है। सुरक्षा और संरक्षण के सभी पक्षों पर विचार करके डी.जी.एम.एस. द्वारा योजना को अनुमोदित किया जाता है।

संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से, कोयला उत्खनन हेतु वर्तमान में 87 भूमिगत खानों में रेत भराई की जा रही है।

(iii) अनुसंधान और विकास : दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के हेतु कोयले तथा लिग्नाइट पर कार्य समूह द्वारा योजनावधि में आर. एण्ड डी. हेतु निम्नलिखित दबाव क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है :–

उत्पादन, उत्पादकता तथा सुरक्षा

कोयला अन्वेषण

भूमिगत खनन

ओपनकास्ट खनन

उपकरण विकास

भूमिगत कोयला गैसीयकरण

एस.एस.आर.सी. द्वारा अनुमोदित 44 एस.एण्ड टी. परियोजनाएं, जिनका वित्त–पोषण सरकार द्वारा किया जाता है, क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। इसके अतिरिक्त, सी.आई.एल. द्वारा 16 आर.

एण्ड डी. परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनका वित्त पोषण इसके अपने संसाधनों द्वारा किया जाता है। इनके अलावा, नई एस. एण्ड टी./आर. एण्ड डी. परियोजनाएं भी प्रारंभ की जा रही हैं।

(iv) उत्पादन तथा बिक्री : राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्पादन में कोल इंडिया लिमिटेड की उपलब्धि निम्नानुसार थी :

(आंकडे मिलियन टन में)

	1976–77 (वास्तविक)	2002–03 (वास्तविक)
भूमिगत		
हाथ से	64.87	19.54
मशीनीकृत	0.96	28.88
कुल	65.83	48.42
ओपनकास्ट		
हाथ से	6.71	1.07
मशीनीकृत	16.94	241.20
कुल	23.65	242.27
सी.आई.एल. जोड़	89.48	290.69

जहाँ तक बिक्री तथा विपणन का संबंध है, सी.आई.एल. ने 2002–03 में 289.22 मि.ट. तथा 2003–04 में अक्टूबर, 03 तक 166.08 मि.ट. (अनन्तिम) का उठान प्राप्त किया है। सी.आई.एल. ने उठान में नियमित वृद्धि बनाए रखी और पिछले वर्ष की तुलना में 2002–03 में 2.41% की वृद्धि की। वर्तमान वर्ष में (अप्रैल – अक्टूबर, 03) सी.आई.एल. ने पिछले वर्ष की समान अवधि से उठान में 3.35% की वृद्धि प्राप्त की है।

(ख) और (ग) सी.आई.एल. की एक अनुषंगी, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लि. (सी.एम.पी.डी.आई.) अछूते क्षेत्रों में नई खानों को खोलने और सी.आई.एल. की चालू खानों में नई कोयला सीमों की गुंजाइश का अध्ययन करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ तक बंद खानों को पुनः खोले जाने का संबंध है यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् खानों को बंद किया जाना मुख्यतः खनन योग्य भंडारों के समापन तथा सुरक्षा कारकों, आग तथा जलाप्लावन और तकनीकी–आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण था।

अतः इन खानों को पुनः खोला जाना संभव नहीं है। वर्तमान वर्ष, उपलब्ध तकनोंलॉजी के साथ, पुनः अभियान्त्रिकी के द्वारा कोयले की बची हुई मात्रा का दोहन सींव नहीं है।

(घ) खोली गई नई खानों की कुल संख्या प्रश्न के उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में दिया जा चुका है।

कोयला कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बंद की गई कोयला खानों की कुल संख्या 1.4.2003 को 178 है।

[अनुवाद]

मुम्बई में एमआरटीएस को वित्तीय सहायता

1092. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को मुम्बई में अंधेरी–घाटकोपर अलाइनमेंट के साथ–साथ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता की मांग करने वाला कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई में अंधेरी और घाटकोपर के बीच एक लाइट/रैपिड रेल परिवहन प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है। महाराष्ट्र सरकार से इस प्रस्ताव से संबंधित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है।

फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र

1093. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र के बारे में 22.7.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में फ्लोराइड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ द्वारा फ्लोराईड की अधिकता को कम करने के लिए केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तुत मसौदा परियोजना दस्तावेज और उस पर कुछ विशेषज्ञों की राय पर अगस्त, 2003 में विभाग की आंतरिक बैठक में चर्चा हुई थी। यह निर्णय लिया गया था कि फ्लोराईड की अधिकता को कम करने वाले केन्द्र की स्थापना के लिए विभिन्न विकल्पों की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की जांच की जाए। चूंकि इसमें कई संस्थानों से विस्तृत परामर्श करना

शामिल है, इसलिए इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने की निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं जा सकता है।

स्थानीय निकायों का कार्य-निष्पादन

1094. डा. डी. वी. जी. शंकरराव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रेडिट रेटिंग इनफॉरमेशन सर्विसेज ऑफ इंडियालिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) ने हैदराबाद नगर निगम को देश का सबसे बेहतर नगर निगम का दर्जा दिया है और ई. कवर्नेन्स को क्रियान्वित करने में विजाग नगर निगम को सर्वश्रेष्ठ नगर निगम के रूप अधिनिर्णित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानीय निकायों में प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य स्थानीय निकायों को इन स्थानीय निकायों का अनुकरण करने हेतु कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां। क्रेडिट रेटिंग इनफॉरमेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआरआईएसआईएल) द्वारा सितंबर, 2003 में हैदराबाद नगर निगम तथा विशाखापट्टनम नगर निगम को क्रमशः लेखाकरण सुधारों तथा ई–गवर्नेंस में उनके पहल–प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है। हैदराबाद नगर निगम को सीआर आईएसआईएल द्वारा वर्ष 2001–02 के लिए ए ए + (एसओ) की रेटिंग भी दी गई थी जिसके आधार पर स वर्ष के दौरान वे 82.50 करोड रु. के कर–मुक्त म्यूनिसिपल बांड प्रारंभ कर सके थे।

(ख) इन नगरपालिका निकायों के प्रशासन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :–

- वर्ष–दर–वर्ष राजस्व आय में वृद्धि
- हर वर्ष के बाद पूंजीगत व्यय में वृद्धि
- हर वर्ष के बाद वेतनअनुपात में कमी
- संपत्ति कर की दर बढ़ाए बिना संपत्ति कर एकत्रण में वृद्धि
- सभी संपत्ति कर आकलनों का कम्पयूटरीकरण
- वित्तपोषण में स्वावलंबन
- आंतरिक कार्यकुशलता को सुदृढ़ करना
- पारदर्शिता तथा परिशुद्धता के लिए पूर्णतया कम्पयूटरीकृत तरीके से प्रोद्भवन आधारित दोहरी वित्तीय लेखा प्रणाली में लेखा करना तथा रखना
- सेवाएं मुहैया कराने के लिए अनुक्रिया के समय को कम करने हेतु प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना
- सफाई का 80 प्रतिशत तक निजीकरण
- सिविल कार्यों के निष्पादन में यूटिट दर प्रणाली को अपनाया जाना
- सॉफ्टवेयर का स्थानीय विकास तथा माड्यूलों का एकीकरण जिससे उनके पहल प्रयासों को सुस्थिरता मिलेगी तथा सतत सुधार होगा।

(ग) और (घ) शहरी स्थानीय निकायों को जनता के प्रति और अधिक प्रतिसंवेदी तथा जबावदेह बनाने तथा मानक सुविधाओं के साथ नगरों का विकास करने के साथ–साथ उनकी संसाधन जुटाने की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई हेतु मॉडल म्युनिसिपल कानून म्युनिसिपल सेवाएं देने में म्युनिसिपल निकायों की भूमिका को परिभाषित करने, दोहरी लेखा–पद्धति को अपनाने, उपभोक्ता प्रभार लगाने, म्युनिसिपल सेवाएं देने में निजी क्षेत्र को शामिल करने, संपत्ति कर सुधार करने इत्यादि का प्रयास करता है। इसके अलावा इस मत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों की और अधिक प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में सहायता देने और बेहतर सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास योजना प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन दिशानिर्देश, 1996, संपत्ति कर सुधार दिशानिर्देश, 1998; तथा सरकारी व निजी साझेदारी के लिए ड्राफ्ट दिशानिर्देश भी तैयार किया है तथा राज्यों को परिचालित किया है। शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक कार्यात्मक तथा वित्तीय शक्तियां देकर उन्हें स्व–शासन की सक्षम इकाई बनाने पर जोर डालने के लिए यह मंत्रालय समय–समय पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत उड़ीसा के लिए केन्द्रीय सहायता

1095. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी केन्द्रीय सहायता जारी की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा के कौन–कौन से शहरों में उक्त कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के कार्यान्वयन के

लिए उड़ीसा सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :–

वर्ष	केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
2000–01	245.79
2001–02	245.73
2002–03	254.81

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में शामिल कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

वर्ष 2000–01 से 2002–03 के दौरान एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत उड़ीसा में स्वीकृत कस्बों की संख्या

क्रम संख्या	कस्बों का नाम	जिला
1.	रम्भा	गंजम
2.	बारापाली	बाडगढ़
3.	कांटाबंजी	बोलंगीर
4.	खांडपाड़ा	नयागढ़
5.	खालीकोट	गंजम
6.	हिंहिजलकट	गंजम
7.	पाटनगढ़	बोलंगीर
8.	सोनपुर	सोनपुर
9.	रायरंगपुर	मयूरभंज

सिटी चैलेंज फंड

1096. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नगर स्तर के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को पूरा करने के लिए एक सिटी चैलेंज फंड स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित कोष की कुल राशि कितनी है; और

(घ) इस कोष के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी विकास विभाग ने नगर आह्वान कोष की एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना बनाई है। इस कोष की स्थापना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद ही की जा सकती है।

(ख) नगर आह्वान कोष में नगर स्तर पर निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाने की परिकल्पना की गई है :–

(i) नगर स्तरीय आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को श्रेणीबद्ध करना।

(ii) नगरों का संस्थागत, आर्थिक एवं वित्तीय सुधार।

(iii) साख दार शहरों का सृजन।

(iv) नगर पुनर्निर्माण की परिवर्तन लागत के लिए धनराशि संबंधी आवश्यकता पूरी करना।

नगर आह्वान कोष का आकलन प्रतियोगी आधार पर किया जाएगा। नगरपालिकाएं/शहरी स्थानीय निकायो इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वे कार्रवाई योजना प्रस्तुत कर सकते हैं तथा शहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों को शुरू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं जो कोष के मानदण्ड को पूरी कर सकती है।

(ग) योजना आयोग ने 10वीं योजनावधि 2002–07 के दौरान इस योजना के लिए 500 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

(घ) इस कोष में किसी विशेष कार्यक्रम को पूरा करने की परिकल्पना नहीं है। यह नगर स्तर पर उपरोक्त (ख) में उल्लिखित उद्देश्यों का पता लगाएगा।

उर्वरकों के मूल्य कम किया जाना

1097. श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री भास्करराव पाटील :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार को देश में उर्वरकों के मूल्यों को कम करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हाल ही में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण में परिवर्तन हुए हैं और रियायत मानदंड तैयार किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समय विभिन्न उर्वरकों पर किसानों को कितनी राजसहायता दी जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) यूरिया के वर्तमान अधिकतम खुदरा मूल्य और अन्य उर्वरकों के निदेशात्मक अधिकतम खुदरा मूल्य 28.2.2002 को निर्धारित किए गए थे।

(ग) और (घ) यूरिया इकाईयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना, पूर्ववर्ती प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर दिनांक 1.4.2003 से लागू की गई है। नई मूल्य निर्धारण योजना का कार्यान्वयन चरणों में किया जाएगा। चरण –I दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक की एक वर्ष की अवधि का और चरण –II दिनांक 1.4.2004 से 31.3.2006 तक की दो वर्ष की अवधि का होगा। पश्चातवर्ती चरणों की रूपात्मकताओं का निर्णय चरण–I और चरण–II का कार्यान्वयन करने के पश्चात् किया जाएगा। नई मूल्य निर्धारण योजना का लक्ष्य यूरिया इकाईयों को राजसहायता की अदायगी में और अधिक पारदर्शिता, समानता और दक्षता लाना तथा उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने के लिए स्वयं की ओर से लागत कटौती उपाय करने के लिए प्रेरित करना है।

(ङ) राजसहायता प्राप्त बिक्री मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराकर कृषकों को उर्वरकों पर राजसहायता/रियायत दी जाती है। वर्ष 2002–03 के दौरान यूरिया और नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 11014.52 करोड़ रुपये की राशि राजसहायता/रियायत के रूप में संवितरित की गई है।

लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना के लिए अनापत्ति पत्र जारी किया जाना

1098. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड को गुरहा लिग्नाइट भंडारों को मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पक्ष में जारी करने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं ताकि वह अपनी प्रस्तावित लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना स्थापित कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में मैसर्स नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा कब तक अनापत्ति पत्र जारी किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने दिनांक 3.2.2003 के अपने पत्र संख्या जी.एम./एम.पी. एण्ड जी.ई.ओ./आर.आर.वी.एन.यू.एल./2003 में पहले ही मैसर्स राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को यह सूचित कर दिया है कि वे हडला लिग्नाइट भण्डारों के स्थान पर गुरहा वेस्ट ब्लॉक को राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम (अब राजस्थान राज्य खान तथा खनिज लिमिटेड के साथ समामेलित है) को जारी करने पर सहमत हैं।

डी.डी.ए. द्वारा फ्लैटों के आबंटन में विलंब

1099. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि उन 255 आबंटियों के मुकदमों का खर्चा डी.डी.ए. अधिकारियों के वेतन से वसूल किया जाएगा और डी.डी.ए. भी पीड़ित आबंटियों के नुकसान की आपूर्ति करेगा, जिन्हें निर्धारित अवधि के भीतर अपने फ्लैटों का कब्जा नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) फ्लैटों के आबंटन में विलंब और डी.डी.ए. का नाम बदनाम करने के लिए दोषी पाये गये डी.डी.ए. अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार उनके वेतन से कितनी धनराशि वसूल की गयी;

(घ) क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई भी की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) जी, हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.09.2003 के अपने निर्णय में राज्य आयोग/राष्ट्रीय आयोग के निर्णय का समर्थन किया है, जिन्होंने पांचवीं स्वयं वित्त पोषण स्कीम के याचिकादाता आबंटियों को देरी से कब्जा देने में मामले में आबंटियों की जमा राशि पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 15% की दर से ब्याज का भुगतान करने, प्रत्येक प्रतिवादी को 2000 रुपये की लागत का भुगतान करने तथा इस राशि को अपने अधिकारियों से वसूल करने का आदेश दिया था। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना की जा रही है।

पंचायतों के साथ विलय

1100. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के कर्मचारियों का विलय जिला पंचायतों के साथ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां यह विलय हुआ है, और

(ग) यदि नहीं, तो अन्य राज्यों में विलय कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और प. बंगाल राज्यों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां, (डी आर डी ए) जिला परिषदों के अधीन अलग प्रकोष्ठों के रूप में कार्य कर रही हैं। डी आर डी ए प्रशासन की योजना के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि डी आर डी ए अपनी अलग पहचान बनाए रखेंगी किंतु वे जिला परिषद् की अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। दिशानिर्देशों में डी आर डी ए के कर्मचारियों को जिला परिषदों में मिलाने का प्रावधान नहीं है। वास्तव में, डी आर डी ए में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं होता है और कर्मचारियों को नियत अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर डी आर डी ए में लिया जाना होता है।

पूंजीगत राजसहायता

1101. **श्री भास्करराव पाटील** : क्या **लघु उद्योग** मंत्री 5.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2146 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्रेडिट लिंक्ड कैपीटल सबसिडी स्कीम (सी.एल.सी.एस.एस.) लघु उद्योग और मध्यम स्तर की औषध इकाइयों को पूंजीगत राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन लघु और मध्यम स्तर की औषध इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता करने के लिए कदम उठाए हैं जिनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11.12.2001 के जी.एस.आर.न. 894 के अन्तर्गत अधिसूचना की अनुसूचना के प्रावधानों को कार्यान्वित करना आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) ड्रग्स यूनिटों सहित 30 विशिष्ट उत्पादनों/सब-सैक्टरों से संबंधित स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदित भली प्रकार स्थापित एवं सुधरी हुई प्रौद्योगिकियों के प्रवेश के लिए 28 बैंकों, 12 राज्य वित्त निगमों, 34 सहकारी बैंकों, 31 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से अति लघु यूनिटों सहित लघु उद्योग यूनिटों द्वारा लाभ उठाए गए सांस्थनिक वित्त पर उन्हें 12 प्रतिशत अपफ्रण्ट कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है। पात्र सब्सिडी की गणना स्कीम के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत 40 लाख रु. तक की वास्तविक राशि पर की जाती है। स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर दो नोडल एजेन्सियों अर्थात – भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से किया जा रहा है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.12.2001 के जीएसआर न. 894 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना, ड्रग्ज एवं फार्मास्यूटिकल्ज के लिए गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिसिज (जीएमपी) के लिए प्रावधानों से संबंधित है। ये मौटे तौर पर ड्रग्ज एवं फार्मास्यूटिकल्ज के लिए पात्र भली प्रकार स्थापित एवं सुधरी हुई प्राद्योगिकियों के अन्तर्गत आती है।

(ड) प्रश्न ही नहीं उठता है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार

1102. **श्री अशोक ना. मोहोल :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यापक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने में यह नयी नीति कितनी लाभप्रद रही है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से इन क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाली विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड) गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक महाराष्ट्र में तथा राज्य-वार ऐसी योजनाओं से कितने गरीब लोग लाभान्वित हुए है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां। वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 के दौरान गंभीर सूखे के कारण, सरकार ने निर्णय लिया कि सूखा प्रभावित राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के अंतर्गत निःशुल्क अनाज मुहैया कराया जाए।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु आपदा राहत कोष से उन्हें रिलीज किए गए 136.49 करोड़ रु. के संपूर्ण केन्द्रीय अंशदान के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से 1715 करोड़ रु. (रोजगार सृजन हेतु 900 करोड़ रु. सहित) की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। तत्काल राहत देने के क्रम में, राज्य में राहत रोजगार कार्यों हेतु निःशुल्क 50,000 मी.टन अनाज रिलीज किया गया है।

(ख) और (ड) विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (आज तक) के दौरान राज्यवार सृजित रोजगार के श्रमदिनों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा विशेष घटक के अंतर्गत सृजित श्रमदिनों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख श्रमदिनों में)

क्र.सं.	राज्य	काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2001–02	विशेष घटक 2002–03	विशेष घटक 2003–04
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	1982.48	2269.87	एन.आर.
2	बिहार	एन.आर.	*	*
3	छत्तीसगढ़	180.59	227.43	308.88
4	गुजरात	388.52	एन.आर.	एन.आर.
5	हरियाणा	*	एन.आर.	*
6	हिमाचल प्रदेश	*	22.92	*
7	झारखंड	*	एन.आर.	*
8	कर्नाटक	200.00	1083.50	321.38
9	केरल	एन.आर.	एन.आर.	*
10	मध्य प्रदेश	229.75	436.75	482.40
11	महाराष्ट्र	137.51	एन.आर.	एन.आर.
12	उड़ीसा	301.22	451.15	75.48
13	राजस्थान	810.16	556.79	एन.आर.
14	तमिलनाडु	*	एन.आर.	एन.आर.
15	उत्तर प्रदेश	*	59.08	*
16	उत्तरांचल	*	12.30	*
	कुल	4230.23	5119.79	1188.14

* अनाज रिलीज नहीं किया गया।

एन.आर. –राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई।

दिल्ली किराया नियंत्रण (दिल्ली रेंट कंट्रोल) अधिनियम, 1995

1103. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली किराया नियंत्रण (दिल्ली रेंट कंट्रोल) अधिनियम, 1995 से संबंधित हाल ही में कोई फैसला सुनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि अधिसूचित करने का कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई 2001 की सिविल अपील सं. 3988–89 खारिज कर दी जो केन्द्रीय सरकार को दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 अधिसूचित करने का आदेश देने के संबंध में थी। उक्त फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय लेने से पहले इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का सरकार को हक है और केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम को लागू करने का परमादेश नहीं दिया जा सकता है।

(ग) से (ड) विभिन्न दलों द्वारा दिल्ली किराया अधिनियम 1995 के विरुद्ध आंदोलन किए जाने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद कुछेक प्रावधानों में संशोधन करके इस अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप 28.7.1997 को दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे जाँच और रिपोर्ट हेतु शहरी और ग्रामीण स्थायी समिति के पास भेजा गया था।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत के.बी.के. जिले

1104. श्री परसुराम माझी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार के.बी.के. जिलों में ऐसे ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है जिनको स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सहायता की गयी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार ग्रामीण गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने हेतु इन पिछड़े जिलों में कितने स्व–सहायता समूह (एस.एच.जी.) कार्यरत हैं; और

(ग) तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस. वाई.) की शुरूआत अर्थात् 01.4.99 से लेकर आज तक के.बी.के. जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्व–सहायता समूहों, सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों के वर्ष–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.स.	जिलों का नाम	गठित स्व–सहायता समूह की संख्या						सहायता प्राप्त कुल स्व–रोजगारी					
		1999–2000	2000–2001	2001–2002	2002–03	2003–04 (अक्टूबर तक)	कुल	1999–2000	2000–2001	2001–02	2002–03	2003–04 (अक्टूबर तक)	कुल
1.	बोलांगीर	113	606	3397	438	130	4684	1167	3117	1813	1993	37	8127
2.	कालाहांडी	0	190	122	97	48	457	1595	1331	1821	1763	505	7015
3.	कोरापुट	407	570	439	266	380	2062	2001	2901	2841	2039	982	10764
4.	मलकानगीर	180	0	1109	100	10	1399	1418	1587	1171	562	225	4963
5.	नबरंगपुर	245	1154	1895	1264	1116	5674	1291	3060	2315	2052	48	8766
6.	नवापाडा	6	226	1059	555	54	1900	858	1380	1528	822	23	4611
7.	रायगड	336	773	2409	1710	702	5930	1684	2137	1118	1359	257	6555
8.	सोनपुर	509	471	339	271	250	1840	555	1233	1091	533	89	3501
	कुल	1796	3990	10769	4701	2690	23946	10569	16746	13698	11123	2166	54302

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन में गिरावट

1105. श्री तूफानी सरोज : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों में कोयले का उत्पादन निरन्तर घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2000 से आज की तिथि तक उक्त गिरावट का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह गिरावट वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सभी खानों में आयी है;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन में गिरावट का खानवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुछ खानें गैर–अर्थक्षम हो गयी हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी. एल.) में कोयला उत्पादन में एक बढ़ती हुई प्रवत्ति है। गत चार वर्षों के दौरान वास्तविक कोयला उत्पादन निम्नानुसार है :–

(मिलियन टन में)

वर्ष	उत्पादन
1999–2000	33.86
2000–2001	35.20
2001–2002	37.01
2002–2003	37.82

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हाँ। डब्ल्यू.सी.एल. के अधीन कुछ खानें अव्यवहार्य हो गई हैं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	खान का नाम	प्रकार
2000–2001	छत्तरपुर – I	भूमिगत
	भान्डेवारा	भूमिगत
	शिवपुरी	ओपनकास्ट
	कवाडी	ओपनकास्ट
2001–2002	मना	भूमिगत
	सतपुरा – II	भूमिगत
	मकरधोकरा	भूमिगत
	नेहरिया	भूमिगत
	दमुआ	भूमिगत
	मोहन	ओपनकास्ट
	हरनभट्टा	ओपनकास्ट
	धूपतला	ओपनकास्ट
	छिन्दा	ओपनकास्ट
	न्यू सेठिया	ओपनकास्ट
	दताला	ओपनकास्ट
	पेंच ईस्ट पैच	ओपनकास्ट
2002–2003	तवा	भूमिगत
	पाथाखेड़ा – II	भूमिगत
	पाथाखेड़ा – I	भूमिगत
	एच. लालपेठ	ओपनकास्ट
	काम्पटी	ओपनकास्ट

[अनुवाद]

आवश्यकता से अधिक ली गयी धनराशि की वसूली

1106. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आवश्यकता से अधिक धनराशि लेने के कारण कंपनि: से 50 प्रतिशत धनराशि की वसूली के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन–सी हैं और दवाइयों के नाम क्या हैं और कितनी धनराशि अधिक ली गयी और अब तक सरकार को इन कंपनियों ने कितनी धनराशि का भुगतान किया है; और

(ग) इन कंपनियों से शेष राशि की वसूली के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1.8.2003 में अन्य बातों के साथ–साथ कहा कि "हम इसे न्यायसंगत तथा सही मानते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से निर्णय लिए जाने तक अपीलकर्ता तथा संबंधित सांविधिक प्राधिकारी को "अधिक वसूली गई" राशि का 50% वसूलने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। तदनुसार, अधिक वसूली गई राशि का 50% वसूलने पर हम स्थगन का निर्देश देते हैं बशर्ते प्रत्येक रिट प्र।र्थियों द्वारा देय राशि से संबंधित पत्र प्राप्त होने के चार सप्ताह के अंदर शेष 50% राशि का भुगतान कर दिया जाए।"

सितम्बर, 2003 में राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने जून, 2000 तक प्रत्येक प्रपुंज औषध के सामने दर्शाई गई अधिक वसूली गई राशि का 50% वसूलने के लिए निम्नलिखित कंपनियों को नोटिस जारी किया था :–

क्रम संख्या	प्रपुँज औषध का नाम	कंपनी का नाम	उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 1.8.2003 के आधार पर वसूलने के लिए अधिक वसूली गई राशि का 50% (रु.)
1	2	3	4
1	सलबुटामोल	मैसर्स यूएसवी लिमिटेड	7,07,752
2	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स ओकासा लि.	2,37,08,931
3	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स ओकासा फार्मा लि.	91,05,089
4	थियोफिलीन	मैसर्स ओकासा फार्मा लि.	45,81,155
5	नोरफलोक्सासिन	मैसर्स रेनबक्सी लि.	94,03,039
6	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स रेनबक्सी लि.	99,81,354
7	सिप्रोफ्लोक्सासिन	मैसर्स रेनबक्सी लि.	23,47,00,748

1	2	3	4
8	सलबुटामोल	मैसर्स सिप्ला लि.	39,81,15,194
9	सिप्रोफ्लोक्सासिन	मैसर्स सिप्ला लि.	21,08,39,457
10	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स सिप्ला लि.	4,77,69,384
11	नोरफ्लोक्सासिन	मैसर्स सिप्ला लि.	37,42,16,445

नवम्बर, 2003 में राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने जुलाई 2000 से जुलाई 2003 तक प्रत्येक प्रपुँज औषधि के सामने दर्शाए गए अधिक वसूली गई राशि का 50% वसूलने के लिए निम्नलिखित कम्पनियों को नोटिस जारी किया :–

क्रम संख्या	प्रपुँज औषध का नाम	कंपनी का नाम	उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 1.8.2003 के आधार पर वसूलने के लिए अधिक वसूली गई राशि का 50% (रु.)
1	नोरफ्लोक्सासिन	मैसर्स रेनबक्सी लि.	8,080,942
2	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स रेनबक्सी लि.	7,99,685
3	नोरफ्लोक्सासिन	मैसर्स सिप्ला लि.	257,209,232
4	सिप्रोफ्लोक्सासिन	मैसर्स सिप्ला लि.	239,558,166
5	सलबुटामोल	मैसर्स सिप्ला लि.	270,810,727
6	थियोफिलीन	मैसर्स ओकासा फार्मा लि.	5,894,815
7	क्लोक्सासिलिन	मैसर्स ओकासा प्राइवेट लि.	119,262,500

मैसर्स रेनबेक्सी लेब्स ने जून 2000 तक के लिए सिफ्रोफ्लोक्सासिन आधारित सूत्रयोगों के बिक्री में अधिक वसूली गई राशि का 50% के रूप में रु. 23,47,00,748 (तेईस करोड़ सैंतालिस लाख सात सौ अड़तालीस रुपए) जमा करा दिए हैं।

चूककर्ताओं के खिलाफ कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाही की जाएगी।

संथाली भाषा

1107. श्री सालखन मुर्मू : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में संसद के समक्ष कब तक संशोधनकारी विधेयक लाये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। अन्य बातों के साथ–साथ, संथाली सहित अधिक भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वस्तुपरक मापदण्डों का एक सैट तैयार करने के लिए सिफारिशें करने हेतु श्री सीताकांत मोहापात्र की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सरकार इस समिति की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा इस संबंध में उपयुक्त निर्णय लेगी।

होगनक्कल पेयजल परियोजना

1108. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में लागू की जाने वाली समेकित होगनक्कल पेयजल परियोजना को प्रतिस्थापित करने हेतु कोई वैकल्पिक योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक प्रतिस्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें कार्यरूप देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकार के पास हैं।

तमिलनाडु सरकार ने जापानीज बैंक फॉर इन्टरनेशनल कॉपरेशन (जे.बी.आई.सी.) से वित्तीय सहायता मांगने के लिए तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में कार्यान्वित की जाने वाली कुल 1008 करोड़ रु. के परिव्यय वाली समन्वित होगनक्कल पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना प्रस्तुत की है। राज्य सरकार से मांगी हुई अतिरिक्त जानकारी न मिलने की वजह से यह प्रस्ताव लंबित है। विभाग को जे.बी.आई.सी. से वित्तीय सहायता मांगने के लिए समन्वित होगनक्कल पेयजल परियोजना की जगह राज्य सरकार से कोई वैकल्पिक योजना प्राप्त नहीं हुई है।

मानव अधिकार शिक्षा

1109. श्री सुरेश कुमार : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मानव अधिकार शिक्षा को एक प्रमुख संघटक मानती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया आदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर/डाक्टरेट स्तर के मानव अधिकार कार्यक्रम शुरू करके इसे बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सरकार, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मानवाधिकार शिक्षा को प्रभावकारी तरीकों में से एक मानती है। सरकार ने मानवाधिकार शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पाठ्यक्रम के पुनरभिविन्यास पर कार्रवाई की है ताकि मानवाधिकार के मूलतत्वों को स्कूली शिक्षा में प्रारम्भ किया जा सके। मानवाधिकार पर कार्यक्रम 'ज्ञान दर्शन' के माध्यम से भी प्रसारित किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर और वाचस्पति पाठ्यक्रम चलाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा योजना के तहत विश्वविद्यालयों और कालेजों को संगोष्ठियों, परिसंवाद और कार्यशालाएं आयोजित करने और विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करता है। वर्ष 2002–2003 के दौरान आयोग ने संगोष्ठियां, परिसंवाद और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय और कालेजों के 29 प्रस्ताव अनुमोदित किए है। जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालयों, नई दिल्ली को मानवाधिकार और कर्तव्य शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए सहायता दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस योजना के तहत वाचस्पति स्तर के पाठ्यक्रम पर विचार नहीं करती है।

मेगा सिटी योजना के अंतर्गत धनराशि

1110. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मेगा सिटीज योजना में अवसंरचना विकास के अंतर्गत कोलकाता के लिए कितनी राशि स्वीकृत और जारी की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत किन परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया;

(ग) क्या सभी योजनाएं निर्धारित अवधि के भीतर पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, मेगा शहरों में अवस्थापनात्मक विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा कोलकाता मेगा शहर को धनराशि निम्नानुसार जारी की गई थी :–

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2000–01	19.09
2001–02	25.70
2002–03	26.23

(ख) इस अवधि के दौरान 18 स्कीमें शुरू की गई थीं।

(ग) से (ड) कोलकाता मेट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण तथा कोलकाता मेगा सिटी के लिए नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार इस अवधि के दौरान स्वीकृत स्कीमों की स्थिति निम्नलिखित है :–

(i)	स्वीकृत/प्रारंभ की गई स्कीमों की संख्या	18
(ii)	पूरी हो चुकी स्कीमों की संख्या	3
(iii)	बंद की गई स्कीमों की संख्या	1
(iv)	निर्धारित समय से पीछे चल रही स्कीमो की संख्या	6
(v)	प्रक्रियाधीन स्कीमों की संख्या	8

भूमि संबंधी समस्याओं के कारण स्कीमें पूरी होने में विलंब हुआ है।

दिशानिर्देशों के अनुसार, मेगा शहरों में अवस्थापनात्मक विकास की प्रवर्तित स्कीम के तहत शुरू की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की आवधिक निगरानी करने का उत्तरदायित्व राज्य स्तरीय मंजूरीदाता समिति (एसएलएससी) का है।

परती भूमि का विकास

1111. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में परती भूमि के विकास और प्रबंधन के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बल द्वारा अभी तक कोई प्रारूप नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं। तथापि, सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक कार्य बल द्वारा बंजरभूमि/वाटरशेड विकास के लिए अतिरिक्त निधियाँ जुटाने में ऋणदात्री/वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को बढाने संबंधी उपायों की जाँच की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

लेखन-सामग्री की खरीद

1112. श्री रघुनाथ झा : क्या **उप-प्रधानमंत्री** लेखन–सामग्री की खरीद के बारे में दिनांक 20.12.2002 और 19.08.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5063 और 3583 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अब सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कई सरकारी कार्यालय अभी भी कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के दिनांक 10.02.2000 के कार्यालय–ज्ञापन का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) इस बारे में जानकारी लोक–सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

खेल सुविधाएँ

1113. श्री टी. गोविन्दन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान खेल–कूद अवसंरचना सुविधाओं को सृजित करने/स्थापित करने के बारे में राज्य सरकारों से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हाँ। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सहायता के लिए अनुमोदित राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

विवरण

क्र.स.	राज्य	2000–2001			2001–02			2002–2003		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	19	17	827.04	1	–	–	8	7	342.00
2	असम	4	2	45.63	4	1	30.00	10	3	207.08
3	अरुणाचल प्रदेश	8	2	180.00	13	8	734.33	14	5	660.504
4	बिहार	3	–	–	–	–	–	–	–	–
5	छत्तीसगढ़	–	–	–	6	5	175.91	4	2	173.64
6	दिल्ली	–	–	–	1	–	–	–	–	–
7	गुजरात	1	–	–	1	–	–	1	–	–
8	गोवा	2	–	–	–	–	–	–	–	–
9	हरियाणा	8	1	57.825	21	7	120.755	49	23	170.565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	हिमाचल प्रदेश	10	3	147.779	15	12	185.34	5	3	99.75
11	कर्नाटक	13	6	351.93	17	4	61.00	12	4	92.35
12	केरल	7	4	22.24	3	–	–	6	1	98.00
13	मध्य प्रदेश	19	13	400.27	9	1	95.67	15	6	274.325
14	महाराष्ट्र	15	8	226.85	25	7	459.20	5	–	-
15	जम्मू–कश्मीर	–	–	–	31	19	309.24	5	1	67.50
16	झारखण्ड	–	–	–	1	1	35.452	3	3	167.398
17	मणिपुर	11	6	128.28	5	3	69.98	5	1	1.50
18	मिजोरम	–	–	–	11	5	121.69	1	–	–
19	मेघालय	–	–	–	–	–	–	10	4	162.61
20	नागालैण्ड	10	6	171.60	38	23	80.28	4	–	–
21	उड़ीसा	4	1	60.00	14	8	28.34	10	5	346.50
22	पंजाब	15	14	650.82	1	–	–	3	–	–
23	राजस्थान	5	3	62.515	6	1	20.00	2	2	43.00
24	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	तमिलनाडु	30	28	134.56	5	5	212.47	2	1	60.00
26	त्रिपुरा	–	–	–	1	–	–	5	–	–
27	उत्तर प्रदेश	14	4	97.44	9	4	76.63	10	3	90.195
28	उत्तरांचल	–	–	–	7	7	643.967	4	–	–
29	पश्चिम बंगाल	–	–	–	4	2	21.38	33	28	136.92

टिप्पणी :– जिन प्रस्तावों में कमी पायी गई थी, उन पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका और संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया था।

महिलाओं के लिए स्व-सहायता समूह

1114. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ब्लॉक में बनाए गए स्व–सहायता समूहों में 50 प्रतिशत समूह महिलाओं के लिए होंगे;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार अब तक कितने समूह बनाए गए हैं और उनमें से कितने समूह महिलाओं के लिए ही हैं;

(ग) सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार राज्यवार कितनी महिलाएं इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) अप्रैल, 1999 में योजना की शुरूआत से लेकर अक्तूबर, 2003 तक कुल 16,87,026 स्व–सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनमें 7,92,159 महिला समूह हैं। इस अवधि के

दौरान कुल 17,24,416 महिला स्वरोजगारियों को सहायता दी गई है। गठित महिला समूहों और सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) महिला समूहों के गठन सहित दिशा–निर्देशों के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। महिला लाभार्थियों की कवरेज के लिए दिशा–निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए राज्य सरकारों से समय–समय पर अनुरोध किया जाता रहा है।

विवरण

एस जी एस वाई के अंतर्गत शुरूआत (1.4.99) से लेकर अक्तूबर, 2003 तक महिलाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.99 से अब तक गठित समूह	गठित महिला समूह	सहायता प्राप्त महिला स्व सहायता समूह के सदस्य	सहायता प्राप्त व्यक्तिगत महिला स्वरोजगारी	सहायता प्राप्त कुल महिला स्वरोजगारी
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	414802	307989	271500	41086	312586
2	अरुणाचल प्रदेश	244	43	474	1866	3240
3	असम	81468	25868	48597	4443	53040
4	बिहार	43929	11434	76880	56813	133693
5	छत्तीसगढ़	37916	16850	4811	6941	11752
6	गोवा	332	71	512	470	982
7	गुजरात	110730	26557	6984	23615	30599
8	हरियाणा	6283	3164	11335	28282	39617
9	हिमाचल प्रदेश	5564	2123	13101	4664	17765
10	जम्मू–कश्मीर	7257	57	13381	1847	15228
11	झारखंड	15155	211	31111	13977	45088
12	कर्नाटक	31260	10120	74654	15812	90466
13	केरल	44983	37881	34725	35324	70049
14	मध्य प्रदेश	212740	79162	47837	39941	87778
15	महाराष्ट्र	63953	29600	62530	77902	140432
16	मणिपुर	0	0	0	0	0
17	मेघालय	1519	341	2415	826	3241
18	मिजोरम	870	100	3192	189	3381
19	नागालैंड	898	140	2807	1008	3815
20	उड़ीसा	101603	61644	42983	47578	90561

1	2	3	4	5	6	7
21	पंजाब	2078	1493	6831	5581	12412
22	राजस्थान	22471	8714	2635	59032	61667
23	सिक्किम	447	236	548	1416	1964
24	तमिलनाडु	110944	84074	238073	15011	253084
25	त्रिपुरा	11385	4800	7406	13030	20436
26	उत्तर प्रदेश	275324	41915	49345	71087	120432
27	उत्तरांचल	16276	5363	8350	4995	13345
28	प. बंगाल	65370	31238	53030	33511	86541
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	134	33	493	21	514
30	दादरा व नगर हवेली	0	0	26	0	26
31	दमन व दीव	0	0	0	32	32
32	लक्षद्वीप	2	0	1	5	6
33	पांडिचेरी	1089	938	1122	422	1544
	कुल	1687026	792159	1117689	606727	1724416

भर्ती सुधार संबंधी समिति

1115. श्रीमती प्रभा राव :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सिविल सेवा में भर्ती अभ्यर्थी के किसी एक क्षेत्र जैसे – स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, उद्योग, अर्थशास्त्र और वित्त, संस्कृति, खाद्य और कृषि, विदेशी मामले, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में विशेष योग्यता के आधार पर चयन के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती–प्रक्रिया में सुधार हेतु गठित एक समिति ने पहले भी ऐसी सिफारिशें की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उपर्युक्त (क) पर दिए गए सुझावों और समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती संबंधी मामले में अपेक्षित सुधार करने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) ऐसी सेवाओं में भर्ती करने के लिए पृथक् प्रतियोगी–परीक्षाएँ संचालित की जाती हैं, जिनमें पात्रता की शर्तों के रूप में अपेक्षित अर्हताओं सहित, उम्मीदवारों की विशेषज्ञता अपेक्षित होती है।

(ग) से (च) भर्ती–प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए संघ–लोक–सेवा–आयोग ने, आमतौर पर, कोठारी–समिति के नाम से जानी जाने वाली एक समिति गठित की थी, जिनके माध्यम से बहुत सी अखिल भारतीय परीक्षाओं तथा समूह 'क' और 'ख' केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती की जाती थी। उपर्युक्त समिति ने उस समय मौजूद तीन पृथक् परीक्षाओं के संचालन के स्थान पर, सिविल सेवाओं की परीक्षा के नाम से जानी जाने वाली एक एकीकृत प्रतियोगी परीक्षा संचालित किए जाने की सिफारिश की। सिविल सेवाओं की परीक्षा की योजना की, प्रो. अलग्–समिति द्वारा आगे और समीक्षा की गई है। उपर्युक्त समिति ने भी उच्चतर सिविल सेवाओं में भर्ती की

दृष्टि से उम्मीदवारों का चयन, उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किए जाने की सिफारिश नहीं की है।

संघीय जांच ब्यूरो द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण

1116. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि अमरीका के संघीय जांच ब्यूरो ने साइबर अपराध और संकट प्रबंधन के मामले में देश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है;

(ख) यदि हां, तो संघीय जांच ब्यूरो द्वारा कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या देश में ऐसा प्रशिक्षण देने का कोई प्रबंध नहीं है और क्या सरकार का इरादा विभिन्न अपराध संबंधी मामलों में हमारे अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु अन्य देशों से भी विशेषज्ञों को बुलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उन अधिकारियों की संख्या, जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया था, निम्न प्रकार हैं :–

(i) साइबर अपराध पाठ्यक्रम – 30

(ii) आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम – 29

(ग) और (घ) ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आतंकवादी–रोधी सहायता कार्यक्रम का हिस्सा थे। ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रम विशिष्ट विषयों पर भी आयोजित किए जा रहे हैं।

एन एस सी एन (आई एम) के साथ बातचीत

1117. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के वार्ताकार श्री के. पद्मनाभैया के नेतृत्व में एक दल ने हाल ही में एन एस सी एन (आई एम) के नेताओं के साथ उनकी मांगों के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) से (ग) भारत सरकार और एन एस सी एन (आई–एम) नेतृत्व के प्रतिनिधियों के बीच आखिरी दौर की वार्ता 17–19 सितंबर, 2003 के दौरान हुई थी। अगले दौर की वार्ता 6–9 दिसंबर, 2003 को होनी तय हुई है। नागा मुद्दों का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए एन एस सी एन (आई–एम) नेताओं के साथ बातचीत होती रही है। हालांकि, विचारों के आदान–प्रदान और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हल निकालने के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन बातचीत अनिर्णायक रही।

लीज होल्ड संपत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलना

1118. श्री पवन कुमार बसल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1996 में चंडीगढ़ में आवासीय संपत्ति के लीज होल्ड अधिकारों को फ्री होल्ड में बदलने संबंधी योजना को स्वीकृति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत निर्धारित परिवर्तन प्रभार की दर क्या थी;

(ग) क्या लोगों द्वारा यथानिर्दिष्ट योजना का लाभ उठा सकने से पहले ही परिवर्तन शुल्क में वृद्धि कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शुल्क में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ङ) परिवर्तन प्रभार में वृद्धि के बाद कितने नए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) क्या सरकार ने वाणिज्यिक संपत्ति के लीज होल्ड अधिकारों को फ्री होल्ड में बदलने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तिहाड़ जेल में फिंगर प्रिंट्स

1119. श्री गन्ता श्रीनिवास राव : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि तिहाड़ जेल में कैदी के हर बार जेल से बाहर आने या अंदर जाने पर एक स्केनर द्वारा फिंगर प्रिंटस लेने की प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजना के अंतर्गत आगंतुक को भी लाया जाएगा; और

(घ) इससे जेल तोड़ने की घटना पर नियंत्रण करने तथा आरोपियों का पता लगाने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तिहाड़ जेल परिसर की जेलों में से एक में प्रयोगिक आधार पर बयोमेटरिक अंगुली पहचान प्रणाली स्थापित की है जिससे प्रत्येक कैदी के अंगुली–छाप के साथ–साथ फोटो लिया जा सकता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) इस प्रणाली से उन कैदियों, जिनकी रिहाई के आदेश दिए गए, की उचित रूप से पहचान करने और बार–बार आने वाले कैदियों को पहचानने में मदद मिलने की उम्मीद है।

आंध्र प्रदेश में खेलकूद परिसर का विकास

1120. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान और वर्ष 2003–2004 में अब तक खेल–कूद परिसर विकसित करने हेतु आंध्र प्रदेश को कोई सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों में खेल–कूद संबंधी अवसंरचना का विकास करने हेतु सहायता प्राप्त करने से संबंधित कितने आवेदन सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के अंतर्गत, खेल परिसरों सहित विभिन्न खेल अवस्थापना संबंधी परियोजनाओं के लिए 2002–2003 तथा 2003–2004 (3.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को जारी की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय में आंध्र प्रदेश का कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है। प्राप्त प्रस्तावों जिनमें कमी पायी गयी थी, उन्हें संशोधन एवं पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों को वापस भेज दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का ब्यौरा	जारी किया गया अनुदान
2002-2003		
1	करमचेदू, जिला प्रकासम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी–3	13.74 लाख रु. (पहली किस्त)
2003-2004 (3.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार)		
1	करमचेदू, जिला प्रकासम में इंडोर स्टेडियम श्रेणी–3	4.577 लाख रु. (दूसरी तथा अंतिम किस्त)
2	जिला खेल परिसर, वारंगल में इंडोर स्टेडियम तथा खेल मैदान	30.00 लाख रु. (पहली किस्त)
3	फतेह मैदान, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम	60.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
4	गाचीबॉवली, हैदराबाद में इन्डोर स्टेडियम	60.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
5	गाचीबॉवली, हैदराबाद में आऊटडोर स्टेडियम	18.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
6	गाचीबॉवली, हैदराबाद में तरणताल	60.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
7	युसुफगुडा, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम.	60.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
8	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के समीप साइक्लिंग वैलोड्रोम	24.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
9	सरूर नगर, हैदराबाद में इंडोर स्टेडियम	60.00 लाख रु. (पहली तथा अंतिम किस्त)
10	जिला खेल परिसर, हमामांडा, वारंगल में तरणताल	47.85 लाख रु. (पहली किस्त)
11	निजामाबाद में जिला खेल परिसर में तरणताल	17.50 लाख रु. (पहली किस्त)

[हिन्दी]

हिन्दी महानिदेशालय

1121. डा. चरण दास महंत : क्या **उप प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के मुख्य कार्य क्या हैं;

(ख) क्या इन्हीं कार्यों के लिए इन संस्थानों का विलय कर एक महानिदेशालय सृजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए इन संस्थानों से शिथिलता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने हैं?

'गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो (सी टी बी), असांविधिक मैनुअलों, संहिताओं और प्रक्रिया साहित्य इत्यादि का अनुवाद करता है। यह अनुवाद में प्रशिक्षण भी देता है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सी एच डी), वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी एस टी टी) तथा केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के एच एस), आगरा, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। संक्षिप्त रूप से उनका कार्य निम्न प्रकार है :–

(i) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार, हिन्दी के साथ विदेशी और प्रादेशिक भाषा के शब्दकोषों, हिन्दी भाषा सिखाने की पुस्तकों के प्रकाशन और हिन्दी सिखलाने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों इत्यादि को चलाने के काम में लगा है।

(ii) वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सी एस टी टी), विभिन्न विधाओं के तकनीकी विषयों पर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दकोषों का विकास और उनको अद्यतित करने का काम करता है।

(iii) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (के एच एस) अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों के साथ ही साथ विदेशियों को हिन्दी भाषा और साहित्य में उच्च शिक्षा हेतु सुविधाएं इत्यादि प्रदान करता है।

(ख) चारों संस्थानों के उद्देश्य अलग–अलग हैं। तथापि, व्यय सुधार आयोग (ई आर सी) ने अपनी रिपोर्ट में सी एच डी, सी एस टी टी और के एच एस के विलय का सुझाव दिया है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ई आर सी की सिफारिश की जांच की है और यह मत बनाया है कि इन तीनों संस्थानों के विशिष्ट उद्देश्य अलग–अलग होने के कारण, इन संस्थानों के विलय से इनके कार्यकलापों का फोकस धुंधला जाएगा, यद्यपि ये सामूहिक रूप से हिन्दी को बढ़ावा देने में सहयोग करते हैं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले पर विचार करने के लिए उस मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक विभागीय समिति का गठन किया है।

(घ) कार्यकलापों में आगे और सुधार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर इन तीनों संस्थानों के कार्यकलापों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाता है।

अन्य पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

1122. श्री बाल कृष्ण चौहान : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 29 जुलाई, 2003 के अतारांकित प्रश्न सं. 1168 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्रित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हाँ। अपेक्षित सूचना एकत्रित कर ली गई है। मंत्रालय में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या में से श्रेणी क, ख, ग तथा घ में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	कर्मचारियों की संख्या	संबंधित		
		अन्य पिछड़ी जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	2310	66	337	75
ख	3613	30	656	140
ग	25401	661	4841	1121
घ	22605	518	6502	790

[अनुवाद]

कश्मीरी पंडितों के लिए पृथक क्षेत्र

1123. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2003 में कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि उप–प्रधान मंत्री से मिले और राज्य के अंतर्गत चंडीगढ़ की तरह एक पृथक संघ शासित क्षेत्र की मांग की;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा की गई अन्य मांगें क्या हैं, और

(ग) इस मामले पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) दिनांक 2 सितबर, 2003 को पनुन कश्मीर के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा उनसे अन्य बातों के साथ–साथ, घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए पृथक होमलैंड की मांग की।

(ख) उनके द्वारा की गई अन्य मांगों में, घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की शीघ्र वापसी, कश्मीरी पंडितों की राष्ट्र व्यापी जनगणना, घाटी के प्रवासियों को आयकर के भुगतान से छूट तथा कश्मीरी पंडित युवकों को रोजगार के अवसरों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की स्थापना शामिल है।

(ग) घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए पृथक होमलैंड के सृजन, कश्मीरी पंडितों की राष्ट्र व्यापी जनगणना तथा घाटी से प्रवासी व्यक्तियों को आयकर के भुगतान से पूर्ण छूट आदि मांगें संवैधानिक तथा विधिक अड़चनों के कारण पूरी नहीं की जा सकतीं। जहां तक अन्य मांगों का संबंध है, भारत सरकार राज्य सरकार के निकट सहयोग से उनकी कठिनाई तथा समस्याओं को कम करने के लिए कार्य करती रही है।

कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा बच्चों की भर्ती

1124. श्री जी पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा अपने तथाकथित जेहादी आंदोलन के लिए बच्चों की भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त गतिविधियों से निपटने और इसकी रोकथाम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जैसा कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है आतंकवादी गुटों द्वारा राज्य में अपने सहायता तंत्र के जरिए बेरोजगार भोले–भाले युवकों को अपने तथाकथित जेहादी आन्दोलन के लिए आतंकवादी ग्रुप में शामिल होने के लिए लुभाने की रिपोर्टें हैं। बताया जाता है कि आतंकवादी ग्रुप में भर्ती होने के लिए आर्थिक सहायता के जरिए प्रलोभन ने मुख्य भूमिका अदा की है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आतंकवाद को भड़काने के काम में लगे सभी सक्रिय समर्थकों के विरुद्ध सुरक्षा बलों और आसूचना एजेन्सियों के ठोस प्रयासों के माध्यम से कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा बलों ने इस वर्ष अनेक स्थानीय युवकों को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाया है।

[हिन्दी]

पृथक रेल पटरी का बिछाया जाना

1125. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार शाहदरा–रिठाला खण्ड पर स्थित दिल्ली मेट्रो के त्रिनगर स्टेशन को बाराखम्भा –द्वारका खण्ड पर स्थित मोतीनगर से एक पृथक रेल पटरी बिछाकर जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शाहदरा–रिठाला और बाराखम्भा रोड–द्वारका दो अलग–अलग मेट्रो रेल कॉरीडोर हैं, जो अधिक यातायात वाले क्षेत्रों में बनाए जाने हैं। त्रिनगर (शाहदरा–रिठाला कॉरीडोर पर) और मोतीनगर (बाराखम्भा रोड–द्वारका कॉरीडोर) एक दूसरे से केवल 3 कि.मी. की दूरी पर हैं और वहां तक की आवाजाही के लिए सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधन आसानी से उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

निर्धनों को आवास ऋण और बीमा सुरक्षा

1126. श्री मन्दा जगन्नाथ :

श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

श्री धाडा सुरेश रेड्डी :

श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री के. येरननायडू :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धन ग्रामीणों को आवास ऋण और बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु कतिपय योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनको कब तक क्रियान्वित किया जाएगा;

(ग) इन योजनाओं से कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है; और

(ङ) निर्धनों के लाभ के लिए समष्टि बीमा नीति लागू करने हेतु और क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.4.99 से ऋण सह–सब्सिडी योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें 32000 रु. तक की वार्षिक आमदनी वाले ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए 40,000 रु. तक का ऋण और 10,000 रु. तक की सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2001–02 से ऋण सह–सब्सिडी योजना (सी.सी.एस.एस.) के आबंटन को इंदिरा आवास योजना निधियों के साथ मिला दिया गया है और तदनुसार इंदिरा आवास योजना निधियों का 20 प्रतिशत कार्यान्वयन एजेंसियों के निर्णय के अनुसार उन्नयन घटक या ऋण आधारित मकानों या दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत ऋण का वितरण विभिन्न आवास वित्त संस्थाओं और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी घटक को केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वहन किया जाता है। योजना को कार्यान्वित करने के लिए संस्था का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्रालय ने ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को बीमा प्रदान करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम

1127. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री सुनील खां :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री वरकला राधाकृष्णन :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नए केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम के अनुसार जांच करने वाले अभिकरणों द्वारा संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच आरंभ करने से पहले सरकार से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रावधान के परिणामस्वरूप दोषियों के बीच उनके रैंकों के आधार पर वर्गीकरण होता है;

(ग) क्या यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो और केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की स्वतंत्रता को कम करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003 में गुप्त एकल निदेश–खण्ड के संबंध में 3 नवम्बर, 2003 को सरकार को नोटिस दिया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (च) केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003 की धारा 26 (ग) में, दिल्ली विशेष पुलिस–स्थापन–अधिनियम, 1946 में एक नई धारा 6 क जोड़ दी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित से संबंधित किसी आरोप की, दिल्ली विशेष पुलिस–स्थापन, केन्द्रीय सरकार का पहले अनुमोदन लेकर जाँच–पड़ताल या छान–बीन करने के सिवाय, भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम, 1988 के अनुसार दण्डनीय, अभिकथित रूप से किए गए किसी अपराध के बारे में कोई जाँच–पड़ताल अथवा छान–बीन नहीं करे :

(क) केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों से सम्बद्ध मामले में; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा उसके अनुसार स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनियों, समितियों और सरकार के स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा नियंत्रित स्थानीय प्राधिकरणों में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों से जुड़े मामले में।

उपर्युक्त नई जोड़ी गई धारा 6 क, "एकल निदेश" के नाम से जानी जाती है।

रिट याचिका (सी) संख्या 38/97 – डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो और अन्य में न्याय परामर्शक ने उच्चतम न्यायालय में, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–अधिनियम, 2003

की धारा 26 (ग) के प्रावधानों और दिल्ली विशेष पुलिस–स्थापन–अधिनियम, 1946 – जिसके अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो अपना काम–काज करता है – में नई जोड़ी गई धारा 6क को समाप्त कर दिए जाने का अनुरोध करते हुए लिखित निवेदन दायर किए हैं। 03.11.2003 को इस मामले की सुनवाई करते समय, उच्चतम न्यायालय ने न्याय परामर्शक द्वारा दायर किए गए लिखित निवेदनों के उत्तर दायर किए जाने हेतु चार सप्ताह का समय दिया। इस तरह, यह मामला, इस समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है।

उग्रवादियों द्वारा मोबाइल का उपयोग

1128. **श्री अधीर चौधरी :**

डा. चरणदास महंत :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू–कश्मीर में सीमित मोबाइल फोन सेवा उपलब्ध कराने की अनुमति देने के निर्णय से उग्रवादी गुटों को बढावा मिला है, जैसाकि दिनांक 2.9.2003 के 'दी स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या घाटी में सक्रिय जैश–ए–मुहम्मद एवं अन्य उग्रवादी गुटों ने मोबाइल फोनों के माध्यम से अपना प्रभाव स्थापित किया है; और

(ग) यदि हां, तो उग्रवादी गुटों की उक्त गतिविधियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों के हाथों में मोबाइल फोन दिए जाने की कोई रिपोर्ट ध्यान में नहीं आई है।

सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके सेल्यूलर मोबाइल टेलिफोन सेवा (सी.एम.टी.एस.) के लिए लाइसेंस समझौते में दूर–संचार विभाग द्वारा बहुत सी सुरक्षा शर्तें शामिल की गई हैं। सी.एम.टी.एस. लाइसेंस धारकों से, अन्य बातों के साथ–साथ, ग्राहकों की पहचान का पता लगाने तथा सेवा प्रदान करने से पहले, अपने भावी ग्राहकों से आवेदन और उसके समर्थन में दस्तावेज, प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती हैं। लाइसेंसधारियों से अपने सभी ग्राहकों की सूची मासिक आधार पर सुरक्षा एजेंसियों को अग्रेषित करने की भी अपेक्षा की जाती है।

उपर्युक्त व्यवस्था से सुरक्षा एजेंसियों को मोबाइल फोन के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद

1129. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारी एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्य में आतंकवादियों के फतवे के आगे झुक गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अधिकारियों का यह कदम पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों के बढ़ते प्रभाव का संकेत है;

(घ) यदि हां, तो आतंकवादियों से सरकारी अधिकारियों और आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) से (ङ) इस बारे में कुछ रिपोर्टें हैं। आतंकवादी, अवपीड़क तरीके इस्तेमाल करके आम जनता और राज्य सरकार के अधिकारियों को अपने हुक्म मनवाने के लिए बाध्य करते हैं। केन्द्रीय सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता उपलब्ध कराती रही है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, सेना और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती, सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए समन्वित कार्रवाई, राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्नयन, सुरक्षा सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति और आतंकवादी संगठनों को 'विधि विरुद्ध संगठनों' के रूप में घोषित करना शामिल है। सरकार ने सभी आतंकवादी गुटों को हिंसा का मार्ग त्यागने और संविधान की व्यवस्थाओं के तहत वार्ता के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण और कर्मचारियों के विरुद्ध लंबित मामले

1130. **प्रो. ए. के. प्रेमाजम :**

श्री राम टहल चौधरी :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कई वर्षों से दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि फिलहाल केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार–निरोध ब्यूरो, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के 105 मामले दर्ज किए हैं। इन पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। 15 मामलों में जांच की जा रही है, चार मामलों में अभियोग स्वीकृति की जा रही है तथा 86 मामलों में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है।

कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं

1131. **श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र सरकार द्वारा गठित कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्य–वार और स्थान–वार संख्या कितनी है;

(ख) कार्यरत अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों की प्रयोगशाला–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में ऐसी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय मे पादप संरक्षण महानिदेशालय, क्वारेन्टाइन व भंडारण, फरीदाबाद (हरियाणा) के अधीन दो क्षेत्रीय पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशालाओं की चंडीगढ (केन्द्रशासित प्रदेश) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थापना की है।

केंद्र सरकार द्वारा भारतीय कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 16 के अधीन, एक सांविधिक रेफरल प्रयोगशाला, केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला की भी फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थापना की गई है।

(ख) क्षेत्रीय पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) चंडीगढ़ और कानपुर स्थित क्षेत्रीय पेस्टिसाइड्स प्रयोगशालाएं, पेस्टिसाइड्स की गुणवत्ता पर नजर रखने में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संसाधनों की अनुपूर्ति करती हैं। तथापि, इसका ब्यौरा संलग्न विवरण–II के अनुरूप 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा स्थापित 46 राज्य पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

(ङ) राज्य पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढीकरण करने के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार सहायता अनुदान प्रदान करती है।

विवरण-I

केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रयोगशालाओं में विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की कुल संख्या		
			के.की.प्र. फरीदाबाद	क्षे.पे.प.प्र. चंडीगढ़	क्षे.पे.प.प्र. कानपुर
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त निदेशक	12500–16400	4	1	1
2.	उप निदेशक	10000–15200	8	1	1
3.	सहायक निदेशक	8000–13500	8	–	–
4.	जूनियर बायो–केमिस्ट	8000–13500	1	–	–

1	2	3	4	5	6
5.	प्रशासनिक अधिकारी	6500–10500	–	1	1
6.	पादप संरक्षण अधिकारी	6500–10500	4	2	2
7.	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	5500–9000	2	–	–
8.	इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन	5500–9000	1	–	–
9.	मेकेनिक	5500–9000	1	–	–
10.	वरिष्ठ साइंटीफिक सहायक–II	5500–9000	18	6	6
11.	वरिष्ठ साइंटीफिक सहायक–III	5500–8000	20	2	2
12.	वरिष्ठ साइंटीफिक सहायक–I	4500–7000	2	–	–
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	4000–6000	1	2	2
14.	आशुलिपिक	5000–8000	2	1	1
15.	अवर श्रेणी लिपिक	3050–4590	1	1	1
16.	लेबोरेटरी टेक्नेशियन	3050–4590	7	–	–
17.	लेबोरेटरी अटेंडेंट	3050–4590	20	2	2
18.	ड्राइवर	3050–4590	1	1	1
19.	दफ्तरी	2610–4000	1	–	–
20.	चपरासी	2550–3200	–	1	1
21.	चौकीदार	2550–3200	–	1	1
22.	बेलदार	2550–3200	4	–	–
23.	पशु–गृह परिचर	2550–3200	5	–	–
			111	22	22

कं.की.प्र. – केन्द्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला

क्षे.पे.प.प्र. – क्षेत्रीय पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशाला

विवरण-II

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों की पेस्टिसाइड्स परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	प्रयोगशालाओं की सं.	स्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	राजेन्द्र नगर, गंटुर, अनंतपुर, ताडेपल्लीगुडेम और वारांगल
2.	असम	1	गुवाहाटी

1	2	3	4
3.	बिहार	1	पटना
4.	गुजरात	2	जूनागढ एवं गांधीनगर
5.	हरियाणा	2	करनाल एवं सिरसा
6.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
7.	जम्मू–कश्मीर	2	श्रीनगर एवं जम्मू
8.	कर्नाटक	5	बंगलौर, बेल्लारी, धारवाड, शिमोगा एवं कोटनूर
9.	केरल	1	त्रिवेन्द्रम
10.	मध्य प्रदेश	1	जबलपुर
11.	महाराष्ट्र	4	पुणे, अमरावती, ठाणे एवं औरंगाबाद
12.	मणिपुर	1	मांटीपुखरी
13.	उड़ीसा	1	भुवनेश्वर
14.	पंजाब	3	अमृतसर, लुधियाना एवं भटिंडा
15.	राजस्थान	2	जयपुर, बीकानेर
16.	तमिलनाडु	9	कोयम्बतूर, कोविलपट्टी, इरोड, मदुरै, त्रिची, अदुतराए, सलेम, कुड्डालोर एवं कांचीपुरम
17.	उत्तर प्रदेश	3	मेरठ, लखनऊ एवं वाराणसी
18.	पश्चिमी बंगाल	1	मिदिनापुर
19.	पांडिचेरी	1	पांडिचेरी
	कुल	46	

[हिन्दी]

नशे की स्थिति में वाहन-चलाना

1132. श्री हरिभाई चौधरी :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में युवा नशे की स्थिति में वाहन चलाते हैं जिससे कभी–कभी दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया जिनमें वाहन चालक नशे की स्थिति में था; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान चालान के रूप में उनसे कितना अर्थदंड वसूला गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) ऐसे अवसर हैं जिनमें व्यक्तियों द्वारा नशे की स्थिति में चलाए गए वाहनों से दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए व्यक्तियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाता है।

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान नशे में वाहन चलाने के मामलों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	मामलों की संख्या
2001	1545
2002	2464
2003 (30.11.2003 तक)	2004

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों से वसूल की गई जुर्माने की राशि निम्नप्रकार है :–

वर्ष	वसूल की गई जुर्माने की राशि
2001	5,70,350 रु.
2002	5,36,050 रु.
2003 (30.11.2003 तक)	4,63,150 रु.

तथापि, इसमें उन मामलों में वसूल की गई जुर्माने की वह राशि शामिल नहीं है जो न्यायालयों द्वारा लगाई गई है, चूंकि यह सूचना दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति-योजना अपनाना

1133. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अखिल भारतीय सेवा के कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माँगी है;

(ख) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति–योजना का विकल्प चुनने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कारण बताए गए हैं; और

(ग) पूरी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 04 अधिकारियों ने अखिल भारतीय सेवाएँ (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति–प्रसुविधाएँ) नियम, 1958 के नियम 16 (2क) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति ले ली है। उपर्युक्त नियम के अनुसार, भारतीय पुलिस–सेवा अथवा भारतीय वन–सेवा के किसी भी अधिकारी ने स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्ति नहीं ली है। अखिल भारतीय सेवाओं के उपर्युक्त नियमों के नियम 16(2) के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्ति ले लिए जाने से संबंधित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती, क्योंकि इस नियम के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्ति लेने देने के अधिकार राज्य–सरकारों को दे दिए गए हैं।

(ख) कुछ अधिकारियों ने स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्ति ले लेने के वैयक्तिक कारण बताए हैं, यद्यपि उपर्युक्त नियमों में किसी अधिकारी से स्वैच्छिक रूप से सेवा–निवृत्ति ले लेने का कोई कारण विशेष बताने की अपेक्षा करने का कोई भी प्रावधन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार द्वारा अर्जित लाभ

1134. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सबसे बड़ी उपभोक्ता सहकारी समिति, केन्द्रीय भंडार ने वर्ष, 2002–2003 में वर्ष, 2001–2002 की तुलना में लाभ अर्जित करने में वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेयर धारकों को लाभांश कब तक वितरित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार का वित्तीय वर्ष 2001–2002 और वर्ष, 2002–2003 का सकल और निवल लाभ निम्नानुसार रहा है :–

	वित्तीय वर्ष 2002–2003 (रुपए लाख में)	वित्तीय वर्ष 2001–2002 (रुपए लाख में)
सकल लाभ	1419.53	1284.02
निबल लाभ	596.37	621.52

केन्द्रीय भण्डार की आम सभा ने शेयर–धारकों को वित्तीय वर्ष, 2002–2003 का लाभांश 20% की दर से देना पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

स्वजलधारा योजना

1135. **श्री राम टहल चौधरी :**

श्री लक्ष्मण गिलुवा :

श्री रामशकल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक स्वजलधारा योजना के अंतर्गत कितने जिलों को जिलावार सम्मिलित किया गया है,

(ख) क्या स्वजलधारा योजना का निष्पादन स्तरीय नहीं रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केंद्र सरकार का योजना को समाप्त करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करने के लिए स्वजलधारा को प्रतिस्थापित करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है;

(च) किन राज्यों में स्वजलधारा योजना का निष्पादन संतोषजनक नहीं है; और

(छ) उक्त योजना के उचित कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) स्वजलधारा योजना के तहत अब तक कवर किए गए जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसम्बर, 2002 में स्वजलधारा योजना आरंभ किए जाने के बाद इसे आशातीत सफलता प्राप्त हुई है और इसके अन्तर्गत 20372 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से सरकार ने वर्ष 2002–03 में 4744 प्रस्तावों की जाँच की और उन्हें अनुमोदित किया। योजना को समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन की दृष्टि से वर्ष 2003–04 से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत करने की शक्तियां जिला स्तर पर प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। योजनाओं के लिए पहली किस्त वर्ष 2002–03 में स्वीकृत की गई थीं और वर्ष 2003–04 के लिए हाल ही में रिलीज की गई हैं तथा योजनाओं का निष्पादन शुरू हो गया है/शुरू होने वाला है। इसलिए, अभी स्वजलधारा योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने का समय नहीं आया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्ष 2003–04 के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार आबंटन की जानकारी जून, 2003 में दी गई थी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से जिले–वार आबंटन और अन्य अपेक्षित ब्यौरों की तत्काल जानकारी देने का अनुरोध किया गया था, ताकि विभाग पहली किस्त रिलीज कर सके। तथापि, यह जानकारियाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली और पांडिचेरी से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(छ) जून, 2003 में स्वजलधारा पर व्यापक दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

स्वजलधारा के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

क्र.सं.	राज्य	स्वजलधारा के अंतर्गत कवर किए गए जिलों का नाम
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	कृष्णा, अनंतपुर, कुडप्पा, करीमनगर, कुरनूल, विशाखापतनम, निजामाबाद, प. गोदावरी, मेडक, गुंटूर, अदिलाबाद, रंगारेड्डी, वारंगल, श्रीकाकुलम, खम्माम, महबूब नगर, चित्तूर, विजयनगरम
2	असम	हैलाकांडी, कामरूप, कचार, सिबसागर, करीमगंज, गोलपाड़ा, बारपेटा, बोगाई गांव, दारंग, गोलाघाट, मोरीगांव, नौगांव, नालवाड़ी
3	छत्तीसगढ़	कवर्धा, कोरबा, जांजगीर चांपा, जशपुर
4	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली,
5	गुजरात	आनंद, पंचमहल, साबरकांठा, वडोदरा, बालसाड़, अहमदाबाद, बनासकांठा, भरूच, भावनगर, जूनागढ़, खेड़ा, नर्मदा, पाटन
6	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, अम्बाला, फरीदाबाद, कैथल, महेन्द्रगढ़, पंचकूला, रेवाड़ी, सोनीपत, रोहतक, झज्जर,

1	2	3
7	हिमाचल प्रदेश	मंडी, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, सोलन, चम्बा, बिलासपुर, कांगड़ा
8	कर्नाटक	सिमोगा, हवेरी, तुमकुर, रायचूर, उडूपी, बंगलोर (ग्रामीण), बागलकोट, बंगलोर(शहरी), बेलगांव, बीदड़, बीजापुर, सी.आर.नगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दावनगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, कोडागू, कोलार, कोपल, नांडया, उत्तर कन्नड,
9	केरल	उडूकी, मालापुरम, कोटायम, त्रिचूर, तिरूवनंतपुरम, अरणाकुलम, कन्नूर, कसारगोड़, कोजीकोड, पल्लाकाड,
10	मध्य प्रदेश	भोपाल, धार, टीकमगढ़, कटनी, मंदसौर, देवास, खरगौन, झाबुआ, विदिशा, बालाघाट, बड़वानी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, राजगढ़, शिवनी, शहडोल, शाजापुर, सिधि
11	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बुलदाना, रत्नागिरी, बीड, थाणे, उस्मानाबाद, जलगांव, नागपुर, अहमदनगर, जालना, सितारा, शांगली, हिंगोली, नासिक, कोल्हापुर, सिंधदुर्ग, यावतमल, परभाणी, शोलापुर, पुणे,
12	नागालैंड	दीमापुर, त्वेनसांग, जुनहेबोतो,
13	उड़ीसा	केन्द्रपाड़ा, सम्बलपुर, ढेंकनाल, क्योंझर, बूद, बोलांगीर, भद्रक, बाढ़गढ, मल्कानगिरी, पुरी, कांधमल, जाजपुर, देवगढ, कटक, अंगुल, नबरंगपुर, कालाहांडी, कोरापुट, गजपति, जगतसिंहपुर, झांरसुगड़ा, खुर्दा, मयूरभंज, नयागढ़, नवापाड़ा, फुल्वानरी, रायगढ, सोनपुर,
14	राजस्थान	जयपुर, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारन, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावार, झुन्झनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर,
15	तमिलनाडु	तिरूमनमाली, शिवगंगा, कोयमबटूर, कुडालोर, पुड्डूकोटई, इरोड, कांचीपुरम, धर्मपुरी, बैल्लौर, डिंडीगुल, मदुरै, विरूधूनगर, पेराम्बलूर, करूर, थेनी, बिल्लूपुरम, सीलम, रामानाथपुरम, कन्याकुमारी, नगाईपट्टनम, नामक्कल, नीलगिरी, तजावुर, तिरूचरापल्ली, तिरूवरूर, तिरूवल्लौर, थूथीकुडी, तिरूनलवैल्ली,
16	त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा, दक्षिण त्रिपुरा, ढलाई,
17	उत्तर प्रदेश	आगरा, महोबा, इटावा, बांदा, सोनभ्रद, सुल्तानपुर, मेरठ, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, वाराणसी, बदायूं, चंदौली, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेदकर नगर, औरैया, आजमगढ, बागपत, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही (संत रविदास नगर), बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस (महामायानगर), जे.फुलेनगर, जालौन, (औराई), जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर, खेड़ी, ललितपुर, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मुरादाबाद, पदरौना(के.नगर), पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर
18	उत्तरांचल	देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चम्पावल, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी
19	प. बंगाल	मिदनापुर, बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, कूचविहार, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, मालदा

[अनुवाद]

हरिद्वार जिले का उत्तर प्रदेश के साथ विलय

1136. श्री के. येरननायडू : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लोग उत्तरांचल के हरिद्वार जिले का उत्तर प्रदेश में विलय करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) कुछ संगठन और राजनीतिक पार्टियां जैसे भारतीय किसान यूनियन (बी के यू), समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और हरिद्वार बचाओ संघर्ष समिति, समय-समय पर, मांग करती आई हैं कि उत्तरांचल के हरिद्वार जिले को उत्तर प्रदेश में मिलाया जाए।

(ग) सरकार का उत्तरांचल राज्य के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एल.आई.जी. फ्लैट्स का निर्माण

1137. श्री रामजीवन सिंह :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्राधिकरण ने एल आई जी फ्लैट्स के निमार्ण हेतु कुछ बड़ी कंपनियों को उच्च दर पर ठेके दिए थे जिसके परिणामस्वरूप आबंटन के समय फ्लैट बहुत उंची कीमत पर आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो ठेके की उन दरों को बताते हुए जिस पर ठेका दिया गया, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन कंपनियों को कितने एल आई जी फ्लैटों के ठेके दिए थे और ये फ्लैट वास्तविक अनुमानित लागत के स्थान पर कितनी लागत पर आबंटित किए गए थे;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ठेका देने के लिए जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य का विवरण क्या है; और

(च) अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने पूर्व अर्हता प्राप्त निर्माण एजेंसियों को, रिहायशी इकाई के कुर्सी क्षेत्रफल के 7190 रु. (सात हजार एक सौ नब्बे) प्रति वर्गमीटर की दर पर, टर्नकी आधार पर 350 एम आईजी और 140 एच आई जी फ्लैटों के साथ ही 9611 निम्न आय वर्ग (एलआईजी) फ्लैटों का निमार्ण कार्य सौंपा था। निर्माण कार्य का नाम और स्थल, जिस निर्माण कंपनी को दिया गया है उसका नाम और जिस दर पर निर्माण कार्य दिया गया है, इसका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। 7190 रु. प्रति वर्ग मीटर की उक्त लागत में निम्नलिखित मदें शामिल हैं जिन्हें इस दर के औचित्य पूर्ण निर्धारण के लिए जोड़ा गया था और जिनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना है :-

(i) आवास क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण, समुदाय सदन, सुरक्षाकर्मी के लिए स्थान, शॉपिंग केन्द्र।

(ii) वास्तुशिल्पीय और संरचनात्मक डिजाइनें तैयार करना, सेवाओं की रूपरेखा तैयार करना तथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विद्युत बोर्ड से उन्हें अनुमोदित करवाना, तीन वर्ष की अवधि के लिए मकानों और सेवाओं का रखरखाव करना।

(iii) एक मीटर की गहराई तक भराई, जलापूर्ति के लिए दोहरी पाइप प्रणाली वर्षा का जल एकत्र करना, विद्युत सब स्टेशन का निर्माण और हाई-टेंशन एवं लो-टेंशन लाइनें उपलब्ध करना/ डालना तथा संबंधित सिविक एजेंसियों को सेवाओं का अंतरण करना।

ये मकान अभी निर्माणाधीन हैं और अभी तक इनका आबंटन नहीं किया गया है। फ्लैटों की कीमत आबंटन के समय निर्धारित की जाती है।

(ग) से (च) भूल-चूक से हुई गलतियों के संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त होने के बाद ही किसी व्यक्ति को उनके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग ने बक्करवाला और नरेला की दो टर्न की परियोजनाओं के संबंध में आरोपों की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच पड़ताल पूर्ण हो चुकी है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	एजेंसी	रिहायशी इकाई के कुर्सी क्षेत्रफल की प्रति वर्गमीटर दर
1	बक्करवाला, पॉकेट ए में 1320 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स अहलूवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	7190/–
2	बक्करवाला, पॉकेट बी–1 में 900 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स गेमोन इंडिया लिमिटेड	7190/–
3	बक्करवाला, पॉकेट बी–2 में 900 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड	7190/–
4	बक्करवाला, पॉकेट सी में 1380 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड	7190/–
5	बक्करवाला, पॉकेट डी में 1000 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड	7190/–
6	द्वारका, सेक्टर 14 में 756 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स वी.आर.एम (इंडिया)	7190/–
7	रोहिणी, सेक्टर 18 में 630 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स यूनीटेक लिमिटेड	7190/–
8	नरेला में 2420 एलआईजी मकानों का निर्माण	मेसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड	7190/–
9	वसंत कुंज में 795 मकानों (140 एचआईजी, 350 एमआईजी एवं 305 एलआईजी) का निर्माण	मेसर्स आहलूवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लिमिटेड	7190+ बेहतर सामान के लिए 175 रु.

मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1138. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों के रहन–सहन के स्तर में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मूलभूत सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित वास्तविक रूप में जारी की गई तथा उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : तत्कालीन शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम (यूबीएसपी) सरकार द्वारा दिनांक 1.12.1997 को शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) में मिला दिया गया था। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी निर्धनों के लिए है और इसका उद्देश्य शहरी बेरोजगार अथवा अल्परोजगार निर्धनों को निम्नलिखित के माध्यम से लाभकारी रोजगार मुहैया कराना है (i) शहरी निर्धनों द्वारा स्व–रोजगार उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना तथा (ii) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत आबंटित, जारी तथा खर्च की गई धनराशि के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटित, जारी तथा खर्च की गई धनराशि का राज्यवार व वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000–01			2001–02			2002–03		
		नियतन	जारी	व्यय	नियतन	जारी	व्यय	नियतन	जारी	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	1417.04	1417.04	1417.04	1417.04	331.51	331.51	784.37	904.15#	70.24
2	अरुणाचल प्रदेश	72.82	–	14.86	72.82	–	55.87	58.54	0.00	40.68
3	असम	864.89	63.30	593.41	864.89	–	52.55	476.55	0.00	253.94
4	बिहार	606.30	–	460.84	606.30	–	0.00	427.02	0.00	0
5	छत्तीसगढ़	422.69	422.69	286.62	422.69	128.44	194.30	236.41	236.41	49.95
6	गोवा	35.86	–	34.44	36.86	–	2.50	17.52	0	सूचना नहीं
7	गुजरात	818.01	697.47	1368.20	818.01	166.67	561.88	366.69	1717.07*	335.57
8	हरियाणा	138.77	125.14	264.13	139.77	50.40	261.15	88.39	238.39#	116.99
9	हिमाचल प्रदेश	78.44	56.72	23.24	78.44	23.98	40.92	55.21	63.64#	26.13
10	जम्मू–कश्मीर	89.68	25.34	201.00	89.68	12.81	98.85	62.98	62.98	98.72
11	झारखण्ड	202.10	202.10	0.00	202.10	66.64	0.00	213.37	0.00	सूचना नहीं
12	कर्नाटक	1150.40	168.00	1260.40	1150.40	395.16	1124.51	580.09	668.68#	587.38
13	केरल	389.46	256.50	311.28	389.46	266.23	305.20	261.98	301.99#	150.48
14	मध्य प्रदेश	1143.05	888.59	1188.60	1143.05	304.02	538.09	813.93	683.93	1028.03
15	महाराष्ट्र	2129.23	–	1351.10	2129.23	–	1979.52	1331.81	618.73	1875.47
16	मणिपुर	200.45	–	81.49	200.45	–	111.70	133.72	0.00	240.82
17	मेघालय	123.56	19.00	1.17	123.56	–	0.00	70.10	0.00	सूचना नहीं
18	मिजोरम	128.15	126.77	199.47	128.15	70.52	84.64	91.22	105.15#	91.22
19	नागालैंड	85.13	76.25	154.56	85.13	37.00	87.23	59.67	68.78#	67.75
20	उड़ीसा	375.11	69.24	440.01	375.11	300.00	286.39	330.94	381.48#	232
21	पंजाब	139.42	41.29	169.31	139.42	–	199.52	58.45	67.38#	26.03
22	राजस्थान	643.53	376.08	541.32	643.53	32.64	534.23	349.20	402.53#	218.02
23	सिक्किम	33.48	32.49	69.75	33.48	28.86	24.76	27.07	31.20#	31.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	तमिलनाडु	1529.39	764.70	514.00	1529.39	285.32	764.70	651.70	751.22#	285.32
25	त्रिपुरा	162.00	162.00	0.00	162.00	84.99	236.17	99.17	114.31#	38.14
26	उत्तरांचल	102.97	102.97	95.95	102.97	27.88	43.42	76.18	16.33	0
27	उत्तर प्रदेश	1956.43	1340.78	2047.50	1956.43	733.07	1436.36	1450.29	1671.76#	1297.19
28	प. बंगाल	849.64	826.54	632.84	849.64	293.86	732.30	435.20	501.66#	531.25
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	111.43	–	45.83	111.43	–	77.76	114.30	0.00	9.92
30	चंडीगढ़	102.29	–	11.48	102.29	–	20.57	122.27	269.09#	20.77
31	दादरा व नगर हवेली	27.08	145.00	119.04	27.08	–	138.05	23.91	23.91	233.74
32	दमन व दीव	52.20	–	11.72	52.20	–	11.57	32.52	0.00	5.04
33	दिल्ली	139.96	40.00	22.38	139.96	–	7.25	125.15	0.00	12.3
34	पांडिचेरी	49.04	67.00	41.32	51.04	191.00	45.22	65.85	191.00#	109.69
	कुल	16370.00	8513.00	13980.30	16374.00	3831.00	10388.69	10091.77	10091.77	8083.94

* दंगा प्रभावित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने हेतु गुजरात सरकार को मई, 2002 में 15 करोड रु. प्रदान किए गए हैं।

नान–परफोर्मिंग राज्यों से बेहतर निष्पादन वाले राज्यों को अतिरिक्त राशि अंतरित किए जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि प्रदान की गई।

$ इसमें पुराने यूपीए कार्यक्रमों की अव्ययित राशि शामिल है।

सरकारी परिसरों में अतिक्रमण

1139. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

डा. बलिराम :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी कालोनियों में, विशेषकर मंदिर मार्ग के सेक्टर–डी में, टाइप II और टाइप III के ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले कर्मचारियों ने सरकारी परिसरों पर अपनी आबंटित सीमा से अधिक कब्जा कर रखा है और वहां पर उन्होंने स्थायी रूप से ग्रिल लगा रखी है जिससे अन्य निवासियों को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि जी–प्वाइन्ट, गोल डाकखाना, नई दिल्ली स्थित फ्लैटों/प्लॉटों जिनमें 1984 से पहले पी.एण्ड टी. के कर्मचारी रहते थे, पर सरकारी अधिकारियों ने अतिक्रमण कर रखा है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी परिसरों/फ्लैटों पर इन सभी अवैध कब्जों की भलीभांति जानकारी सी.पी.डब्ल्यू.डी. और एन.डी.एम.सी. प्राधिकारियों को है, किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैव-उर्वरकों का उत्पादन

1140. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का निजी क्षेत्र की सहायता से

जैव–उर्वरकों और जैव नियंत्रित एजेंट्स (बायो कंट्रोल एजेंट्स) का उत्पादन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जैव–उर्वरकों और बायो कंट्रोल एजेंट्स की कमी से देश में किसानों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) भारत सरकार जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रवर्धन के लिए छठी योजना से जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग पर राष्ट्रीय परियोजना संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्यन कर रही है। इस योजना के तहत 122 जैव उर्वरक उत्पादक इकाईयाँ जैव उर्वरकों के उत्पादन में लगी हैं, जिनमें 10525 टन स्थापित क्षमता वाली भारत सरकार समर्थित 83 इकाइयाँ और 7975 टन स्थापित क्षमता वाली 39 निजी इकाईयाँ शामिल हैं। औसत उत्पादन क्षमता 18,500 टन है। तथापि, अनुमानित उत्पादन 10,000 टन/वार्षिक है। जैव उर्वरकों की मांग में वृद्धि होने की स्थिति में उपयोग न की गई उत्पादन क्षमता का उपयोग किया जा सकता है।

जैव नियंत्रक एजेन्टों/जैव कीटनाशकों की मांग को बढ़ावा देने हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी हिस्सों को लाभान्वित करने के लिए जैवनियंत्रक एजेंटों/जैव कीटनाशकों की अधिक उत्पादन इकाईयाँ खोलने के लिए निजी उद्यमियों तथा गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। इन प्रयासों से गाँवों में कृषकों को जैवनियंत्रक एजेन्टों/जैव कीटनाशकों की सुगम और सामयिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जैवनियंत्रक एजेन्टों/जैव कीटनाशकों के अभाव से देश में कृषकों के सामने कोई गंभीर समस्या नहीं आ रही है। केन्द्र/राज्य सरकारों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तथा निजी क्षेत्र में 400 से अधिक जैवनियंत्रक एजेन्ट/जैव कीटनाशक उत्पादन इकाईयाँ इनके बहुलीकरण में लगी हैं।

पोर फ्लश लैटरीन

1141. श्री विष्णु पद राय : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार में 3.27 करोड़ रुपये की लागत से 6262 पोर फ्लश लैटरीन का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या अधिकांश लैटरीन का निर्माण घटिया सामग्री से किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ऋणों पर ब्याज दर

1142. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हडको) ने हाल ही में विभिन्न परियोजना और वैयक्तिक आवास के लिए स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर में संशोधन और कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवास निर्माण और ऋणों की स्वीकृति के लिए हडको के वर्तमान मानदंड क्या हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हाँ। आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) ने दिनांक 19 नवम्बर, 2003 से विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिये गये ऋणों तथा हडको निवास के तहत निजी आवास के लिए व्यक्तियों को दिये गये ऋणों के लिए ब्याज की दर को संशोधित तथा कम किया है।

(ख) लागू किये जाने वाले संशोधित मानकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) हडको वित्तपोषण करने वाली संस्था है और यह विभिन्न आवास तथा शहरी विकास परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है। वास्तविक निर्माण कार्य उधारकर्ता एजेंसियों द्वारा किया जाता है। हडको में वित्तपोषण के लिए प्राप्त परियाजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि परियोजना तकनीकी रूप से ठीक, वित्तीय रूप से व्यवहार्य तथा हडको के लिए वैधानिक रूप से स्वीकार्य पायी गयी तो परियोजना को मंजूरी दी जाती है।

विवरण

विकल्प "क" – ऋण की प्लवमान (फ्लोटिंग) दर

वित्तपोषण पैटर्न

(क) आधार दर (बी आर) (आधार दर अगला संशोधन किये जाने तक लागू रहेगी) 8.50% वार्षिक **

(ख)	हडको निवास को छोड़कर टेकआउट फाइनांस सहित सभी आवास एवं अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ऋण	वित्तपोषण की सीमा तक (%)	निवल वार्षिक ब्याज दर (%) 5 वर्षों तक	10 वर्षों तक	15 वर्षों तक
1	सार्वजनिक एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. आवास तथा कार्य योजना स्कीम	दिशानिर्देशों के अनुसार	बी.आर. से 0.50 कम		
2	सरकारी तथा पुलिस संगठनों द्वारा सीधे उधार लेना	100	बी.आर.	बी.आर.	बी.आर.
3	सरकारी एजेंसियां	85	बी.आर.	0.25	0.50
4	प्रायवेट एजेंसियां/सहकारी एजेंसियां	70	1.00	1.50	2.00

नोट:–** सामान्यतः आधार दर को एक वर्ष में एक बार संशोधित किया जायेगा। तथापि, ब्याज दर में कम से कम 1% का परिवर्तन होने की स्थिति में आधार–दर में प्रत्येक वर्ष दो बार संशोधन किया जा सकता है।

विकल्प "ख" – ब्याज की नियत दर @

वित्तपोषण पैटर्न

(क)	हडको निवास को छोड़कर टेकआउट फाइनांस सहित सभी आवास एवं अवस्थापना परियोजनाओं के लिए ऋण	वित्तपोषण की सीमा तक (%)	निवल वार्षिक ब्याज दर (%) 5 वर्षों तक	10 वर्षों तक	15 वर्षों तक
1	सार्वजनिक एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा ई.डब्ल्यू.एस. आवास तथा कार्य योजना स्कीम	दिशानिर्देशों के अनुसार	8.50	8.50	8.50
2	सरकारी तथा पुलिस संगठनों द्वारा सीधे उधार लेना	100	9.00	9.00	9.00
3	सरकारी एजेंसियां	85	9.00	9.25	9.50
4	प्रायवेट एजेंसियां/सहकारी एजेंसियां	70	10.00	10.50	11.00

नोट: हडको के पास पाँच वर्षों के अंतराल के बाद सभी स्कीमों (मौजूदा स्कीम सहित) पर ब्याज दर को संशोधित करने का विकल्प होगा। तथापि, उन ऋणों के संबंध में, जहां ब्याज दर के पुनर्निर्धारण को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया हो, पांच वर्षों की अवधि पुनर्निर्धारण की तिथि से होगी।

विषय: नियत तथा प्लवमान दर स्कीम, बहुमात्रा ऋण (वल्क लोन) स्कीम के तहत निवासी भारतीयों एवं अनिवासी भारतीयों के लिए ऋणों की दर निवासी भारतीयों के लिए ऋणों की फीस तथा हडको निवास के अन्य प्रचालन मानकों में संशोधन–एच.एन.का.ज्ञा. –08–2003

I. ब्याज दरः–

(क) नियत दर स्कीम के तहत निवासी भारतीयों को ऋण :–
(दिनांक 18.11.2003 से लागू)

ऋण का उद्देश्य	मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर*
– निर्माण के लिए		
– खरीद		
– कम्पोजिट ऋण	9.50/9.75/10.00%	8.25/8.50/8.75%
– प्लॉट की खरीद		
– विस्तार/सुधार		
– मौजूदा आवास का रजिस्ट्रेशन		
गैर–रिहायशी परिसरों के लिए व्यवसायिकों को ऋण	11.00% (दस वर्षों तक)	9.75% (10 वर्षों तक)
रिहायशी संपत्ति पर ऋण	11.00% (5 वर्षों तक)	9.75% (10 वर्षों तक)

1. *पहला आंकड़ा 1 से 5 वर्षों तक, दूसरा आंकड़ा 6 से 15 वर्षों तक तीसरा आंकड़ा 16 से 25 वर्षों तक के लिए है।

2. अधिकार देने वाली प्रक्रिया के तहत कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ब्याज दर में कटौती के मौजूदा लाभ वापस ले लिए माने जायेंगे।

ख. प्लवमान दर स्कीम (फ्लोटिंग रेट स्कीम) के अंतर्गत निवासी भारतीयों को ऋण :–
(18.11.2003 से 31.3.2004 तक प्रभावी)

ऋण का प्रयोजन	मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर*
– निर्माण के लिए		
– खरीद		
– कम्पोजिट ऋण		
– प्लॉट की खरीद	9.50%	8.25% (25 वर्षों तक)
– विस्तार/सुधार		
– मौजूदा आवास का रजिस्ट्रेशन		

*संशोधित दरें संशोधन के बाद स्वीकृत नए ऋणों व पूर्व स्वीकृत उन ऋणों पर लागू होगी। जहां 18.11.2003 से पूर्व करार का निष्पादन नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा व नए ऋणों के संबंध में ब्याज दर में छः माही समायोजन 01.04.2004 से प्रभावी होगा, जिसके लिए नई दरें मार्च, 2004 में अधिसूचित की जाएगी।

ग. नियत दर स्कीम के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को ऋण :–
(18.11.2003 से प्रभावी)

ऋण का प्रयोजन	मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *
– निर्माण के लिए		
– खरीद		
– कम्पोजिट ऋण		
– प्लॉट की खरीद	9.75%/10.00%	8.50%/8.75%
– विस्तार/सुधार		

पहली दरें 1-5 वर्षों के लिए हैं और दूसरी 6-10 वर्षों के लिए है।

घ. प्लवमान दर स्कीम के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों को ऋण :–
(18.1.2003 से 31.3.2004 तक प्रभावी)

ऋण का प्रयोजन	मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *
– निर्माण के लिए		
– खरीद		
– कम्पोजिट ऋण		
– प्लॉट की खरीद	9.50% (25 वर्षों तक)	8.25% (10 वर्षों तक)
– विस्तार/सुधार		

*संशोधित दरें संशोधन के बाद स्वीकृत नए ऋणों व पूर्व स्वीकृत उन ऋणों पर लागू होगी, जहां 18.11.2003 से पूर्व करार का निष्पादन नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा व नए ऋणों के संबंध में ब्याज दर में छः माही समायोजन 01.04.2004 से प्रभावी होगा, जिसके लिए नई दरें मार्च, 2004 में अधिसूचित की जाएगी।

ड. बहुमात्रा ऋण स्कीम (बल्क लोन स्कीम) (निर्धारित ब्याज दर)
(18.11.2003 से प्रभावी)

(क) राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पैरा – स्टेटल/लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बहुमात्रा ऋण स्कीम :–

मौजूदा ब्याज दर	संशोधित ब्याज दर *	अदायगी अवधि (वर्ष)
9.50%	8.25%	5 वर्ष तक
9.75%	8.50%	6–10
10.00%	8.75%	11–15

* अधिकार देने वाली प्रक्रिया (एम्पावरिंग मैकेनिज्रम) के अंतर्गत ब्याज दरों में कटौती के मौजूदा लाभ वापस लिए हुए समझे जाएंगे। तथापि, राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पैरास्टेटल/लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बहुमात्रा ऋण के लिए अधिकार प्रदत्त तंत्र के अंतर्गत प्रक्रमण और प्रशासनिक शुल्क 0.15% होगा।

(ख) अन्य आवास वित्त कंपनियों, जिनकी रेटिंग "एए" से कम न हो, के लिए बहुमात्रा ऋण स्कीम (बल्क लोन स्कीम)

मौजूदा ब्याज दर ("एए" रेटिंग कंपनी के लिए)	मौजूदा ब्याज दर ("एएए" रेटिंग कंपनी के लिए)	संशोधित ब्याज दर ("एए" रेटिंग कंपनी के लिए)	संशोधित ब्याज दर ("एएए" रेटिंग कंपनी के लिए)	अदायगी अवधि (वर्ष)
10.00%	9.75%	8.75%	8.50%	5 वर्ष तक
10.25%	10.00%	9.00%	8.75%	6–10
10.50%	10.25%	9.25%	9.00%	11–15

नोट: हडको किसी भी आवास वित्त संस्थान, जिसकी रेटिंग "ए ए" से कम है, बहुमात्रा ऋण नहीं देगा।

निवासी भारतीयों के लिए प्रक्रमण और प्रशासनिक शुल्क (18.11.2003 से प्रभावी)

	मौजूदा शर्तें	संशोधित शर्तें *
निवासी भारतीयों के लिए व्यक्तिगत ऋण	0.6% (0.2% प्रक्रमण शुल्क (पीएफ) और 0.4% प्रशासनिक शुल्क (एएफ)	निवासी भारतीय ऋणों के लिए कोई प्रक्रमण शुल्क नहीं होगा। निवासी भारतीयों के लिए स्वीकृत ऋण राशि का 0.50% शुल्क होगा।
निवासी भारतीयों के लिए व्यक्तिगत ऋण	अर्ध सैनिक बलों व पुलिस सहित सशस्त्र बलों के कार्मिक विधवाओं, विकलांगों, कलाकारों, पत्रकारों, महिलाओं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए 0.4% (02% प्रक्रमण शुल्क तथा 0.2% प्रशासनिक शुल्क)	अर्ध सैनिक बलों व पुलिस सहित सशस्त्र बलों के कार्मिक विधवाओं, विकलांगों कलाकारों, पत्रकारों, महिलाओं तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत ऋण राशि का 0.30% प्रशासनिक शुल्क होगा।

* अधिकार देने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत निवारी भारतीयों को कुछ श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत ऋणों के लिए प्रशासनिक शुल्क 0.30% होगा। प्रशासनिक शुल्क के अधिकार देने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत लाभ के पात्र आबंटियों/कर्मचारियों के समूह में वर्तमान 20 व्यक्तियों को घटाकर 10 व्यक्ति किया गया समझा जाएगा।

* अनिवासी भारतीयों के लिए प्रक्रमण और प्रशासनिक शुल्क, राज्य सरकारों/राज्य सरकारों के पैरा– स्टेटल/लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बहुमात्रा ऋण तथा अन्य आवास वित्त संस्थानों के लिए बहुमात्रा ऋण वही रहेगा अर्थात क्रमशः 1.25%, 0.25% तथा 0.40%।

ऋण की अन्य निबंधन व शर्तें उपर्युक्त के अलावा वही रहेंगी। ये संशोधित ब्याज दरें 18.1.2003 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों के संबंध में लागू होगी, जहा 17.11.2003 तक करार निष्पादन नहीं किए गए हैं। आपसे अनुरोध है कि हडको निवास के "प्रोसीजरल गाइडलाइंस एंड ऑपरेशनल मैनुअल की पुस्तिका के अनुलग्नक–ख–I–के (पृष्ठ 359), अनुलग्नक–जी–II–क (पृष्ठ 167 व 173) मद 1.1 (ख) (पृष्ठ 11), मद 1.6 (पृष्ठ 14 व 15), मद 1.10 (पृष्ठ 18), मद 1.16 (पृष्ठ 23) मद 1.17 (पृष्ठ 25), मद 10.5 व 10.6 (पृष्ठ 154, 155 व 156), अनुलग्नक एन–V (पृष्ठ 411) में आवश्यक परिवर्धन/संशोधन तथा अन्य अपेक्षित परिवर्तन करें। प्लवमान ब्याज दरों पर ऋणों के संबंध में 18.11.2003 को या उसके बाद स्वीकृत ऋणों तथा पूर्व में स्वीकृत उन ऋणों पर उपर्युक्त दरें 18.11.2003 से 31.3.2004 तक लागू हैं, जहां 17.11.2003 तक करार निष्पादन नहीं हुए हैं।

ये दरें उन ऋणों पर लागू नहीं है, जो पहले से वितरित किए जा चुके हैं और जहां 18.11.2003 से पूर्व करार निष्पादित किए गए हैं।

[अनुवाद]

बाह्य स्रोतों से कोयले का उत्पादन

1143. श्री बसुदेव आचार्य : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड जैसी विभिन्न कोयला कंपनियों में बाह्य स्रोतों से कोयला उत्पादन आरम्भ किया गया है तथा किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में बाहर काम कराने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के विनिवेश पर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय भी कोयला उद्योग में बाहर से काम कराने की अनुमति देता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) ई.सी.एल., बी.सी.सी.एल. तथा सी.सी.एल. में निम्नलिखित स्थानों में कोयले के उत्पादन के लिए उपकरण को किराए पर लेकर बाह्य स्रोतों से कार्य कराना आरम्भ कर दिया गया है।

ई.सी.एल. : चार छोटे ओपनकास्ट पैच अर्थात शंकरपुर ओ. सी. पैच, बिलपहाड़ी ओ.सी.पैच, पटमोहोना, ओ.सी. पैच, तथा खोइराबाद ओ.सी.टी. पैच।

बी.सी.सी.एल. : तीन पैच अर्थात मुरलीडीह, कल्याणचक तथा खासकुसुन्डा।

सी.सी.एल.: सतही खनिकों द्वारा अशोक ओ.सी.पी. तथा के. डी.एस. ओ.सी.पी.

निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत उपकरण को किराए पर लिया गया है :–

1. पैच डिपाजिट्स जिनमें छोटा भंडार होता है तथा अधिक ऊपरी लागत के साथ किफायती तौर पर काम नहीं किया जा सकता।
2. पैच डिपोजिस्ट्स, जहां केवल मौसमी खनन किया जा सकता है।
3. धन की कमी के कारण पर्याप्त क्षमता की अनुपलब्धता, और
4. अवैध खनन पर रोक लगाना तथा आग के खतरों से सुरक्षा प्रदान करना एवं अन्य सुरक्षा सम्बन्धी समस्याओं से निबटना

(ग) और (घ) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अन्तर्गत उपकरण किराए पर लेने की अनुमति नहीं दी गई है।

(ङ) और (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों का लाभ

1144. श्री के. पी. सिंहदेव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) और कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों द्वारा कंपनीवार कुल कितनी शुद्ध लाभ राशि अर्जित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन अनुषंगी कंपनियों द्वारा कंपनीवार संबंधित राज्य सरकारों को कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया;

(ग) इन वर्षों में कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों, कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और बाह्य विकास पर अनुषंगी–कंपनी वार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य कंपनियों ने इन वर्षों में राज्य सरकारों को बाढ़, तूफान और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कोई योगदान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुषंगी कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम.सी.एल.) तथा कोल इंडिया लि. की अन्य अनुषंगियों द्वारा अर्जित किए गए कर पूर्व लाभ की राशि नीचे दी गयी है:–

(करोड़ रुपए में)

कम्पनी	2002–03 लाभ(+)/हानि (–)	2001–2002 लाभ(+)/हानि (–)	2000–01
ई.सी.एल.	(–)338.78	(–)277.64	(–)917.19
बी.सी.सी.एल.	(–)507.13	(–)755.00	(–)1276.70
सी.सी.एल.	(+)384.65	(–)108.32	(–)792.91
एन.सी.एल.	(+)1293.01	(+)1387.34	(+)1025.05
डब्ल्यू.सी.एल.	(+)472.52	(+)310.20	(+)28.23
एस.ई.सी.एल.	(+)882.13	(+)768.87	(+)116.92
एम.सी.एल.	(+)882.31	(+)719.60	(+)641.35
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	(+)1.99	(+)2.80	(–)3.81
सी.आई.एल./एन.ई.सी.	(+)280.08	(+)561.80	(+)280.21
उप – जोड़	(+)3,350.78	(+)2609.65	(–)898.85
घटाएं – अनुषंगियों से लाभांश	(–)485.28	(–)855.09	515.62
कुल	(+)2865.50	(+)1754.68	(–)1414.47

(ख) वर्ष 2000–01 से 2002–03 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि. की संबंधित अनुषंगी कोयला कम्पनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को अदा की गई रायल्टी की राशि के संबंध में सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों के कर्मचारी और प्रबंधन सदैव बाढ़, चक्रवात तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में संकट के समय सहायता करने के लिए आगे आते हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2000–01 से 2002–03 के दौरान राज्य–वार तथा कोयला कंपनी–वार अदा की गयी रायल्टी

वर्ष	कोयला कंपनी का नाम	राज्य का नाम									
		पश्चिम बंगाल	बिहार	झारखंड	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	असम	कुल (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000–01	ई.सी.एल.	9.67	42.46	26.94							79.07
	बी.सी.सी.एल.	0.40	206.67	54.62							261.69
	सी.सी.एल.		143.66	112.68							256.34
	डब्ल्यू.सी.एल.					48.91		220.79			269.70
	एस.ई.सी.एल.					296.25	139.07				435.32
	एम.सी.एल.				253.95						253.95
	एन.सी.एल.					229.79			131.48		361.27
	एन.ई.सी.									7.80	7.80
	कुल	10.07	392.79	194.24	253.95	574.95	139.07	220.79	131.48	7.80	1925.14
2001–02	ई.सी.एल.	10.16		63.19							73.35
	बी.सी.सी.एल.	0.29		250.33							250.62
	सी.सी.एल.			257.67							257.67
	डब्ल्यू.सी.एल.					49.98		229.45			279.43
	एस.ई.सी.एल.					116.90	348.34				465.24
	एम.सी.एल.				267.00						267.00
	एन.सी.एल.					224.00			135.59		359.59
	एन.ई.सी.									7.48	7.48
	कुल	10.45	–	571.19	267.00	390.88	348.34	229.45	135.59	7.48	1960.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002–03 (अनंतिम)	ई.सी.एल.	10.08		72.42							82.50
	बी.सी.सी.एल.	0.25		218.51							218.76
	सी.सी.एल.			358.99							358.99
	डब्ल्यू.सी.एल.					55.19		258.13			313.32
	एस.ई.सी.एल.					138.85	424.39				560.24
	एम.सी.एल.				310.73						310.73
	एन.सी.एल.					240.80			149.33		390.13
	एन.ई.सी.									7.93	7.93
	कुल	10.33		649.92	310.73	431.84	424.39	258.13	149.33	7.93	2242.60

विवरण-II

क. चिकित्सा तथा सामुदायिक/परिधीय विकास के व्यय सहित कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम पर व्यय की गई राशि

(लाख रु. में)

अनुषंगी का नाम	2000–01	2001–02	2002–03 (अनंतिम)
ई.सी.एल.	21467.00	19596.00	24887.00
बी.सी.सी.एल.	24321.00	22302.00	24546.00
सी.सी.एल.	14574.00	13958.00	13951.00
डब्ल्यू.सी.एल.	20572.00	18807.00	22116.00
एस.ई.सी.एल.	27368.00	29133.00	31467.00
एम.सी.एल.	7390.00	7971.00	8773.00
एन.सी.एल.	19198.00	17333.00	18161.00
एन.ई.सी.	1578.00	1477.00	1729.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	1023.00	866.00	1156.00
कुल	137481.00	131443.00	146786.00

ख. चिकित्सा व्ययों का ब्यौरा (क में शामिल)

(लाख रु. में)

अनुषंगी का नाम	चिकित्सा सुविधाएं		
	2000–01	2001–02	2002–03 (अनंतिम)
1	2	3	4
ई.सी.एल.	1162.43	1070.64	1194.00
बी.सी.सी.एल.	1027.39	1209.24	1067.00
सी.सी.एल.	949.69	920.20	1740.00

1	2	3	4
डब्ल्यू.सी.एल.	1437.49	1497.09	1614.00
एस.ई.सी.एल.	1651.33	2002.69	2774.00
एम.सी.एल.	499.71	522.14	514.00
एन.सी.एल.	1473.19	1655.43	634.00
एन.ई.सी.	298.86	389.49	103.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	185.10	207.31	231.00
कुल	8885.19	9474.23	9871.00

ग. सामुदायिक/परिधीय विकास से संबंधित व्यय का ब्यौरा (क में शामिल)

(लाख रु. में)

अनुषंगी का नाम	सामुदायिक/परिधीय विकास हेतु		
	2000–01	2001–02	2002–03 (अनंतिम)
ई.सी.एल.	56.95	49.28	50.93
बी.सी.सी.एल.	43.24	21.65	43.41
सी.सी.एल.	56.25	50.34	61.51
डब्ल्यू.सी.एल.	74.78	66.72	76.29
एस.ई.सी.एल.	225.34	352.68	551.00
एम.सी.एल.	369.58	270.38	466.31
एन.सी.एल.	86.19	376.43	178.96
एन.ई.सी.	7.48	15.73	8.08
कुल	919.81	1203.21	1436.49

विवरण-III

प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अंशदान के ब्यौरे

1.	उड़ीसा का चक्रवात	:	प्रधानमंत्री राहत कोष में 7.00 करोड़ तथा 1.85 करोड़ रु. वस्तु के रूप में
2.	उड़ीसा में बाढ		2.20 करोड़ वस्तु के रूप में
3.	पश्चिम बंगाल में बाढ़		पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री राहत कोष में 1.10 करोड़ रु.
4.	बिहार में सूखा		बिहार मुख्य मंत्री राहत कोष में 0.30 करोड़ रु.
5.	सूखा राहत राजस्थान तथा गुजरात		प्रधानमंत्री राहत कोष में 1.00 करोड़
6.	गुजरात का भूकंप	:	प्रधानमंत्री राहत कोष में 12.00 करोड़

आदर्श म्युनिसिपल लॉ

1145. डा. एन वेंकटस्वामी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार लेखा क्षेत्र में सुधार हेतु "आदर्श म्युनिसिपल लॉ" बनाने हेतु विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि शहरी स्थानीय निकायों की नगरपालिका लेखा प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाने में राज्य सरकारों की मदद के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया। कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों के लिए बजट और लेखा शीर्षों के समुचित संहिताकरण व वर्गीकरण के साथ नगरपालिका लेखों और बजट प्रपत्रों का सुझाव दिया है। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार स्थानीय शासन राज्य का विषय है। अतः कार्यदल की रिपोर्ट सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित कर दी गई है ताकि स्थानीय निकाय स्तर पर नगरपालिका लेखा प्रणाली में अपेक्षित सुधार किए जा सकें। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एक मॉडल नगरपालिका कानून भी प्रकाशित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नगर-पालिका लेखा सुधारों के लिए प्रावधान है। मॉडल नगरपालिका कानून बनाते समय राज्यों से परामर्श लिया गया था तथा राज्यों ने आदर्श नगरपालिका कानून तैयार करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है।

योग को प्रोत्साहन

1146. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनीराम शांडिल्य : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में योग को प्रोत्साहन देने और विकास हेतु योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में योग को प्रोत्साहन देने और विकास हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनका कार्यनिष्पादन क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यों द्वारा कितनी निधियों का उपयोग किया गया है;

(घ) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खानों में कम्प्यूटरीकरण

1147. श्री अनन्त नायक : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खानों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खानों में इस प्रणाली को कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खनन में कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक व्यावसायिक प्रस्ताव है जिसके लिए खान मालिक स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं। अतः सरकार का खानों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण आवास और पर्यावास पर कार्यशाला

1148. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष के दौरान "कापार्ट" के सहयोग से ग्रामीण आवास और पर्यावास पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कार्यशाल के आयोजन के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार ने गत वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी एजेंसियों को कितनी धनराशि आबंटित की है;

(घ) क्या सरकार को गैर-सरकारी संगठनों विशेषकर कर्नाटक राज्य से धनराशि के दुरुपायेग के संबंध में कोई शिकयतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) 18-19 अक्टूबर, 2002 को नई दिल्ली में कापार्ट के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजि की गई। कार्यशाला का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत सरकारी और गैर-सरकारी

एजेंसियों को अवसरों और निधि की उपलब्धता के बारे में जागरूक बनाना और सरकारी गैर सरकारी संगठन के बीच विचार–विमर्श को बढ़ाने के लिए और उन महत्वपूर्ण मुद्दों (नीति और कार्यान्वयन दोनों स्तरों पर) जिन पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों को तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, की पहचान के लिए मंच प्रदान करना है।

(ग) ग्रामीण आवास और पर्यावास विकास के अभिनव चरण और ग्रामीण निर्मिती केन्द्र नामक 2 आवास योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर–सरकारी संगठनों को निधियां रीलीज की जाती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, परियोजना आधारित ग्रामीण आवास योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को वर्ष 2002–03 के दौरान 258.86 लाख रु. और 2003–04 के दौरान (अब तक) 68.49 लाख रु. रीलिज किए जा चुके हैं।

(घ) गैर–सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कर्नाटक राज्य से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत निधियां

1149. श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री तूफानी सरोज :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत कुछ राज्यों को वित्तीय सहायता रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्यवार क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों के बारे में कोई अनुमान लगाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार और भारतीय जीवन बीमा निगम और किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं को कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) जी, नहीं, निधियां पात्रता के अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद रिलीज की जाती हैं।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क निर्माण का कार्य राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जाता है और राज्य सरकारें प्रगति पर निगरानी की समीक्षा करती हैं। केन्द्र स्तर पर राज्य सरकारों के साथ आवधिक समीक्षाएं भी की जाती हैं। सभी राज्यों के साथ पिछली बार समीक्षाएं नवम्बर, 2003 में नई दिल्ली, तिरूवनन्तपुरम और कोलकाता में की गई थीं।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कार्यक्रम के उद्देश्य अर्थात् दसवीं योजना अवधि (2007) के अंत तक 500 व्यक्तियों अथवा उससे अधिक की आबादी वाली सड़कों से न जुड़ी सभी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 60,000 करोड़ रु. की आवश्यकता पड़ेगी। अंतिम अनुमान राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए कोर नेटवर्क के सत्यापन का कार्य पूरा हो जाने के बाद उपलब्ध होगा।

(छ) और (ज) कार्यक्रम के लिए मौजूदा वित्तपोषण केन्द्रीय सड़क कोष में डीजल उपकर के 50% अंश के आधार पर किया जाता है। इस तरह के बजट आबंटन नीचे दिए अनुसार हैं:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2000–2001	2500
2001–2002	2500
2002–2003	2500
2003–2004	2325

2004–2005 और अनुवर्ती वर्षों के लिए बजट का निर्धारण वर्ष दर वर्ष किया जाता है। इस कार्यक्रम के लिए अब तक जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा कोई निधि स्वीकृत नहीं की गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का निलम्बन

1150. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002–2003 और 2003–2004 के दौरान 30 नवम्बर, 2003 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के किन–किन अधिकारियों को विभिन्न डी.डी.ए. घोटालों में निलम्बित किया गया है;

(ख) किन–किन अधिकारियों को इस आधार पर बहाल कर दिया गया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सका था; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की असफलता के क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि वर्ष 2002–2003 तथा 2003–2004 (30.11.2003 तक) के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के आठ अधिकारियों को निलम्बित किया गया। निलम्बित अधिकारियों के नाम हैं:– (i) श्री सुभाष शर्मा, पूर्ववर्ती उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण, (ii) श्री आनन्द मोहन सरन, पूर्ववर्ती आयुक्त (भूमि निपटान), दिल्ली विकास प्राधिकरण, (iii) श्री जगदीश चन्द्र, निदेशक (भूमि), दिल्ली विकास प्राधिकरण, (iv) श्री विजय रिसबुड, आयुक्त (नियोजन), दिल्ली विकास प्राधिकरण, (v) श्री आर.के. शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, दिल्ली विकास प्राधिकरण, (vi) श्री एस.के. भारद्वाज, सम्बद्ध सहायक, दिल्ली विकास प्राधिकरण, (vii) श्री के.आर. पन्त, फील्ड अन्वेषक, दिल्ली विकास प्राधिकरण, और (viii) श्री बदर मजीद, कनिष्ठ अभियन्ता, दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री सुभाष शर्मा को छोड़कर, शेष सात अधिकारी अभी भी निलम्बित हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जिसने श्री शर्मा के मामले की समीक्षा की थी, द्वारा अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन व अपील), नियमावली के नियम 3 के उप नियम 8 के अंतर्गत गठित समिति की सिफारिशों पर श्री सुभाष शर्मा को पुनः बहाल कर दिया गया है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उनकी ओर से कोई चूक नहीं हुई है तथा किसी विशेष मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल करने के लिए जांच एजेंसी पर कोई बाध्यता नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की संगत धारा 167 के अनुसार, यदि कोई भी अपराधी 10 वर्ष तथा उससे अधिक अवधि के लिए दण्डनीय अपराध की सजा हेतु जांच के दौरान गिरफ्तार किया जाता है तो 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाईल करनी होती है जिसके न करने पर अपराधी संबंधित न्यायालय से जमानत प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। 10 वर्ष से कम अवधि की सजा वाले किसी दण्डनीय अपराध के मामले में, चार्जशीट 60 दिनों के भीतर फाईल करनी होती है जिसके न करने पर अपराधी जमानत का पात्र हो जाता है। इस वैध प्रावधान का सीधा संबंध अपराधी के निलम्बन को वापस लेने से नहीं है, यह संबंधित प्रशासनिक विभाग के विवेक पर निर्भर करता है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लागत संशोधन

1151. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से विशेषकर महाराष्ट्र राज्य से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण हेतु प्रति इकाई लागत में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, हां। मंत्रालय को, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तरांचल राज्य सरकारों से इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए प्रति इकाई सहायता में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) योजना के तहत प्रति इकाई सहायता की मात्रा में क्रमिक संशोधन के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

कोयला उत्पादन में कमी

1152. श्री परसुराम माझी :

श्री टी. गोविन्दन :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के दौरान देश में विभिन्न स्थानों में कोयले के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भूमिगत खानों से कोयले के उत्पादन मे गत वर्षों से कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या श्रेणी ए के कोकिंग कोल और श्रेणी बी के नान कोकिंग कोल जैसे उन्नत श्रेणी के कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने कोयला प्रयोक्ताओं पर इसके प्रभाव की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो कोयले की उक्त श्रेणियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 2001–02 की तुलना में 2002–03 में कोयले का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल में ही कम हुआ है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

(मिलियन टन में)

राज्य	कंपनी	2001–02 (वास्तविक)	2002–03 (वास्तविक)
पश्चिम बंगाल	ई.सी.एल.	17.31	16.17
	बी.सी.सी.एल.	0.57	0.60
	कुल	17.88	16.77

वर्ष 2002–03 में कम उत्पादन का कारण कुछ खानों में निष्कर्षण योग्य भंडार का समापन तथा भूमि अधिग्रहण की समस्या है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ड) भंडारों के समापन के कारण उच्चतर गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले के उत्पादन में कमी हुई है। ग्रेड "बी" नॉन कोकिंग कोयला उत्पादन के संबंध में इसे 2002–03 के 21.81 मिलियन टन से बढ़ाकर 2006–07 में 25.16 मिलियन टन किए जाने की योजना है। ग्रेड "ए" कोकिंग कोयले की कोई श्रेणी नहीं है।

(च) और (छ) भारतीय कोयला अपनी ड्रिफ्ट उत्पत्ति के कारण सामान्यतः उच्च राख तत्व वाला होता है क्योंकि विरचना स्तर के दौरान कोयला पदार्थ खनिज पदार्थ के साथ घुल–मिल जाता है। इसके अलावा, भारत में निम्न राख तत्व वाले कोकिंग तथा नान–कोकिंग कोयले के भंडार सीमित है। तथापि, उपभोक्ता उच्चतर ग्रेड के कोकिंग कोयले और नान–कोकिंग कोयले के "ए" तथा "बी" ग्रेड का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि कोयला सामान्य खुला लाइसेंस के अंतर्गत है। उच्चतर ग्रेड के कोयले के भंडारों के समापन के कारण इस कोयले का उत्पादन सीमित है। तथापि, धनबाद–पाथरडीह रेलवे लाइन के नीचे अवरुद्ध धातुकर्मीय कोयले के कुछ भंडार इस लाइन के ढहाने के पश्चात् उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन में वृद्धि के लिए 10वीं योजना के दौरान बरमो ओपन कास्ट तथा टोपा ओपनकास्ट और 11वीं योजना अवधि के दौरान केदला ओपन कास्ट में वाशरी ग्रेड कोकिंग कोयले वाली तीन परियोजनाओं की योजना बनाई गई है।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

1153. डा. बलिराम : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने औषध नीति पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश में शामिल किए जाने हेतु 354 औषधियों की सूची प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या यह सच है कि एक गैर–सरकारी संगठन ने केन्द्र सरकार से एड्स और कैंसर के इलाज हेतु 118 और दवाओं को नियंत्रित सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (छ) सरकार ने फरवरी, 2002 में "भेषज नीति 2002" की घोषणा की। तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर में दायर एक जनहित याचिक के परिणामस्वरूप 12.11.2002 को एक आदेश हुआ जिसने सरकार की भेषज नीति 2002 की मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने पर रोक लगा दी। इस विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की जो एस.एल.पी.(सी.) सं. 3668/2003 के रूप में स्वीकृति हुई है। उच्चतम न्यायालय ने अपने 10.3.2003 के आदेश के अंतर्गत सरकार को अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्देश दिए कि "हम इस आदेश के कार्यान्वयन को उस सीमा तक निलंबित करते हैं जैसा कि इसमें निर्देश दिया गया है कि नीति दिनांक 15.2.2002 को लागू नहीं किया जाए। तथापि हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता आवश्यकता और जीवन रक्षक औषधों को मूल्य नियंत्रण के बाहर नहीं जाने देना सुनिश्चित करने के बारे में विचार करे और समुचित मानदंड तैयार करे तथा आगे यह भी निर्देश दिए कि वह 2 मई, 2003 तक ऐसी औषधों की समीक्षा करे जो आवश्यक और जीवन रक्षक प्रकृति की हैं।" स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आवश्यक औषध सूची, 1996 की समीक्षा के बाद एक, आवश्यक औषधियां, 2003 की राष्ट्रीय सूची प्रकाशित की है।

अखिल भारतीय औषध कार्रवाई नेटवर्क (ए आई डी ए एन) ने देश में औषधों की उपलब्धता, युक्तिसंगतता, मूल्यनिर्धारण और स्वास्थ्य देखरेख आदि से संबंधित अनेक मामलों को उठाते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका सं. 428/2003 दायर की है।

अ.पि.व. हेतु रोजगार के अवसर

1154. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अ.पि.व. के कर्मचारियों की संख्या विशेषकर समूह क और ख में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में अ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों (ओ.बी.सी.) की कुल संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

संगठन/सार्वजनिक उपक्रम	समूह ए	समूह बी	समूह सी	समूह डी	जोड़
कोयला नियंत्रक का संगठन (सी.सी.ओ.)	शून्य	शून्य	4	1	5
भुगतान आयुक्त (सी.ओ.पी.)	शून्य	शून्य	1	1	2
कोल इंडिया लि. (सी.आई.एल.)	1189	3059	79486	32889	116623
नेयवली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एन.एल.सी.)	2147*	429*	9365*	2903*	14844*

* इन आंकडों में यू.आर/ओ.बी.सी. शामिल हैं। 50% से अधिक ओ.बी.सी. श्रेणी के हैं। वास्तविक संख्या को निर्दिष्ट नहीं किया जा सका क्योंकि ओ.बी.सी के संबंध में समुदाय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना 8 सितम्बर, 1993 से पूर्व भर्ती किए गए ओ.बी.सी. के लिए आवश्यक नहीं था। तथापि, 8 सितम्बर, 1993 से अद्यतन तिथि तक, एन.एल.सी. में ओ.बी.सी. श्रेणी के 3638 व्यक्तियों को भर्ती किया जा चुका है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सूचना नीचे दिए अनुसार है:–

सी.सी.ओ. ए और बी समूह के सभी पदों को या तो पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति के द्वारा भरा जाता है। अतः ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण लागू नहीं है

सी.ओ.पी. इस संगठन में 1993 से कोई रिक्ति नहीं है।

सी.आई.एल. पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, समूह ए, बी, सी तथा डी में ओ.बी.सी. की 116623 की कुल संख्या की तुलना में, 4248 कर्मचारी समूह ए तथा बी के हैं।

एन.एल.सी. समूह ए तथा बी में ओ.बी.सी. की संख्या अपेक्षित संख्या के 50% से अधिक है।

(ङ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अधीनस्थ कार्यालय ओ.बी.सी. की भर्ती हेतु दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।

(च) और (छ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग को आगे प्रेषित किए जाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपक्रमों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त की जाती हैं।

[हिन्दी]

दसवीं योजना अवधि के दौरान त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम हेतु आबंटन

1155. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय योजना हेतु 900 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की जानी है;

(ग) वर्ष 2002–03 के दौरान और वर्ष 2003–04 में अब तक विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र द्वारा वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के लिए योजना आयोग द्वारा किए गए वार्षिक आबंटन के अनुसार राज्य–वार और वर्ष–वार आबंटन का वर्ष–दर–वर्ष आधार पर निर्णय लिया जाता है। दसवीं योजना अवधि के पहले दो वर्षों (आज तक) के दौरान महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को मंत्रालय द्वारा दी गई निधियों तथा राज्य वार वार्षिक आबंटन तथा राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ए यू डब्ल्यू एस पी के अंतर्गत और निधियां प्रदान करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय
केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (यूएडब्ल्यूएसपी)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय अंश का वार्षिक आबंटन		जारी केन्द्रीय अंश		कुल	उपयोग की गई राशि (प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र 30.11.2003 की स्थिति के अनुसार)
		2002–03	2003–04	2002–03	2003–04 (30.11.03 तक)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	382.19	438.76	385.90	149.55	535.45	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.09	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	608.35	698.39	571.60	249.94	821.54	0.00
4.	बिहार	336.27	386.05	419.05	315.47	734.52	26.32
5.	छत्तीसगढ़	339.72	390.00	430.52	168.70	599.22	414.17
6.	गोवा	73.45	84.32	75.29	0.00	75.29	0.00
7.	गुजरात	627.80	720.72	664.47	720.72	1385.19	113.43
8.	हरियाणा	244.46	280.65	579.94	280.64	860.58	286.66
9.	हिमाचल प्रदेश	91.81	105.40	297.60	0.00	297.60	0.00
10.	जम्मू–कश्मीर	57.38	65.88	0.00	65.88	65.88	0.00
11.	झारखंड	250.20	287.23	445.97	0.00	445.97	335.62
12.	कर्नाटक	756.34	868.28	1055.35	782.49	1837.84	1055.35
13.	केरल	270.86	310.95	268.21	268.21	536.42	31.40

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मध्य प्रदेश	1418.56	1628.52	1236.46	1451.23	2687.69	0.00
15.	महाराष्ट्र	743.72	853.79	563.76	563.70	1127.46	0.00
16.	मणिपुर	192.55	221.05	174.80	139.53	314.33	0.00
17.	मेघालय	36.28	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	100.46	115.33	46.57	46.57	93.14	0.00
19.	नागालैंड	47.44	54.46	85.42	0.00	85.42	85.42
20.	उड़ीसा	469.41	538.89	254.81	409.36	664.17	0.00
21.	पंजाब	257.08	295.14	0.00	36.09	36.09	0.00
22.	राजस्थान	720.76	827.44	568.48	335.28	903.76	332.25
23.	सिक्किम	13.95	16.02	83.97	83.97	167.94	99.98
24.	तमिलनाडु	717.31	823.48	813.16	609.18	1422.34	813.16
25.	त्रिपुरा	128.37	147.37	241.66	147.37	389.03	91.81
26.	उत्तर प्रदेश	2655.79	3048.88	2426.09	2105.40	4531.49	773.63
27.	उत्तरांचल	185.93	213.45	320.97	0.00	320.97	0.00
28.	प. बंगाल	376.45	432.17	184.95	152.73	337.68	0.00
	कुल	12195.00	14000.00	12195.00	9082.01	21277.01	4459.60

[अनुवाद]

दिल्ली में सड़कों का रखरखाव

1156. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री 19.8.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3656 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सड़कों की हालत में विशेषकर नेहरू प्लेस, नजफगढ़ से झड़ौदा कलां, महिपालपुर और उत्तम नगर तक कब तक सुधार किए जाने और उन्हें उपयोग योग्य बनाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। अपेक्षित सूचनाएं निम्न प्रकार हैं:–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोक निर्माण विभाग और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सड़कों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए निर्धारित धनराशि का समुचित रूप से उपयोग किया जाता है। यह भी सूचित किया गया है कि भारी वर्षा के दौरान अल्पावधि के लिए जल भराव हो जाने के कारण सड़कों के गड्ढ़ों पर यातायात रुक गया था गत्यावरोध दूर करने के लिए पानी को पम्प से निकाला गया दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने सूचित किया है कि उनके क्षेत्रों की सड़कें अच्छी हालत में हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि आमतौर से खराब सड़कों से वाहन सस्पेंशन, एलायनमेंट एवं शॉक आब्जर्वर्स में कठिनाइयां होती हैं। तथापि, इस बारे में उन्हें कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

जब भी छोटे–बड़े गड्ढ़े, दरारें होती हैं, उनकी मरम्मत कर दी जाती है। सड़कों की दशा सुधारने के लिए, लोक निर्माण विभाग का प्रस्ताव दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए सड़कों के अनुरक्षण के अलावा, बरसाती पानी की निकासी प्रणाली को सुधारने का है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वाल्ड सिटी में सड़कें सीमेंट व कंक्रीट से बनाई जाती हैं। चूंकि कंक्रीट सड़कों के प्रावधान से अधिक लागत की समस्या होती है, अतः कंक्रीट सड़कों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) ने सूचित किया है कि नेहरू प्लेस

की सड़क जो मोदी मिल, ओखला से नेहरू प्लेस तक बाह्य रिंग रोड का एक भाग है, उपयोगी एवं संचालन योग्य है। तथापि, सेवाओं व केन्द्रीय सीमा संबंधी कुछ निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नजफगढ से झडोदा कलां तथा महिपालपुर सड़क तक और उत्तम नगर अर्थात् नज़फगढ़ सड़क मे जनकपुरी से ककरोला तक सड़क के गड्ढों सहित भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सभी सड़कों की मरम्मत कर दी गई थी और सितम्बर 2003 के अंत तक उन्हें सड़क यातायात योग्य बना दिया गया है।

अधिकारी और कर्मधारीवृंद अनुपात

1157. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समूह 'क' के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या के बीच कोई निर्धारित अनुपात है;

(ख) यदि हां, तो अवर सचिव/उप सचिव/ निदेशक/ संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव/सचिव के पदों के लिए क्या अनुपात निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी कार्यालयों में इस अनुपात का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कार्मिक और वित्त–विभाग से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की छूट के लिए क्या अपवाद की स्थितियाँ निर्धारित की गई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्रीय सचिवालय–सेवा समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों के निम्नलिखित संख्यक पद रखकर, उपर्युक्त सेवा हाल ही में पुनर्गठित कर दी गई है:

निदेशक	110	समूह 'क'
उप सचिव	330	समूह 'ख''
अवर सचिव	1400	समूह 'क'
अनुभाग अधिकारी	3000	समूह 'ख'
सहायक	4904	समूह 'ख'

(ख) किसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में समूह 'क' के पदों की संख्या, उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की कार्यात्मक अपेक्षाओं और/अथवा प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(ग) ऊपर प्रस्तुत (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पदों (पदों) का सृजन, वित्त–मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग से परामर्श करके, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन

1158. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण विकास राज्य मंत्रियों का सिक्किम में पांचवा सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक असम तथा इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में योजनावार, राज्यवार आबंटित तथा जारी केन्द्रीय निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अब तक राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य ग्रामीण विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन 5 सितम्बर, 2003 को गंगटोक, सिक्किम में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिए गये थे:

- प्रदेश के राज्यों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए परिवहन सब्सिडी दी जाएगी।
- ऐसी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है, को डी.आर.डी.ए. बिल्डिंगों के निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी तथा प्रदेश में नई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को एक नया वाहन तथा कम्प्यूटर खरीदने के लिए सहायता दी जाएगी।
- मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में प्रदेश के विभिन्न राज्यों में परम्परागत निकायों का पता लगाने के लिए कार्रवाई करेगा।

(ग) और (घ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी. एस.वाई.) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) तथा ग्रामीण जल आपूर्ति (आ.र. डब्ल्यू.एस) अर्थात् ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए विगत तीन वर्षों और अब तक राज्यवार आबंटित और रिलीज की गई केन्द्रीय निधियों और की गई प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

2000–2001 के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज तथा निधियों का उपयोग

वर्ष 2000–2001

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एस.जी.आर.वाई–I				एस.जी.आर.वाई.–II				एस.जी.आर.वाई			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	406.80	812.95	1274.12	1064.19	456.91	367.68	612.05	428.11	276.91	99.26	362.90	179.93
2	असम	10546.62	5273.31	8086.60	5880.31	11872.04	0.00	2487.00	1426.61	7195.18	0.00	2209.46	2071.74
3	मणिपुर	707.18	478.58	697.76	308.27	795.90	530.58	762.10	108.36	482.36	24.94	24.94	असूचित
4	मेघालय	792.68	500.88	736.63	420.90	891.69	763.61	1244.92	811.86	540.42	23.89	364.80	88.94
5	मिजोरम	183.36	183.36	552.29	517.00	206.33	206.33	280.30	330.54	125.06	62.56	154.50	110.48
6	नागालैंड	543.30	403.52	1040.94	1025.17	611.66	454.48	624.98	807.16	370.70	174.94	348.85	143.40
7	सिक्किम	203.84	403.84	625.50	625.09	228.45	228.45	304.67	248.45	138.45	136.83	216.71	151.69
8	त्रिपुरा	1276.22	1276.22	1616.30	1401.74	1437.02	1437.02	1916.98	1908.67	870.92	860.44	1301.13	1231.26
	कुल	14660.00	9332.66	14630.14	11242.67	16500.00	3988.15	8232.00	6069.76	10000.00	1382.86	3682.16	3977.44

वर्ष 2000–2001

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	आई.ए.वाई.				आर.डब्ल्यू.एस			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	अरुणाचल प्रदेश	726.86	519.91	939.20	875.29	4389.00	2206.50	2206.50	2163.45
2	असम	16354.79	8177.40	15532.56	11991.24	7372.00	5759.78	7407.96	6053.00
3	मणिपुर	866.65	326.45	490.81	104.34	1475.00	0.00	329.88	76.36
4	मेघालय	1151.46	498.65	844.03	804.58	1869.07	1797.15	2122.93	1519.67
5	मिजोरम	276.42	251.97	407.91	412.96	1226.00	1161.99	1176.65	1175.80
6	नागालैंड	743.31	660.31	991.12	682.67	1275.00	822.61	1324.33	1195.54
7	सिक्किम	199.28	199.28	287.23	273.06	650.00	325.00	1351.12	513.18
8	त्रिपुरा	1681.23	1681.23	2263.92	2271.35	1521.00	1521.00	1521.00	1580.00
	कुल	22000.00	12315.20	21756.78	17415.49	19777.07	13294.03	17440.37	14277.00

कुल उपलब्ध निधियों में से निधियों के उपयोग में वर्ष के दौरान रिलीज तथा वर्ष के शुरू में अधशेष शामिल हैं।

2001–2002 के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज तथा निधियों का उपयोग

वर्ष 2001–2002

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एस.जी.आर.वाई.–I				एस.जी.आर.वाई.–II				एस.जी.एस.वाई			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन निधियां	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	519.21	592.30	892.00	298.20	519.38	556.49	937.77	733.83	164.76	106.34	356.55	185.57
2	असम	13490.96	13490.97	17934.38	12103.40	13495.28	13495.28	18434.55	11145.93	4281.13	3328.48	4553.31	2989.44
3	मणिपुर	904.42	523.72	523.72	असूचित	904.72	399.45	639.56	287.16	287.00	13.02	13.02	असूचित
4	मेघालय	1013.29	833.84	1232.50	492.09	1013.61	835.53	1505.11	1281.81	321.55	83.38	485.61	305.43
5	मिजोरम	234.48	334.48	574.95	475.54	234.54	304.90	411.36	331.42	74.41	64.17	111.51	101.77
6	नागालैंड	695.06	695.06	721.54	171.61	695.29	750.98	1049.22	324.39	220.57	69.98	200.21	65.99
7	सिक्किम	259.60	259.60	387.58	170.00	259.69	337.59	452.22	279.75	82.38	82.38	156.02	231.06
8	त्रिपुरा	1632.98	1604.69	2436.14	2396.72	1633.50	2075.78	2778.13	2166.52	518.20	622.08	1189.36	1116.40
	कुल	18750.00	18334.66	24702.81	16107.56	18756.01	18756.00	26207.92	16550.81	5950.00	4369.83	7065.59	4995.66

वर्ष 2001–2002

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	आई.ए.वाई.				आर.डब्ल्यू.एस			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	अरुणाचल प्रदेश	555.06	527.56	1048.29	822.02	4476.00	2455.91	2474.96	2365.67
2	असम	12489.11	8621.13	15675.78	10974.00	7561.00	5357.67	6712.63	5125.00
3	मणिपुर	661.80	334.36	445.81	असूचित	1643.00	821.50	1075.02	517.23
4	मेघालय	879.29	441.45	775.31	460.15	1760.00	1215.51	1672.00	1518.38
5	मिजोरम	211.09	174.34	243.02	223.78	1257.00	1634.10	1634.95	1255.48
6	नागालैंड	567.62	583.81	824.38	622.27	1308.00	1700.40	1700.40	1700.40
7	सिक्किम	152.17	133.82	240.30	237.31	536.00	696.80	696.80	696.80
8	त्रिपुरा	1283.85	1669.01	2225.35	1713.38	1559.00	2026.70	2026.70	1578.94
	कुल	16799.99	12485.48	21478.24	15052.91	20100.00	15908.59	17993.46	14757.90

कुल उपलब्ध निधियों में से निधियों के उपयोग में वर्ष के दौरान रिलीज तथा वर्ष के शुरू में अधिशेष शामिल हैं।

2002–2003 के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज तथा निधियों का उपयोग

वर्ष 2002–2003

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एस.जी.आर.वाई.–I				एस.जी.आर.वाई.–II				एस.जी.एस.वाई			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	493.74	331.12	907.27	798.29	493.24	508.89	919.35	321.73	127.10	78.06	279.37	162.50
2	असम	12810.39	11470.02	19746.95	16049.33	12816.04	11026.94	17123.01	13171.07	3302.59	2802.61	4885.00	3587.09
3	मणिपुर	860.17	383.38	997.12	असूचित	859.19	386.00	386.00	असूचित	221.40	0.00	0.00	0.00
4	मेघालय	963.63	927.55	1423.36	877.68	962.59	978.37	1447.65	531.98	248.05	27.51	235.97	52.16
5	मिजोरम	222.99	316.54	542.50	448.43	222.74	257.34	446.48	420.98	57.40	86.08	115.67	84.03
6	नागालैंड	660.99	356.70	556.21	600.26	660.30	310.58	352.57	286.80	170.16	83.15	252.71	184.01
7	सिक्किम	246.88	246.88	332.42	138.10	246.62	192.30	329.28	230.70	63.55	95.33	161.78	129.80
8	त्रिपुरा	1553.21	2329.81	2711.24	1831.63	1551.28	1520.26	2523.20	2379.85	399.75	599.65	843.16	975.63
	कुल	17812.00	16362.00	27217.07	20743.72	17812.00	15180.68	23527.54	17343.11	4590.00	3772.39	6773.66	5175.22

वर्ष 2002–2003

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	आई.ए.वाई.				आर.डब्ल्यू.एस			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	अरुणाचल प्रदेश	569.92	738.47	1237.23	665.38	4977.00	3650.00	3759.29	2597.79
2	असम	12823.65	9987.33	13139.86	10425.71	8407.00	5252.50	6840.13	6096.34
3	मणिपुर	679.51	260.01	467.12	178.14	1826.00	947.00	1504.79	1193.41
4	मेघालय	902.85	906.15	1267.16	362.08	1957.00	2935.50	3089.12	1635.32
5	मिजोरम	216.73	174.58	257.46	231.06	1398.00	2105.00	2484.47	1773.69
6	नागालैंड	582.84	291.42	525.47	653.83	1454.00	2181.00	2573.40	1628.40
7	सिक्किम	156.25	149.87	219.44	155.17	597.00	895.50	1100.92	597.06
8	त्रिपुरा	1318.25	1977.39	3056.41	1953.96	1734.00	2427.60	2875.36	1558.04
	कुल	17250.00	14485.22	20170.15	14625.33	22350.00	20394.10	24227.48	17080.05

कुल उपलब्ध निधियों में से निधियों के उपयोग में वर्ष के दौरान रिलीज तथा वर्ष के शुरू में अशेष शामिल हैं।

2003–2004 के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय रिलीज तथा निधियों का उपयोग

वर्ष 2003–2004

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	एस.जी.आर.वाई–I				एस.जी.आर.वाई.–II				एस.जी.एस.वाई			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन निधियां	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अरुणाचल प्रदेश	571.71	323.84	441.81	62.67	571.14	342.68	523.04	62.57	221.53	89.03	173.85	19.15
2	असम	14833.49	8900.06	17363.00	3500.75	14840.03	8904.00	17348.05	2706.02	5756.15	2878.08	3780.27	769.48
3	मणिपुर	996.01	353.60	457.30	21.75	994.88	222.56	302.02	असूचित	385.88	0.00	0.00	0.00
4	मेघालय	1115.82	586.94	962.07	40.59	1114.61	586.30	1026.59	58.86	432.33	33.78	260.96	39.42
5	मिजोरम	258.21	154.93	156.68	136.24	257.92	154.75	160.74	0.20	100.04	50.02	55.61	27.45
6	नागालैंड	765.38	262.94	262.94	असूचित	764.58	458.74	458.74	असूचित	296.58	42.78	42.78	असूचित
7	सिक्किम	285.87	171.52	171.52	असूचित	285.57	171.34	302.01	असूचित	110.76	55.38	106.43	65.24
8	त्रिपुरा	1798.50	1079.12	2234.54	936.51	1796.27	1313.37	1573.84	527.33	696.73	348.37	497.97	413.56
	कुल	20624.99	11832.95	22049.86	4698.51	20625.00	12153.74	21695.03	3354.98	8000.00	3497.44	4917.87	1334.33

वर्ष 2003–2004

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य	आई.ए.वाई.				आर.डब्ल्यू.एस			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	अरुणाचल प्रदेश	627.75	318.35	858.30	275.73	4962.00	2481.00	3642.50	711.09
2	असम	14124.59	7062.33	11607.66	2505.29	8403.00	4201.50	4947.50	2264.00
3	मणिपुर	748.47	166.14	261.26	14.31	1833.00	916.50	1247.88	11.10
4	मेघालय	994.44	297.80	397.07	असूचित	1967.00	983.50	2440.64	134.05
5	मिजोरम	238.73	119.40	166.45	77.12	1386.00	693.00	1395.78	477.86
6	नागालैंड	641.95	321.00	490.58	93.38	1453.00	726.50	1671.50	असूचित
7	सिक्किम	172.10	86.06	197.08	165.34	603.00	301.50	599.94	82.81
8	त्रिपुरा	1451.97	623.03	1717.58	1030.14	1743.00	871.50	2208.76	982.55
	कुल	19000.00	8994.11	15695.98	4161.31	22350.00	11175.00	18154.50	4663.46

कुल उपलब्ध निधियों में से निधियों के उपयोग में वर्ष के दौरान रिलीज तथा वर्ष के शुरू में अधशेष शामिल हैं।

डीडीए में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन

1159. **श्री अधीर चौधरी :**

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) ने अपनी नीतियों और प्रक्रिया को सुधारने के लिए सुझाव मांगने हेतु इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एण्ड रेटिंग एजेन्सी (आईसीआरए) की परामर्शदात्री सेवाएं ली थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या आईसीआरए ने दिविप्रा को भ्रष्ट और कुप्रबंधित पाया है जैसा कि 28 अगस्त, 2003 के "स्टेट्समैन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) आईसीआरए द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार आईजीआरए की सिफारिशों के आधार पर कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि मैसर्स आईसीआरए परामर्शदात्री सेवा को निम्नलिखित विषयों पर प्रक्रिया सुधार अध्ययन का कार्य सौंपा गया है।

(i) पारदर्शिता और ग्राहक अनुकूल प्रचालन प्रक्रियाओं जैसे सभी प्रकार के घटकों की पहचान करना जो डीडीए जैसे संस्थानों की विश्वसनीयता को बढ़ाने में योगदान देते हैं;

(ii) निम्नलिखित प्रकार के कार्यकलापों के लिए डीडीए का प्रचालन प्रणालियों का विश्लेषण करना:–

– भूमि विकास, आबंटन और निपटान;

– रिहायशी तथा वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण करना और बाद में उसका लेन–देन; तथा

– भवन निर्माण योजनाओं और संबंधित कार्यकलापों की स्वीकृति

(iii) जनता और अन्य पणधारियों को डीडीए से उनकी अपेक्षाओं के बारे में फीडबैक लेना;

(iv) डीडीए के विशिष्ट कारणों का पता लगाना जिनके कारण उसकी मौजूदा छवि बनी है;

(v) निम्नलिखित रूप से डीडीए की छवि और विश्वसनीयता सुधारने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश करना:

– डीडीए चार्टर के दायरे के भीतर नीतिगत परिवर्तन

– उसकी प्रचालन प्रक्रियाओं को पुनर्व्यवस्थित करना

– संगठन ढांचे में परिवर्तन

– ग्राहकों से संपर्क करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण; और

– कारगर जनसंपर्क कार्यकलाप

(vi) अध्ययन के विषय क्षेत्र से प्रासंगिक और संबंधित कोई भी अन्य मामला

(ख) और (ग) जी नहीं। आई सी आर ए रिपोर्ट में डीडीए के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं है।

(घ) से (च) "मैसर्स आई सी आर ए परामर्शदात्री सेवाएं" द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। डीडीए ने सूचित किया है कि उन्होंने रिपोर्ट देश ली है और कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति और समयावधि तैयार कर ली है।

विवरण

आई सी आर ए रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

1. मार्केट से संबंधित परिवर्तनों का पता लगाने के लिए प्रधान आयुक्त के अधीन एक अलग सेल सृजित करके जो दीर्घावधिक योजनाएं भी सृजित करेगा, प्रत्येक परियोजना से पूर्व आवास/भूमि निपटान करके मार्केट अध्ययन किए जाने चाहिए। यह सुझाव है कि आवास/भूमि निपटान प्रभागों के निवेशों को भूमि अधिग्रहण स्तर पर भी लिया जाना चाहिए।

संचालन समिति को आवास और शहरी परियोजना स्कन्ध (एचयूपीडब्ल्यू) द्वारा विस्तृत ले आउट योजनाओं को तैयार करने के पूर्व परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना चाहिए।

2. डीडीए की परियोजना के शुरू में परियोजना प्रबंधक का पता लगाकर परियोजना प्रबंध संरचना को अपनाना चाहिए। टीम आधारित एप्रोच का सुझाव दिया जाता है जिसमें वास्तुकला, वित्त आवास और भूमि निपटान स्कन्धों से सदस्य होने चाहिए।

3. डीडीए को अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनाये गए मॉडलों की जांच करनी चाहिए जिसमें परियोजना निष्पादन में निजी

क्षेत्र भागीदारी शामिल है। डीडीए को उपभोक्ता–वित्तपोषित परियोजनाओं को तैयार करने की संभावनाओं को पता लगाना चाहिए तथा इसमें जोखिम का खतरा कम होगा और लागत एवं समय की अधिक अनुपालना सुनिश्चित होगी।

4. यह सुझाव दिया जाता है कि संगठन में बेहतर उपभोक्ता सेवा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवास और भूमि निपटान में प्रत्येक अनुभाग के उप–निदेशक को अपने मौजूदा कार्मिकों सहित आवास लेखाओं की एक आत्मनिर्भर यूनिट गठित करनी चाहिए। इसमें फोल्डरों को विभाग के अंदर इधर से उधर भेजने में लगने वाला समय समाप्त हो जायेगा जिससे तीव्र कार्रवाई होगी।

5. इस समय, मूल्य नियतन समिति भूमि के प्लाटों का आरक्षित मूल्य नियतन करती है। मूल्य नियतन समिति को उपलब्ध कराये जाने वाले निवेशों की करेंसी को देखने की आवश्यकता है क्योंकि निवेश आंकड़े विभिन्न स्रोतों से मैनुअली एकत्र किए जाते हैं। की गई सिफारिश के अनुसार एन्ड टू एन्ड कम्प्यूटराइजेशन आरक्षित मूल्यों के सही नियतन में सहायक होगा।

6. डीडीए को अपनी निर्माण योजना स्वीकृति गतिविधियों को सरल बनाना चाहिए। इसे छोटे मामलों के लिए ग्रीन चेनल अवधारणा विकसित करनी चाहिए, जहां निर्माण योजनाओं की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में, जहां पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता न हो, गतिविधि जोन तक विकेन्द्रीकृत किया जा सकता है।

7. आई सी आर ए परामर्शदात्री सेवाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि प्रवर्तन में एक मुख्य समस्या यह है कि नागरिकों को यह जानकारी नहीं है कि क्या विशेष क्षेत्र डी–नोटिफाइड क्षेत्र बन गया है अथवा नहीं। नागरिकों को मौजूदा संरचनाओं में डीडीए द्वारा अनुमति प्रदान किए गए स्वीकार्य संशोधन/विस्तार के बारे में भी जानकारी नहीं है। सिफारिश है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण डी–नोटिफिकेशन के संबंध में दिल्ली नगर निगम के साथ सामंजस्य स्थापित करे और साथ ही समुदाय भागीदारी शामिल करे। उन्हें शिक्षित बनाने और उस स्थान में नए मकानों के स्वीकृत नक्शों में हिस्सेदारी द्वारा उल्लंघनों के नियोजन पर नियंत्रण करने के लिए उनकी मदद चाहने हेतु रेजीडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन तथा को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज और अन्य उपभोक्ता एसोसिएशनों के साथ बातचीत करे।

8. उद्यम व्यापी भौगोलिक सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन और वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जोनल कार्यालयों को जोड़ना अनिवार्य है। छोटे स्तर पर भूमि रिकार्ड संबंधी सूचना की उपलब्धता से प्रवर्तन की प्रक्रिया में मदद मिलेगी।

9. दिल्ली विकास प्राधिकरण के सिटीजन चार्टर में इसकी विभिन्न प्रक्रियाओं में हुए सुधारों को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता होगी। संचालन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक संपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाए।

10. एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पर भी नई भर्ती के साथ–साथ विचार और कार्यान्वयन किया जाएगा ताकि संगठन के भीतर कार्यबल को पुनर्गठित किया जा सके और यह प्रयोग मैनपावर स्टडी के परिणामों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

11. संगठन के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा कर्मचारियों के बीच उनकी ड्यूटी के निर्वहन में उन्हें प्रेरित करने की कमी से संबंधित है। प्रेरणा स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश है:–

(क) सतर्कता मामलों का तत्काल निपटान

(ख) मूल्यांकन फार्म को पुनः तैयार करना और विभिन्न प्रकार के वार्षिक वेतन वृद्धि/प्रोत्साहन प्रारंभ करना, जो किसी व्यक्ति के वार्षिक मूल्यांकन अंक से संबद्ध किए जा सकते हैं और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उच्च–निष्पादन करने वाले व्यक्ति को अधिक पुरस्कार प्राप्त हों।

(ग) अधिक निष्पादन वाले व्यक्तियों की पहचान करना और व्यक्तिगत नीतियों के फ्रेमवर्क में कैरियर की उन्नति का पथ निर्धारित करना और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों को महत्व देना तथा अच्छे प्रशिक्षण अवसर प्रदान करना।

12. दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्रियाकलापों को जोन के अनुकूल बनाने और जोनल कार्यालयों को इंजीनियरिंग, भूमि प्रबंध इत्यादि के अनुकूल बनाने पर ध्यान दिए जाने की भी जरूरत है।

13. दिल्ली विकास प्राधिकरण एक अधिक अपयोक्ता अनुकूल वेबसाइट प्रारंभ करे, जिस पर विभिन्न फार्म उपलब्ध कराए जाएं। इसमें शिकायतों की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा, सूचना तंत्र भी मुहैया कराया जाए। उपभोक्ताओं को वेबसाइट के जरिए उनकी फाइलों की स्थिति पता लगाने की भी सुविधा दी जानी चाहिए।

14. किसी भी प्रभावी सुधार पहल–प्रयास के कार्यान्वयन के लिए आई.टी. प्रणाली को सरल बनाना एक पूर्व अपेक्षा है। यद्यपि इस समय विभिन्न मापक हैं, जो डीडीए में कार्यरत हैं, जैसे आवास, भूमि, पावती और लेखाकरण प्रणाली इत्यादि, लेकिन विभिन्न प्रणालियों को एकीकृत करने तथा साथ ही सभी कार्यों की टिप्पणियों का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

एकीकृत आई.टी. प्रणाली में निम्नलिखित कार्य शामिल किए जाएं और उसमें ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, मॉनीटरिंग के लिए सक्षम कार्य तथा साथ ही नियोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आंकड़े तैयार करने की क्षमता हो।

(i) भूमि प्रबंधन चूंकि डीडीए के कार्यों के लिए प्रारंभिक बात भूमि अधिग्रहण की है, इसलिए सुझाव है कि आई. टी. प्रणाली में सभी मौजूदा और पूर्व के भूमि अधिग्रहण कार्यक्रमों के भूमि रिकार्ड शामिल होने चाहिए। अधिग्रहण की लागत से संबंधित वित्तीय आंकड़े व स्थानिक आंकड़े भी शामिल किए जाएं।

(ii) दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की एक परियोजना प्रबंध प्रणाली की सिफारिश की है, जिस पर परियोजना के प्रारंभ से अंत तक सभी संगत आंकड़े शामिल किए जाएं।

(iii) खाली मकानों की सूची को भी परियोजना प्रबंध सूचना प्रणाली के साथ जोड़कर इसे एक संरचित प्रक्रिया के रूप में रखा जाए।

(iv) आवास और भूमि प्रणाली में एच आर ए एस प्रणाली को आवास प्रणाली के साथ एकीकृत करके निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य प्रारंभ किए जाए।

– मांग और एकत्रण मापदंड।

– कब्जा पत्र जारी करना।

कोयले का श्रेणीकरण तथा मूल्य निर्धारण

1160. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सकल उष्मीय माप के आधार पर कोयले के श्रेणीकरण और मूल्य निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या नए कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : कोयला मंत्रालय ने सकल कैलोरिफिक मान (जी.सी.वी.) के आधार पर कोयले की ग्रेडिंग प्रणाली बनाने और सकल कैलोरीफिक मान तथा उपयोगी ऊष्मा मान (यू.एच.वी.) के मध्य समतुल्यता बनाने पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। सी.एफ.आर. आई., धनबाद ने उन्हें इस प्रकार के सौंपे गए कार्य को किया और ऐसे समतुल्यता चार्टों को विकसित किया। उक्त समिति ने "यथा प्राप्त आधार पर" प्रायोगिक तौर पर निर्धारित राख तथा जी.सी.वी. मूल्यों पर विचार करते हुए कोयले की ग्रेडिंग हेतु मैट्रिक्स प्रणाली के उपयोग का सुझाव दिया। समिति की सिफारिशों पर कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2003 में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि प्रारंभ में, जी.सी.वी. के अंगीकरण हेतु परीक्षण आधार पर अधिमानतः एन.सी.एल. में एक खान का चयन किया जाए। इस खान का चयन सी.आई.एल. तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस प्रकार चयनित की गई खान में, छः माह हेतु जी.सी.वी. तथा यू.एच.वी. दोनों, की तुलना की जाएगी और तत्पश्चात, आगे आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

तद्नुसार, इस प्रयोजन हेतु नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की अमलोहरी ओपनकास्ट खान का चयन किया गया है।

सरकार द्वारा कोयले का ग्रेड अधिसूचना से निर्धारित किया जाता है और कोयले मूल्य सी.आई.एल. द्वारा ग्रेड के अनुसार घोषित किए जाते हैं। वर्तमान में, कोयले का ग्रेड निर्धारित करना तथा मूल्य निर्धारण यू.एच.वी. पर आधारित है। जी.सी.वी. के आधार पर मूल्य निर्धारण जी.सी.वी. के आधार पर कोयले का ग्रेड निर्धारित किए जाने के पश्चात ही संभव होगा।

ग्रामीण विकास बोर्ड

1161. **श्री जी. एस. बसवराज** :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास बोर्ड स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब और बोर्ड का ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या गठित किए जाने के बाद बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में गिरावट

1162. **श्रीमती प्रभा राव** :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में अच्छी गिरावट

आयी है जैसा कि सितम्बर, 2003 में यूनेस्को द्वारा आयोजित गरीबी तथा मानवाधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गयी है;

(ग) इस अवधि के दौरान खाद्यान्न, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता इत्यादि के मामलों में ग्रामीण आबादी को सहायता देने के लिए राज्यों हेतु कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में दिए गए धन से किस प्रकार सहायता मिली है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी का आकलन 1973–74 से पंचवर्षीय आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के प्रभाव (गरीबी का अनुपात) के आकलनों ने वर्ष–दर–वर्ष घटती प्रवृत्ति को दर्शाया है। 1993–94 के अनुमानों से पता चलता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण आबादी 37.3% थी और 1999–2000 के अनुमानों के अनुसार यह प्रतिशत घटकर 27.1% रह गया है।

(ग) 1999–2000 से 2003–2004 की अवधि के लिए समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु राज्यवार केन्द्रीय आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण–I संलग्न है।

(घ) इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च की गई निधि से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जो विभिन्न स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किए गए कई मूल्यांकन अध्ययनों से साबित हो चुका है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के संवर्ती मूल्यांकन के परिणामों से भी पता चलता है कि 37% से भी अधि वैयक्तिक लाभार्थीगण और 15.1% स्वसहायता समूह गरीबी रेखा को पार करने में सक्षम रहे हैं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (प्रथम चरण) के समवर्ती मूल्यांकन के राज्यवार परिणामों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

1999–2000 से 2003–2004 के दौरान समस्त ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का केन्द्रीय आबंटन

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय आबंटन				
		1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	59936.44	89750.28	182127.38	76795.84	70490.81
2	अरुणाचल प्रदेश	4398.74	10637.58	10506.53	11015.90	10926.41
3	असम	38317.14	67907.41	66404.87	59855.28	66467.21
4	बिहार	143841.38	102406.86	116403.97	100718.92	112666.52
5	छत्तीसगढ़	*	27753.34	51437.26	27209.65	27959.16
6	गोवा	754.26	2310.08	2399.36	1037.64	996.44
7	गुजरात	28108.84	35593.41	34365.06	34115.64	32841.18
8	हरियाणा	12331.17	12932.17	14922.68	13798.19	14045.51
9	हिमाचल प्रदेश	7362.58	16661.08	17084.59	17442.89	15738.22
10	जम्मू–कश्मीर	12783.55	16644.16	17640.60	19513.16	18444.74
11	झारखंड	*	54274.81	58224.19	52904.10	59698.53

1	2	3	4	5	6	7
12	कर्नाटक	44826.74	52528.99	60447.21	50521.33	53531.62
13	केरल	19010.63	22037.92	23974.62	17862.58	19917.91
14	मध्य प्रदेश	76363.31	81023.85	94303.88	70697.82	72598.98
15	महाराष्ट्र	74891.94	84652.64	95085.00	77256.67	83929.80
16	मणिपुर	3020.26	9572.51	9445.40	9331.16	7266.70
17	मेघालय	3460.55	9735.86	9264.12	8755.42	9361.26
18	मिजोरम	1569.99	5267.11	5184.62	5635.00	4816.32
19	नागालैंड	2827.39	7307.78	7414.62	7623.50	6161.42
20	उड़ीसा	49916.95	67141.55	78411.79	61941.48	66494.83
21	पंजाब	6314.32	9363.82	9523.15	10326.37	10775.60
22	राजस्थान	42854.24	68906.59	95758.15	67765.21	62814.91
23	सिक्किम	1805.29	3824.76	4007.45	3526.15	3517.73
24	तमिलनाडु	76787.61	50298.97	51982.77	43150.55	46993.24
25	त्रिपुरा	5313.82	10486.32	10876.75	9367.24	10111.72
26	उत्तर प्रदेश	149028.59	159499.41	163852.03	146988.50	161151.21
27	उत्तरांचल	*	17137.33	18659.89	17387.96	17989.41
28	पश्चिम बंगाल	58023.13	73685.81	72368.05	64016.86	69135.65
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	376.21	1438.24	1465.45	1432.06	1466.64
30	चंडीगढ़	24.17	22.12	17.60	–	–
31	दादरा और नगर हवेली	278.10	786.77	834.71	784.50	808.98
32	दमन व दीव	141.77	660.50	686.07	653.34	662.49
33	दिल्ली	323.01	879.19	902.96	524.27	502.81
34	लक्षद्वीप	135.87	676.83	650.60	641.84	655.24
35	पाण्डिचेरी	378.72	906.21	976.22	833.42	865.69
	कुल	895506.71	1174712.26	1387609.60	1091430.43	1141704.88

* राज्य अस्तित्व में नहीं थे।

विवरण-II

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, 2003 (प्रथम चरण) के समवर्ती मूल्यांकन के परिणाम

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के कारण गरीबी रेखा को पार करने वाले स्वरोजगारी

क्रम सं.	राज्य	गरीबी रेखा को पार करने वाले स्वरोजगारियों का प्रतिशत *	
		वैयक्तिक	स्वसहायता समूह
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	28.90	42.67
2	अरुणाचल प्रदेश	17.42	6.25
3	असम	40.74	1.78
4	बिहार	54.38	23.82
5	छत्तीसगढ़	32.34	1.83
6	गोवा	49.64	20.00
7	गुजरात	27.77	28.20
8	हरियाणा	33.19	18.72
9	हिमाचल प्रदेश	33.33	30.60
10	जम्मू–कश्मीर	46.38	6.46
11	झारखंड	48.17	2.66
12	कर्नाटक	34.05	26.75
13	केरल	48.38	26.56
14	मध्य प्रदेश	47.08	13.26
15	महाराष्ट्र	39.32	11.41
16	मणिपुर	एन.ए.	एन.ए.
17	मेघालय	एन.ए.	एन.ए.
18	मिजोरम	46.67	12.99
19	नागालैंड	14.29	एन.ए.
20	उड़ीसा	54.84	10.25
21	पंजाब	54.38	65.22
22	राजस्थान	45.80	5.68
23	सिक्किम	23.60	एन.ए.
24	तमिलनाडु	37.85	32.53
25	त्रिपुरा	40.51	2.12
26	उत्तर प्रदेश	4.03	7.68
27	उत्तरांचल	46.18	4.15
28	पश्चिम बंगाल	17.36	0.69
	अखिल भारत	37.24	15.09

एन.ए. – उपलब्ध नहीं है।

* – जिन स्वरोजगारियों ने अपनी आर्थिक गतिविधियां शुरू की और आयोपार्जन की सूचना दी उनकी कुल संख्या में से प्रतिशत।

अखिल भारतीय सेवाओं का प्रशिक्षण

1163. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार श्रेणी–वार अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनके प्रशिक्षण का स्तर तथा कार्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हाँ, तो अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उनकी सेवा के दौरान किए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेवा की विभिन्न शाखाओं में उनके भविष्य की योजना बनाने में सहायता देने का भी कोई प्रयास किया गया है·

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी सेवाओं के प्रति सेवारत अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय पुलिस–सेवा (आई.पी.एस.) और भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस.) के कुल प्राधिकृत पदों की संख्या क्रमशः 5159, 3683 तथा 2756 है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को, वरिष्ठता के विभिन्न स्तरों पर, सेवाकाल (कॅरिअर) के मध्य प्रशिक्षण हेतु देश की प्रमुख प्रशिक्षण–संस्थाओं में भेजा जाता है। ऐसा प्रशिक्षण, सामान्यत:, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार लिया जाना अपेक्षित होता है।

भारतीय वन–सेवा के अधिकारी, प्रत्येक वर्ष देश भर की प्रमुख प्रशिक्षण–संस्थाओं में संचालित वानिकी और वन्य जीव तथा प्रबंधन और प्रशासन के संबद्ध अनुशासनों के अल्पकालिक प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु भेजे जाते हैं। 10, 17 और 21 वर्ष की सेवा कर चुके भारतीय वन–सेवा के अधिकारियों के संबंध में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन–अकादमी, देहरादून में समुन्नत वन–प्रबंधन–पाठ्यक्रम भी आयोजि किए जा रहे हैं। राज्य सरकारें भी अधिकारियों के सेवाकाल (कॅरिअर) के मध्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भ्रष्टाचार–निरोधी मामलों के अन्वेषण, औषध कानूनों के प्रवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा, पुलिस से संबद्ध सर्वोत्तम परिपाटियों, साइबर अपराधों, पुलिस–मीडिया अन्तर सम्पर्क, पुलिस अधिकारियों को महिला–पुरूष–भेद से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाये जाने, सामुदायिक पुलिस–व्यवस्था, आर्थिक अपराधों में हाल ही के रूझान, दाण्डिक न्याय–प्रणाली के प्रति समन्वित दृष्टिकोण तथा पुलिस के काम–काज के संचालन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुडा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को विशेषज्ञता से युक्त विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण लेने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें विशेषज्ञता से युक्त दीर्घकालिक प्रशिक्षण–पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु भेजा जाता है तथा उन्हें संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, सरकारी निकायों और गैर सरकारी संगठनों आदि में सुपुर्द कार्यों का निर्वहन करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है।

(च) सेवाकाल (कॅरिअर) के मध्य प्रशिक्षण से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को व्यावसायिक उन्नयन, अन्त: परीक्षण के अवसर मुहैया होते हैं तथा उन्हें अपना मनोबल बढ़ाने में सहायता मिलती है।

विशेष पुलिस अधिकारी

1165. श्री रामटहल चौधरी :

श्री मानसिंह पटेल :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कार्यरत पुलिस स्टेशन–वार विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या कितनी है और ये कितने वर्षों से कार्यरत हैं; और

(ख) विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विशेष शर्तें क्या हैं तथा उन्हें कितनी मानदेय, वाहन भत्ता तथा अन्य परिलब्धिया मिलती हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें नीचे दशाई गई है:

(i) वह 18 वर्ष से कम आयु का न हो और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति हो;

(ii) उसकी राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करने के लिए अच्छी साख होनी चाहिए;

(iii) उसका कोई आपराधिक रिकार्ड/पृष्ठभूमि नही होना चाहिए;

(iv) उस व्यक्ति, जो विशेष पुलिस अधिकारी के रूप मे नियुक्ति के लिए स्वेच्छा से आगे आता है का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन किया जाएगा;

(v) प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी को नियुक्ति पर एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा;

(vi) उसे वही शक्तियां, विशेषाधिकार और छूट प्राप्त होगी और वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में बताई गई है; और

(vii) विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की अवधि एक वर्ष होगी जिसे उसके कार्य निष्पादन को देखते हुए घटाया अथवा बढाया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं.	पुलिस स्टेशन की संख्या	विशेष पुलिस अधिकारियों की संख्या	1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक	10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष तक	20 वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
पूर्वी जिला							
1.	कल्याण पुरी	2	0	2	0	0	0
2.	न्यू अशोक नगर	5	0	5	0	0	0
3.	पांडव नगर	3	0	3	0	0	0
4.	मयूर विहार	7	0	4	2	1	0
5.	मण्डावली	9	0	9	0	0	0
6.	विवेक विहार	12	0	10	1	1	0
7.	फार्श बाजार	16	0	14	2	0	0
8.	आनंद विहार	7	0	7	0	0	0
9.	प्रीत विहार	13	0	8	3	2	0
10.	शकरपुर	4	0	3	1	0	0
11.	गांधी नगर	4	0	2	2	0	0
12.	कृष्णा नगर	19	1	9	8	1	0
13.	गीता कालोनी	7	0	5	2	0	0
	कुल	108	1	81	21	5	0
नई दिल्ली जिला							
14.	पार्लियामेंट स्ट्रीट	1	0	1	0	0	0
15.	मंदिर मार्ग	4	1	2	1	0	0
16.	चाणक्यपुरी	3	1	0	2	0	0
17.	तुगलक रोड	1	1	0	0	0	0
18.	कनॉट प्लेस	11	4	4	2	1	0
19.	तिलक मार्ग	0	0	0	0	0	0
	कुल	20	7	7	5	1	0
उत्तर-पूर्वी जिला							
20.	सीलमपुर	3	2	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	न्यू उस्मानपुर	1	1	0	0	0	0
22.	भजनपुरा	3	0	1	2	0	0
23.	गोकलपुरी	0	0	0	0	0	0
24.	खजूरी खास	1	0	1	0	0	0
25.	शाहदरा	0	0	0	0	0	0
26.	वेलकम	0	0	0	0	0	0
27.	एस.एस. पार्क	1	1	0	0	0	0
28.	सीमापुरी	0	0	0	0	0	0
29.	नंद नगरी	1	1	0	0	0	0
30.	दिलशाद गार्डन	0	0	0	0	0	0
	कुल	10	5	3	2	0	0
केन्द्रीय जिला							
31.	दरियागंज	4	0	0	4	0	0
32.	चांदनी महल	7	0	7	0	0	0
33.	जामा मस्जिद	16	1	1	8	6	0
34.	कमला मार्किट	4	0	0	4	0	0
35.	हौज काजी	20	0	4	10	6	0
36.	आई.पी. इस्टेट	0	0	0	0	0	0
37.	पहाड़ गंज	8	0	8	0	0	0
38.	नबी करीम	12	0	0	10	2	0
39.	डी.बी.जी. रोड़	10	0	5	5	0	0
40.	करोल बाग	11	2	9	0	0	0
41.	प्रसाद नगर	7	0	0	3	4	0
42.	राजेन्द्र नगर	11	0	4	3	4	0
	कुल	110	3	38	47	22	0
उत्तरी जिला							
43.	सिविल लाइंस	4	0	3	1	0	0
44.	तिमारपुर	4	0	3	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	रूप नगर	20	0	10	4	6	0
46.	मॉरिस नगर	4	0	3	1	0	0
47.	सब्जी मंडी	13	0	6	5	2	0
48.	प्रताप नगर	7	0	1	4	2	0
49.	सराय रोहिल्ला	8	0	2	4	2	0
50.	सदर बाजार	7	0	3	0	4	0
51.	बाड़ा हिन्दू राव	3	0	0	1	2	0
52.	कश्मीरी गेट	3	0	3	0	0	0
53.	कोतवाली	24	0	10	6	8	0
54.	लाहोरी गेट	31	0	15	7	9	0
55.	चांदनी चौक	53	2	27	16	8	0
	कुल	181	2	86	50	43	0
उत्तरी-पश्चिमी जिला							
56.	अशोक विहार	15	5	2	1	7	0
57.	केशव पुरम	8	1	6	1	0	0
58.	सरस्वती विहार	17	5	6	4	2	0
59.	मॉडल टाउन	10	1	0	9	0	0
60.	आदर्श नगर	7	1	5	1	0	0
61.	मुखर्जी नगर	9	0	9	0	0	0
62.	नरेला इंडस्ट्रीयल ऐरिया	14	6	2	6	0	0
63.	अलीपुर	25	0	16	0	9	0
64.	एस.पी बादली	9	0	9	0	0	0
65.	बवाना	2	1	1	0	0	0
66.	जहांगीरपुरी	7	1	6	0	0	0
67.	शालीमार बाग	6	0	4	2	0	0
68.	रोहिणी	8	2	6	0	0	0
69.	प्रशांत विहार	14	7	7	0	0	0
70.	सुल्तानपुरी	3	0	2	1	0	0
71.	मंगोलपुरी	3	0	3	0	0	0
72.	कंझावला	0	0	0	0	0	0
	कुल	157	30	84	25	18	0
दक्षिणी जिला							
73.	हौजखास	45	35	4	4	2	0

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	मालवीय नगर	51	47	4	0	0	0
75.	महरौली	14	13	1	0	0	0
76.	डिफैंस कॉलोनी	41	36	1	3	1	0
77.	लोधी कॉलोनी	7	6	1	0	0	0
78.	कोटला मुबारकपुर	19	17	2	0	0	0
79.	लाजपत नगर	58	47	8	3	0	0
80.	श्रीनिवासपुरी	5	4	1	0	0	0
81.	हजरत निजामुद्दीन	30	26	2	2	0	0
82.	न्यू फ्रैंडस कॉलोनी	24	18	3	3	0	0
83.	ग्रेटर कैलाश	21	17	3	1	0	0
84.	चितरंजन पार्क	33	30	1	1	1	0
85.	अम्बेडकर नगर	28	24	2	2	0	0
86.	संगम विहार	18	14	2	1	1	0
87.	कालकाजी	15	14	0	1	0	0
88.	बदरपुर	11	9	1	1	0	0
89.	ओखला	4	4	0	0	0	0
90.	सरिता विहार	16	13	1	2	0	0
	कुल	440	374	37	24	5	0
दक्षिण-पश्चिमी जिला							
91.	वसंत विहार	10	0	0	7	3	0
92.	आर.के. पुरम	4	0	0	2	2	0
93.	सरोजिनी नगर	4	0	0	2	2	0
94.	दिल्ली कैंट	0	0	0	0	0	0
95.	वसंत कुंज	9	0	8	1	0	0
96.	नारायणा	8	0	0	8	0	0
97.	मायापुरी	5	0	0	5	0	0
98.	इन्द्रपुरी	5	0	0	5	0	0
99.	नजफगढ़	1	0	0	1	0	0
100.	कापसहेड़ा	0	0	0	0	0	0
101.	डाबरी	18	3	0	15	0	0
102.	जाफरपुर कलां	5	2	1	2	0	0
103.	द्वारका	3	0	0	3	0	0
	कुल	72	5	9	51	7	0

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिमी जिला							
104.	पटेल नगर	8	1	6	1	0	0
105.	आनंद पर्वत	5	0	2	3	0	0
106.	मोती नगर	17	0	13	4	0	0
107.	तिलक नगर	20	0	13	7	0	0
108.	जनकपुरी	11	1	5	5	0	0
109.	विकासपुरी	6	0	3	3	0	0
110	उत्तम नगर	8	0	6	2	0	0
111.	पंजाबी बाग	28	4	19	5	0	0
112.	पश्चिम विहार	21	0	13	8	0	0
113.	नांगलोई	4	0	4	0	0	0
114.	राजौरी गार्डन	16	4	12	0	0	0
115.	हरी नगर	25	5	17	3	0	0
116.	कीर्ति नगर	21	4	8	9	0	0
	कुल	190	19	121	50	0	0
	कुल योग	1288	446	466	275	101	0

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण विकास योजनाएं

1166. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने कुछ ग्रामीण विकास योजनाओं का वित्तपोषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इन योजनाओं में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं को पूरा किए जाने के लिए योजनावार और राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास क्षेत्र के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान पांच जिला गरीबी पहल–कदमी परियोजनाओं के लिए 584.16 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण का अनुमोदन किया है। इन परियोजनाओं में ग्रामीण गरीबों के लिए अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि समुदाय संचालित भागीदारी पूर्ण तरीकों और मांग आधारित निवेश निर्णयों के माध्यम से प्राथमिक सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इन परियोजनाओं के अंतर्गत किए गए वितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मिलियन अमरीकी डॉलर में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दाता	हस्ताक्षर होने की तारीख	से लागू	अंतिम तारीख	परियोजना लागत	एल.एन./ सी.आर. राशि	अक्टूबर 03 तक संचयी वितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल कदमी परियोजना	आंध्र प्रदेश	आई.डी.ए.	12.5.2000	7.8.2000	31.12.2005	134.80	111	33.312
2	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी रिडक्शन परियोजना	आंध्र प्रदेश	आई.डी.ए.	3.4.2003	13.05.03	30.9.2008	275.00	150	8.496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहलकदमी परियोजना	मध्य प्रदेश	आई.डी.ए.	5.12.2000	27.2.01	30.6.2006	134.70	110.1	14.554
4	राजस्थान जिला गरीबी पहलकदमी परियोजना	राजस्थान	आई.डी.ए.	19.5.2000	7.8.2000	31.12.2005	124.80	100.5	11.689
5	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण गरीबी परियोजना	छत्तीसगढ़	आई.डी.ए.	18.8.2003	13.11.03	30.9.2008	129.35	112.56	0
	कुल						798.65	584.16	68.051

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1187. श्री टी. गोविन्दन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्यवार कितनी ग्रामीण आबादी शामिल की गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि के अनुसार राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत आबंटित/जारी धनराशि का राज्यवाद ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मिशन के अंतर्गत अब तक राज्यवार उपयोग की गयी और अप्रयुक्त धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) पेयजल सुविधाओं वाली ग्रामीण बसावटों के कवरेज की आज तक की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण–I में दी गयी है।

(ख) और (ग) ग्रामीण बसावटों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता देने के लिए भारत सरकार, पेयजल आपूर्ति विभाग में राजीव गांधी पेयजल मिशन द्वारा चलायी जा रही केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के प्रमुख घटकों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक आबंटित/रिलीज की गई (उपयोग में लाई गई) निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

क्रम सं.	राज्य	बसावटों की वर्तमान स्थिति**			
		कवर न की गई*	आंशिक रूप से कवर की गई*	पूर्ण रूप से कवर की गई*	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	0	2507	67225	69732
2	अरुणाचल प्रदेश	299	799	3200	4298
3	असम	343	14998	55214	70555
4	बिहार	0	0	105340	105340
5	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379
6	गोवा	3	31	361	395

1	2	3	4	5	6
7	गुजरात	26	953	29290	30269
8	हरियाणा	0	0	6745	6745
9	हिमाचल प्रदेश	376	8144	36847	45367
10	जम्मू–कश्मीर	985	2869	7330	11184
11	झारखंड	77	10	100009	100096
12	कर्नाटक	0	10394	46288	56682
13	केरल	228	7426	2109	9763
14	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489
15	महाराष्ट्र	506	25916	59508	85930
16	मणिपुर	0	86	2705	2791
17	मेघालय	172	593	7871	8636
18	मिजोरम	0	262	545	807
19	नागालैंड	72	744	709	1525
20	उड़ीसा	0	0	114099	114099
21	पंजाब	1156	1754	10539	13449
22	राजस्थान	4534	0	89412	93946
23	सिक्किम	0	198	1481	1679
24	तमिलनाडु	0	0	66631	66631
25	त्रिपुरा	0	0	7412	7412
26	उत्तर प्रदेश	0	0	243508	243508
27	उत्तरांचल	46	503	30435	30984
28	पश्चिम बंगाल	0	4988	74048	79036
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	110	394	504
30	दादरा और नगर हवेली	26	223	267	516
31	दमन व दीव	0	0	32	32
32	दिल्ली	0	0	219	219
33	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34	पाण्डिचेरी	40	69	158	267.
35	चंडीगढ़	0	0	18	18
	कुल	8,889	83,587	13,29,817	14,22,293

निवास न कर रहे/जनसंख्या विहीन/प्रवासित/शहरीकृत बसावटों की सं.

1	2	3	4	5	6
1	असम	0	0	114	114
2	गोवा	1	0	0	1
3	मेघालय	3	0	0	3
4	मिजोरम	0	104	0	104
5	उत्तर प्रदेश	0	0	125	125
6	उत्तरांचल	12	12	0	24
	कुल	16	116	239	371
	कुल जोड़	8,905	83,703	13,30,056	14,22,664

*एन.सी. कवर न की गई, पी.सी. आंशिक रूप से कवर की गई, एफ.सी. पूर्ण रूप से कवर की गई

** 1.4.1999 को उपलब्ध स्थिति और राज्य सरकारों द्वारा सूचित अनुवर्ती कवरेज के अनुसार

विवरण-II

(क) आपदा के लिए अतिरिक्त रिलीज सहित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज (4.12.03)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	11600.00	11600.00	13044.00	13601.10	13477.00	166481.42	11688.00	5844.00
2	बिहार	4661.00	0.00	7274.00	0.00	7406.00	3703.00	6319.00	3159.50
3	छत्तीसगढ़	1580.00	1580.00	3877.00	3977.00	2443.00	2943.00	1901.00	1623.50
4	गोवा	1404.00	888.59	1455.00	727.50	122.00	0.00	105.00	0.00
5	गुजरात	7085.00	16255.00	7837.00	9376.30	6546.00	9844.75	5537.00	6805.00
6	हरियाणा	1943.00	1880.18	2200.00	2200.00	2002.00	2402.00	1694.00	847.00
7	हिमाचल प्रदेश	5091.00	5091.00	5552.00	6452.00	5635.00	8225.00	4919.00	2459.50
8	जम्मू–कश्मीर	8788.00	3694.00	9896.00	6292.10	12324.00	11164.39	10833.00	5416.50
9	झारखंड	4719.00	2359.50	3619.00	1809.50	3063.00	1949.80	2575.00	1287.50
10	कर्नाटक	10350.00	8165.12	12414.00	12714.00	11136.00	13568.68	10104.00	5652.00
11	केरल	5746.00	4022.42	6331.00	5045.00	3698.00	1899.30	3351.00	1675.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	मध्य प्रदेश	9529.00	9529.00	8877.00	9077.00	7159.00	9586.08	6079.00	4270.50
13	महाराष्ट्र	16934.00	16934.00	19159.00	19659.00	16829.00	19336.24	15710.00	7855.00
14	उडीसा	6213.00	3106.50	6522.00	4852.09	6225.00	5829.80	5303.00	3151.50
15	पंजाब	2383.00	1783.00	2277.00	1985.50	2581.00	3081.00	2269.00	1134.50
16	राजस्थान	16361.00	16361.00	18705.00	14919.08	20731.00	18825.30	15852.00	9426.00
17	तमिलनाडु	7308.00	7308.00	7956.00	8956.00	6358.00	7558.00	4869.00	3834.50
18	उत्तरांचल	2304.00	2304.00	3356.00	3447.88	3083.00	3683.00	2635.00	1317.50
19	उत्तर प्रदेश	12472.00	10884.83	13269.00	13063.35	13022.00	11349.46	11086.00	5543.00
20	पं. बंगाल	7895.00	7837.31	8773.00	8947.63	8545.00	10115.00	6827.00	3413.50
21	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	5.63	0.00
22	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	दादरा व नगर हवेली	7.00	3.50	7.00	0.00	7.00	0.00	3.75	0.00
24	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	दिल्ली	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.81	0.00
26	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पांडिचेरी	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.81	0.00
28	अरुणाचल प्रदेश	4365.00	2182.50	4476.00	2455.91	4977.00	3650.00	4962.00	2481.00
29	असम	7372.00	5459.78	7561.00	5357.67	8407.00	5252.50	8403.00	4272.40
30	मणिपुर	1475.00	0.00	1643.00	821.50	1826.00	947.00	1833.00	916.50
31	मेघालय	1716.00	1644.08	1760.00	1215.51	1957.00	2935.50	1967.00	983.50
32	मिजोरम	1226.00	1161.99	1257.00	1634.10	1398.00	2097.00	1386.00	693.00
33	नागालैंड	1275.00	822.61	1308.00	1700.40	1454.00	2181.00	1453.00	726.50
34	सिक्किम	650.00	325.00	536.00	696.80	597.00	895.50	603.00	301.50
35	त्रिपुरा	1521.00	1521.00	1559	2026.70	1734.00	2427.60	1743.00	871.50
	कुल	152996.00	144703.91	182523.00	163010.62	174765.00	181931.32	152315.00	85961.66

(ख) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (मरूभूमि विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्रम स.	राज्य का नाम	2000–2001		2001–2002		2002–2003		2003–2004	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज (4.12.03)
1.	आंध्र प्रदेश	1659.00	1659.00	845.68	676.54	1388.00	1342.50	1424.00	712.00
2.	गुजरात	406.00	1230.00	400.00	400.00	153.00	153.00	153.00	153.00
3.	हरियाणा	19.00	19.00	908.64	1275.92	944.00	944.00	968.00	484.00
4.	हिमाचल प्रदेश	587.00	293.50	7.41	5.21	8.00	4.00	8.00	4.00
5.	जम्मू–कश्मीर	282.00	0.00	209.88	0.00	64.00	32.00	65.00	0.00
6.	कर्नाटक	509.00	254.50	1133.74	1147.68	1177.00	786.68	1208.00	604.00
7.	राजस्थान	4151.00	4151.00	5794.65	5794.65	6019.00	4770.66	6174.00	3087.00
	कुल	7607.00	7607.00	9300.00	9300.00	9753.00	8032.84	10000.00	5044.00

(ग) क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां

क्र.सं.	जिला	राज्य	रिलीज की गई राशि (लाख रु. में)			
			2000–01	2001–02	2002–03	2003–04
1	2	3	4	5	6	7
1.	चित्तूर	आंध्र प्रदेश	1122.00			1122.00
2.	खम्माम	आंध्र प्रदेश	1052.70		1000.00	1050.00
3.	नागार्लैड	आंध्र प्रदेश	1122.00			1122.00
4.	नेल्लौर	आंध्र प्रदेश		1122.00		1122.00
5.	प्रकासम	आंध्र प्रदेश	1122.00			1122.00
6.	गुंटूर	आंध्र प्रदेश			1122.00	1122.00
7.	पूर्वी गोदावरी	आंध्र प्रदेश			374.00	374.00
8.	लोहित	अरुणाचल प्रदेश				
9.	पू. सियांग	अरुणाचल प्रदेश		196.35		
10.	जोरहाट	असम				
11.	कामरूप	असम				142.02

1	2	3	4	5	6	7
12.	सोनितपुर	असम				
13.	वैशाली	बिहार	26.00	1096.00		
14.	दुर्ग	छत्तीसगढ़		1122.00		
15.	मेहसाना	गुजरात				
16.	राजकोट	गुजरात				1122.00
17.	सूरत	गुजरात				1122.00
18.	करनाल	हरियाणा				422.00
19.	यमुना नगर	हरियाणा				269.82
20.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश				
21.	श्रीनगर	जम्मू–कश्मीर				
22.	ऊधमपुर	जम्मू–कश्मीर				
23.	धनबाद	झारखंड	26.00	1096.00		
24.	बेल्लारी	कर्नाटक				
25.	मंगलौर	कर्नाटक				1122.00
26.	मैसूर	कर्नाटक				
27.	कसारगोढ़	केरल	1122.00			1122.00
28.	कोल्लम	केरल		1122.00		
29.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश				
30.	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	1122.00			
31.	नरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	1122.00			
32.	रायसेन	मध्य प्रदेश	1122.00			
33.	सीहोर	मध्य प्रदेश				
34.	अमरावती	महाराष्ट्र				592.05
35.	धूले	महाराष्ट्र				
36.	नांदेड	महाराष्ट्र				1122.00
37.	रायगढ़	महाराष्ट्र				1042.00
38.	रि–भोई	मेघालय		270.10		
39.	सिरचिप	मिजोरम		74.45	74.45	

1	2	3	4	5	6	7
40.	दीमापुर	नागालैंड				166.61
41.	बालासोर	उड़ीसा	1122.00			450.00
42.	गंजम	उड़ीसा		1122.00		1122.00
43.	सुंदरगढ	उड़ीसा	1122.00			1122.00
44.	भटिंडा	पंजाब				
45.	मोगा	पंजाब				
46.	मुक्तसर	पंजाब	1119.98			
47.	अलवर	राजस्थान	1122.00			1122.00
48.	राजसमंद	राजस्थान			1122.00	
49.	जयपुर	राजस्थान	1122.00			1122.00
50.	सीकर	राजस्थान	595.81			595.81
51.	द. सिक्किम	सिक्किम				
52.	प. सिक्किम	सिक्किम				
53.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु		1122.00		
54.	कुडालोर	तमिलनाडु		1122.00		1122.00
55.	पेराम्बलूर	तमिलनाडु	1122.00		1122.00	
56.	वेल्लोर	तमिलनाडु		300.00	1944.00	335.20
57.	कांचीपुरम	तमिलनाडु			374.00	374.00
58.	विरूधूनगर	तमिलनाडु			374.00	374.00
59.	प. त्रिपुरा	त्रिपुरा			770.07	770.07
60.	आगरा	उत्तर प्रदेश	841.50			
61.	चंदौली	उत्तर प्रदेशी	701.25			
62.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1122.50			
63.	मिर्जापुर	उत्तर प्रदेश	841.50			
64.	सोनभद्र	उत्तर प्रदेश	701.25			
65.	मिदनापुर	प. बंगाल		1122.00		725.79
66.	उ. 24 परगना	प. बंगाल		1122.00		627.82
67.	हरिद्वार	उत्तरांचल		300.00	822.00	
	कुल		20491.99	12310.90	9098.52	25141.19

क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के लिए वार्षिक आबंटन नहीं किया जाता है।

(घ) प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्रम स.	राज्य का नाम	2003–2004	
		आबटन	रिलीज (4.12.03)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2887.65	1443.83
2.	बिहार	890.73	445.37
3.	छत्तीसगढ	458.46	229.23
4.	गोवा	25.65	12.83
5.	गुजरात	549.19	274.60
6.	हरियाणा	11.80	5.90
7.	हिमाचल प्रदेश	1245.05	622.53
8.	जम्मू–कश्मीर	1021.50	510.75
9.	झारखंड	525.87	262.94
10.	कर्नाटक	2507.13	1253.57
11.	केरल	811.81	405.91
12.	मध्य प्रदेश	1592.46	796.23
13.	महाराष्ट्र	3673.34	1836.67
14.	उड़ीसा	1274.67	637.34
15.	पंजाब	493.20	246.60
16.	राजस्थान	2633.66	1316.83
17.	तमिलनाडु	329.40	164.70
18.	उत्तरांचल	419.58	209.79
19.	उत्तर प्रदेश	1350.54	675.27
20.	प. बंगाल	1939.60	969.80
21.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21.43	10.72
22.	चंडीगढ	0.27	0.14
23.	दादरा व नगर हवेली	51.66	25.83
24.	दमन व दीव	0.27	0.14
25.	दिल्ली	1.62	0.81
26.	लक्षद्वीप	1.62	0.81
27.	पांडिचेरी	23.40	11.69
	जोड (क)	24741.56	12370.83
28.	अरुणाचल प्रदेश	234.46	117.23
29.	असम	4225.21	2112.61
30.	मणिपुर	156.42	78.21
31.	मेघालय	402.67	201.34
32.	मिजोरम	88.65	44.33
33.	नागालैंड	245.61	122.81
34.	सिक्किम	56.25	28.13
35.	त्रिपुरा	224.19	112.10
	जोड (ख)	5633.46	2816.76
	कुल जोड (क) + (ख)	30375.02	15187.59

प्रधानमंत्री के तीन कार्यक्रम 2003–04 से शुरू हुए।

(ड) वर्ष 2002–2003 के दौरान स्वजलधारा के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई निधियां

(लाख रु. में)

क्रम स.	राज्य	परियोजनाओं की सं.	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1661	4003.1086
2.	असम	54	370.1227
3.	छत्तीसगढ	102	131.4989
4.	दादरा व नगर हवेली	1	4.7400
5.	गुजरात	30	83.9870
6.	हरियाणा	2	10.9750

1	2	3	4
7.	हिमाचल प्रदेश	471	335.7800
8.	कर्नाटक	55	109.0700
9.	केरल	120	272.8376
10.	मध्य प्रदेश	91	264.4870
11.	महाराष्ट्र	782	3722.0900
12.	उडीसा	287	335.8377
13.	राजस्थान	35	187.2590
14.	तमिलनाडु	390	702.0426
15.	उत्तर प्रदेश	655	565.9767
16.	प. बंगाल	8	23.8840
	कुल	4744	11123.7055

(च) स्वजलधारा (2003–2004) के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई निधियां

क्रम स.	राज्य	आबंटित राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1616.00	808.000
2.	बिहार	874.00	
3.	गोवा	15.00	
4.	गुजरात	766.00	382.778
5.	हरियाणा	234.00	110.636
6.	हिमाचल प्रदेश	680.00	
7.	जम्मू–कश्मीर	1498.00	
8.	कर्नाटक	1397.00	698.520
9.	केरल	504.00	252.020
10.	मध्य प्रदेश		420.268
11.	महाराष्ट्र	2172.00	
12.	उडीसा	733.28	366.640
13.	पंजाब	314.00	
14.	राजस्थान	2192.00	1095.500
15.	तमिलनाडु	673.21	336.600
16.	उत्तर प्रदेश	1533.00	766.450
17.	प. बंगाल	944.00	350.000
18.	छत्तीसगढ़	263.00	
19.	झारखंड	356.00	
20.	उत्तरांचल	364.00	182.000
21.	अरुणाचल प्रदेश	448.00	
22.	असम	754.59	377.300
23.	मणिपुर	154.00	
24.	मेघालय	176.00	
25.	मिजोरम	126.00	
26.	नागालैंड	130.00	65.110
27.	सिक्किम	54.00	
28.	त्रिपुरा	156.00	78.465
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.00	
30.	चंडीगढ		
31.	दादरा व नगर हवेली	8.00	4.000
32.	दमन व दीव		
33.	दिल्ली	6.00	
34.	लक्षद्वीप		
35.	पांडिचेरी	6.00	
	कुल	20000.00	6294.287

स्वजलधारा कार्यक्रम 25.12.2002 से शुरू हुआ। 2003–04 से वार्षिक आबंटन किया जा रहा है।

कपार्ट को समाप्त करने का प्रस्ताव

1168. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपार्ट ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को अपनी वित्तीय सहायता कम कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कपार्ट की गतिविधियों को समाप्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार कपार्ट का किसी अन्य संगठन के साथ विलय करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो ग्रामीण विकास में कपार्ट की भविष्य की भूमिका के विषय में सरकार की योजना क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) कपार्ट गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में जन सहयोग, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, वाटरशेड विकास, असमर्थता कार्य आदि के अंतर्गत अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा ग्रामीण समृद्धि हेतु उपयुक्त ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तथा स्वैच्छिक कार्य के संवर्द्धन में सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, कापार्ट अपने कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए कई कार्यशालाएं भी आयोजित कर रहा है और विभिन्न स्व–सहायता समूहों एवं ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाए गए ग्रामीण उत्पदों की बिक्री सुविधा के लिए ग्राम श्री मेलों का भी आयोजन कर रहा है।

[हिन्दी]

पेंशन विसंगतियां

1169. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोल इण्डिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों को पेंशन भोगियों के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों और पेंशन भोगियों से पेंशन विसंगतियों को दूर करने के विषय में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में सभी पेंशन भोगियों को पेंशन में बराबर बढ़ोत्तरी दी गयी थी किन्तु कुल पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिला और कुछ इससे वंचित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों के कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना, कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अंतर्गत कवर है जो इसके सभी सदस्यों पर एक समान रूप से लागू होती है। तथापि, कोयला कंपनियों के कर्मचारियों की बहुत ही कम संख्या ऐसी है तो उनके सी.आई.एल. में समामेलित किए जाने के समय केन्द्रीय सरकार के वेतन ले रहे थे। कर्मचारियों की इस श्रेणी में से प्राप्त अधिकतर अभ्यावेदनों में निम्नलिखित दो उप–श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच पेंशन संबंधी लाभों तथा डी.ए. के लाभों में समानता की मांग की गई है:–

(1) कोल इंडिया लि. तथा इसकी अनुषंगियों के ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं उनके समामेलन के समय पेंशन योग्य थी और जिन्होंने सी.आई.एल. में समामेलित कर लिए जाने के बाद भी केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों (केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों) को रखने का विकल्प दिया था; और

(2) ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं उनके कोल इंडिया लि. में समामेलित किए जाने के समय गैर–पेंशन योग्य थी और जिन्होंने समामेलन के पश्चात् पी.एस.यू. वेतनमानों के लिए विकल्प दिया था।

ऐसे सभी संदर्भों की कोयला कंपनियों के निदेशक मंडल में तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से कोयला मंत्रालय में विस्तार से जांच की गई थी। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने ऊपर श्रेणी (2) में उल्लिखित कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की उदारीकृत पेंशन योजना के लाभों के लिए स्पष्ट तौर पर इन्कार किया है। पेंशन पर महंगाई राहत के भुगतान के मुद्दे पर निपटान पटना उच्च न्यायालय के रांची खंडपीठ के आदेश द्वारा किया गया था जिसमें व्यवस्था की थी कि ऐसे कर्मचारी केन्द्र सरकार के महंगाई राहत नहीं पा सकते हैं। इन मुद्दों को भी सर्वोच्च न्यायालय में निपटाया गया था।

इन मुद्दों पर प्राप्त सभी महत्वपूर्ण संदर्भों का ऊपर उल्लिखित निर्णयों के अनुसार उत्तर दिया गया था।

(ग) और (घ) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्व–एन.सी.डी.सी./कोयला बोर्ड के कर्मचारियों का पेंशन, जो केन्द्रीय सरकार वेतन वेतनमानों के अंतर्गत शासित होते थे और 1.1.1986 को अथवा उसके पश्चात् पेंशन योग्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे, को संशोधित किया गया है। केन्द्रीय सरकार पेंशन योजना से भिन्न योजनाओं में पेंशन लेने वाले अन्य पेंशनभोगी पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं।

[अनुवाद]

कोयला खनन लाइसेंस समाप्त करना

1170. **श्री के. पी. सिंह देव :**

श्री परशुराम माझी :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को फर्मों से कोयला खनन लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् भी कंपनियों के निष्क्रिया बैठे रहने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निष्क्रिय लाइसेंस वाली कंपनियां कौन सी हैं;

(ग) इन कंपनियों द्वारा खनन गतिविधियां शुरू न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का प्रस्ताव इन कंपनियों के कोयला खनन लाइसेंस समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) से (ङ) जी, हां। जिन कम्पनियों को ग्रहीत खनन ब्लाक आबंटित किए गए हैं, उनमें से लगभग 9 कम्पनियों ने सम्बन्धित राज्य सरकारों से कोयला खनन के प्रयोजनार्थ खनन पट्टा पहले ही प्राप्त कर लिया है। इन कम्पनियों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं:

1. जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जे.एस.पी.एल.)
2. कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम (सी.ई.एस.सी.)
3. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल.)
4. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.)
5. इंडियन एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इन्दाल)
6. बी.एल.ए. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (बी.एल.ए.)
7. सेन्ट्रल कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड (सी.सी.सी.एल.)
8. मोन्नेट इस्पात लिमिटेड (एम.आई.एल.)
9. स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

इनमें से मैसर्स जे.एस.पी.एल., मैसर्स सी.ई.एस.सी., मैसर्स डब्ल्यू.बी.पी.डी.सी.एल. तथा डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी. ने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्यों के मामले में ग्रहीत खान से कोयले का उत्पादन किए जाने से पूर्व उन्हें अपने अन्त्य उपयोग संयंत्रों को पहले स्थापित करने की आवश्यकता होती है क्योंकि उन्हे ये कोयला ब्लाक ग्रहीत खनन के प्रयोजनार्थ आबंटित किए गए हैं। अन्त्य उपयोग संयंत्र की स्थापना तथा ग्रहीत खान से कोयले के उत्पादन में की गई प्रगति के बारे में जांच समिति द्वारा ग्रहीत खान के सभी आबंटियों को मामलों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। मामले में प्रगति असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में पार्टियों को आबंटित ग्रहीत कोयला ब्लाकों को जांच समिति द्वारा विआबंटित कर दिया जाता है। संबंधित पार्टियों द्वारा की गई असंतोषजनक प्रगति को देखते हुए कोयला मंत्रालय में गठित जांच समिति ने अब तक पहले से आबंटित किए गए तीन ग्रहीत कोयला ब्लाकों को विआबंटित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यदि खनन प्रचालन खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत पट्टों को निष्पादित किए जाने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर शुरू नहीं किए जाते हैं तो जिन मामलों में खनन पट्टे मंजूर किए गए हैं उनमें खनन पटटाधारियों के खनन पट्टे उनके निष्पादन की तारीख से दो वर्ष की अवधि बीत जाने पर समाप्त किए जा सकते हैं।

के.वी.आई.सी.

1171. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य** : क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं लागू करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पक्ष में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु नई औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा राज्य–वार क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं और उनके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी नई इकाइयों की स्थापना हेतु राज्य–वार क्या लक्ष्य तय किए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ-

प्रिय गौतम) : (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए देश भर में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख रु. तक की परियोजनाएं स्वीकृति के लिए पात्र हैं। के.वी.आई.सी., अनुदान के रूप में मार्जिन मनी प्रदान करती है, जबकि ऋण घटक बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह भी पात्र हैं।

आर.ई.जी.पी. योजना के अंतर्गत, के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी सहायता प्रदान करती है और 10 लाख रु. से अधिक परन्तु 25 लाख रु. तक की परियोजना के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 30 प्रतिशत एवं परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का अंशदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत है। योजना के कार्यान्वयन का वित्त पोषण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, आदि के माध्यम से किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2000–01 से 2002–03 के दौरान आर.ई.जी.पी. योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा संवर्धित परियोजनाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) 2001–02 तक महिला उद्यमियों के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए। तथापि, वर्ष 2002–03 के दौरान महिलाओं के लिए कुल लक्ष्य का 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। आर.ई.जी.पी. के अंतर्गत महिलाओं के लिए 6207 परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया, जो कि 2002–03 के दौरान 21024 परियोजनाओं की कुल उपलब्धि का लगभग 30 प्रतिशत है।

विवरण

आर.ई.जी.पी. के तहत महिला परियोजनाओं की संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000–01	2001–02	2002–03	कुल
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	872	69	606	1547
2	अरुणाचल प्रदेश	1	0	9	10
3	असम	92	17	162	271
4	बिहार	17	3	45	65
5	गोवा	223	41	121	385
6	गुजरात	38	7	34	79
7	हरियाणा	236	44	209	489
8	हिमाचल प्रदेश	275	51	110	436
9	जम्मू–कश्मीर	27	9	0	36
10	कर्नाटक	607	112	459	1178
11	केरल	665	123	246	1034
12	मध्य प्रदेश	837	91	232	1160
13	महाराष्ट्र	1187	221	1047	2455
14	मणिपुर	4	0	22	26
15	मेघालय	72	0	58	130

1	2	3	4	5	6
16	मिजोरम	3	0	37	40
17	नागालैंड	21	0	24	45
18	उड़ीसा	286	53	339	678
19	पंजाब	517	96	376	989
20	राजस्थान	1227	227	717	2171
21	सिक्किम	0	0	3	3
22	तमिलनाडु	277	53	331	661
23	त्रिपुरा	0	0	7	7
24	उत्तर प्रदेश	1811	391	385	2587
25	पश्चिम बंगाल	321	128	311	760
26	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	58	58
27	के. शा. चंडीगढ	0	0	0	0
28	दिल्ली	0	0	3	3
29	लक्षद्वीप	0	0	0	0
30	पाण्डिचेरी	0	0	0	0
31	दादरा और नगर हवेली	0	0	2	2
32	दमन व दीव	0	0	0	0
33	छत्तीसगढ	2	11	80	93
34	झारखंड	1	16	54	71
35	उत्तरांचल	5	23	120	148
	कुल योग	9624	1786	6207	17618

सी.वी.सी 2001 की वार्षिक रिपोर्ट को रोकना

1172. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सी.वी.सी. 2002 की वार्षिक रिपोर्ट जारी कर दी है, परन्तु वर्ष, 2001 की वार्षिक रिपोर्ट को रोक रखा है, जैसा कि दिनांक 18.09.2003 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और वार्षिक रिपोर्ट को रोकने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट के कुछ अध्याय लम्बित सतर्कता–मामलों से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों और मंत्रालयों ने या तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में विलम्ब किया है अथवा वे केन्द्रीय सतर्कता–विभाग की सलाह के विरुद्ध गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा कब तक वार्षिक रिपोर्ट 2001 संसद में रखने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत

और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष, 2002 की वार्षिक रिपोर्ट परिचालित नहीं की है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उपर्युक्त आयोग से परामर्श नहीं किए जाने/उपर्युक्त आयोग की सलाह नहीं माने जाने के कारण स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन में रखी जाती है। उपयुक्त आयोग की वर्ष 2001 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, इस विभाग में सितम्बर, 2002 में मिली, जिसके बाद, कुछ मामलों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की सलाह नहीं माने जाने का औचित्य प्रस्तुत करने को कहा गया। संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया अभी अभी पूरी हुई है।

(ग) और (घ) 14 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 22 ऐसे मामले हैं, जिन्हें प्रशासनिक प्राधिकारियों ने या तो उपर्युक्त आयोग से परामर्श नहीं किया अथवा उसकी सलाह नहीं मानी।

(ङ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 2001 की वार्षिक रिपोर्ट के विधिवत् और समुचित रूप से समेकन के बाद, सरकार इसे संसद के समक्ष रखने के सभी प्रयास कर रही है।

परती भूमि में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी

1173. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का परती भूमि के विकास में गैर–सरकारी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी तक किसी राज्य में उस दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) बंजरभूमि के विकास में गैर–सरकारी क्षेत्र को शामिल करने के संबंध में इस समय कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक कार्य बल द्वारा बंजरभूमि/वाटरशेड विकास के लिए अतिरिक्त निधियाँ जुटाने में ऋणदात्री/वित्तीय संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ाने संबंधी उपायों की जाँच की जा रही है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्तुओं की तस्करी

1174. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लादेश में तस्करी में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो बांग्लादेश को इस समय कौन सी वस्तुओं की तस्करी की जा रही है;

(ग) उन विभिन्न मार्गों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से तस्करी हो रही है; और

(घ) सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों से बांग्लोदश से तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) से (घ) भारत–बांग्लादेश सीमा सुभेद्य स्वरूप की है और वहां से तस्करी होती रहती है। तथापि, मुख्य रूप से तस्करी विशेषतया पश्चिम बंगाल राज्य में घनी आबादी और बाड़ रहित क्षेत्रों से होती है। पशु, चीनी, फेंसाडिल और मशीनी कल–पुर्जे आदि कुछ ऐसी वस्तुए हैं जिनकी तस्करी बांग्लादेश को होती है। ऐसी गतिविधियां रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) गश्त द्वारा सीमा की चौबीस घण्टे निगरानी।

(ii) बाड़ निर्माण और तेज रोशनी की व्यवस्था।

(iii) विशेष अभियान चलाना।

(iv) आसूचना तंत्र प्रणाली का उन्नयन।

(v) नाइट विजन तंत्रों का प्रयोग।

(vi) गश्त/नाका ड्यूटियों की नफरी में वृद्धि।

खेलों पर व्यय

1175. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं, नौवीं और दसवीं योजना में भारतीय खेल प्राधिकरण पर कितना व्यय किया गया;

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रबंधन में शामिल खेल प्रशासकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गैर–तकनीकी क्षेत्रों के कितने सदस्य हैं जो भारतीय खेल प्राधिकरण की कुल संख्या में शामिल हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आठवीं योजना	–	147.88 करोड़ रुपये
नौवीं योजना	–	318.09 करोड़ रुपये
दसवीं योजना	–	482.28 करोड़ रुपये (दसवीं योजना के दौरान संभावित रूप से होने वाला खर्च)

(ख) और (ग) ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1)	खेल वैज्ञानिक	–	38
(2)	प्राध्यापक	–	14
(3)	खेल प्रशासक	–	110
(4)	विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षक	–	1523
(5)	गैर–तकनीकी स्टाफ समेत अन्य	–	1864
	कुल	–	3549

ट्यूशन फीस में वृद्धि

1176. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल ही में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कॉलेजों में ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क और अन्य प्रभारों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो पहले की फीस, पिछले संशोधन की तारीख और उसमें वर्तमान वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चंडीगढ़ के कॉलेजों में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल कितने छात्र हैं;

(घ) क्या प्रशासन ने पंजाब राज्य के बाद, फीस में वृद्धि की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पंजाब राज्य ने वृद्धि वापस ले ली है; और

(च) यदि हां, तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ऐसा ने करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथापि, बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. भाग–II तथा III के छात्रों के लिए शुल्क ढांचे में परिवर्तन नहीं किया गया है, तथापि, बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. भाग–I के छात्रों के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार शुल्क 2516 रुपये से बढ़कर 5505 रु. कर दिया गया है:–

	2002–2003	2003–2004
शिक्षण शुल्क	780.00 रु.	2400.00 रु.
ट्यूटोरियल शुल्क	60.00 रु.	60.00 रु.
प्रवेश शुल्क	150.00 रु.	500.00 रु.
विश्वविद्यालय प्रभार	373.00 रु.	415.00 रु.
कालेज निधि	873.00 रु.	1700.00 रु.
पुस्तकालय प्रतिभू (प्रतिदेय)	100.00 रु.	250.00 रु.
पर्यावरण विधि	180.00 रु.	180.00 रु.
	2516.00 रु.	5505.00 रु.

इससे पूर्व शुल्क ढांचे में 28 जून, 2002 को संशोधन किया गया था।

(ग) चंडीगढ़ में कालेजों में पढ़ रहे स्नातक–पूर्व छात्रों की संख्या 21871 है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) चंडीगढ़ में शुल्क में वृद्धि उपलब्ध संसाधनों तथा व्यय में अन्तर को कम करने की दृष्टि से की गई है तथा इसका पंजाब में शुल्क ढांचे में परिवर्तन तथा तदोपरांत इसकी वापसी से कोई संबंध नहीं है।

ओ.बी.सी. के लिए रोजगार के अवसर

1177. श्री पी. सी. एलानगोवन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) को रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषकर समूह क और ख में ओ.बी.सी. की कर्मचारी संख्या कुल संख्या से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा ओ.बी.सी. को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(च) क्या सरकार ने समूह क, ख, ग और घ में ओ.बी.सी. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के संबंध में उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 08.09.1993 से लागू किया गया। इसके अलावा, समूह क और ख पदों के ज्यादातर अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियंत्रण प्राधिकारियों और अन्य समूह क और ख सेवा द्वारा की जाती है।

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, आरक्षण नीति के अनुसार की जा रही है।

(च) जी, हां। मंत्रालय के विभागों/संगठनों से अन्य पिछडे वर्गों के कर्मचारियों की संख्या की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है।

(छ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी में कार्यरत कर्मचारियों की सं.	कुल कर्मचारियों में से अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की सं. जो ग्रेड के हिसाब से है
1	2	3	4
ग्रामीण विकास विभाग			अ.पि.व.
1	श्रेणी क	51	00
2	श्रेणी ख	138	02
3	श्रेणी ग	157	09
4	श्रेणी घ	94	05
भूमि संसाधन विभाग			
5	श्रेणी क	20	00
6	श्रेणी ख	29	02
7	श्रेणी ग	30	01
8	श्रेणी घ	19	02
पेयजल आपूर्ति विभाग			
9	श्रेणी क	18	00
10	श्रेणी ख	21	00
11	श्रेणी ग	24	01
12	श्रेणी घ	11	01
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान			
13	श्रेणी क	78	02
14	श्रेणी ख	68	02
15	श्रेणी ग	172	37
16	श्रेणी घ	131	23
लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्			
17	श्रेणी क	28	02
18	श्रेणी ख	51	04
19	श्रेणी ग	49	07
20	श्रेणी घ	33	11

टिप्पणी:

1. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 8.9.1993 से लागू हुआ।
2. सेवा पंजिका में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में दी गयी जानकारी उपलब्ध है।
3. श्रेणी क के पदों पर नियुक्त अधिकांश अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य श्रेणी "क" सेवाओं के उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

जेनेरिक मेडिसिन

1178. श्री ए. वेंकटेश नायक :

श्री [illegible] ठाकुर :

श्री अशोक ना मोहोल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि**

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियां जेनेरिक मेडिसिन के नाम पर दवाएं बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि जेनेरिक दवाओं के थोक और खुदरा मूल्यों में 60 से 80 प्रतिशत का अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उक्त मूल्य अंतर को न्यूनतम करने और रोगियों का शोषण रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन दवाओं के निर्माताओं के विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के लिए, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का विनिर्माता द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। गैर–अनुसूचीतबद्ध सूत्रयोगों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय, अनुसंधान तथा विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवप्रवर्तन, उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माता द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जहां कहीं जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता पाया जाता है, वहां सरकार सुधारात्मक उपाय करती है।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

1179. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक की गई प्रगति का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन बाड़ों से पंद्रह से अधिक गांवों का विभाजन किया गया है जिससे ग्रामीणों में भारी भ्रम उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभी तक हुई प्रगति के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाने के कारण कोई भी गांव विभाजित नहीं हुए हैं। तथापि, जुताई वाली भूमि तक पहुंचने को सुकर बनाने के लिए बाड़ में गेट लगाए जा रहे हैं जो स्थानीय लोगों की आवश्यकता के अनुसार दिन में 5 बार खोले जाते हैं।

विवरण

भारत–पाक सीमा पर बाड़ लगाना

सेक्टर	सीमा पर अभी तक लगाई गई बाड़ की लंबाई (कि.मी. में)	सीमा पर लगाई जाने वाली प्रस्तावित बाड़ की शेष लंबाई (कि.मी. में)
पंजाब	457	कार्य पूरा किया गया।
राजस्थान	1048	कार्य पूरा किया गया।
गुजरात	62*	248
जम्मू	87	93

* सड़क और तटबंध का 62 कि.मी. तथा 16 कि.मी. में बाड लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

गैर आनुपातिक संपत्तियां

1180. **श्री रघुनाथ झा** : क्या **उप-प्रधानमंत्री** गैर आनुपातिक संपत्तियों के मामलों के बारे में 11.12.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3387 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है और उसके पूरा हो जाने के बाद, अपेक्षित जानकारी उपर्युक्त सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों के चयन हेतु नीति

1181. **श्री अधीर चौधरी :**

श्री नरेश पुगलिया :

श्री भास्करराव पाटील :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों का चयन करने हतु त्रुटिहीन नीति तैयार करने के लिए एक विशेष समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष समिति द्वारा तैयार उक्त नीति के अंतर्गत क्या मानदंड अपनाया जाना है; और

(घ) समिति द्वारा कब तक कार्य शुरू किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 16 अक्टूबर, 2003 को एक समिति गठित की गई है। इसमें प्रतिष्ठित खिलाड़ी, खेल पत्रकार और प्रशासक भी शामिल हैं। इस समिति को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन तथा द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों का चयन करने के वास्ते, वर्तमान योजनाओं/मार्गनिर्देशों में सुधार लाने के लिए सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है।

(ग) और (घ) इस समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

फेरी वालों के लिए प्रारूप नीति

1182. **श्री जी. एस. बसवराज :**

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार फेरी वालों के लिए एक प्रारूप नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी विधान पर विचार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) शहरी फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने का मामला सरकार में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राजस्थान के लिए निधियाँ

1183. **डा. जसवंतसिंह यादव** : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में खेल गतिविधियों के विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान को निधियाँ जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य द्वारा केन्द्रीय निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने और निगरानी हेतु सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, राजस्थान सरकार को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

2000–01	2001–02	2002–03
शून्य	0.04 लाख रु.	10.71 लाख रु.

(ग) धनराशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायता उपयुक्त किस्तों में जारी की जाती है। जबकि पहली किस्त राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थान द्वारा अपने हिस्से की कम से कम 50% राशि खर्च करने के बाद जारी की जाती है, अगली किस्तें जारी करने के प्रश्न पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र/प्रगति रिपोर्ट/लेखा परीक्षित लेखे, निर्मित की जाने वाली परियोजना के फोटो प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाएं

1184. **श्री ए. नरेन्द्र** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं को कुछ राज्यों में हाशिए पर कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने समानान्तर ग्रामीण विकास समितियां गठित की हैं;

(घ) क्या पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण को नजरअंदाज किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) किन–किन राज्यों में अभी तक पंचायत चुनाव नही कराये गये हैं; और

(छ) सरकार द्वारा पंचायती राज का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) और (ख) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के तहत राज्यों से अपेक्षा की गई है कि वे 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को निधियां, कार्य और कर्मचारी दें। इस संबंध में राज्यों द्वारा किए गए अंतरण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार विलेज डेवलपमेंट समितियाँ, जिन्हें ग्राम विकास समिति भी कहा जाता है, हरियाणा राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में गठित की गई है। इस समिति की अध्यक्षता गांव के सरपंच द्वारा की जाती है और इनमें महिलाएं अनु. जाति और पिछड़े वर्ग के पंच भी सदस्यों के रूप मे हैं।

(घ) और (ङ) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान के अनुसार सभी राज्यों के पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। तथापि, बिहार राज्य में अनु. जाति और अनु. जनजाति अध्यक्षों के लिए ये प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं क्योंकि यह विषय न्यायाधीन है।

(च) पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में और नव गठित राज्य–झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं।

(छ) चूंकि संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के लिए यह नोडल मंत्रालय है इसलिए यह मंत्रालय राज्यों में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है।

विवरण

पंचायती राज संस्थाओं को निधियों, कार्यों और कर्मियों के साथ

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंचायतों को निम्नलिखित के साथ हस्तांतरित विभागों/विषयों की संख्या		
		निधि	कार्य	कर्मियों
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	05	17	02
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
3	असम	–	29	–
4	बिहार	8	25	केवल कार्य नियंत्रण
5	झारखंड	–	–	–
6	गोवा	6	6	–
7	गुजरात	15	15	15
8	हरियाणा	–	16	–
9	हिमाचल प्रदेश	02	26	11
10	कर्नाटक	29	29	29
11	केरल	26	26	26

1	2	3	4	5
12	मध्य प्रदेश	10	23	09
13	छत्तीसगढ	10	29	09
14	महाराष्ट्र	18	18	18
15	मणिपुर	–	22	04
16	उडीसा	09	25	21
17	पंजाब	–	07	–
18	राजस्थान	18	29	18
19	सिक्किम	24	24	24
20	तमिलनाडु	–	29	–
21	त्रिपुरा	–	12	–
22	उत्तर प्रदेश	04	12	06
23	उत्तरांचल	–	11	11
24	प. बंगाल	12	29	12
25	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	06	06	06
26	चंडीगढ	–	–	–
27	दादरा एवं नगर हवेली	–	03	03
28	दमन व दीप	05	09	03
29	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	पंचायती राज व्यवस्था को अभी पुनः सक्रिय किया जाना है।		
30	पांडिचेरी	–	–	–
31	लक्षद्वीप	–	06	–

संविधान (73वा संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधान जम्मू व कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में लागू नहीं है।

[हिन्दी]

मृत कर्मचारियों के निकट संबंधियों को नौकरी और मुआवजा

1185. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी, विशेषकर बी.सी.सी.एल. और सी.सी. एल. के मृत कर्मचारियों, विस्थापितों तथा चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित कर्मचारियों के निकट संबंधियों को एक विशेष अभियान के जरिए नौकरियों और मुआवजा देने संबंधी मामलों को निपटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान मृत कर्मचारियों, विस्थापितों तथा चिकित्सीय आधार पर अयोग्य कर्मचारियों के आश्रितों 'से संबंधित निपटाए गए मामलों की वर्षवार और सहायक कम्पनी–वार कुल संख्या कितनी है; और

(घ) आज तक लम्बित ऐसे मामलों की सहायक कम्पनी–वार संख्या कितनी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) और (ख) मृत कर्मचारियों/विस्थापित व्यक्तियों, जैसा भी मामला हो, के पात्र आश्रितों को नौकरी अथवा मुआवजा (जहां भी लागू हो) प्रदान करने का कार्य कोल इंडिया लिमिटेड की पुर्नवास एव पुनःस्थापना नीति अथवा राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौतों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। यह एक सतत एवं जारी प्रक्रिया है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान निपटाये गये मामलों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:–

पिछले 3 वर्षों के दौरान (01.11.2003 तक) अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्तियों की कुल संख्या

	ई. सी. एल.	बी. सी. सी. एल.	सी. सी. एल.	डब्ल्यू. सी. एल.	एस. ई. सी. एल.	एम. सी. एल.	एन. सी. एल.	एन. ई. सी.	सी.एम. पी.डी. आई. एल.	डी. सी. सी.	सी. आई. एल. (मुख्या.)	कुल
मृत्यु होने पर												
2000–01	855	829	482	202	424	43	56	1	3	1	1	2897
2001–02	347	808	209	216	391	33	75	2	17	1	3	2102
2002–03	422	714	515	152	459	49	88	1	14	2	4	2420
2003–04	280	388	305	223	238	33	40	1	14	3	3	1528
स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य												
2000–01	33	47	52	16	59	13	–					220
2001–02	2	15	7	21	34	13	–					92
2002–03	1	11	4	6	47	1	7					77
2003–04	–	2	3	8	27	4	4					48
विस्थापित (भूमि के एवज में रोजगार)												
2000–01	410	81	67	112	246	256	16					1188
2001–02	47	29	17	60	98	124	17					392
2002–03	207	54	17	21	75	94	10					478
2003–04	55	46	8	23	20	144	4					300

(घ) 31.10.2003 की स्थिति के अनुसार अनुकम्पा आधार पर लंबित मामलों की संख्या नीचे दी गई है:–

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1670
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	125
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	457
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	220
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	89
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	27
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	169
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड	10

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

1186. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या देश कोयला उत्पादन के मामले में आत्म निर्भर है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोयले की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर और बढ़ने की संभावना है;

(ड) यदि हां, तो किस हद तक;

(च) प्रत्येक राज्य विशेषकर हिमाचल प्रदेश में कोयले की मांग और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(छ) केन्द्र सरकार द्वारा कोयले का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : (क) वर्ष 2002–2003 के दौरान देश में कायेले का वार्षिक उत्पादन 341.272 मिलियन टन हुआ।

(ख) और (ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2006–2007) हेतु कोयले की प्रक्षिप्त मांग 460.50 मिलियन टन है, जिसकी तुलना में प्रक्षिप्त देशीय कोयला आपूर्ति/उपलब्धता 405 मिलियन टन है। मांग और आपूर्ति/उपलब्धता के बीच अन्तर अच्छी गुणवत्ता के कोकिंग और नान–कोकिंग कोयले के उत्खनन योग्य भण्डारों के धीरे–धीरे समाप्त होने के कारण इनकी अनुपलब्धता की वजह से है।

(घ) और (ड) वर्ष 2003–2004 के दौरान 380.90 मिलियन टन मांग की तुलना में देशीय कोयला उपलब्धता का लक्ष्य 351.40 मिलियन टन है। 356.12 मिलियन टन की बढ़ी हुई प्रत्याशित आपूर्ति के साथ 2003–2004 के संशोधित प्राक्कलन में मांग तथा उपलब्धता के बीच में अंतर में कमी आने की संभावना है।

(च) वर्ष 2002–2003 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से कोयले तथा कोयला उत्पादों का प्रेषण, हिमाचल प्रदेश राज्य सहित, राज्य–वार नीचे दिया गया है:–

	राज्य	प्रेषण
1.	बिहार	0.950
2.	झारखंड	18.463
3.	पश्चिम बंगाल	25.192
4.	उत्तर प्रदेश	51.892
5.	उड़ीसा	21.111
6.	मध्य प्रदेश	28.721
7.	छत्तीसगढ़	25.236
8.	महाराष्ट्र	34.111
9.	गुजरात	15.379
10.	राजस्थान	9.985
11.	दिल्ली	4.788
12.	पंजाब	10.921
13.	हरियाणा	5.790
14.	तमिल नाडु	13.993
15.	आंध्र प्रदेश	13.918
16.	कर्नाटक	3.728
17.	केरल	0.095
18.	जम्मू–कश्मीर	0.103
19.	हिमाचल प्रदेश	0.635
20.	उत्तरांचल	0.017
21.	असम	0.251
22.	अन्य	0.244
	कुल	285.523

तथापि, कोयले की मांग का राज्य–वार आकलन नहीं किया गया है।

(छ) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(1) गृहीत अन्त्य उपयोग हेतु 136 कोयला खनन ब्लॉक निर्दिष्ट किए गए हैं, जिनमें से विभिन्न पार्टियों को ब्लाक आबंटित किए जा रहे हैं।

(2) संसद में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किए जाने के द्वारा गृहीत उपभोग के प्रतिबन्ध के बिना निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि।

(3) देश में भूमिगत तथा ओपनकास्ट, दोनों पद्धतियों से खनन करने के लिए राज्य सरकार की कंपनियों को अनुमति दिए जाने के द्वारा कोयला खनन नीति में संशोधन।

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

1187. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय तथा इसके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लोगों को नौकरी के पर्याप्त अवसर मुहैया कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों विशेषकर ग्रुप "क" और "ख" में अपेक्षित संख्या से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों से ग्रुप "क", "ख", "ग" और "घ" में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय के तहत 328 व्यक्ति जोकि अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) से संबंधित है, विभिन्न ग्रेडों में मंत्रालय/सम्बद्ध कार्यालय/स्वायत्त निकायों में कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) सरकार की नीति अनुसार ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण 1993 में शुरू किया गया था, जोकि सीधी भर्ती के संबंध में प्रतिबन्धित है। भर्ती के समय ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के संबंध में पालिसी पैरामीटर्स को मद्दे नगर रखा जाता है। ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की दृष्टि से विभिन्न रियायतें जैसे ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट, मूल्यांकन के मानकों में छूट प्रदान की जाती है। ओ.बी.सी. उम्मीदवार की गैर–उपलब्धता की हालत में आरक्षित रिक्ति को बाद में वर्ष में भरने के लिए खाली रखा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता है।

दिल्ली में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

1188. श्री जी. एस. बसवाराज :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वह प्राधिकरण उस आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ से अलग होगा जो आकस्मिक योजनाएं तैयार करने हेतु सर्वोच्च निकाय होगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार अन्य राज्यों में ऐसे आपदा प्राधिकरण स्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में ऐसे प्राधिकरण हैं और इस संबंध में किन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा दिसम्बर 1999 में प्रथम आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया गया था। दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन 23 अक्टूबर, 2003 को किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किया है ताकि आपदा प्रबन्धन में भागीदार सभी एजेंसियों को एक कमान और नियंत्रण के अधीन लाया जा सके। यह सर्वोच्च निकाय तैयारी, जागरूकता पैदा करने, अल्पीकरण और मानवसंसाधन विकास के संबंध में संयुक्त रूप से तथा समेकित तरीके से उपाय करने की पहल करेगा।

(ग) और (घ) संघ सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित करने की सलाह दी है। उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार प्रशासन, चंडीगढ़ प्रशासन, केरल, दिल्ली और नागालैंड ने आपदा प्रबंधन का गठन कर लिया है।

दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पद

1189. डा. जसवंतसिंह यादव : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली के अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा कड़ी करने हेतु दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त पद सृजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्। सरकार ने दिल्ली में विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन मार्गों की सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु दिल्ली पुलिस के लिए 700 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं।

(ख) इन पदों के श्रेणी–वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:–

निरीक्षक	7
उप–निरीक्षक	63
हैड कांस्टेबल	63
कांस्टेबल	567

(ग) इन पदों को लगभग एक माह के भीतर भर लिए जाने की सम्भावना है।

महाराष्ट्र की लम्बित जल आपूर्ति योजनाएं

1190. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों हेतु जल आपूर्ति योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र से संबंधित करीब 20 योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों ने उपर्यक्त योजनाओं को स्वीकृत करने हेतु मानदंडों में कतिपय संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का विचार विभिन्न कस्बों को इस योजना के तहत लाए जाने के लिए निर्धारित मानदंडों को संशोधित करने तथा 20,000 की आबादी के मानदंड को बढ़ाकर 1,00,000 की आबादी वाले शहर करने का है;

(छ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार जल आपूर्ति की सीमा 70 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति से बढ़ाकर 100 लीटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत करने के मानकों में संशोधन हेतु आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

(झ) यह मामला 1996 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था। ध्यानपूर्वक विचार के बाद तत्कालीन शहरी विकास राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सूचित किया था कि एक लाख तक की आबादी वाले कस्बों के लिए 70 एलपीसीडी का प्रति व्यक्ति मानक पर्याप्त है क्योंकि इन कस्बों में पानी की औद्योगिक और संस्थानिक मांग अधिक नहीं है। इसके अलावा, यदि सेवा स्तर को 100 एलपीसीडी तक बढ़ा दिया जाए तो पानी के उत्पादन की यूनिट लागत तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। अतः त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए सीमित केन्द्रीय सहायता और शहरी स्थानीय निकायों के सीमित वित्तीय आधार के साथ सभी लक्षित कस्बों को यह बुनियादी सुविधा प्रदान करना संभव नहीं होता।

जहां तक आबादी मानकों में 20,000 से 1,00,000 तक वृद्धि करने का संबंध है योजना आयोग का विचार था कि शहरी समूहों की अन्य श्रेणियों को शामिल करने हेतु स्कीम का विस्तार करने से पूर्व सर्व प्रथम 20,000 तक की आबादी वाले छोटे कस्बों में शहरी आबादी की मांग पूरी करना जरूरी होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी के अवसर

1191. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने मंत्रालय के तहत कार्यरत विभिन्न विभागों/उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या की तुलना में विशेषकर ग्रुप "क" और "ख" में काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करते हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(च) क्या सरकार ने ग्रुप "क", "ख", "ग" और "घ" में अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के बारे में उनके मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों और उपक्रमों से कोई विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के तहत भरी जाती हैं, जिसके अनुसार सीधी भर्ती की रिक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1993 में सीधी भर्ती मे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रारम्भ किया गया था। निर्धारित 200 प्वाइंट पद आधारित रोस्टर चालू करके अपेक्षित आरक्षण प्रतिशत को यथा समय प्राप्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा, इस मंत्रालय के अंतर्गत अनेक कार्यालयों मे सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(च) और (छ) ग्रुप "ए", "बी", "सी" व "डी" में अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रतिशतता के बारे में निर्धारित आवधिक विवरणियां मौजूद हैं। विभिन्न ग्रुपों में कर्मचारियों की संख्या और उनमें अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	कार्मिकों की सं.	अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित
ए	2310	66
बी	3613	30
सी	25401	661
डी	22605	518

अन्य पिछड़ा वर्गों हेतु आरक्षण

1192. श्री बाल कृष्ण चौहान : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री दिनांक 8.4.2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय तथा इसके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) से संबंधित लोगों को नौकरी के पर्याप्त अवसर मुहैय्या कराए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों विशेषकर ग्रुप "क" और "ख" में अपेक्षित संख्या से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मंत्रालय और इसके स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों से ग्रुप "क", "ख", "ग" और "घ" में आ.पि.व. के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई विस्तृत रिपोर्ट मांगी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (च) इस प्रश्न में मंत्रालय के साथ-साथ स्वायत्तशासी निकायों/कार्यालयों के संबंध में विस्तृत सूचना मांगी गई है। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंजरभूमि विकास हेतु विदेशी सहायता

1193. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बंजरभूमि विकास हेतु विदेशों से सहायता प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कितना धन आबंटित किया गया है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : (क) गैर सरकारी संगठनों से विदेशी सहायता के अंतर्गत सहायता/अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा सीधे ही प्राप्त नहीं किए जाते हैं। गैर-सरकारी संगठन अपने प्रस्तावों को दाता एजेंसियों को प्रस्तुत करते हैं, जो इन मामलों को सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग,

वित्त मंत्रालय को भेजती हैं। आर्थिक कार्य विभाग इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए आगे संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणियाँ भी प्राप्त कर सकता है।

(ख) से (घ) ऊपर उल्लेख की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय एन्क्लेव में भारतीय नागरिक

1194. श्री अमर राय प्रधान : क्या **उप-प्रधानमंत्री** 23.7.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सरकार को की गई सिफारिश कि "संबंधित देशों के एन्क्लेव को उन देशों को सौंपा जाए और उनकी सीमाओं का स्पष्टतः सीमांकित किया जाए" अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सिफारिश को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री स्वामी चिन्मयानन्द) : (क) से (ग) सरकार, 1974 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित भू सीमा समझौते के अनुसार बांग्लादेश के साथ एन्क्लेव की अदला–बदली करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि मामले में विदेशी सरकार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए एन्क्लेव की अदला–बदली के संबंध में कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती है।

दिल्ली में कानून व्यवस्था

1195. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुनी हुई राज्य सरकार को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विधेयक के कब तक संसद में पुरःस्थापित किए जाने का विचार है; और

(ग) दिल्ली पुलिस को चुनी हुई राज्य सरकार को सौंपने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। संविधान (एक सौ दोवां) संशोधन विधेयक, 2003 और दिल्ली राज्य विधेयक, 2003 जो 18.8.2003 को लोक सभा में पेश किए गए थे, में अन्य बातों के साथ–साथ, यह प्रस्ताव किया गया है कि संघ सरकार प्रस्तावित दिल्ली के नए राज्य में "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" के संबंध में विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों को अपने पास रखेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की टिप्पणियां

1196. श्री विनय कुमार सोराके : क्या **उप-प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट की जांच की है जिसमें भारत के विरुद्ध अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में एमनेस्टी इंटरनेशनल की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर जारी कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार एमनेस्टी इंटरनेशनल के पर्यवेक्षकों का जेलों/कारगारों और नजरबंदी कैम्पों में उन्मुक्त भाव के साथ उनका दौरा कराती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) एमनेस्टी इंटरनेशनल, लन्दन स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन है और भारत के बाहर स्थित अनेक उन गैर–सरकारी संगठनों में से एक है जो भारत सहित पूरे विश्व में, तथाकथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में समय–समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है। इस प्रकार के संगठनों द्वारा सूचना एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की गई प्रणालियों पर प्रायः प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। विशेष रूप से कि वह पक्षपात से मुक्त नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठनों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों पर इस प्रकार की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया करना सरकार की नीति नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कोई प्रत्युत्तर भी नहीं दिया है।

(ङ) और (च) एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रेक्षक मानवाधिकार मुद्दों के बारे में अध्ययन करने के लिए, समय–समय पर, भारत का दौरा करते हैं। तथापि, एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के प्रेक्षकों को केवल पूर्वानुमति से जेलों/कारागारों और नजरबंदी कैंपों का दौरा करने दिया जाता है।

[हिन्दी]

विशेष कमांडो बल

1197. श्री रामशकल : क्या उप-प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ रोकने और आतंकवादी गतिविधियों को प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित करने के लिए विशेष कमांडो बल की चार नई बटालियनों हेतु अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन बटालियनों को वहां कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) सरकार के पास केन्द्रीय पुलिस बलों के कमाण्डो बटालियनें खडी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

झुग्गियां हटाना

1198. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने उनके मंत्रालय को यमुना नदी साफ करने के मद्देनजर यमुना नदी के किनारे से झुग्गियां हटाने का काम सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब झुग्गियां हटा दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त झुग्गियां कब तक हटाए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.2001 के आदेश द्वारा दिनांक 31.03.2003 तक यमुना नदी में जल की गुणवत्ता को अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। तथापि, उन्होंने यह टिप्पणी भी की थी कि दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों की उपस्थिति को देखते हुए यमुना नदी की सफाई के लिए किसी एक निकाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संबंधित एजेंसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में से एक कार्रवाई यमुना नदी के तट से झुग्गियों को हटाना थी।

(ख) से (घ) दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं झुग्गी–झोंपड़ी विभाग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और भूमि एवं विकास कार्यालय के साथ मिलकर गौतम पुरी–I, गौतम पुरी–II, कोका कोला प्लांट पावर हाऊस, गेट नं.–2 तथा गौसपुर डंपिंग ग्राउंड, निजामुद्दीन ब्रिज में स्थित चार स्क्वैयर बसावों को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें स्लम एवं झुग्गी झोंपड़ी विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि एवं विकास कार्यालय के अधिकारियों द्वारा झुग्गी समूहों का संयुक्त सर्वेक्षण किया जाना शामिल है। झुग्गियों को दूसरे स्थान पर बसाने का कार्य पुनर्स्थापना वाले क्षेत्रों में न्यायालयों के आदेश के रद्द किए जाने सहित धनराशि की उपलब्धता, तेजी से भूमि का अधिग्रहण तथा बाधाओं को दूर करने पर भी निर्भर करता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुझसे लिखकर इजाजत ली है कि आज के बजाए वे अपना स्टेटमेंट कल करने वाले हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुरई) : क्यों? आपने प्रधान मंत्री जी को क्यों छूट दी? आपने ही कहा था आज स्टेटमेंट होगा। ...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री जी को यहां सदन में मौजूद होना चाहिए, वह यहां मौजूद क्यों नहीं हैं? यह इस सदन की गरिमा का सवाल है ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : सोनिया गांधी जी को यहां बुलाइये, हमने कितनी बार यह मांग की है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा–पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोगों के नेता बोल रहे हैं, आप तो बैठ जाइये। इस सदन में प्रैक्टिस है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कभी काम होता है तो उन्हें हर समय एडजस्ट करते हैं। इस बारे में दो–तीन लीडर्स से भी बात हुई है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हमने कल भी रिक्वैस्ट की थी कि सोनिया गांधी जी को बुलाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल खुराना, कृपया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, जीरो–आवर शुरू नहीं हुआ है।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने भी मुद्दा उठाया था। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : हम भी सोनिया जी को बुलाने की मांग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज, बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : उड़ीसा के चीफ–मिनिस्टर यहां कैसे आये थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हमारी उपस्थिति में आपको यह आश्वासन दिया था कि चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं, वह अपने वापस आने पर तत्काल वक्तव्य देंगे। ...*(व्यवधान)* आपने जूदेव टेप मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का निपटान करने के दौरान, अपने विवेक से सभा को विश्वास में लिया और कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रमुखों की बैठक से वापस आने पर वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री 7 तारीख की शाम को राजधानी पहुंचे और कल 8 तारीख को सभा की बैठक थी। हमें यह जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आज वक्तव्य देंगे। अब, हमें यह ज्ञात हुआ है कि प्रधानमंत्री कल वक्तव्य देंगे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री इस मुददे पर सभा को गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं कि जब तक वह इस सभा को विश्वास में नहीं लेते, तब तक हम यह नहीं जान पायेंगे कि क्या श्री दिलीप सिंह जूदेव ने मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दिया है या नहीं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया : 'ओह ओह'।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : 'ओह ओह' न कहें। यह आम मसला नहीं है। इस मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपने अपनी बात कही भी है। कृपया बैठ जाइये।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपने इस मामले पर विनिर्णय दिया है, परन्तु आपके निर्णय की उपेक्षा की जा रही है और इसकी आज अवमानना की जा रही है। ऐसा क्यों हो? ... *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम प्रतीक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। निश्चित ही, प्रधानमंत्री की कोई कठिनाई होगी। सभा में आपके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री आज वक्तव्य देंगे। गत शाम, महासचिव ने हमें सूचित किया कि प्रधान मंत्री आज के बजाए कल वक्तव्य देंगे और मैंने उसका कोई विवाद खड़ा नहीं किया। परन्तु इसे अर्थहीन समझा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* क्या इस प्रकार की कोई घटिया टिप्पणी की जा सकती है? संसद को किसी भी मामले पर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

महोदय, मेरी उनके लिए शुभ–कामनाएँ हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, परन्तु मैं स्पष्टतः आपको यह बताऊंगा कि वे इस प्रकार प्रदर्शन करते हुए नहीं आ सकते और संसद की प्रथम पंक्ति की बेंचों पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। इस संसद का क्या हाल होगा? यह उचित नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी शुभकामनाएँ उनको प्रेषित कर दी हैं, क्योंकि उन्हें जनादेश मिला है। मैंने अपनी शुभ कामनाएँ दी हैं, परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसद में ऐसा व्यवहार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? माननीय प्रधानमंत्री और एक दिन चाहते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु माननीय संसदीय कार्य मंत्री को वक्तव्य देने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग क्यों बोल रहे हैं, मैंने उनको इजाजत दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, ये तीन सदस्य अगली बेंचों पर क्यों बैठे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री माने जी, आप क्यों शाउट कर रहे हैं। सदन में कुछ हुआ ही नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत हो जाइए।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, इससे पहले कि मैं इस बात पर प्रतिक्रिया दूं कि प्रधानमंत्री जी आज बयान क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मैं एक बात प्रतिपक्ष के साथियों से कहना चाहती हूं कि यह सदन हमारा एक परिवार है। दलगन राजनीति से ऊपर भी हमारे संबंध हैं। इस सदन में हम बेशक सत्ता पक्ष में और आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन हमारे सुख–दुख सांझे हैं, हमारी खुशी और गम सांझे हैं। इसलिए कम से कम एक बात हम एक–दूसरे को जरूर आश्वस्त करें कि ये सदस्य कल तक जो हमारे साथ साथी के रूप में बैठते थे, आज ये तीन राज्यों के मुख्यमंत्री होकर जा रहे हैं। अगर आज ये सदन में आये हैं, तो हम उनको बधाई देकर विदा करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनका स्वागत करता हूं। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी हैं। मैं माननीय मंत्री से व्यक्तिगत बातों को सम्मिलित न करने का अनुरोध करूंगा। .. *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : इनको अभिवादन देने से पहले बैक–बैंचेज पर बैठायें। .. *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : श्री मणि शंकर जी, यह केवल शालीनता की बात है कि हम लोग बधाई तो दे सकते हैं। ये लोग आज आए हैं और उसके बाद जा रहे हैं।

जहां तक प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का सवाल है, आपको मालूम है, मैंने कहा था कि वे सात तारीख की रात को आयेंगे और सुविधा के अनुसार समय तय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कल उनकी आपसे बात हुई थी, जिसके आधार पर आपने कहा कि वे कल बयान देंगे। यह कई बार होता है कि समय बदलने के लिए हम लोग स्पीकर से बात करते हैं। उन्होंने आपसे बात की और बाकायदा नोटिस दिया कि कल यहां 12 बजे और 12.30 बजे राज्य सभा में बयान देंगे। बयान देने से कोई भाग नहीं रहा है, लेकिन उनकी सुविधा आज बदल गई है। उन्होंने आपसे अनुमति मांगी कि कल यहां 12 बजे और 12.30 बजे राज्य सभा में बयान देंगे। आपने अनुमति दी और उसी के कारण वे कल यहां बयान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज हो गई है, जो पहले कभी न घटी हो या जिसके ऊपर वे सदन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। उनकी आपसे बात हुई और उसी के आधार पर आपने सदन को अवगत कराया था। उन्होंने आपसे अनुमति मांग कर नया नोटिस दिया कि वे कल यहां सदन में 12 बजे और राज्य सभा में 12.30 बजे बयान देंगे। *...(व्यवधान)* तीनों सदस्यों को सभी सांसदों की ओर से, जो मुख्यमंत्री हो कर जा रहे हैं, हम बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : महोदय, पूरी सभा की तरफ से मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरे सदन की तरफ से तीनों मुख्यमंत्रियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनन्दन करता हूं।

अपराह्न् 12.07 बजे

[हिन्दी]

सभापटल पर रखे गए पत्र

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की

उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 932 (अ) जो 18 अगस्त, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 20 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या का.आ. 594 (अ) में संशोधन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 8117/2003]

[अनुवाद]

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 8118/2003]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत खनिज संरक्षण और विकास (तीसरा संशोधन) नियम, 2003 जो 22 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8119/2003]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) किराया निर्धारण समिति (प्रक्रिया) नियम, 2003 जो 18 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1074 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किराया निर्धारण समिति (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2003 जो 18 सितम्बर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1075 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 8120/2003]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8121/2003]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1)(क) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8122/2003]

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8123/2003]

(2) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2003–2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रख गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 8124/2003]

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8125/2003]

(4) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8126/2003]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 की उपधारा (2) के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2003 जो 21 अगस्त 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 94 की उपधारा (2) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2003 जो 21 अगस्त 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 674 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 92 की उपधारा (2) के अंतर्गत बिहार पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2003 जो 21 अगस्त 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 675 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 जो 11 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 23 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 462 (अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8127/2003]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2000–2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8128/2003]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

लक्षद्वीप पंचायत विनियमन, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(1) लक्षद्वीप पंचायत सेवक (दंड और अपील) संशोधन नियम, 2001 जो 24 सितम्बर, 2001 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.7/5/97–डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

(2) लक्षद्वीप पंचायत सेवक (सेवा) संशोधन नियम, 2001 जो 13 सितम्बर, 2001 के लक्षद्वीप के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 7/3/97–डीओपी में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8129/2003]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : महोदय, मैं श्री हरिन पाठक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण–

(एक) अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) संशोधन नियम, 2003 जो 12 जुलाई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) संशोधन नियम, 2003 जो 12 अक्तूबर, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 364 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8130/2003]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिशट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8131/2003]

लघु उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8132/2003]

(2) (एक) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8133/2003]

(3) (एक) टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, गुवाहाटी के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8134/2003]

(4) (एक) सेंट्रल टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेन्टर, कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8135/2003]

(5) (एक) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फार स्माल इंडस्ट्रीज, मुम्बई के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8136/2003]

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कोल इंडिया लिमिटेड (खंड एक और दो), कोलकाता के वर्ष 2002–2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कोल इंडिया लिमिटेड (खंड एक और दो), कोलकाता का वर्ष 2002–2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा–परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 8137/2003]

अपराह्न् 12.11 बजे

[अनुवाद]

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं वर्ष 2003–2004 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर रक्षा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न् 12.12 बजे

[अनुवाद]

वित्त संबंधी स्थायी समिति

अड़तालीसवां से चौवनवां प्रतिवेदन

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य तथा व्यय विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(4) विनिवेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(5) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(6) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2003–2004) पर की–गई–कार्यवाही संबंधी 53वां प्रतिवेदन।

(7) बीमांकक विधेयक, 2002 संबंधी 54वां प्रतिवेदन।

अपराह्न् 12.13 बजे

[अनुवाद]

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

पचासवां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे : महोदय, मैं 'नगरपालिका–उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तारण) विधेयक, 2001 के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2003) का 50वां प्रतिवदेन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों हम अब 'शून्य काल' शुरू करते हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अधीर न हों। कृपया बैठ जायें। अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। कई सूचनाएं पिछले एक सप्ताह से लम्बित हैं। मैं आज 'शून्य काल' में

अधिकाधिक सूचनाओं पर कार्रवाई करूंगा। परन्तु प्रत्येक सदस्य को कुछ मिनट बोलने की अनुमति होगी, जैसा कि पहले होता आया है। मैं सूचनाओं पर कार्रवाई शुरू करता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर रहा हूं। कृपा करके बैठ जाइये। मैं उन सदस्यों की सहायता करना चाहता हूं, जो बार-बार सूचनाएं दे रहे हैं। इसीलिए मेरे साथ सहयोग करें। मैं एक सदस्य बोलने और अपना विचार व्यक्त करने के पश्चात् दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति दूंगा। सर्वप्रथम, श्री प्रभुनाथ सिंह अपने विचार व्यक्त करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : मुझे आपके विनिर्णय की जानकारी है। मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पिछले सत्र में तीन बार और इस सत्र में दो बार सूचना दी है। यह डीडीए घोटाले के बारे में है। इस बार मैं चौथी बार इस मुद्दे को उठा रहा हूं। मंत्री जी ने सभा में कोई वक्तव्य नहीं दिया है। डीडीए घोटाले का पता लगाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछले सत्र में इस मुद्दे को तीन बार उठाया था और मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार यथाशीघ्र इस पर कार्यवाही करूंगा।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रभुनाथ सिंह जी के साथ एसोसिएट करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 5.12.2003 को गोपनीय दस्तावेज राज्य सरकार में भेज कर सनसनी फैला दी। *..(व्यवधान)*

उस रिपोर्ट में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई से हथियार प्राप्त कर उथल-पुथल मचाना, आईएसआई के माध्यम से जाली रुपया मंगा कर देश की अर्थव्यवस्था तोड़ना, 2001 में दाऊद जैसे माफिया सरगना से मिल कर देश में तबाही मचाने की साजिश करना, कश्मीर के आतंकवादियों से मिल कर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना, बिहार और बिहार से बाहर हत्या, अपहरण, डकैती और बैंक डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देना एवं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा करने जैसी कार्रवाही शामिल है। *...(व्यवधान)* ऐसे अपराधी पर कार्रवाई करने के चलते बदनीयती से डीजीपी को हटाया गया। *...(व्यवधान)* राज्य सरकार द्वारा वैसे अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बढ़ता जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, यदि आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं, तो आपको इजाजत दूंगा लेकिन आप इस तरह से हाऊस को डिस्टर्ब न करिये आप बैठिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में इस तरह का बयान आया है कि सोनपुर मेले में सीआईडी की एक रिपोर्ट आयी है जिसे मैं आपकी अनुमति से दो-तीन लाइन्स पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं।

'चालू वर्ष के आरंभिक 273 दिनों के दौरान राज्य में प्रति घंटे औसतन 11 आपराधिक घटनायें हुई जिसमें हर ढाई घंटे पर एक व्यक्ति की हत्या, एक लूट, चार घंटे में एक अपहरण तथा 12 घंटे पर एक बलात्कार के अपराध दर्ज किए गए। यह जानकारी सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला राज्य अपराध अनुसंधान द्वारा प्रदर्शित आपराधिक आंकड़ों से प्रकाश में आई है' *...(व्यवधान)* अब तक 1750 हत्यायें, 259 फिरौतियों के मामले *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अगर आप यही करेंगे तो मैं किसी को मौका नहीं दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, डी.जी.पी. ने मजबूरी में इस मामले में बिहार के बारे में बताया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप बैठिये। आपके खड़े होने से क्या होगा। आपको जो कुछ कहना है मेरी अनुमति के बाद ही कहना होगा। इस सदन में हर सदस्य को अपना मुद्दा रखने का अधिकार मिला हुआ है और वह अपने अधिकार के प्रयोग के तहत नोटिस देकर ही बोल रहे हैं। मैंने यह भी कहा है कि उनका नोटिस मेरे पास है और वे बोल रहे हैं। रघुवंश प्रसाद जी, यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको भी मौका दूंगा। लेकिन बीच-बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको मौका नहीं दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, डीजीपी ने 20 नवम्बर के प्रभात खबर में एक बयान दिया है कि पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा है और 21 नवम्बर के हिन्दुस्तान में यह बयान आया है कि 18 प्रतिशत पुलिस वाले बेईमान हैं। दैनिक जागरण 21 नवम्बर में कहा गया है कि अपराधियों के मुख्य सरगने शाहबुद्दीन का पैर छूने के लिए जेल में मंत्रियों का तांता लगा हुआ है। मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं लेना चाहता *...(व्यवधान)* यहां तक कि रा.ज.द. के सुप्रीमो जेल में उनके पैर छूने के लिए गए थे *...(व्यवधान)* डी.जी.पी. के खिलाफ जब ऐसा एक्साइज मंत्री ने कहा तो पब्लिक ने जूता-चप्पल चलाकर उनका स्वागत किया *...(व्यवधान)*

अपराह्न् 12.18 बजे

(इस समय माननीय सदस्य, श्री राम प्रसाद सिंह आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गऐ)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर जो टिप्पणी की है, उसे हम बताना चाहते हैं। यह 15 जुलाई, 2003 के हिन्दुस्तान अखबार में छपा है – 'शर्म नहीं आती है बिहार सरकार को' फिर 19 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने कहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राम प्रसाद सिंह जी, इधर आने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा न हो कि आप नुकसान में रहें। आप अपनी जगह पर जाइये। कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

अपराह्न् 12.19 बजे

(इस समय माननीय सदस्य, श्री राम प्रसाद सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, 24 अक्तूबर को हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि सत्ता में बैठे हुये लोगों को समझा दीजिए कि – 'गरीबों का कत्लेआम न करें' राबड़ी सरकार के 'मंत्री तलब किए जायेंगे' ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो नियम के अंतर्गत आप चर्चा मांग सकते हैं। जीरो आवर में इतनी लम्बी चर्चा कैसे हो सकती है?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार के श्री सीता राम यादव द्वारा हरिजन की जमीन पर जबरदस्ती दखल करने के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा हो सकती है। आप चर्चा मांगे। हम इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। मैं बी.ए.सी. में इस विषय को रखूंगा और सभी सदस्य चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर जी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह एक मिनट बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका नोटिस नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के समय आप हिस्सा ले सकते हैं।

श्री कीर्ति झा आज़ाद : सर, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मात्र एक मिनट तक बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट मैटर है। वहां एक डी.जी.पी. को हटा दिया गया, जिसके खिलाफ इन्हीं की पार्टी की श्रीमती रेनु देवी का विशेषाधिकार का नोटिस लम्बित है। पोलिटीकल लोगों को गाली देना, लफंगों की सरकार है, पुलिस में 80 प्रतिशत लोग चोर हैं ...*(व्यवधान)* इस तरह से बयान दिया तो उसे हटा दिया गया और वहां उनकी रणवीर सेना के लोग हैं। बिहार के सारे क्रिमिनल उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। वे वहां भी बयान दे रहे हैं और यहां भी उनके पक्ष में बयान दे रहे हैं और वह सी.बी.आई. जांच में कसूरवार है। ...*(व्यवधान)* वह कसूरवार है इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। प्रैस से हटकर यहां बयान दे रहे हैं। वहां भी बयान दे रहे हैं और यहां भी अपराधी लोग उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रशेखर, माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, बोलेंगे।

अपराह्न् 12.21 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

[हिन्दी]

(एक) पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को निरुद्ध किए जाने के बारे में

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ आपकी विशेष अनुमति से एक सवाल उठाना चाहता हूं, श्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब की जेल में है। उनका लड़का भी जेल में है। वहां नित्य ऐसी खबरें आती हैं कि उनके साथ जेल में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। हमारी संसदीय कार्य मंत्री भी वहां गई थीं। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। एक नई प्रवृत्ति हमारे देश में पैदा हो रही है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए हम लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। इस

प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। बादल ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो देश छोड़कर भाग जाते। चार हजार करोड़ रुपये उनके पास हैं या बीस हजार करोड़ रुपये उनके पास हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह की चार्जशीट अखबारों में छपी है, वह विश्वसनीय नहीं जान पड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्पंदनहीन हो गये हैं, हम लोगों की संवेदना मिट गई है। अभी कल ही कुछ सदस्य श्री वाइको की रिहाई के लिए या कम से कम उन्हें सदन में आने की अनुमति देने की बात कर रहे थे। मैंने सुना था कि सरकार पोटा को समाप्त कर रही है फिर भी श्री वाइको एक साल से अधिक जेल में हैं। ऐसी हालत में हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अभी एक इंजीनियर बिहार में मारा गया। उसके बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं होती। हमारी अपने साथी, अपने मित्र, वरिष्ठ राजनीतिक लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर इस तरह का काम करेंगे तो यह संसदीय परम्परा नहीं चल सकेगी। यदि आप इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकें तो बड़ी कृपा होगी।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : श्री चन्द्रशेखर जी ने जो कहा हम उससे सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले से आपको सम्बद्ध करने की अनुमति है। डॉ. ए.डी.के. जयशीलन जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बी.ए.सी. में विषय लेकर वहां इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जायेगी, फिर इस पर चर्चा करेंगे।

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही है पंजाब और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों को यहां की भावनाओं के बारे में आप अवगत करा दें। *...(व्यवधान)* बादल जी के बारे में और उनका बेटा जो एक एम.पी. है, जेल में उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, एक एम.पी. के साथ जेल में कैसा व्यवहार हो रहा है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे. एस. बराड़ (फरीदकोट) : लेकिन, महोदय, सदन को तथ्यों से अवगत होना चाहिए। मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा उपस्थित करायें, मैं चर्चा दे दूंगा।

श्री जे.एस. बराड़ : यह चर्चा की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा की ही बात है। जयशीलन जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं, आप शुरूआत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डॉ. जयशीलन, अब अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है। श्री जयशीलन जी का ही रिकार्ड पर जायेगा।

श्री जे. एस. बराड़ : महोदय, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। पंजाब के पूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वह अदालत के मुताबिक हुई है, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि अदालत ने उन्हें जेल में भेजा है और उनके परिवार के खिलाफ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जयशीलन जी, आप क्यों नहीं बोलते।

श्री जे. एस. बराड़ : जो केस है और उन्होंने राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी करप्शन की है। अगर अदालत उन्हें सजा देती है, हमें न्यायालय में विश्वास है और कानून अपना कार्य करेगा। यह कहना गलत है कि यह बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुकम्मिल इंक्वायरी होने के बाद स्पीकर साहब यह कार्रवाई हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. ए. डी. के. जयशीलन (तिरूचेंदूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और सम्पूर्ण सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय से संबंधित और कोई बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : अध्यक्ष जी, आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने जो मुद्दा उठाया और जगमीत जी ने उस पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, मैं उस पर केवल इतना कहना चाहती हूं कि जो उन्होंने अदालत की बात की है कि अदालत में मुकदमा चल रहा है, अदालत की कार्यवाही अलग है। जो सवाल उन्होंने उठाया, वह जेल की सुविधाओं का उठाया है। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री वहां गई थीं। जब ये शिकायतें मुझ तक आईं तो संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझे लगा कि वह मेरा फर्ज बनता है चूंकि

सुखबीर सिंह बादल राज्य सभा के सदस्य हैं और प्रकाश सिंह बादल पूर्व एम.पी. और पूर्व मुख्य मंत्री भी हैं। मैं पटियाा जेल गई थी और वहां जाकर मैंने देखा कि जेल में जब इनको ले जाया गया था तो दोनों बाप–बेटों को अलग रखा गया था और सुखबीर जी का कहना है कि उन्को कन्डैम्ड सैल में रखा गया था जहां फाँसी के लोग रहते हैं। लेकिन जब यह मामला उठा और राज्य सभा के चेयरमैन ने हस्तक्षेप भी किया तो उन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी जो है, वह यह है कि आम तौर पर जो कैदी हैं, यहां तक कि इसके पहले जो अकाली दल के दूसरे मंत्री जेल में बंद थे, उनके लिए भी मुलाकात पर पाबंदी नहीं थी। वहां बाकायदा नोटिस लगा दिया गया कि सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल को केवल मंगलवार और शुक्रवार को एक से डेढ़ घंटे तक लोगों से मिलने की इजाजत होगी। दूसरा, वे दोनों पिता–पुत्र जेल की एक कोठरी में हैं लेकिन वे और किसी कैदी से नहीं मिल सकते और ये बातें वह हैं जो जेल सुपरिन्टैन्डैन्ट के कमरे में जब मेरी मुलाकात हुई तो उनके कहने पर नहीं, जेल सुपरिन्टैन्डैन्ट से मैंने दरियाफ्त की और पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये और किसी कैदी से नहीं मिल सकते। ... *(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : यह सरासर गलत है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : जेल सुपरिन्टैन्डैन्ट ने यह कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : आज तक देश के इतिहास में इतनी ज्यादा सहूलियतें जेल में अगर किसी व्यक्ति को दी गई हों तो मैं लोक सभा की सीट से रिज़ाइन कर दूंगा। ...*(व्यवधान)* यह गलत है। उन्हें सभी विशेषाधिकार मिले हैं। उन्हें गीज़र उपलब्ध कराया गया है, हीटर उपलब्ध कराया गया है और उन्हें विशेष रूप से तैयार की गई चारपाई दी गयी है। ...*(व्यवधान)* पूरी मुलाकात जेल की परंपराओं के हिसाब से हो रही है। यह सरासर गलत बात है। बम भी और जेलों में गए हैं। माननीय चन्द्रशेखर जी उसी कंडैम्ड सैल में रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय चंद्रशेखर जी कि वहां इतनी सहमलियतें दी गई हैं कि अगर आप देख लें तो आप हैरान होंगे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने वही कहा जो यह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको कोला मिलती है, उनको पैप्सी मिलती है, उनको आलू के चिप्स मिलते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : ये गलत बात कह रही हैं। पांच मंत्री इस देश के उनको जेल में मिलने गए हैं और उन पांच मंत्रियों ने वहां आकर बयान दिए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़ बैठिये। देखिये, रघुवंश प्रसाद जी भी बैठ गए हैं, आप क्यों नहीं बैठते?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, ये जिन सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने भी एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : राम विलास जी, आप बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीया मंत्री को सदन में बोलने का अधिकार है और वह जब कभी चाहे वक्तव्य दे सकती हैं। वह वक्तव्य दे रही हैं। यदि आपको कोई आपत्ति है, जैसा कि आप सदैव आपत्ति करते हैं, तो आप वक्तव्य में जो कहा गया है उसके विरुद्ध बोल सकते हैं। लेकिन मंत्री महोदया को अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए क्योंकि वह बोल रही हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जे. एस. बराड़ : वह एक पक्षीय राजनैतिक वक्तव्य दे रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह राजनैतिक वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आप राजनैतिक रूप से सदैव इसका विरोध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जिन सुविधाओं की बात जगमीत जी कर रहे हैं, उन सुविधाओं का ज़िक्र बाद में कैप्टन अमरिन्दर जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कोला मिलती है,

पैप्सी मिलती है, आलू के चिप्स मिलते हैं। मैं जिन चीजों की बात कर रही हूं और मैंने जेल सुपरिन्टैन्डैन्ट से पूछा, यह मैं उन दोनों के कहने पर नहीं कह रही हूं। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस लगा दिया है कि ये केवल मंगलवार और शुक्रवार को एक घंटे मिल सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बाकी कैदियों से वे नहीं मिल सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है, तो उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : बाकी कैदियों से वे नहीं मिल सकते। केवल पिता–पुत्र इकट्ठे कर दिये गये हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, अब बोलने के लिए कुछ नही है। वह अपनी बात कह रही हैं और उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : यहां तक कि तोहड़ा जी भी हमारे साथ गए थे। वे अंदर जाना चाहते थे और वे सांसद हैं, लेकिन यह कहा गया कि चिट्ठी चार लोगों की आई है, इसलिए उनको इजाजत नहीं होगी। वे डेढ़ घंटा बाहर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें कुर्सी तक नहीं दी गई बैठने के लिए। यह जो बदसलूकी है, कोई अदालत यह नहीं कहती कि सलूक कैसा हो। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : सभा में इस तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* इस विषय पर हमें दोनों पक्षों की बात करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* वह सभा में इसे कैसे उठा सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इसमें संसद कैसे शामिल हो सकती है?

श्री शिवराज वि. पाटील : भारत सरकार इसमें किस तरह शामिल है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जगमीत जी का जो पाइंट है, ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे कैसे किया जा सकता है?

[हिन्दी]

श्री जे. एस. बराड़ : अध्यक्ष महोदय, चूंकि सुषमा जी बोल रही हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके बाद आप मुझे बोलने का अवसर जरूर दें। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, जगमीत जी का तर्क है कि अदालती कार्रवाई के चलते जो हो रहा है, लेकिन जेल में कैसे सुलूक किया जाए, यह अदालत तय नहीं करती और अगर यह बदसलूकी हो रही है और बंधन लगाया जा रहा है कि केवल मंगलवार तथा शुक्रवार को मिल सकेंगे, केवल एक घंटे के लिए मिल सकेंगे, जेल के बाकी कैदियों से नहीं मिल सकेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। हम इस बदसलूकी का जिक्र कर रहे हैं। अदालत इसमें कहीं आड़े नहीं आ रही है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जेल के अंदर इमरजेंसी लग रही है। शाहबुद्दीन से सारे लोग मिलते हैं और बादल से नहीं मिल सकते, ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। शाहबुद्दीन बाहर घूमता है। उससे एक दिन में 100–100 आदमी मिलते हैं और वहां बादल से कोई नहीं मिल सकता है, यह क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : अध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि कोई भी आदमी किसी जेल में है, तो जेल के कानून और रूल के मुताबिक उसके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। उस आदमी के खिलाफ पोलिटिकली मोटीवेट हो कर, कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में इन्फोर्मेशन किसको है, मिनिस्टर को है, हम उसका जवाब दे सकते हैं, क्या इस फ्लोर का इस प्रकार से यूज किया जा सकता है, वे सिर्फ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसलिए उन्हें बोलने की इजाजत दी जाती है, वे इस प्रकार का सवाल उठा सकती हैं, क्या यह सही है? जो वे कह रही हैं, हम उसका जवाब दे सकते हैं। चन्द्रशेखर जी ने जो बात कही है, वह लालू प्रसाद जी पर बिहार में लागू होनी चाहिए, तामिलनाडु में भी होनी चाहिए और पंजाब में भी होनी चाहिए। इस प्रकार से यहां सवाल नहीं उठाया जा सकता है और कोई इस हाउस को इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या यह ठीक बात है? हमारे पास इन्फर्मेशन नहीं है। यह स्टेट मैटर है और मिनिस्टर आफ पार्लिंगामेंट्री अफेयर्स स्वयं इस बात को यहां उठा रही हैं और इस सदन का पोलिटीकली यूज कर रहीं हैं और हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, यह चीज ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर अब और कोई चर्चा नहीं होगी। मैं अब दूसरे सदस्य को अनुमति दूंगा। डा. ए.डी.के. जयशीलन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

...(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं एक बार कहना चाहता हूं। माननीय चन्द्रशेखर जी ने इस सभा में बड़े ही दायित्वपूर्ण ढंग से दो मुद्दे उठाए थे। संसदीय कार्य मंत्री ने श्री बादल और उनके पुत्र के मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि श्री वैको के मामले में उनकी प्रतिक्रिया क्या है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभी सदस्य उन्हें यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा. जयशीलन, आप अपनी बात कहें। इसके पश्चात् श्री पी. मोहन की बारी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि वैको साहब इस हाऊस में आएं, इस हेतु हम सबने साइन करके दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदया श्री वैको के मुद्दे पर वक्तव्य देना चाहती हैं, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं उन पर वक्तव्य देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह श्री वैको के मुद्दे पर भी कोई वक्तव्य देना चाहती हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सुषमा स्वराज को श्री प्रकाश सिंह बादल और उनके पुत्र के संबंध में चिंता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने श्री वैको, जो सभा के सदस्य हैं, श्री राजो सिंह, इस सभा के सदस्य, और लालू प्रसाद यादव, राज्य सभा के सदस्य जब जेल में थे, तो उनके बारे में कुछ भी क्यों नहीं कहा था। मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं कि कृपया सभा को बताएं कि इन मामलों में क्या किया गया? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने सीधे–सीधे प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदया उसका उत्तर देना चाहती हैं। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की कोई जिम्मेदारी है, मैं सांसदों को यह बता दूं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया बैठ जाएं। आप माननीया संसदीय कार्य मंत्री की बात सुने।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, मैं सांसदों को बता दूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, आप माननीय मंत्री की बात सुने।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनकी ही सरकार में रहे केबिनेट मंत्री, श्री रघुराज प्रताप सिंह और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्य रहे, जब उन्हें पोटा के अंतर्गत बंद किया गया तो उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जेल के अंदर उनके साथ जो व्यवहार किया, उस पर क्या इन्होंने उन्हें देखने के लिए अपना जरा भी काम बढ़ाया, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, यह मैं जानना चाहता हूं? *...(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, सदन के अलग–अलग सांसदों ने अलग–अलग लोगों के नाम लेकर कहा कि क्या आप उन्हें देखने गईं। पहले मैं यह बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं अपने आप बादल जी को भी देखने नहीं गई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब, आपने यहां वक्तव्य क्यों दिया? *...(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने यहां वक्तव्य क्यों दिया? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं, महोदय, यह तरीका नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : सवाल उठाया है तो मेरी बात भी सुन लीजिए। सुखबीर सिंह बादल राज्य सभा के सीटिंग एमपी हैं। उनकी पत्नी चेयरमैन, राज्यसभा के पास आईं और उन्हें यह शिकायत की। तब चेयरमैन, राज्यसभा ने मुझे बुलाकर कहा कि यह मामला सदन में उठाना चाहती हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री के नाते पटियाला में जाकर देखें। अगर इन तमाम चीजों में अध्यक्ष के नाते आपने मुझे कहा होता या आज कहे कि मुझे किसी को देखने जाना है तो मैं निश्चित जाऊंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कौन सही और कौन गलत है, इसका पता हमें कैसे लगेगा? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : चेयरमैन, राज्यसभा ने मुझे निर्देशित किया और मैं उनके कहने पर पटियाला गई। ...*(व्यवधान)* मैं संसदीय कार्य मंत्री दोनों सदनों की हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब इस विषय पर काफी चर्चा हो गई है, अब श्री पी. मोहन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी. मोहन आप अपनी बात रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : उन्हें सभा के बाहर राजनीति करनी चाहिए, सभा के अन्दर नहीं ...*(व्यवधान)*

डा. ए. डी. के. जयशीलन : महोदय, कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : डा. जयशीलन, मैंने आपको एक मौका दिया है। मैंने आपको आमंत्रित किया। लेकिन आप नहीं बोले। मैंने आपको बोलने के लिए कहा लेकिन आप नहीं बोले। आप बैठ क्यों गए? जब श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम खड़े थे, उन्होंने आपको बैठने के लिए कहा और आप बैठ गए। आप बैठे क्यों थे? आपको इस समय बोलना चाहिए था।

अब अन्य सदस्यों को बोलने दें। अब अन्य सूचनाओं को भी लेने दीजिए।

डा. ए. डी. के. जयशीलन : महोदय, कृपया, मुझे बोलने का मौका दें। मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा मामला बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. मोहन, कृपया बैठ जाएं। डॉ. जयशीलन को अपनी बात रखनी चाहिए। इसके पश्चात् मैं आपको बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

डा. ए.डी.के. जयशीलन की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, श्री वैको इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और इनकी पार्टी के सदस्य हैं। इसलिए आप इन्हें निर्देशित करें कि ये इन्हें भी देखने जाएं। ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे चेम्बर में मिलें, हम सब मिल कर इस विषय पर सोचेंगे। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. ए. डी. के. जयशीलन : महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरी सम्माननीय सभा और सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मालदीव और मलेशिया में तमिलनाडु से काम की तलाश में गए कुछ भारतीय श्रमिकों के मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर हनन हो रहा है। हाल ही में, तमिलनाडु के तिरूचि में रहने वाले सरबनन नामक कर्मचारी को मालदीव की पुलिस द्वारा जाली मामले के आधार पर हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने उसको पड़ताड़ित किया। उसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी मालदीव में ही कर दिया गया।

महोदय, उसके परिवार में वही एकमात्र कमाने वाला था। उसके बुजुर्ग माता–पिता को धक्का लगा है और वह घबराए हुए हैं।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मालदीव में कमलहसन नाम से एक और व्यक्ति अभी भी पुलिस हिरासत में है और उसके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में कोई खबर नहीं है।

इसी तरह, वहां एक और भयावह घटना घटी। वहां आठ निर्दोष तमिल युवा जेलों में बंद हैं और उन्हें मलेशिया में मृत्यु दण्ड मिलने की संभावना है। यह भी बहुत गम्भीर मामला है। वे वहां रोजगार के लिए गए थे लेकिन अब उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्हें जेल में बंद किया गया है। उनके पास अपनी रक्षा करने हेतु अपना मामला लड़ने के लिए पैसा नहीं है। उन्हें किसी प्रकार की भी कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह केन्द्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह इस प्रकार से बंद किए गए लोगों की सहायता करें। धनाभाव के कारण, उन्हें मृत्यु दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, महोदय, मैं अपनी पार्टी के नेता जो कि विश्व भर में तमिलों के नेता, डा. कालिंगर है, की ओर से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो युवा मालदीव और मलेशिया में बंद पड़े हैं उन्हें छुड़वाया जाए।

...(व्यवधान)

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, कृपया, मुझे एक छोटी सी बात कहने की अनुमति प्रदान करें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा था कि आपकी सूचना मेरे कंसीडरेशन में है, मैं देखकर आपको बताता हूं।

अपराहन् 12.41 बजे

[अनुवाद]

(दो) देश में वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में

***श्री पी. मोहन (मदुरै)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में देश के वस्त्र क्षेत्र के सामने आ रही गम्भीर समस्या को लाना चाहता हूं। भारत सरकार कपास और सूती धागों की सभी किस्मों के अन्धा–धुन्ध निर्यात हेतु अनुमति दे रही है, लेकिन यह कुछ नहीं बल्कि एक कायरतापूर्ण कार्रवाई है क्योंकि इससे बुनकर क्षेत्र के हितों को गम्भीर ठेस लग रही है। केन्द्र की इस अविवेकपूर्ण कार्रवाई से हथकरघा और विद्युत करघा उद्योग तथा कपास और सूती धागे के निर्यात को जारी रखने से इन दोनों क्षेत्रों को बनाए रखने में गम्भीर धक्का लगेगा। कपास और सूती धागे के मुक्त निर्यात से तीव्र मूल्य वृद्धि हुई है, मैं सरकार से तैयार उत्पादों पर सैनवैट के रूप में लगाए जाने वाली उस 10 प्रतिशत लेवी को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करता हूं जिससे कि धागा और बुनकर उद्योग प्रभावित हुआ है। मैं सरकार से प्रतिबद्ध मूल्यवृद्धि को सुनिश्चित करने वाली लघु इकाइयों में फार्म 'सी' भरने की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। कपास और सूती धागे के अंधाधुंध निर्यात पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाना अत्यावश्यक है क्योंकि इससे हमारी वस्त्र संबंधी अर्थव्यवस्था के मर्मस्थल पर आघात लगेगा। हथकरघा और विद्युत करघा चलाने वाले छोटे बुनकरों के लाभार्थ सूती धागे के बैंकों की स्थापना किए जाने की भी आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एडजर्नमेंट मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत ही गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसका नोट लें।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : मैं संबंधित मंत्री को इससे जरूर अवगत करा दूंगी।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में चल रही राष्ट्रविरोधी माओवादी गतिविधियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके कारण भारत नेपाल सीमा भी अति संवेदनशील हो चुकी है। पूरी सीमावर्ती क्षेत्र में बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों की तस्करी और अत्याधुनिक हथियारों की तस्करी भारत के अन्दर नेपाल के माध्यम से हो रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर तमाम क्षेत्रों में हुए दंगे और वहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रविरोधी तत्वों को प्रश्रय देने के कारण पूरा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हो चुका है। अभी यहां पर बिहार के पूर्व डी.जी.पी. की रिपोर्ट के बारे में एक माननीय सदस्य ने बताया है, जिसमें सदन के एक माननीय सदस्य पर गम्भीर आरोप लगाये गये हैं और तमाम आपराधिक गतिविधियों

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

के साथ–साथ पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आई.एस.आई. के साथ उनके सम्बन्धों के बारे में उन्होंने बिहार सरकार को भी अपनी रिपोर्ट दी है। ...*(व्यवधान)*

सदन के एक सदस्य के ऊपर पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी के साथ सम्बन्ध होने का आरोप बिहार के पुलिस महानिदेशक के द्वारा लगाया जाता हो तो यह अत्यन्त गंभीर मामला है, यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इस सब के बारे में निश्चित ही भारत सरकार को ही जांच करानी चाहिए और अगर सदन से जुड़ा हुआ कोई सदस्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : यह गलत आरोप लगाया जा रहा है, इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो बातें नोटिस से सम्बन्धित नहीं हैं, वह मैं रिकार्ड से निकाल दूंगा।

योगी आदित्यनाथ : महोदय, साथ–साथ ऐसे तत्वों को प्रश्रय देने के कारण आज उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर तमाम क्षेत्रों में स्थितियां अत्यन्त संवेदनशील हुई हैं, इसलिए इस बात का नोटिस लिया जाये और उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज मोहन रावले जी का बर्थ डे है, इसलिए उनको सदन में कुछ बोलने दो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। यह दिन बार–बार आए।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए सदन का आभारी हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी दो बहनें और एक भाई मुख्यमंत्री बने हैं, मैं इसे अपने जन्म–दिन की भेंटे समझता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, अब श्री मोहन रावले उन्हें बधाई दे रहे हैं, इसके कारण आप अपनी बधाई को वापस ले रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं? इस चैम्बर से बाहर, मैं माननीय मुख्य मंत्रियों से मिला और मैंने प्रत्येक को बधाई दी। मैंने तो बस इतना ही कहा कि जलूस में आना और आगे के बैंचों में बैठ जाना अच्छा नहीं है। मैं तो केवल इस सभा की परम्परा की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं।

मैंने उन्हें शुभ कामनाएं दी। श्रीमती सुषमा जी इन बातों को समझ पाने में गलत थीं। उनकी आलोचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अपने लिए महान विजय हासिल की है। यद्यपि मुझे खुशी नहीं है कि वे जीते हैं। फिर भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्हें लोगों से जनादेश प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से लोगों को उनसे अपेक्षाएं हैं। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं। मैं अभी भी अपनी बधाई पर कायम हूं। श्रीमती सुषमा स्वराज इसे समझने में गलत थीं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, आज विपक्ष की नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी जन्मदिन है। मैं उनको जन्मदिन की मुबारक बाद देता हूं।

मैं आज एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। जब बिहार के ऊपर इस सदन में चर्चा हो रही थी तब आपने खुद कहा था कि चर्चा का वातावरण शांतिमय होना चाहिए। उस समय सभी सदस्यों ने आपको सुना था। केवल एक–दो सदस्य थोड़ा बहुत बोले थे लेकिन सभी सदस्यों ने शांति से आपकी बात सुनी थी। आज समाजवादी पार्टी के नेता जो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं – *... *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत आरोप है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : आप सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : यह बिल्कुल सही बात है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजी लाल सुमन : आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, यह भूमि पुत्रों की लड़ाई है। हम अपने राज्य में अपना हक मांगना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* हमारे राज्य में हमें प्रॉयरिटी मिलनी चाहिए। देश के सभी राज्यों में उस प्रान्त के लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में कैसें सम्मिलित करा सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह बात पेपर में आई है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इनके पास कुछ तथ्य हैं या नहीं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, जो बात पेपर में आई है, क्या उसके बारे में आपने कुछ इंक्वायरी की है? क्या आपको मालूम है कि उन्होंने ऐसा कहा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा तो यह बात रिकार्ड में नहीं हो सकती।

...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : उन्होंने यह भाषा कही तो क्या हम चुप बैठने वाले हैं। ...*(व्यवधान)* हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ... *(व्यवधान)*...* अगर वह ऐसा बोलेंगे तो हम चुप थोड़े ही बैठेंगे। ..*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह जी का हम आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इतना बताना चाहता हूं कि भूमि पुत्रों की लड़ाई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोहन रावले जी, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना बताना चाहता हूं कि भूमि पुत्रों की लड़ाई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अखिलेश जी को बोलने की परमीशन दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, शिवसेना ने जो आंदोलन किया, वह वहां तक ही सीमित था। ...*(व्यवधान)* आज तक मुम्बई में एक बिहारी को भी हाथ नहीं लगाया गया और न ही कोई मुम्बई छोड़कर गया है। ...*(व्यवधान)* आप क्यों बदनाम कर रहे हैं? ... *(व्यवधान)* ये लोग वातावरण खराब कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* भड़काने वाले भाषण देते हैं। ...*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रावले जी, आपने सदन के सामने अपना मुद्दा रख दिया है इसलिए अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, रावले जी ने इनके बारे में कहा है। इस सम्मानित सदन में जब आसाम, महाराष्ट्र और बिहार के सिलसिले पर चर्चा हो रही थी तब मैंने "डे ऑफ्टर" मैगजीन के हवाले से आपसे निवेदन किया था कि उसमें श्री बालासाहब ठाकरे का बयान छपा है कि महाराष्ट्र की धरती से हम भइया और बिहारी, दोनों को खदेड देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : ऐसा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : आप क्या बात कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश सिंह जी, इनके पास कोई विषय नहीं है इसलिए आप बोलिये।

...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, बालासाहब ठाकरे ने वातावरण को खराब किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, क्या आप बोलना नहीं चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, बाला साहब ठाकरे जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिहारी हमारी भाई हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, ...*...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी रोजी–रोटी का सवाल है। यह हमारी मांग है। ...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैंने "डे ऑफ्टर" मैगजीन के हवाले से निवेदन किया था ...* *...(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पार्टी के लीडर हैं, आपको तो समझना चाहिए।

ज़ीरो आवर का नियम यह है कि आपको केवल दो मिनट में अपना मुद्दा रखना होता है। उसके ऊपर दूसरे किसी को भी वक्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं होती। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। वह बात सच है या नहीं, यह मुझे भी मालूम नहीं है। लेकिन मैंने पेपर में जरूर पढ़ा है कि उन्होंने ऐसी बात की है। इसलिए मैंने उनसे पूछा है कि यदि आपके पास कोई प्रूफ है तभी यह विषय रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। इसके बाद यह विषय पूरा हो गया है। अब कुंवर अखिलेश सिंह जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, क्या माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए ये सभी वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जा रहे हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह अभिप्रमाणित नहीं है तब तक यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : और तो और, यह अध्यक्ष पीठ से कहा जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैंने भी इसके बारे में प्रेस में पढ़ा था।

...(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तात से निकाल दिया गया।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मुझे खेद है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जा सकता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा कि उन्होंने वक्तव्य दिया है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : यह सूचित करना ही काफी है कि ऐसा वक्तव्य दिया गया है। कृपया, ऐसा न करें।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रेस में है और इसके अलावा कुछ नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, यदि आप बोलना नहीं चाहते तो मैं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय को समाप्त कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं कि यदि इसका सत्यापन नहीं किया जाता तो इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, 'शून्य काल' को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं है। हम इस बात को समझते हैं। लेकिन इससे किसी सदस्य को किसी के विरुद्ध कुछ भी कहने की छूट नहीं मिल जाती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत हूं।

श्री अखिलेश, मैं नहीं चाहता कि आप सदन का समय लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैंने आपका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह विषय बंद कर दिया है। अब उस विषय पर चर्चा नहीं होगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह विषय बंद कर दिया है। इस पर अब आगे कोई चर्चा नहीं होगी। जो शब्द सत्य नहीं हैं उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, गत एक वर्ष के दौरान जब तब समाचार–पत्र की खबरों के अनुसार दिल्ली में डीडीए घोटाला के नाम से एक बड़े घोटाले का रहस्योद्घाटन हुआ है। इसकी वजह से न केवल अधिकारियों को हटाया गया बल्कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को भी इस्तीफा देना पड़ा था।

प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि किस प्रकार उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के साथ सांठ–गांठ करके निर्णय मे हरे फेर की और उसका संबंध डीडीए के प्रशासनिक अधिकारियों से भी था। इसके अलावा, समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि अन्य संबंध भी थे। मैं इस विषय मे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास सत्यापित दस्तावेज नहीं हैं।

महोदय, जब घोटाले का रहस्योद्घाटन हुआ, तब मैंने इस आशय के कई नोटिस इस सदन में दिए थे। सम्बन्धित मंत्री इस संबंध में स्थिति के बारे में सदन में वक्तव्य देने के लिए आगे नहीं आए। दिल्ली के चुनाव की पूर्व संध्या पर मुझे बताया गया कि गत सप्ताह इस मामले में मुख्य आरोपी को अकेले बहाल कर दिया गया और अन्य लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। सदन यह जानना चाहता है कि क्या लिंक है और इसके क्या कारण हैं? मैंने इस पर कई बार नोटिस दिए हैं आज, मैंने इस उद्देश्य से इस विषय पर नोटिस दिया है कि शहरी विकास मंत्री सदन में अवश्य आएँ और स्पष्ट करें कि इस घोटाले के लाभार्थी कौन हैं।

महोदय, समचार पत्रों में कई सूचियां प्रकाशित हुई हैं। कई सूची इंटरनेट पर आईं और उनमें कई नाम भी थे। मैं तब तक कोई नाम नहीं लेना चाहता जब तक कि मैं सरकार का आधिकारिक बयान नहीं सुन लेता। जब से यह घोटाला प्रकाश में आया है। देश में सभी की विशेषतः मीडिया की यह मांग है कि सरकार को इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकार, सभी विषयों पर विपक्ष की मांग और दबाव पर वक्तव्य देती है। किन्तु इस मामले में शहरी विकास मंत्रालय इस विषय से बच रहा है और व्यापक वक्तव्य नहीं दे रहा है।

महोदय, मुझे आगे बताया गया कि कुछ जांच अधिकारी जिन्होंने इस मामले की जांच प्रक्रिया शुरू की थी, उन्हें शिफ्ट, स्थानांतरित कर दिया गया और बदल दिया गया है। मैंने उस दिन कहा था कि सीबीआई का अर्थ है केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो। किन्तु अब सीबीआई के दो अर्थ हो गए हैं। एक, यदि किसी मामले में सत्ताहीन प्राधिकारी लिप्त हैं तो सीबीआई का अर्थ है 'क्लीयर बिफोर इन्वेस्टीगेशन' यदि इसमें विपक्ष लिप्त है तो वे इसे जांच से पूर्व ही आरोपी बना देंगे। इस तरह सीबीआई काम कर रही है। मैं शहरी विकास मंत्री से मांग करता हूं कि इस सदन में घोटाले के सभी तथ्य रखें जिसमें जांच की प्रक्रिया, किसने जांच शुरू की, कौन काम कर रहा है और इस प्रकार की जानकारी शामिल हो। ये सभी ब्यौरे और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश, श्री मुखर्जी जिन्हें इस्तीफा देना पडा था के संपर्क को भी स्पष्टतः बताना चाहिए। सभा के समक्ष इन सब बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं शहरी विकास मंत्री से इस मामले पर वक्तव्य देने की मांग करता हूं। मेरे विचार से वह अभी यहाँ नहीं हैं। आज सुबह मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि आज शहरी विकास मंत्री से प्रश्न पूछने का दिन है। मैंने शहरी विकास मंत्री को नोटिस दिया था किन्तु वह इससे बच रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सर, हमारा भी इश्यू लिया जाए। *...(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हरेक को बात नहीं करनी है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.56 बजे

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश और बिहार में धान की खरीद के मानदण्डों में छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपये ,प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और कई राज्यों में भारत सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए अलग–अलग नीति अपनाई है। कई राज्यों में धान की खरीद भारत सरकार की केन्द्रीय एजेंसियां सीधे कर रही हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में धान की खरीद राज्य एजेंसियों द्वारा कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी तक धान की खरीद के मानक में भारत सरकार ने छूट प्रदान नहीं की है जबकि कई राज्यों में जहां इनकी केन्द्रीय एजेंसियां धान की खरीद कर रही हैं, वहां पर धान की खरीद के मानक में

छूट प्रदान की गई है जिसके कारण यू.पी. और बिहार में धान की खरीद की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है जिससे किसानों में अत्यंत आक्रोश और क्षोभ व्याप्त है।

जब यू.पी. में बीजेपी की हुकूमत थी और राज्य एजेंसियां खरीद कर रहीं थी तब इन्होंने धान की खरीद के मानक में छूट प्रदान की थी लेकिन आज समाजवादी पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है, इसलिए द्वेशपूर्ण भावना के कारण यू.पी. के किसानों के साथ और बिहार में चूंकि राजद की सरकार है, इसलिए वहां की सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यू.पी. और बिहार में धान की खरीद के मानक में छूट नहीं दी जा रही है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से केन्द्र सरकार अपनी एजेंसियों के द्वारा अन्य राज्यों में धान की खरीद के मानक में छूट दे रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी धान की खरीद के मानक में छूट प्रदान की जाए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : अध्यक्ष जी, इसी विषय पर हमारा भी नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे विभिन्न सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव हेतु सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थगन प्रस्ताव की छह सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और मैंने उन सब को अस्वीकृत कर दिया है। किन्तु मैंने श्री राम विलास पासवान को बोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर नोटिस दिया है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एक व्यक्ति की हत्या के बारे में है। मैं अपने विचार रखने में केवल एक मिनट लूंगा। ...*(व्यवधान)* महोदय, हमारी विचार से यह ऐसा मामला है जिसे सदन को शीघ्र लेना चाहिए और हम सरकार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मामले में वक्तव्य चाहते हैं। निधियों का कुप्रबंधन, अपव्यय और काम की घटिया गुणवत्ता के बारे में गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। किन्तु सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और परिस्थिति ऐसी है कि माननीय प्रधान मंत्री को इस अनुरोध के साथ पत्र लिखने के बावजूद ही नाम उजागर नहीं किया जाए, उस अभियंता का नाम उजागर किया गया। किसी तरह यह सामने आ गया। यह प्रधानमंत्री के कार्यालय से मंत्रालय को गया। हम नहीं जानते कि कौन जिम्मेदार है। अन्ततः उसकी हत्या कर दी गयी। इसी बात की उन्हें आशंका थी। इस परियोजना के कार्यकरण के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए थे।

अब, सब जगह यह कहा जा रहा है कि यह माननीय प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना है। पूरे देश में, इसके बारे में संकेतपट और पोस्टर लगे हुए हैं। मैं इस परियोजना के प्रति प्रधानमंत्री की निष्ठा को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि वह अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की बात कर रहे हैं। किन्तु इसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों को दबाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमें आशा थी कि सरकार इन बातों के प्रकाश में आते ही वक्तव्य देगी। पहले भी हमने इसका उल्लेख सदन में किया था। मैं इसे विशेष रूप से उठाना चाहता हूं ताकि हमें सरकार से उत्तर मिले और मैं मांग करता हूं कि यह किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : कृषि मंत्री जी को अपना पक्ष रखना चाहिए। धान की खरीद नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश में जानबूझकर यह समस्या पैदा की गई है। यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, आपका नाम भी उनके साथ संबद्ध कर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)* कृपया कृषि मंत्री जी से बयान दिलवाइए। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न् 1.00 बजे

श्री रामजीलाल सुमन : यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : भारत सरकार के कृषि मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री जी खड़ी हैं, तो आप बीच में क्यों बोलते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री

(श्रीमती सुषमा स्वराज) : धान की खरीद का मामला जो अभी अखिलेश सिंह जी ने और श्री रामजीलाल सुमन ने उठाया है, मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगी कि वह इसको देखें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री राम विलास पासवान बोलेंगे, कोई और नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : धान की खरीद कृषि मंत्रालय नहीं करता है, खाद्य मंत्रालय करता है। इसलिए फूड मिनिस्टर को कहें कि वह इसको देखें।

अध्यक्ष महोदय : जो भी सम्बन्धित मंत्री है, वह देखेंगे।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें नाम है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका नाम भी एसोसिएट किया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं भी इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है कि सात नवम्बर का दिन देश के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। उस दिन "द हिन्दू" और "मुरोसोली" अखबारों के पत्रकारों और सम्पादकों के ऊपर ही नहीं, बल्कि प्रेस की आजादी के ऊपर तमिलनाडु में हमला किया गया। यह देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुखद दिन था। हम लोकतंत्र में चौखम्भा राज की बात करते हैं, चौथा पिलर प्रेस है। जिस तरीके से तमिलनाडु की सरकार ने वहां प्रेस की आजादी के ऊपर हमला किया, प्रधान मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी, विपक्ष की नेता और देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने उसकी निंदा की।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : यह विषय न्यायाधीन है। ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : यह विषय न्यायाधीन है ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम श्री राम विलास पासवान का समर्थन कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप स्पीकर हैं। यह मामला कहीं न कहीं स्पीकर से भी सम्बन्धित हो जाता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप स्पीकर की हैसियत से इसको देखें कि जो प्रेस की आजादी है, वह खत्म नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 01.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी।

श्री रतनलाल कटारिया

[हिन्दी]

(एक) हरियाणा में अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित आदिबद्री का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला के अन्तर्गत सढौरा विधान सभा क्षेत्र में आदिबद्री स्थल को मां सरस्वती के उद्भव स्थल के रूप में पहचाना गया है। सैटेलाइट चित्रों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि कभी सरस्वती नदी आदिबद्री से निकल कुरूक्षेत्र, पेहवा व राजस्थान होती हुई गुजरात में जाकर समुद्र में विलीन हो रही है। माननीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री स्वयं इस स्थान का दौरा कर चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस नदी में जल प्रवाह को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इस स्थल को विकसित करने के लिए क्या–क्या योजनायें सरकार ने बनाई हैं? माननीय मंत्री जी ने भी कुरूक्षेत्र में प्रथम दिसम्बर, 2003 को शुरू हुए गीता जयन्ती उत्सव के अवसर पर भी अपने संकल्प को दोहराया था कि वे इस स्थल का विकास करेंगे। मैं माननीय

मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में एक वक्तव्य सदन में दें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करें।

(दो) गुजरात में नवोदय विद्यालय बोरखडी में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभ के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री मानसिंह पटेल (मांडवी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र तहसील व्यारा के बोरखड़ी में स्थित नवोदय विद्यालय की दयनीय हालत की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस स्कूल के भवन के चारों तरफ कोई दीवार, खेलने के लिए कम्पाउंड, लैब इत्यादि का अभाव है। कम्प्यूटर की शिक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं है। इस स्कूल में आदिवासियों के होनहार बच्चे पढ़ते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में इस स्कूल की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस विद्यालय में सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध करवायी जाए जिससे आदिवासी बच्चे ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के झांसी-लखनादौन भाग को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (मध्य प्रदेश) से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 का विस्तार करके केन्द्र सरकार द्वारा इसे उत्तर दक्षिण कॉरीडोर लेन फोर लाइन एक्सप्रेस हाईवे के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष अत्याधिक वर्षा होने के कारण झांसी से लखनादौन का मार्ग काफी खराब हो गया है जिससे इस फोर लाइन एक्सप्रेस हाईवे मार्ग से निकलने वाले वाहनों में काफी टूट-फूट होने लगी है एवं समय भी ज्यादा लगने लगा है। देश के उत्तरी भाग को देश के दक्षिण राज्यों से जोड़ने वाला यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हाईवे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 26 के कि.मी. 132/800 से 215 का भाग राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के पास है। उनके द्वारा इसके चार लेन चौड़ीकरण का कार्य फरवरी 2005 तक निर्धारित करने का लक्ष्य लोक निर्माण विभाग को इस भाग में यातायात को ठीक तरह से रखने के लिए 2002-2003 में 33.28 लाख रुपये तथा चालू वर्ष में 33.28 लाख रुपये दिए गए।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मार्ग की उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण कार्य करवाने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

(चार) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन क्षेत्रों में बसे परिवारों को पुनर्वास पैकेज का लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, '78 के बाद वन अतिक्रमण करने वाले 4000 से अधिक परिवार हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में वस्तुतः भुखमरी के शिकार हैं। इन अतिक्रमण करने वालों में से साठ प्रतिशत '78 से पूर्व के है किन्तु अंडमान और निकोबार प्रशासन ने उन्हें गलती से '78 के बाद का चिन्हित कर दिया है।

जुलाई 2002 में, उन की भूमि और फसल नष्ट हो गयी थी। उन्हें अभी भी भारत सरकार द्वारा दिए गए पुनर्वास पैकेज का लाभ नहीं दिया गया है।

- 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने बीच में ही विद्यालय छोड़ दिया क्योंकि उनके माता-पिता के पास पुस्तकों, बस भाड़ा इत्यादि का खर्चा वहन कर सकने के साधन नहीं हैं।
- कच्चे मकान जर्जर हो गए और छूट गए हैं क्योंकि उन्हें बेंत, बांस, बल्ली इत्यादि जैसे न्यूनतम वन उत्पाद भी नहीं मिल सके।
- बच्चे जंगली कन्दमूल और कई बार केवल उबले चावल खा कर जी रहे हैं
- वनों में अब डी.आर.एम. नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। किराने की दुकानों ने उन्हें उधार देना बंद कर दिया है जिसके परिणामतः उनके पास स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए अनिवार्य वस्तुएं पाने के साधन नहीं है।
- भारत सरकार के निर्देश के बावजूद यहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। वे भुखमरी, गरीबी, असहाय और अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पुनर्वास पैकेज के लाभ को लोगों तक पहुंचाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

[हिन्दी]

(पांच) देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले भी इस विषय को उठा चुका हूं लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण पुनः यह मामला उठा रहा हूं।

भारत सरकार ने जब से आर्थिक उदारीकरण के अंतर्गत अभी तक जितने भी सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया है तथा कर्मचारियों को वीआरएस दिया या छंटनी की है उससे देश में

बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है। नव जवानों को शिक्षित होने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। विनिवेश किए गए उपक्रमों में प्रबंधन की मर्जी से भर्तियां की जा रही है जिस कारण पूरे देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न होता जा रहा है और आम लोगों को आसानी से काम नहीं मिल पा रहा है। जो कर्मचारी विनिवेश के बाद कार्यरत हैं उन्हें भी नये प्रबंधन द्वारा परेशान करके नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। निजी उद्यमी केवल अपने मुनाफे के लिए उद्योगों का उपयोग कर रहे हैं उन्हें देश तथा उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की कोई चिन्ता नहीं है। मैं एक श्रमिक प्रतिनिधि होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विनिवेश के बावजूद भी श्रमिक अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। इसलिए इन कम्पनियों में सरकारी हस्तक्षेप एवं निगरानी होना आवश्यक है। अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि उक्त सभी तथ्यों को गम्भीरतापूर्वक लिया जाये तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए शीघ्र उपाय किए जायें।

[अनुवाद]

(छह) आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के चहुँमुखी विकास के लिए एक संदर्शी योजना बनाए जाने और इस जिले में बार-बार पड़ने वाले सूखे की रोकथाम के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनंतपुर) : महोदय, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में सबसे कम वर्षा होती है। इस जिले के लोगों की एकमात्र आजीविका का स्रोत कृषि है। आजीविका का वैकल्पिक साधन मुहैया कराने के लिए जिले में छोटा या बड़ा कोई उद्योग नहीं है।

प्रत्येक वर्ष सूखे के कारण हजारों लोगों को रोजगार की खोज में दूर-दूर के स्थानों को पलायन करना पड़ता है। इस दयनीय स्थिति से निपटने के लिए सूखा राहत कार्य से कहीं अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय दल, जिसने हालही में जिले का दौरा किया, ने भी यह महसूस किया था कि जिले के ग्रामीण गरीबों के लिए स्थायी आजीविका रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह जिले की परिस्थितियों तथा संसाधन की संभावना का अध्ययन करने तथा निकाय के पर्यवेक्षण में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए जिससे ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। पेशेवर निकाय के पर्यवेक्षण में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए उपयुक्त सुझाव देने हेतु अर्थशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों सहित विशेषज्ञों का एक दल भेजे। सरकार के लिए यह सबसे अच्छा समय है जबकि सरकार ने जिले की कृषि में खाद्य प्रसंस्करण रेशमी वस्त्र नियोग आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को लाकर विविधता लाने की बात सोची।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए एक संदर्शी योजना तैयार करने हेतु वह इस मामले को योजना आयोग के साथ उठाए जो कि जिले की प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण कृषि क्षेत्र में बहुत ही अलाभकर स्थिति में है।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश के फूलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरुणा नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु इस नदी से गाद निकाले जाने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे फूलपुर संसदीय क्षेत्र में प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में वरुणा नदी में जल भराव के कारण सैंकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं। इस वर्ष 2003 में बरसात के दिनों फूलपुर हंडिया तहसील के अंतर्गत सैंकड़ों गांव पानी में डूब गये। सैंकड़ों मवेशी मारे गये। पांच छह व्यक्तियों के मकान ढह जाने से उनकी मृत्यु हो गई। सैंकड़ों घर घराशायी हो गये। हजारों परिवारों को सड़क पर आकर रहना पड़ा। हजारों परिवारों की खाद्य सामग्री, बिस्तर, चारपाइयां पानी में डूब गये। खेतों में पानी अब भी भरा हुआ है। लगी फसल को नहीं काट पा रहे हैं और गेहूं की बोवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पशुओं के लिए चारा भी नहीं है।

वरुणा नदी की सफाई न होने के कारण प्रतिवर्ष इसी प्रकार का जल भराव होता है। इसकी सफाई होना अति आवश्यक है जोकि फूलपुर, इलाहाबाद से बनारस तक जाती है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस वर्ष 2003-2004 में वरुणा नदी की सफाई के लिए विश्व बैंक से अथवा केन्द्र सरकार स्वयं अपने बजट से धन मुहैया कराकर वरुणा नदी की सफाई हेतु धन उपलब्ध कराये जिससे अगले वर्ष 2004 में बरसात के पूर्व सफाई का कार्य पूरा हो सके।

(आठ) महाराष्ट्र के परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानवत तालुका में प्रस्तावित नवोदय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभनी में ग्राम बलसा, तालुका तथा जिला परभनी में सरकार ने एक नवोदय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस विद्यालय हेतु जिस जमीन का आबंटन करने का निर्णय लिया था, उसके अधिग्रहण के खिलाफ कुछ स्थानीय लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया है, जिस कारण नवोदय विद्यालय

की स्थापना में विलम्ब हो सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मानवत तालुके में काफी सरकारी जमीन उपलब्ध है तथा महाराष्ट्र सरकार वहां जमीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।

अतः इस माननीय सदन के माध्यम से मैं मानव संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभनी में ग्राम बलसा के स्थान पर मानवत तालुका में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु तुरन्त निर्देश देने का कष्ट करें।

(नौ) बुन्देलखंड विकास स्वायत्त परिषद की स्थापना करने और बुन्देलखंड क्षेत्र का विकास करने के लिए इस परिषद को धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल (हमीरपुर, उ.प्र.) : महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पिछड़े जनपद हमीरपुर एवं जनपद महोबा के साथ-साथ जनपद बांदा, चित्रकूट धाम, जालौन, झांसी, ललितपुर भी अत्यंत पिछड़े जनपदों की सूची में शामिल है। इन सभी जनपदों में आजादी के लगभग 55 वर्षों बाद भी सामाजिक तथा आर्थिक विकास के आधार पर मूलभूत ढांचे जैसे संचार, बिजली, पानी, शिक्षा, उद्योग, कृषि, रेल जैसी सुविधा आज तक आम जनता को प्राप्त नहीं है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र देश के अन्य राज्यों से अलग-थलग पड़ा है।

अतः प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र के सभी जनपदों के साथ मध्य प्रदेश राज्य के सागर, छतरपुर, पन्ना, सतना, भिंड आदि जनपदों को मिलाकर एक बुन्देलखंड विकास स्वायत्त परिषद का गठन किया जाए और तत्काल 5000 करोड़ रुपये की राशि इस स्वायत्त परिषद् को दी जाए, ताकि इस बुन्देलखंड क्षेत्र के आधारभूत ढांचे का बुनियादी विकास हो सके।

[अनुवाद]

(दस) हज विमान-किराया राजसहायता पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लिए जाने की आवश्यकता

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने हज विमान किराया सब्सिडी पर अनेक शर्तें लगा रखी हैं। जो लोग आयकर देते हैं, जो दूसरी बार हज यात्रा पर जा रहे हैं अथवा जो हज समिति द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें अब उक्त हज सब्सिडी से वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार, यहां तक जो थोड़ा अथवा नाममात्र का भी आयकर देता है उसे वंचित कर दिया गया है। एक कर-दाता अपने परिवार को भी हज-यात्रा पर ले जा सकता है। इसलिए महिलाएं सबसे ज्यादा घाटे में होंगी। अधिकांश गरीब लोग पवित्र स्थानों पर मुसाफिर खानों या रूबात में ठहरना चाहते हैं। लगाई गई शर्तें उचित नहीं हैं और बहुत ही आपत्तिजनक हैं। पूर्व में भी, मैंने इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री को दो बार लिखा था। इन शर्तों के कारण अनेक लोग इस धार्मिक यात्रा से वंचित रह जाएंगे। इन शर्तों के विरुद्ध बहुत अशांति और विरोध है। यह भी माना जाएगा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह लोगों को अपने धार्मिक कार्य करने को सुगम बनाए। तदनुसार, सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के धार्मिक त्योहारों को सुगम बनाने में बहुत बड़ी धनराशि खर्च करती है। मैं सरकार से इन शर्तों को वापस लेने तथा इस संबंध में तत्काल घोषणा करने का अनुरोध करूंगा।

(ग्यारह) प्रशासनिक मूल्य तंत्र के हटाए जाने के पश्चात् प्राकृतिक गैस के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के एक दल ने श्री के.सी. पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में गैस के मूल्य निर्धारण के प्रश्न पर विचार किया है। मैं मंत्रियों के दल द्वारा की गई सिफारिशों तथा उठाए गए कदमों, यदि कोई हो, पर उनके विचारों को जानना चाहूंगा। ताकि प्रशासनिक मूल्य तंत्र के हटाए जाने के बाद प्राकृतिक गैस के मूल्य में वृद्धि को रोका जा सके।

[हिन्दी]

(बारह) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिलें में ग्रामीण विकास कार्य की समीक्षा के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार करोड़ों रुपये देती है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा है जिसके कारण ग्रामीण विकास का काम जो होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में पुराने प्रस्तावों को रद्द करके नए-नए प्रस्ताव बना दिये हैं। वहां के विधेयक एवं सांसदों के सुझावों पर कोई काम नहीं हो पा रहा है जबकि केन्द्र सरकार के मानकों के मुताबिक इन जन-प्रतिनिधियों की राय एवं सुझाव लेना परम आवश्यक है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि प्रतापगढ़ जिला के ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार अपना एक दल तत्काल भेजे।

अपराह्न 2.22 बजे

[अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद सं. 16 और 17 पर चर्चा करेगी। सांविधिक संकल्प और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पर आगे चर्चा। इसके लिए आबंटित समय में से 2 घंटे और 27 मिनट का समय लिया जा चुका है। अब शेष समय 1 घंटा 33 मिनट हैं।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : उपाध्यक्ष महोदय, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 माननीय वित्त मंत्री द्वारा आयकर अधिनियम, 1961, धन–कर अधिनियम, 1957 और व्यय–कर अधिनियम, 1987 में और आगे संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह कतिपय लोगों के लाभ के लिए कतिपय प्रावधानों में संशोधन के लिए है। किसी भी प्रकार से हम इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इस सरकार का स्वयं का दावा है कि यह भारत के विकास के लिए कार्य कर रही है लेकिन उसका ध्यान केवल कुछ खास लोगों पर है जो कतिपय रियायतों के लिए लामबंद रहे हैं।

हम बड़ी आसानी से इन प्रावधानों में यह देख सकते हैं जिनमें पोत भंजन के लिए कतिपय छूट दी गई थी। निस्संदेह हम माननीय वित्त मंत्री की भावनाओं की प्रशंसा करते हैं जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में उद्योग में सुधार हो रहा है और कम्पनी की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए यह दिया गया है। हम इस बात की प्रशंसा करते है लेकिन इसके साथ ही आप कृपया यह भी देखें कि हम नई धारा 10(ख) (क) के साथ क्या कर रहे हैं जो यह दर्शाती है कि हम लोगों की मदद करने जा रहे हैं खास कर उन लोगों को जो अपने उद्योग को वन्य उत्पाद, अथवा अन्य हस्तकलाओं पर आधारित कर रहे हैं। यदि हम खंड को पढ़ें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि विशेष लोगों से ऐसे लाभों तथा आमदनी से आयकर की कटौती की जा सकती है। जिसका लोगों को लाभ मिलने जा रहा है वे ऐसे दल के लोग हैं जो निर्यात कर रहे हैं और जिनके पास 90 प्रतिशत या इससे अधिक निर्यात की गुणता वाला सामान है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं लेकिन साथ ही हम जानना चाहेंगे कि क्या सरकार का जोर उद्यमियों पर है या उन बेरोजगार लोगों पर जो हस्तशिल्प अपना रहे हैं और जो दूर–दराज में स्थित गावों में उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या आयकर में कटौती उनके उत्पादन अथवा विनिर्माण को दिया जा रहा है। हम बड़ी आसानी से 'ना' कह सकते हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो लोगों की मदद करना चाहता है। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग का 45 प्रतिशत उन लोगों द्वारा हैंडल किया जाता है जो उद्यमी हैं और जिनके लघु उद्योग हैं।

यहां तक की विप्रो भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है क्योंकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जो दक्षता प्राप्त है, वे अपने लघु–उद्योग चलाना चाहते हैं और वे स्वामित्व लेने के लिए तैयार हैं। वे आगे आना चाहते हैं और किसी भी उद्योग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं चाहे वे बहुराष्ट्रीय कम्पनी हो अथवा इस प्रकार की कोई अन्य कम्पनी। क्या इस प्रकार का फोकस इस संशोधन पर दिया जा रहा है? नहीं। संशोधन में साफ तौर पर उन लोगों को अलग रखा गया है जो गांवों में बहुत परेशान हैं लेकिन वे भारत सरकार या राज्य सरकार से कुछ सब्सिडी या कुछ रियायतें प्राप्त कर और अधिक धन कमाना चाहते हैं।

मैं साफ तौर पर बता सकता हूं कि इसमें दो खंडों को शामिल कर किस प्रकार उनको बाहर रखा गया। यह खंड 3 है जिसमें आयकर अधिनियम 10 ख, क शामिल की जानी है अर्थात्, उप–खंड 2, स्पष्टीकरण (ङ) बताती है "कोई उद्योग जिसमें विनिर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया में पूर्व वर्ष के दौरान 20 अथवा अधिक कामगार काम करते हैं"। यह उन लोगों को अनुवात गमन का मार्ग देता है जो 20 लोगों से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग 19 लोगों को रोजगार दे रहे हैं या जो स्व–रोजगार में हैं या जो एक सहकारी संस्था है या जो केवल पांच लोगों या 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं उन्हें ये छूट नहीं होगी।

इसी प्रकार खंड 7 (घ) में कहा गया है, "भारत से निर्यात में बिक्री के माध्यम से कोई लेनदेन अथवा अन्यथा, किसी दुकान, इम्पोरियम या भारत में अवस्थित किसी अन्य संस्थापना जिसमें किसी सीमा–शुल्क स्टेशन की अनुमति अंतर्ग्रस्त नहीं है, सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962 में परिभाषित, शामिल नहीं है।

इसका मतलब यह है कि ग्राम उद्योग भवन या खादी उद्योग भवन भी, छोटे लोग जो सामान तैयार कर रहे हैं लेकिन उसे विदेशियों को बेच रहे हैं या जो विदेशी आदेशों को अनुगृहित करना चाहते हैं इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे इसे अपनी दुकानों में या इम्पोरियम में बेच रहे हैं। यदि ऐसी ही स्थिति है तो फिर हम उन आम लोगों की सहायता कैसे करेंगे जिनके पास हस्तशिल्प की दक्षता और कलात्मक मस्तिष्क है तथा जो देश के कल्याण के लिए नयी चीजें तैयार करने के लिए तैयार हैं? निस्संदेह, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी आयकर निर्धारितियों को यह रियायत दी जानी चाहिए।

परन्तु यदि इन खण्डों में समुचित रूप से संशोधन नहीं किया जाता है, तो साधारण दस्तकारों की मजदूरी कम हो जायेगी। इन खण्डों से सिर्फ उन धनी व्यक्तियों को फायदा पहुंचेगा जो हमारी सारी लकड़ियां तथा कम मजदूरी पर कुशल दस्तकारों की सेवाएं लेकर व्यापार कर रहे हैं। वे बहुत सुन्दर वस्तुएं, हस्तशिल्प और मूर्तियां बनाते हैं जिनकी विदेशों में भारी मांग है। वे इस पर अपना कब्जा बना लेंगे। निस्संदेह, एक ऐसा खंड है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि आप व्यापार करने के उद्देश्य से निर्यात करते हैं तो यह छूट नहीं मिलेगी। परन्तु वे इसका निर्यात कहां करेंगे? क्या वे इसे पूरे विश्व में उपहारस्वरूप बाटेंगे? वे इसे खरीदने जा रहे हैं। विदेशों में इसका व्यापार करने के लिए ही क्रेता इसे खरीद लेंगे। जब वे देश से बाहर चले जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। परन्तु हम एक शर्त रख रहे हैं कि यदि इसका व्यापार किया जाता है तो इस पर कोई छूट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ हम उद्योगपतियों को भी अनुमति दे रहे हैं। ये लोग उद्योग के नाम पर, समूहों में काफी लोगों को काम पर रख रहे हैं और उनकी सभी प्रकार की दक्षता का अपने तरीके से उपयोग कर रहे हैं। वे वनों से सारी लकड़ियां ले जा रहे हैं। वे उनका प्रयोग करके लाभ कमा रहे हैं। वे भी आयकर में छूट ले रहे हैं। अब यह स्थिति है।

हम विधेयक में दी गयी तालिकाओं से इसे काफी आसानी से समझ सकते हैं। अब उन्होंने कर अपेक्षाकृत कम प्रतिशतता हेतु संशोधन किया है। आयकर के खण्ड 9, धारा 206 ग में संशोधन किया गया है। तालिका से पता चलता है कि मानव उपयोग हेतु शराब पर कर छूट का प्रतिशत 10 से घटाकर एक किया जा रहा है। हम नौ प्रतिशत गवां रहे हैं। जहां तक तेन्दू पत्तियों का प्रश्न है, इसे 15 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। वन पट्टा के तहत प्राप्त इमारती लकड़ी के संबंध में इसे 15 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है। वन पट्टा के अलावा अन्य किसी तरीके से प्राप्त इमारती लकड़ी के लिए इसे पांच प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है।

इमारती लकड़ी और तेन्दू पत्तियों को छोड़कर अन्य किसी वन–उत्पाद के मामले में आयकर 15 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत तथा लकड़ी के कटूरे टुकड़ों के लिए इसे दस प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इमारती लकड़ियों हेतु आयकर को इतना अधिक कम क्यों किया है। स्थानीय व्यापारियों द्वारा वन सम्पदा का पहले से ही सर्वनाश किया जा रहा है। वे इमारती लकड़ियां पहले ही काट चुके हैं, सभी वन बर्बाद हो चुके हैं और हमें उचित दरें नहीं मिल रही हैं। इस प्रकार, वन सम्पदा की चोरी हुई है। यदि ऐसी स्थिति है, तो आपने इसे 15 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत अथवा 2.5 प्रतिशत क्यों किया है? इस प्रकार एक ओर हम यह कह रहे हैं कि यदि आप कतिपय वस्तुओं, कतिपय इमारती लकड़ियों अथवा ऐसी कोई वस्तु अन्य देशों से आयात करते हैं तो आपको उस विशेष उत्पादन के लिए छूट नहीं मिलेगी। अन्य देशों की सम्पदा और इमारती लकड़ी को यहां लाया जा सकता है, हमारी इमारती लकड़ियां, जो हमारी देश की सम्पदा है, देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। परन्तु यहां दोनों स्थितियां विद्यमान हैं। यदि कोई व्यक्ति विदेशी इमारती लकड़ी का उपयोग करता है तो उसे आयकर में छूट नहीं मिलेगी। परन्तु यदि वह स्थानीय इमारती लकड़ी का उपयोग कर रहा है अथवा यदि वह स्थानीय इमारती लकड़ी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर हा है और ऐसे किसी व्यापार हेतु इमारती लकड़ी का निर्यात करना चाहता है तो उन्हें इसकी अनुमति है और आयकर में छूट दी जाएगी। यह बिल्कुल उलटी–पुलटी स्थिति है। यह देश के विकास के विरुद्ध है और इससे कतिपय लोगों द्वारा देश की सम्पदा की पूर्ण रूप से चोरी होगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस तौर–तरीके की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिस तरीके से वे लघु उद्योगों को मदद करने की सोच रहे हैं जो अब इस राजग सरकार के हाथों क्षति उठा रहे हैं। लघु उद्योग पहले ही कर और अन्य कम्पनियों को दी जा रही छूट की वजह से अन्य उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। औद्योगिक घराने काफी वित्तीय सहायता और अन्य रियायतें प्राप्त कर रहे हैं, परन्तु बैंकों विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्यागों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। वे लघु उद्योगों की सहायता करने को तैयार नहीं हैं। आप यह जानने के लिए काफी आसानी से आंकड़ा देख सकते हैं। कि लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है। वे बंद होने के कगार पर हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, परन्तु उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसलिए, हम यह छूट देकर लघु उद्योगों के लिए खाई खोदने जा रहे हैं। हम उन लागों की मदद करने जा रहे हैं जो दक्ष कलाकारों और दस्तकारों विशेषकर ग्रामीण कलाकारों व दस्तकारों का शोषण कर रहे हैं जो कि अति न्यूनतम मजदूरी पर ये कार्य कर रहे हैं। उन्हें यह सहायता नहीं मिलने वाली है। परन्तु वे लोग जो उनकी दक्षता के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं, यह लाभ और यहां तक कि आयकर में छूट व अन्य फायदे उठाने जा रहे हैं। इसलिए, ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह इस पर नए सिरे से ध्यान दें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार संशोधन लाए ताकि 20 लोगों से भी कम व्यक्तियों को रोजगार देने वाले लघु उद्योगों को भी लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अथवा अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रोपराइटरों, छोटे उद्यमियों को आयकर में छूट दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें

(श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन)

आयकर देना पड़ता है। गांव के प्रत्येक परिवार को इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए। उन्हें भविष्य की चिन्ता सता रही है। इस समय यह स्थिति विद्यमान हैं

इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो अन्य मुद्दों पर टिप्पणी करना चाहूंगा जो सम्पत्ति कर में छूट से संबंधित है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सरकार सम्पदा कर पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। भुगतान से अनुपात प्रतिशतता को सवा प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करके उन्हें विलम्बित भुगतान और आयकर, सम्पदा कर के भुगतान में भी छूट दी गयी है। साथ ही साथ, उनका व्यय कर चार प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। एक प्रकार से यह कदम प्रशंसनीय है क्योंकि जो समय के साथ नहीं चल सकते उनकी छूट देकर मदद की जानी चाहिए।

इसलिए, संक्षेप में सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि जब यह छूट उपलब्ध करायी जाती हैं तो इन्हें औद्योगिक वृद्धि, व्यक्तिगत क्षमताओं में अभिवृद्धि, मानव संसाधन के विकास के लिए लाभदायक होना चाहिए न कि इन्हें मानव संसाधन तथा इस राष्ट्र की जनता द्वारा विगत पचास वर्षों में अपने कठोर परिश्रम से विकसित कुशलता के शोषण के लिए होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री किरीट सोमैया बोलेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, कृपया मुझे बोलने के लिए एक मिनट का समय दीजिए। मैं गुजरात के पोत-भंजन उद्योग में कार्यरत लोगों की भयावह स्थितियों की आर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं काफी खुश होऊंगा यदि माननीय मंत्री महोदय इस पहलू पर विभिन्न विभागों का ध्यान भी आकर्षित करेंगे। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं। श्रमिक लोग पोत-भंजन उद्योग में दुष्कर परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। यही स्थिति तेन्दू-पत्ती तोड़ने वाले कामगारों की है। हमने तेन्दू-पत्ती तोड़ने वाले कामगारों को कर में छूट दी है। तेन्दू-पत्ती तोड़ने वाले कामगार पूरे देश में काफी प्रतिशत में हैं। उनकी मदद की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)* अभी आस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो क्रिकेट मैच समाप्त हुआ है, उसमें सौरव गांगुली ने सैंचुरी बनाई, इसलिए उसे मैन ऑफ दि मैच डिक्लेयर किया गया। वित्त मंत्री जी के काल में, मैं ऐसा मान रहा हूं कि आने वाले दो, पांच, सात दिन में जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, वह 100 बिलियन डॉलर को क्रास कर लेगा। इस सैंचुरी के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने छोटे-छोटे जो ओनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उनके रिफण्ड के विषय में बहुत अच्छा, संवेदनशील मन रखकर ध्यान दिया। वास्तव में यह आर्डिनेंस या जो बिल आया है, यह बजट का एक भाग होता है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। हर वर्ष बजट आता है, उसमें कुछ अलग प्रकार के प्रोविजंस किये जाते हैं, उसमें कुछ टैक्नीकल करैक्शंस बाद के सैशन में आते हैं, लेकिन इस बिल में जो रिफण्ड वाला विषय है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि एक वर्तमान पत्र ने बहुत सुन्दर हैडिंग दिया,

"जसवन्त टू रिजाल्व रिफन्ड रो"

रिफण्ड के बारे में पिछले 10-15 साल से ओनेस्ट टैक्स पेयर बात करता है, चर्चा करता है, चिन्ता व्यक्त करता है। उसमें सीनियर सिटीजेंस हैं, सैलरीड क्लास पीपुल है, हर व्यक्ति टैक्स भरता है, वास्तव में उनकी सैलरी में से टैक्स काट दिया जाता है, लेकिन उनका रिफण्ड समय पर नहीं मिलता। उसमें 2-3 साल लगते हैं। मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूं, धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने निर्णय लिया कि मुझे इस साल के अन्त तक पिछले जितने भी रिफण्ड के केसेज में बैकलॉग हो गया है, मैं यह समाप्त करना चाहता हूं और बैकलॉग लगभग क्लियर हो गया है। इसके लिए जो ईमानदार करदाता हैं, उनकी ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। रिफण्ड सब को देने के कारण क्या टैक्स कलैक्शन कम हो जाता है, यह भी मिथ है और इस बार का टैक्स कलैक्शन देखो। हमारे पास अद्यतन आंकड़े हैं। हो सकता है कि विपक्ष कहे कि फिल गुड फैक्टर की बात शासक वर्ग करता है, लेकिन ये तो फीगर्स हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं कि इस बार का टैक्स कलैक्शन है, शुद्ध वसूली में गत वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि इसमें कारपोरेट टैक्स में 31 परसेंट इन्क्रीज़ हुआ है, यानि भारत आगे बढ़ रहा है। आज इस देश में ही नहीं, सभी देशों में, विश्व भर में ब्राण्ड इंडिया डवलप होने लगा है। उद्योग और निगमित कर में 31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी है। मैंने देखने का प्रयत्न किया कि गये 50 वर्ष के इतिहास में क्या हुआ तो एक-दो साल ऐसे मिले होंगे, जिसमें कारपोरेट टैक्स इस प्रकार से ग्रो हो रहा है। कारपोरेट सैक्टर टैक्स कब देगा, जब उनको प्रोफिट हुआ होगा। प्रोफिट कब होगा, जब उसका टर्नओवर बढ़ा होगा और अगर टर्नआवर बढ़ेगा तो इकोनोमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लायमेंट अपोर्चुनिटीज बढ़ी होंगी और इसके लिए टोटल 17

परसेंट ग्रोथ, जो इसमें दिखाई गई है, यह धनराशि भी कम नहीं है। मैं जो रिफण्ड की बात कर रहा था तो एक और बात के प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि इस बिल का तो समर्थन कर रहा हूं और मैं रिफण्ड विषय पर बोलकर अपनी बात समाप्त करने वाला हूं। रिफण्ड की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, इस बिल में क्या करैक्शन है?

[अनुवाद]

विगत कुछ वर्षों में उद्योग में अपनी अतिरिक्त निधियों को आयकर विभाग के पास जमा करने की एक प्रवृत्ति विकसित हुई है।

[हिन्दी]

कारपोरेट सैक्टर में इस प्रकार की आदतें बनने लगी थी कि उनके पास सरप्लस पैसा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 परसेंट 11 परसेंट, 8 परसेंट ब्याज देती है तो वह एडवांस टैक्स ज्यादा भर देते थे। दो साल बाद रिफंड आयेगा तो दो साल इसकी जितनी सिक्योरिटी कौन सी है। आठ–नौ परसेंट टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था। फाइनेंस मिनिस्टर ने उसके ऊपर हाथ डाला। काफी लोगों ने उसका विरोध किया था। अलग–अलग प्रकार की विभिन्न लॉबीज आई थी। अखबार में अलग–अलग प्रकार के समाचार आते रहते थे लेकिन वित्त मंत्री जी ने कहा कि कुछ नहीं किया जा रहा है। रिफण्ड पर मात्र छह प्रतिशत का ब्याज होगा। उसके कारण क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि इस साल भी टैक्स ग्रोथ इतना हुआ है। मैं एक फिगर पढ़ता हूं। प्रथम छह से सात महीनों के दौरान करीब 19,550 करोड़ रुपये का रिफण्ड संवितरित किया गया है। लेकिन वह 19,554 में से 14,287 करोड़ कारपोरेट को रिफंड गये हैं। कारपोरेट इसका ऐब्यूस कर रहे थे या मिसयूज कर रहे थे? उसको बंद करने के लिए यह अमेंडमैंट है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा हाउस इसका समर्थन करेगा, प्रशंसा करेगा कि इस प्रकार हम आपको सरकारी तंत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, मैं मूल विषय के बारे में आपका ध्यान देना चाहूंगा। इतने अधिक रिफण्ड की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? हम इसका अध्ययन करें कि आखिर यह क्यों, कब, कैसे और कहाँ हो रहा है। वह अगर हम देखने जायेंगे तो ध्यान में यह आयेगा कि यह जो रिफण्ड जनरेट हो रहा है, उसके अलग–अलग प्रकार के रीजन्स हैं। एक टी.डी.एस. है। दूसरा, एडवांस पैमेंट ऑफ टैक्स, तीसरा, एसेसमैंट टैक्स, चौथा टैक्स अथॉरिटीज हाटर टैक्स चार्ज करती हैं। इसके लिए लोग अपील में जाते हैं। कुछ जगह पर डबल टैक्सेशन सिस्टम है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने एक और एनाउंसमैंट की है। मैं उसके प्रति भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप और आपका डिपार्टमैंट एक प्रपोजल मूव करने जा रहे हैं कि जो भी रिफण्ड होगा, अगर टैक्स पेयर अपना बैंक एकाउंट डिपार्टमैंट को इन्फार्म करेगा तो रिफंड का चैक लेने के लिए उसे डिपार्टमैंट में नहीं जाना पड़ेगा। उसको छः महीने इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जिस वक्त उसका टैक्स रिटर्न प्रौसेस होगा, रिटर्न के उसी जंक्चर में उसके बैंक एकाउंट में वह रिटर्न का रिफंड डायरेक्ट क्रेडिट हो जायेगा।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपने स्टाम्प पेपर स्कैम पर बात नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने कहा कि उसे डीमेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस प्रकार से इसमें रिफण्ड के डायरेक्ट क्रेडिट की जो प्रक्रिया है, उसको थोड़ी हमें गति देनी चाहिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिस्टम इस प्रकार का है। छः से बारह महीने तक वहां चैक पड़ा रहता है। मैं आपके ध्यान उसी के साथ दूसरी चीज पर आकर्षित करना चाहूंगा। हमें यह सोचना पड़ेगा कि

[अनुवाद]

आखिर इतना अधिक रिफण्ड करने की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? मैं किए जा रहे रिफण्ड की धनराशि के बारे में मात्र एक आंकड़ा देना चाहूंगा। वर्ष 1996 से गत छह–सात वर्षों में इनमें से कुछ वर्षों के दौरान रिफण्ड संवितरण करीब 24 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत रहा है।

[हिन्दी]

ग्रोथ कलैक्शन अगर 32 हजार करोड़ रुपये होता है तो उसमें से छः से आठ करोड़ रुपये तक हम री–पे करते हैं। मुझे लगता है कि सिस्टम की स्टडी करना आवश्यक है। कोई भी सिस्टम टैक्सेशन सिस्टम। इस सिस्टम का अध्ययन करना आवश्यक है। आपने एक कदम बहुत अच्छा उठाया। दूसरा, रिटर्न जल्दी मिले, आप यह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात का अध्ययन करना है कि आखिर इतना अधिक रिफण्ड करने की स्थिति क्यों पैदा हो रही है। जिस तंत्र के तहत 25 प्रतिशत रिफण्ड करना पड़ रहा है उसका अध्ययन करने तथा उसे सुधारने की जरूरत है। इस प्रकार रिटर्न क्यों जनरेट हो, उसके दो–चार रीजन्स हैं।

एक स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) है। दूसरा अग्रिम कर का भुगतान है। तीसरा निधियों का अवैध जमा (इलिगल पार्किंग ऑफ फंड्स) है।

(श्री किरीट सोमैया)

[हिन्दी]

चौथा प्वाइंट मैं आपका ध्यान में भी लाना चाहूंगा कि स्टडी करते समय मेरे ध्यान में यह भी आया कि गवर्नमैंट पी.एस.यूज. 15 मार्च को जब एडवांस टैक्स का इंस्टालमैंट भरना पड़ता है तो इतना ज्यादा पैसा भर देते हैं, तो गवर्नमैंट पी.एस.यूज. में भी एकाउंटेबिलिटी सिस्टम को हमें लागू करना पड़ेगा। दूसरी बात टी. डी.एस. का सिस्टम है, उसको एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। टी.डी.एस. रहे, हरेक के ऊपर टी.डी.एस. रहे, लेकिन जहां टी.डी.एस. से ज्यादा रिटर्न जनरेट होता है।

[अनुवाद]

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विशेष मुद्दे पर इसे करे। वर्तमान परिदृश्य में यह आवश्यक कदम नहीं है और इसे किए जाने की कोई ऐसी तात्कालिकता नहीं हैं। परन्तु, मैं उनसे कुछ समूह अथवा समिति नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

आपने दो अलग–अलग विषयों पर नरेश चन्द्र कमेटी ऐप्वाइंट की थी। एक छोटी कमेटी ऐप्वाइंट करें और रिफंड के पूरे सिस्टम को स्टडी करने की आवश्यकता है।

गत 1995–96 से लेकर टोटल 3 लाख 93 करोड़ रुपये कलैक्ट हुए जिसमें से 91,000 करोड़ रुपये के करीब हमें रिफण्ड के तौर पर वापिस देने पड़े। आप इस विषय को, ऐडवांस टैक्स की बात है, 15 मार्च को हम एसएससी को कहते हैं कि आपको 31 मार्च तक सौ प्रतिशत ऐडवांस टैक्स भरना पड़ेगा

[अनुवाद]

तिथि 15 मार्च क्यों नियत की जानी चाहिए? हम तिथि 15 अप्रैल नियत कर सकते हैं और उसके बाद अगर कोई ज्यादा पैसा भरता है तो इससे सिर्फ ब्याज में ही कटौती नहीं होगी बल्कि हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए ताकि जो जरूरत से अधिक कर का भुगतान करने वाले अथवा अपनी निधियाँ जमा (पार्क) करने वाले व्यक्ति को ऐसा करने से हतोत्साहित करे। इस प्रक्रिया में भी किसी न किसी प्रकार से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आप कारपोरेट सैक्टर से स्टार्ट करें कि कोई भी कारपोरेट सैक्टर की अंतिम किस्त का 15 अप्रैल तक भुगतान कर दिया जाए और

[हिन्दी]

15 अप्रैल में अगर उसने ज्यादा पैसा भरा होगा तो उसे रिफण्ड में एक पैसा भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आज कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम है। 5 अप्रैल को सबकी बैलेंस शीट तैयार हो जाती है।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी प्रक्रिया का प्रारंभ किया है। उसे इस प्रकार स्टडी करके टैक्सपेयर को और अच्छी राहत दें।

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, जो आज पास होने के लिए पेश किया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी विधेयक को लागू करने पर उसकी कामयाबी तभी हो सकती है जब उसे ईमानदारी से, कुशलतापूर्वक लाया जाए और सरकार में इतनी क्षमता हो कि वह उसे लागू कर सके। यह सरकार विगत चार वर्षों में पूरी तरह से फेल है। लगभग एक लाख 16 हजार करोड़ रुपये टैक्सेज़ ऐसे पड़े हुए हैं जो विवाद में घिरे हुए हैं और उन्हें यह सरकार वसूल नहीं कर पा रही है। इतने विवाद चल रहे हैं और उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर यह पैसा आ जाता है तो सरकार को विकास के और कार्य करने में काफी लाभ हो सकता था।

मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि इस समय 4,610 मुकद्में उच्चतम न्यायालय में चल रहे हैं जिनका यह सरकार निपटारा नहीं कर पा रही है। लगभग 28,840 केसेज विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। उनका निपटारा भी सरकार नहीं कर पा रही है। एक करोड़ 13 लाख से अधिक विवादित मुकद्में और भी चल रहे हैं जिनका निपटारा सरकार नहीं कर पा रही है। टैक्सेज के बारे में कहना चाहता हूं कि अधिकारी ज्यादा टैक्स लगाकर थोप देते हैं और बाद में कर देने वालों से पैसा वसूल किया जाता है। उसके बाद उनको छूट दी जा रही है। जितना कर सरकार को मिलना चाहिए, उससे आधा ही मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को पहले अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। इसे दश में इतना काला धन जमा हुआ है कि उसे वसूल करने में यह सरकार बिल्कुल अक्षम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे अपने जवाब में हमें बताएं कि कितने ऐसे अधिकारी हैं, विशेष रुप से आपके विभाग में जो करप्ट अधिकारी हैं, उनके ऊपर अब तक आपने क्या कार्यवाही की है। बार–बार कोई विधेयक लाने से सरकार की कार्यकुशलता ठीक नहीं होगी। सरकार को पहले अपने में इतनी योग्यता लानी चाहिए, वित्त मंत्री को अपनी इतनी हनक बनानी चाहिए जिससे लगे कि कोई सरकार चल रही है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में आयकर की बहुत चोरी हो रही है। जो सुविधा लाई जा रही है, उसमें कुछ बिन्दू मैं आपके सामने

लाना चाहता हूं। नॉरडिक इन्वैस्टमैंट बैंक के दबाव में यह विधेयक लाया जा रहा है। इसमें पोत विघटन को एक विशेष सुविधा दी जा रही है कि हम बाहर से जितना सामान लाएं, उनके ब्याज पर आप इनकम टैक्स नहीं लेंगे।

मैं नहीं समझता हूं कि यह उचित है। बाहरी शक्तियों को बाहरी बैंकों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इससे इस देश को कोई भला नहीं होगा। इसलिए वित्त मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक वापस ले लें या स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंस में इसे भेज दिया जाए जिस पर पुनर्विचार किया जाए। जब विदेशी सामान इतना आ रहा है तो क्या वित्त मंत्री जी ने यह सोचा कि अपने देश में हमारे इतने योग्य लोग हैं तो हम अपना उत्पादन बढ़ाएं और हम अपना निर्यात बढ़ाएं। हम आयात न करें और हम बाहर से सामान न मंगाएं। हम इम्पोर्ट के ऊपर निर्भर न करें बल्कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा प्रोत्साहन दें लेकिन चार वर्षों में हम देख रहे हैं कि सरकार और वित्त मंत्रालय पूरी तरह से असफल रहे हैं इसलिए इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक वापस ले लें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दावा किया है और आधार बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों और व्यापारी समुदायों के अभ्यावेदन पर इन्होंने गम्भीरता से विचार किया है। जो वैल्थ फाइनेंस विधेयक, 2003 में पास हुआ, उस विधेयक में जो संशोधन पास हुआ, उसके चलते कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुईं। उन कठिनाइयों के लिए विभिन्न राज्य सरकार और व्यापारी समुदायों ने इनके पास अभ्यावेदन किया, ऐसा इन्होंने दावा किया। इन्होंने यह भी दावा किया कि जो नॉर्डिक देश हैं, जो पांच देश डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के साथ इंवेस्टमेंट बैंक का जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अनुपालन में यह विधेयक लाया गया है। इसके अतिरिक्त जो काठवाला सामान बनता है, उसको लोग बेचते हैं, उससे आय होती है और उस पर जो टैक्स लगता है, उसके लिए छूट है। तीन बातों के लिए इन्होंने दावा किया है।

हम सरकार से, माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि किस राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया था और किस व्यापारी समुदाय ने अभ्यावेदन किया? यह मार्च, अप्रैल, 2003 में पास हुआ। सरकार व्यापारियों के बारे में इतनी सेंसिटिव है कि जैसे ही इन्होंने अभ्यावेदन किया, सरकार तुरन्त विधेयक ले आई। यदि गरीब आदमी, किसान आदमी से संबंधित कोई मामला होता है और उस पर तमाम लिखा–पढ़ी, आंदोलन और एजीटेशन होता है, उस पर तो सरकार नहीं लाती लेकिन व्यापारियों के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है कि तुरन्त विधेयक ले आई है। यह भेद हम देख रहे हैं। सन् 2003 में विधेयक पास हुआ, उनका अभ्यावेदन आया और ये झटपट से ले आए। दूसरे, इन्होंने दावा किया कि 1986 में यह एम.ओ.यू. हुआ और 1999 में पांच देशों का इंवेस्टमेंट बैंक के साथ समझौता हुआ तो 1999 के बाद उस समझौते को लागू करने के लिए और उसके टैक्स में छूट देने के लिए अभी विधेयक लाए हैं। जब से एम.ओ.यू. हुआ, तब से आज तक टैक्स में छूट दी जा रही है या नहीं दी जा रही है? इन्होंने कहा है कि जो वित्त विभाग है, उसने संदर्भ दिया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। उस समझौते के कार्यान्वयन में यह विधेयक लाए हैं। इतने दिन 1999 से लेकर अभी तक चार वर्ष हो गए और 1984 से कितने दिन हो गए, लेकिन समझौते को लागू करने के लिए विधेयक अब लाए हैं तो बीच में क्या परिस्थिति थी? यह हम जानना चाहते हैं। एक कानून से तीन कानून में संशोधन होगा। इंकम टैक्स लॉ, वैल्थ टैक्स लॉ और एक्सपेंडिचर टैक्स के कानून में संशोधन होगा। यह थ्री इन वन है, टू–इन–वन नहीं है।

एल्कोहलिक लिक्वर पर टैक्स में छूट देने के बारे में भी हमने देखा है। हम जानना चाहते हैं कि क्यों आप इस पर छूट देना चाहते हैं? हम लोग टैक्स की साधारण प्रक्रिया जानते हैं जो चीजें गरीब के इस्तेमाल की चीजें हैं, आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर टैक्स को घटाया जाए, गरीब लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान को सस्ता किया जाए।

विलासिता से संबंधित जो चीजें हैं, जिनको बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको महंगा किया जाए, टैक्स बढ़ाया जाए। हम जानना चाहते हैं, सरकार उससे सहमत है या नहीं? माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके इस्तेमाल की चीजों को सस्ता किया जाए। टैक्स घटायेंगे, तभी तो चीजें सस्ती होंगी। बड़े लोग जो पूंजीपति हैं, अरब पति हैं, खरबपति हैं, उनके इस्तेमाल की चीजें हैं, उन पर टैक्स बढ़ाया जाए। लेकिन यहां स्थिति उल्टी हो रही है। एल्कोहलिक लिक्वर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग इससे मतलब शराब ही निकालते हैं। विदेशी हो या स्वदेशी या प्लास्टिक वाली या ताड़ी – सब किस्म की शराब है। इन्होंने प्रावधान किया है कि आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 206 ग का संशोधन करेंगे, जिससे मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय लिकर और स्क्रैप, इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद, तेंदू पत्तों पर स्रोत से कर संग्रहण की दर को कम किया जा सके। इतना ही नहीं, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, क्लबों और राजदूतावासों को क्रेताओं की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके। मतलब यह कि इन लोगों को छूट दे दी जाए और इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं होगा। भारत सरकार के ऑफिसर या मंत्री लोगों को छूट दे दी कि जितना चाहे लें। इस प्रावधान का तरीका क्या है, हम यह सरकार से जानना चाहते हैं?

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राजदूतावासों – इन सब बड़े लोगों के लिए टैक्स में छूट दे दी जाए, यह किस प्रकार का विचार है। गरीब लोगों को सुविधा देने के लिए कहा जाता है कि सरकार के पास फन्ड नहीं है, लेकिन इस तरह से बड़े लोगों को छूट दी जा रही है। इस तरह से दश की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी। राज्य सरकार और कतिपय व्यापार संगमों और नोरडिक इन्वैस्टमैंट बैंक से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह संशोधन लाया गया है। इन सब को छूट दी जा रही है। अगर यह सुविधा न ही होती, तो सरकार की कितनी आमदनी बढ़ती और अब इस विधेयक को पास कर देने से सरकार को कितना घाटा होगा तथा इसकी भरपाई कैसे होगी, इस बारे में सरकार बताए। सरकार अगर गरीब आदमियों को सुविधा देने के लिए कोई बिल लाती, तो हम उस बिल को पढते भी नहीं और पास कर देते, लेकिन यह प्रावधान तो बड़े लोगों के लिए किया जा रहा है। हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही नोरडिक इन्वैस्टमैंट बैंक के साथ 25 नवम्बर, 1986 को किए गए समझौता ज्ञापन और 18 मार्च, 1999 को हस्ताक्षरित परिशिष्ट के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए वचनबंध को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। हम लोग कहेंगे कि विदेश का समझौता है और इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इसमें व्यापारी के कहने पर दो बातें हैं। कौन सी राज्य सरकारों और व्यापारी संघ ने कहा कि इसमें छूट देनी चाहिए? यह बात सदन जानना चाहता है। इससे कितना घाटा और लाभ होगा? इसमें इमारती लकड़ी की क्या बात है? आप इसके द्वारा शराब पर टैक्स कम करने जा रहे हैं। आप इन सब बातों को यहां साफ करें। हम लोग इसके खिलाफ हैं। ऐसे में यह विधेयक कैसे पास होगा? साधारण सी बात है कि गरीब आदमी के इस्तेमाल की चीजें सस्ती होनी चाहिए और विलासिता संबंधी चीजें जिन्हें अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, वे कॉस्टली होनी चाहिए। यह मोटा–मोटा सिद्धांत और पुरानी नीति है। कौटिल्य के समय से यह पॉलिसी चल रही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि कर नीति कैसी होनी चाहिए। आप सोच–विचार किए बिना व्यापारियों के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं। हमें यहां इन सब बातों का उत्तर चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, माननीय वित्त मंत्री।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, कृपया मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए। मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री, पहले आप जिस भी विषय पर बोले थे, मैंने माननीय मंत्री से उसका भी उत्तर देने के लिए कहा है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान पूरे देश में वन उपज और उन श्रमिकों के उस पूरे इस्तेमाल की ओर आकर्षित करूंगा जो सहकारिताओं, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय वन विकास निगम के लिए कार्य कर रहे हैं जिनकी संख्या 704 मिलियन है। तेंदू पत्ती तोड़ने वालों को व्यापारी कोई भुगतान नहीं करते। सिर्फ यही नहीं, वे राज्य के राजकोष को घाटा पहुंचाकर भारी लाभ प्राप्त करते हैं। यदि वह कर छूट को कम करने की अनुमति दे रहे हैं, तो उन्हें देश में वन विकास निगमों में श्रमिकों को कुछ लाभ जरूर देने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ बोला है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है, और माननीय मंत्री उसका उत्तर भी देंगे। अब माननीय मंत्री को बोलने दीजिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, महोदय।

मैं पोत भंजकों, पोत कर्मकारों की दयनीय स्थिति के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। वे लाग उस क्षेत्र में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। यदि व्यापारियों को ऐसे कर छूट संबंधी लाभ दिए जाते हैं, तो यह सरकार गुजरात में पोत उद्योग में कार्यरत इन कर्मकारों की स्थिति सुधारने में कोई रुचि क्यों नहीं ले रही है? मैं उनका ध्यान सिर्फ इसी ओर आकर्षित कराना चाहता था।

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का उनके बुद्धिमतापूर्ण हस्तक्षेपों और टिप्पणियों के लिए आभारी हूं। अध्यादेश बनाने का समर्थन न करने वाली प्रमुख टिप्पणी की भावना को मैं बखूबी समझता हूं। अध्यादेशों का सहारा केवल अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाता है।

महोदय, बजट सत्र मई में समाप्त हुआ। मई और जुलाई के बीच प्रत्येक बजट में प्राप्त अनुभव, अभ्यावेदनों के आधार पर, मानसून सत्र में कतिपय संशोधन किए जाते हैं। लेकिन इस विशेष मामले में, हमारे पास विधेयक तैयार था। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण, मानसून सत्र में यह विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया?

महोदय, अनेक माननीय सदस्यों ने नोर्डिक बैंक की बात कही है।

[हिन्दी]

अपनी चिरपरिचित शैली में माननीय रघुवंश बाबू ने कहा कि इसमें बड़ा गंभीर और गहरा भेद है। इसमें कोई गहरा भेद नहीं है।

[अनुवाद]

महोदय, नोर्डिक बैंक के साथ समझौत पर वर्ष 1986 में तत्कालीन सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। वास्तव में, नोर्डिक बैंक एक निवेश बैंक है जो बहुपक्षीय वित्त पोषण करता है। इसे नोर्डिक देशों – डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे और स्वीडन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है।

नवंबर, 1986 में तत्कालीन सरकार ने नोर्डिक बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके द्वारा बैंक को भारतीय संस्थाओं के लिए दीर्घकालीन परियोजना ऋणों को देना था। इस बैंक के विभिन्न देशों का संयुक्त बैंक होने के कारण इन दीर्घकालीन परियोजना ऋणों पर भारतीय संस्थाओं द्वारा नोर्डिक बैंक को अदा किया जनो वाला ब्याज अनजाने स्रोत पर कटौती के अध्याधीन रहा था।

इस स्थिति को सुधारने के लिए, हमने यह सुधार एक अध्यादेश के माध्यम से किया क्योंकि यह कार्य वर्ष 2003 के वित्त विधेयक में नहीं किया जा सका था; और इसमें वर्ष 2004 के वित्त विधेयक तक विलंब करना अवश्य ही नोर्डिक बैंक को हानि पहुंचाएगा जिसका दर्जा एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बराबर है। ना एशियाई विकास बैंक और ना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई.एम.एफ.) – के अपने ऋणों और उन पर प्राप्त ब्याज – स्रोत पर कटौती के अनुसार नहीं है। इसलिए अध्यादेश के माध्यम से नोर्डिक बैंक को भी उसी स्तर पर रखा गया था।

[हिन्दी]

रघुवंश बाबू कहें कि इसमें कोई भेद देखा है, कोई गहरी साज़िश देखी है, उसका क्या उपाय करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : 1999 वाला 84 का विधेयक आया है, 4 वर्ष के बीच में क्या परिस्थिति थी, वही हम पूछ रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : आप जानते हैं कि 2003 में परिस्थिति बनी थी जो लोन देना था क्योंकि कई समझौते हुये, एम.ओ.यू. साइन हुए, 1999 में समझौता हुआ और 2001 में उस पर टैक्स लगना शुरू हो गया। 2003 में नौर्डिक इन्वैस्टमैंट बैंक ने यह देना शुरू किया तब उसमें यह पाया गया कि यह रह गया है। नोर्डिक इन्वैस्टमैंट बैंक उसी स्तर की श्रेणी का बैंक है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या आई.एम.एफ. है क्योंकि उनके द्वारा दिये गये ऋणों पर जो ब्याज का पैसा दिया जाता है, उस पर कोई टीडीएस नहीं होता। इसलिए उसे उस श्रेणी में रखा गया है। एक पुरानी कहावत है जिससे रघुवंश बाबू परिचित हैं।

"जाकि रहि भावना जैसी प्रभु मूरत देखि तिन तैसी"

[अनुवाद]

काष्ट आधारित हस्तशिल्प उद्योग का प्रश्न उठाया गया था। मैं इस विशेष धारा की बात नहीं करूंगा। धारा 10 ख में इसका प्रावधान है। काष्ठ आधारित उद्योग के उपबंध यह हैं कि यदि आप काष्ठ संबंधी उद्योग में आते हैं तो आपको काष्ठ भारत में आवश्यकता से अधिक उपयोग से बचाने के लिए लकड़ी का आयात करना होगा। अनेक हस्तशिल्प इकाइयों नें इसका विरोध किया है।

[हिन्दी]

यह प्रश्न पूछा गया कि क्या कुछ राज्यों से रिप्रेजेंटेशन मिला और कहा गया कि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, वे टैक्स नहीं देते हैं, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज नहीं देती है।

श्री चन्द्रनाथ सिंह : अगर बाहर से लकड़ी मंगायी है तो वह मकान बनाने में इस्तेमाल हो रही है वह हैंडी क्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इमारती लकड़ी का बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : इमारती लकड़ी नहीं रही, यह पहले था। अगर आप बाहर से लकड़ी मंगायेंगे तभी आपको एग्जम्पशन रहेगा। इसे आप ध्यान से देखिये। आप यहां से लकड़ी को अगर हैंडीक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोर्ट होगा तो सुविधा मिलेगी। बाहर की लकड़ी लगाने का प्रावधान उसमें नहीं है। यही इसमें अगर यह कहा जाये कि वास्तव में इसमें व्यापार नहीं है। इससे बहुत एम्पलायमेंट होगा, हजारों लोग जो गांव के हैं, गांव का बढ़ई है, उसे रोजगार मिल रहा है। राजस्थान और गुजरात के लोगों को इसकी जानकारी है। विशेषकर कच्छ, सौराष्ट्र और काठियावाड़ में बहुत हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत हो रहा है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस पर विचार करें क्योंकि सैक्शन 80सी को धार देने के लिए यह किया गया है।

[अनुवाद]

यह बात स्पष्ट है कि पोत भंजन उद्योग अत्याधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यह ऐसा उद्योग है जिसके तटीय प्रकृति के कारण केवल गुजरात में फला–फूला है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वे व्यक्ति जो पोत भंजन उद्योग में हैं अथवा शायद वहां श्रमिकों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें पूरी तरह प्रदान किए जाने चाहिए। यह कुछ अलग बात है। सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। इस संबंध में हम माननीय सदस्यों की चिंताओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन जहां तक भारत के स्थापित पोत भंजन कंपनियों का संबंध है तो उन्हें पोत के क्रय मूल्य पर अनिवासी पोत

(श्री जसवंत सिंह)

स्वामियों को मीयादी ब्याज का भुगतान करना होगा। यदि पोत को भंजन के लिए खरीदा जाता है तो उन पोतों के स्वामियों द्वारा धन का अग्रिम दिया जाता है और तब आपको उस पर ब्याज देना होता है। हम इस विसंगति में सुधार करना चाहते थे। तब कतिपय निर्णय लिए गए थे जो अलग–अलग थे। उदाहरण के लिए, गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय कतिपय अन्य राज्यों से भिन्न है जिसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार स्रोत पर कटौती कर का भुगतान किए बिना ब्याज का नामंजूर कर दिया गया। इसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता थी, क्योंकि इस उद्योग पर अपने आप में अति अनावश्यक कर की मांग बनी। इसीलिए, अध्यादेशों में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

अब मैं शराब के मुद्दे पर आता हूं।

[हिन्दी]

माननीय रघुवंश बाबू ने राज्य सरकारों का जिक्र किया। इसमें विशेषकर कर्नाटक से हमें आग्रह था। हमने टैक्स कलैक्शन एट सोर्स का एक प्रावधान पिछले बजट में किया था, ताकि जहां कंट्री मेड लिकर बनता है, वहीं पर टैक्स कलैक्ट किया जाए। फिर तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि होलसेलर्स का जो प्रोफिट मार्जिन है, वह रिटेलर्स से दो–चार परसेन्ट ज्यादा है, इसलिए टैक्स रेट को नीचे लाने के लिए 1 से 2 परसेंट तक किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जानना चाहा कि क्लब और एम्बैसी से टैक्स कलैक्ट क्यों नहीं करते। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि एम्बैसी और क्लब अपने आप में थोक में शराब बाहर नहीं बेचते हैं, इसलिए उनसे टैक्स कलैक्शन एट सोर्स नहीं होता। वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज का मैं जवाब दे चुका हूं।

[अनुवाद]

माननीय श्री किरीट सोमैया द्वारा एक रोचक प्रश्न पूछा गया था कि इतना अधिक प्रतिदाय क्यों है। मेरा विचार है कि उन्होंने स्वयं स्रोत की पहचान की और कब कि इसका कारण स्रोत पर कटौती कर है। तब करदाता द्वारा राहत अपील वाले चरण में प्राप्त की जाती है। उन्होंने यह पूछा है कि इसे पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं कर देना चाहिए। भुगतान किया गया कर कतिपय कारपोरेट निकायों द्वारा राजस्व विभाग के उस लीव फंड में लगाया जा रहा था जिसने अधिक ब्याज अर्जित किया। तब वह उचित समय पर उनके पास आ गया। हमने इस स्थिति को सुधारा है। लेकिन स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) प्रमुख कर संग्रहण स्रोत और राजस्व जुटाने का संसाधन है। लेकिन हम कर क्षेत्र के प्रत्येक पहलू की जांच करने का कार्य कर रह हैं। निःसंदेह, इन दिनों हम इस पर नए सिरे से विचार करेंगे। यह कुछ मुख्य बिंदु थे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री : हम तेंदू पत्ता व्यापारियों को छूट क्यों दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : तेंदू लीज के बारे में आपने कहा है। तेंदू पत्ती को लेकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न बातें आती हैं। यह लेबर से जुड़ा हुआ मामला है। मध्य प्रदेश में एक है।

[अनुवाद]

मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में सुनिश्चित करना चाहता हूं। हम वह निर्धारित करने की अवस्था में हैं जिसे हम फरवरी के महीने में संसद में लाना चाहते हैं। हम ऐसे सभी पहलुओं की भी जांच करेंगे जैसे कि हम अन्य मुद्दों की जांच कर रहे हैं। हम इस बात की जांच करेंगे कि क्या हम तेंदू पत्ता व्यापारियों को छूट देंगे, क्या हम बीड़ी पर छूट देंगे या नहीं आदि। हम इन सभी पहलुओं की नए सिरे से जांच करेंगे।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : इस विशेष संशोधन द्वारा कितने राजस्व का घाटा हुआ है?

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से अभी तक राजस्व घाटा, चाहे वह नौर्डिक बैंक पर स्रोत पर काटा गया हो या यह विशेष अवधि प्रभार हो, राजस्व घाटा नहीं हुआ। किसी मामले में स्रोत पर काटे गए कर संग्रहण में सुधार करने में हमें सीमांत राजस्व घाटा हुआ था, उसमें सुधार कर लिया गया था।

काष्ठ आधारित हस्तशिल्प उद्योगों पर, चूंकि यह निर्यातोन्मुखी उद्योग है, पुनः राजस्व घाटा बहुत ही कम है। हम इनमें से किसी उपाय में प्रमुख राजस्व घाटों की बात नहीं कर रहे हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य – उपस्थित नहीं।

मैं सांविधिक संकल्प को सभा के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 सितम्बर, 2003 को प्रस्थापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन–कर अधिनियम, 1957 तथा व्यय–कर अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 23 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री प्रस्ताव पुस्तुत करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.17 बजे

[अनुवाद]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 18 और 19 पर एक साथ विचार करगी।

श्री बसुदेव आचार्य – उपस्थित नहीं

श्री इकबाल अहमद सरडगी – उपस्थित नहीं

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, मैंने इस विधेयक के निरनुमोदन की सूचना इसलिए नहीं दी है कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अध्यादेश जारी करना ही सरकार का काम रह गया है और सरकार हमेशा पहले की बजाय बाद में सोचती है। सरकार को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि दिल्ली का चुनाव अमुक समय में होगा और सरकार इस विधान को इस सभा में पिछले सत्र के अंतिम दिनों में लाना और इसे पारित कराना उचित नहीं समझती। सरकार इस बारे में जानती है। सरकार ने अपने टिप्पण में यह स्पष्टीकरण दिया है कि दिल्ली में चुनाव होने के कारण इस अध्यादेश को लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मानो सरकार इस बात से अवगत नहीं थी कि दिल्ली में चुनाव होंगे और जहां तक जिला चुनाव अधिकारियों का संबंध है उन्हें यह आवश्यकता पूरी करनी थी। मैं सरकार के इस टाल–मटोल वाले रवैये पर घोर आपत्ति दर्ज करता हूं और यह भी कि सरकार इसकी जटिलता को समझना नहीं चाहती एवं वे माननीय राष्ट्रपति को अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री ए. सी. जोस (त्रिचूर) : महोदय, हमने भी इस संकल्प पर सूचना दी है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हम दोनों मदों पर एक साथ ही चर्चा शुरू कर रहे हैं। माननीय मंत्री को विधेयक प्रस्तुत करना है। तब श्री दासमुंशी बोलेंगे और इसके बाद माननीय मंत्री जवाब देंगें।

श्री ए. सी. जोस : महोदय, मैं विधेयक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अध्यादेश की बात कर रहा हूं। हमारे छः सदस्यों ने इस निरनुमोदन प्रस्ताव पर बोलने के लिए सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य प्रक्रिया यह है कि संकल्प का प्रस्तावक सबसे पहले संकल्प प्रस्तुत करता है। श्री बसुदेव आचार्य पहले व्यक्ति थे। वह अनुपस्थित हैं। अगले सदस्य भी अनुपस्थित हैं और सूची के तीसरे सदस्य, श्री दासमुंशी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है।

माननीय मंत्री अब प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

(श्री अरुण जेटली)

"कि यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, में और संशोधन वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं पुनः उन कारणों को दोहराऊंगा कि मैंने सूचना क्यों दी है। आज पूरी सभा के लिए सरकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण वास्तव में विचित्र है। सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है:

"आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्यों में जिला चुनाव अधिकारियों के पदनाम अथवा नामांकन के लिए धारा 13 क क के संशोधन की सिफारिश की है, जिससे संघ राज्यों में चुनाव के बेहतर प्रबंधन में सुविधा होगी। चुनाव आयोग ने यह भी अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर प्रस्तावित संशोधन करने हेतु अत्यावश्यक कार्रवाई की जाए।"

माननीय विधि मंत्री से मेरा यही प्रश्न है। कृपया वह तिथि बताएं जब चुनाव आयोग ने वास्तव में भारत सरकार और इसके मंत्रालय, विधि मंत्रालय को यह सलाह दी है कि चुनाव के मौके पर ये संशोधन आवश्यक हैं। क्या यह पिछले सत्र के दौरान अथवा उसके बाद में किया गया था? यदि यह सत्र समाप्त होने के बाद किया गया था तो मैं इसकी तत्काल आवश्यकता को समझ सकता। यदि ऐसा नहीं था तो सरकार जानबूझकर संशोधन को समय पर संसद में नहीं लाई और अध्यादेश लाने का रास्ता अपनाया। यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरी बात, क्या विधि मंत्रालय को इस बात की जानकारी थी कि जब दिल्ली में चुनाव के दिन नजदीक आ रहे थे और दिल्ली विधान सभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था? केन्द्र सरकार ने बड़े-बड़े दावे किए थे कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देगी। मुझे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने हेतु अध्यादेश आने की आशा थी। सरकार ने जानबूझ कर अध्यादेश का रास्ता चुना क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे इस रास्ते का उपयोग कर सकते हैं और इसे पहले ही सभा में लाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि विधि मंत्रालय और सरकार ने सत्र के दौरान सावधानी पूर्वक इस बात का अध्ययन नहीं किया जो इस उपबन्ध के लागू होने के बाद जिला चुनाव अधिकारियों पर लागू होगी और दिल्ली के संबंध में चुनाव आयोग को सलाह दिया। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि यह कोई तरीका नहीं है और सरकार इस मुद्दे पर अनिर्णय की स्थिति में है। इसलिए अध्यादेश लाया गया और इसीलिए, मैंने इस अध्यादेश के निरनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, अब आप विधेयक पर बोल सकते हैं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, इस विधेयक की सीमित व्याप्ति यह है कि वर्ष 1966 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में धारा 13 क क जाड़ी गयी थी। धारा 13 क क की भाषा, जब यह जोड़ी गई थी, ऐसी थी। मैं उप-धारा को पढ़ना चाहूंगा।

"संघ राज्य क्षेत्र के अलावा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार के परामर्श से, एक जिला निर्वाचन अधिकारी को पद नामित या नामित किया जाएगा जो सरकार का अधिकार होगा।"

इसलिए, वर्ष 1966 में, जब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया था और इस अधिनियम को पारित किया गया था, तो राज्य के एक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी का ही प्रावधान किया गया था लेकिन संघ राज्य क्षेत्र के लिए नहीं क्योंकि संघ राज्य तो स्वयं एक जिला माना जाता था और पूरे संघ राज्य क्षेत्र के लिए केवल एक ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता था। तदनुरूप और हाल ही में, स्वयं संघ राज्य कई जिलों में बंट गए। और इस आपात स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

अब, चुनाव आयोग जब 9 जून को संघ राज्य दिल्ली में चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो यह महसूस किया कि एक विधिक अवरोध था और दिल्ली के मामले में प्रत्येक जिले के लिए ऐसा नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, जैसा कि श्री दासमुंशी ने पूछा कि यह सूचना कब मिली, तो उन्होंने कहा कि इसे सरकार को संबोधित नही किया गया, कि प्रत्येक जिले में मुख्य चुनाव अधिकारी पर कार्य का बोझ और अन्य कारणों की वजह से हमारे लिए यह संभव नहीं था। इस मौके पर, विधि-विभाग जो प्रशासनिक स्तर पर चुनाव आयोग का काम देखती है, सरकार के विभिन्न विभागों विशेषकर गृह मंत्रालय से परामर्श किया जिनके विचार महत्वपूर्ण थे क्योंकि गृह मंत्रालय स्वयं संघ राज्यों का काम देखती है। गृह मंत्रालय का उत्तर हमें 21 अगस्त, 2003 के अंत में प्राप्त हुआ। इसलिए, ऐसी आपात स्थिति में, जबकि दिल्ली में चुनाव 1 दिसम्बर को होना था, तो सितम्बर-अक्तूबर के दौरान यह अत्यावश्यक हो गया था, जब चुनाव कार्य किया जा रहा था, तो अध्यादेश के द्वारा यह बदलाव लाना पड़ा और इसलिए, यह कार्य अध्यादेश के द्वारा किया गया। और आज यह संवैधानिक और कानूनी आवश्यकता है। इस कारण से यह अध्यादेश लाया गया है।

मैं अपने अच्छे मित्र श्री दासमुंशी को स्मरण कराऊं कि जब उनकी चिन्ता दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के बारे में ठीक है तो दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। और संवैधानिक संशोधन अध्यादेश के माध्यमय से संभव नहीं है। साधारण विधान अध्यादेश के माध्यम से लाया जा सकता है, परन्तु इससे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता।

इसलिए इस प्रयोजनार्थ सरकार ने अपने निर्णय की घोषणा की है और इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि चुनाव आयोग ने 9 जून को इस नोटिस को सरकार के ध्यान में लाया था। माननीय विधि मंत्री ने बताया कि 9 जून से 21 अगस्त तक विभिन्न विभागों ने इस पर समय लगाया कि क्या इस अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। तभी इसे सभा के समक्ष लाया गया। चुनाव आयोग ने इसकी आवश्यकता के बारे में बताया। मैं यहां आवश्यकता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और सरकार ने 21 अगस्त तक इस पर विचार किया। सरकार ने संसद की अनदेखी की और इसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए अध्यादेश लाई। यह क्षमा योग्य नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ढंग से काम नहीं करना चाहिए। यह पूर्णतया गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2003 को प्रस्थापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय साथी श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने स्पष्ट किया कि यह सरकार कदाचित अध्यादेशों के माध्यम से ही कार्य करती है, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं ताकि इस पर जोर दिया जा सके। ऐसा इस सरकार द्वारा अपनाए गए अध्यादेशों के रास्ते के कारण हुआ है, संसद का बहुत सा समय उन मामलों पर बेकार चला जाता है जिसका प्रयोग उन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। यह पुनरावृत्ति मात्र है कि मैं माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित तारीखों का हवाला दे रहा हूं। उनका कहना है कि 9 जून 2003 को चुनाव आयोग ने इस संशोधन की सिफारिश सरकार से की थी। उन्हें गृह मंत्रालय की स्वीकृति 21 अगस्त, 2003 को मिली। वास्तव में मुझे नहीं पता और मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्रालय को इस छोटे संशोधन को स्वीकृति देने में इतना समय क्यों लगा। ऐसे अनेक मामले हैं जिस पर हम गृह मंत्रालय से कार्यवाही चाहते हैं किन्तु काफी समय से गृह मंत्रालय को ये मामले नहीं भेजे जाते और फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग में घूमती रहती हैं।

जैसा कि माननीय मंत्री कह रहे हैं, यह चुनाव आयोग के कार्य में तेजी लाना था कि उन्होंने जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम की धारा 13 क क के क्षेत्र में संघ राज्यों को शामिल करने के बारे में सोचा था। इस कदम का मैं स्वागत करूंगा क्योंकि मैंने स्वयं देखा है कि संघ राज्यों में चुनाव कार्य करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई है उसे बहुत कार्य करना पड़ता है।

हमारी सुस्पष्ट आपत्ति यह थी जैसा कि यह पहले भी कहा गया है, कि गत सत्र में जो मानसून सत्र था, जैसे ही चुनाव आयोग से सिफारिश आई, उसके तत्काल बाद संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता था और इसे पारित किया जा सकता था। इस बार कुल नौ अध्यादेश जारी किए गए। वर्तमान सत्र के लिए सम्मन जारी करने में विलम्ब किया गया। इस अवधि के दौरान इन अध्यादेशों के लिए औचित्य बताने के लिए अलग-अलग कारण दिए गए और यह उनमें से एक कारण है।

मैं तो यह चाहता हूं कि भविष्य में जो भी समय सरकार के पास है, वह अध्यादेशों के प्रख्यापन का सहारा न लें। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं यद्यपि इसका यहां प्रसंग नहीं है। जो हमारी सामने है। उसका संबंध उस मामले से है जो विधेयक के रूप में स्थायी समिति के पास भेजा गया था। यह मामला स्थायी समिति के पास था किन्तु अध्यादेश जारी कर दिया गया। अब हमें कहा जाएगा कि इसकी संवैधानिक आवश्यकता है। इसलिए, कृपया अध्यादेश पारित करें अथवा अध्यादेश स्वीकृत करें। क्या संसद को इसी प्रकार से काम करना चाहिए? क्या सरकार को संसद के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए?

यह कहने के बाद मैं विधेयक पर आता हूं। माननीय मंत्री कहते हैं कि इसका सीमित क्षेत्र है। सरकार का ही क्षेत्र सीमित है।

वर्तमान सरकार सीमित क्षेत्र के साथ काम कर रही है। फिर भी, चाहे जो हो हम विधेयक के इस विशेष पहलू का समर्थन करेंगे।

संघ राज्यों में चुनाव कार्य करने के लिए और अधिक चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करने की जरूरत थी जैसाकि आप स्वयं भी देख चुके हैं। किन्तु मैं इस विधेयक पर वाद-विवाद के क्षेत्र का विस्तार नहीं करना चाहता। मैं स्वयं को चुनाव के आयोजन और चुनाव विभाग द्वारा चुनावों की तैयारी तक ही सीमित रखूंगा।

एक महत्वपूर्ण कार्य जो चुनाव विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वह है मतदाता सूचियाँ तैयार करना। मैं अब निर्वाचन आयोग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा यह कार्य राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को प्रत्यायोजित की गई हैं। यह कार्य है मतदाता सूचियां तैयार करना। किसी व्यक्ति के लिए यह चिन्ता का कारण है जो चाहता है कि किसी प्रजातांत्रिक

(श्री पवन कुमार बंसल)

समाज में प्रजातंत्र फले फूले। अब क्या हो रहा है? हमने एक बार मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन किया है। लोग मतदाता सूचियों में से लोगों के नाम शामिल करने और उनमें से लोगों के नाम निकालने के लिए सर्वेक्षण हेतु घर–घर जाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार समझा जाता है। किन्तु लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उनकी जानकारी के बिना उनके नाम मतदाता सूची से निकाल दिए जाते हैं। ऐसे मामले हैं जहां लागों के पास मतदाताओं के रूप में उनके पूर्व नामांकन के आधार पर ही उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जाते हैं किन्तु अचानक उन्हें पता चलता है कि उनके नाम सूची में नहीं हैं। यह बहुत चिंता का विषय है। सरकार इसके प्रति चिंतित नहीं दिखायी देती।

मैंने देखा है कि दिल्ली में ही अनेक मामलों में मतदाता सूची में से कई–कई घरों को ही हटा दिया गया। ...*(व्यवधान)* यदि माननीय मंत्री को इस बारे में चिन्ता है तो वह इसे देखने और देश भर में अधिकारियों पर स्थिति को देखने अपने प्राधिकार का प्रयोग कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि वह इस विषय में मेरी बात सुनें – मैं कह रहा था कि अनेक मामलों में मतदाता सूचियों में कई–कई घरों के नाम हटा दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने अन्य स्रोतों से भी इस बारे में जानकारी मिली होगी।

ऐसे अनेक मामले हैं जहां मतदाताओं के नाम इस तथ्य के बावजूद सूची से हटा दिए गए हैं कि उनके पास फोटो पहचान पत्र हैं। हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं? मेरा यह मानने का वैध कारण है कि दिल्ली में और मेरे निर्वाचन क्षेत्र दोनों इस सरकार के षडयंत्र का शिकार हुए – उन्होंने निर्णय किया कि कॉलोनियां ढहा दी जायें। एक अलग नीति के तहत उन्होंने यह कार्य किया है। हम उस मामले को अलग ढंग से ले रहे हैं। किंतु ऐसा बार–बार हो रहा है। इस नीति की बुनियादी इच्छा उन क्षेत्रों के निवासियों को मताधिकार से वंचित करना है। कानून में "साधारण निवासी" खंड की आवश्यकता को छोड़कर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उस जगह रहने वाला व्यक्ति उस स्थान की मतदाता सूची में मतदाता होने का पात्र है। इसके अतिरिक्त कानून में कोई प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित निर्वाचन प्रपत्र–6 में कुछ नहीं है। किन्तु मंत्री महोदय, आपके आदमी किस पर जोर दे रहे हैं? वे जन्म प्रमाणपत्र पर जोर दे रहे हैं। वे और किस बात पर जोर दे रहे हैं? वे आवास प्रमाणपत्र पर जोर दे रहे हैं। अनेक मामलों में मैंने यह देखा है। यदि मैं किसी के घर में किराएदार हूं तो वह आने वाली अनेक पेचीदगियों के कारण मुझे निवास प्रमाणपत्र भी नहीं देगा। इसलिए मैं अपने को नामांकित कराने के अधिकार से वंचित हूं क्योंकि मैं उसमें निवास स्थान प्रमाणपत्र संलग्न नहीं करता हूं।

फिर वे रोजगार प्रमाणपत्र का आग्रह करते हैं। क्या सरकार ने देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार का आश्वासन दिया है यद्यपि माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि प्रतिवर्ष एक करोड़ नौकरियां प्रदान की जा रही हैं? कर्मचारी इस बात का विचार किए बिना रोजगार प्रमाण पत्र मांगते हैं चाहे कोई व्यक्ति रोजगार में हो अथवा नहीं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति के स्वयं को मतदाता के रूप में दर्ज कराने के अधिकार से इन्कार करने के यही आधार हैं? मैं इन दिनों इसे देख चुका हूं। कल ही आखिरी तारीख थी। यह विशेष प्रक्रिया थी।

श्री ए. सी. जोस : इसे बढ़ा दिया गया है।

श्री पवन कुमार बंसल : मेरी इच्छा थी कि इसे बढ़ा दिया जाए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इसे बढ़ा दिया गया है। हो यह रहा है कि इस प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारी इन बातों पर जोर देते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि जो व्यक्ति सबूत देने में असमर्थ होता है, उसे मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। उसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाता है।

हमें इतने अधिकारी क्यों चाहिए? जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य 'उद्देश्य और कारण' में बताया कि ये कार्य शैली में कुशलता के लिए चाहिए। लेकिन हमें देखना चाहिए कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष बाद भी देश का एक भी नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के अधिकार से वंचित नहीं हुआ। महोदय, देश की पूरी जनता को एक सामान्य कार्ड अर्थात् नागरिकता कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि किसी के नाम का लोप हो गया, तो वह मताधिकार से वंचित हो जाएगा। यदि भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र तैयार करते समय यदि किसी व्यक्ति का नाम उसी रीति से मिटा दिया जाता है, जिस प्रकार मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा? उन्हें भारत का नागरिक भी नहीं माना जाएगा। क्या सरकार इस ढंग से कार्य करेगी? यह चिंत का विषय है, जिसे मैं बताना चाहता हूं।

महोदय, इस प्रयोजनार्थ तैनात किए गए कर्मचारियों से ऐसे कई कार्य हैं, जिनके करने की उसने आशा की जाती है। मैं यह कार्य उन्हें निर्देशित नहीं करूंगा। लेकिन मैं उन लोगों जो विभिन्न भागों में कभी–कभी स्वयं के राज्यों में और कभी अन्य राज्यों में निर्वाचन कर्त्तव्यों के लिए तैनात किये जाते हैं। सरकार सैन्य बलों के कर्मचारियों को प्रोक्सी मतदान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन सरकार ने उन लोगों को जो चुनाव ड्यूटी पर लगे हैं, उनका ध्यान नहीं रखा है। ऐसा हर बार होता है। मैं केवल सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह ऐसी प्रक्रिया है,

जो हर समय विद्यमान रहती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात छोटे कर्मचारी उन स्थानों पर जहां वे तैनात होते हैं, अपने मताधिकार के बारे में पूछते हैं। उन्हें यह अधिकारी नहीं दिया गया। उन्हें यह बताया गया है कि उन्हें अपना अनुरोध समय से काफी पूर्व भेजना चाहिए, ताकि उन्हें डाक मत भेजे जा सकें तथा वे अपना मताधिकार डाक मत के जरिए प्रयुक्त करें। मैं उनके लिए प्रोक्सी वोटिंग की हिमायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि यदि काई व्यक्ति अपन शहर के अतिरिक्त दूसरे शहर में तैनात किया जाता है अथवा स्वयं के निर्वाचन केन्द्र के अतिरिक्त दूसरे निर्वाचन क्षेत्र पर तैनात किया जाता है, तो ऐसे मामले में उन्हें इन स्थानों पर मताधिकार का अधिकार अवश्य मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, मेरे द्वारा उठाए गए मुददों पर ध्यान देंगे ताकि मतदाता सूचियों को तैयार करने से लेकर चुनाव परिणामों को घोषित करने तक की सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन समुचित रूप से किया जा सके और मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्वाचन कर्मचारी पूर्ण उत्तरदायित्व की भावना से अपने कर्तव्यों तथा ड्यूटी का निर्वहन करें, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया साफ–सुथरी हो सके।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003 जिसके संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने का प्रावधान है, उसका समर्थन करता हूं। अभी विरोधी पक्ष के माननीय बसुदेव आचार्य जी, बंसल जी और प्रियरंजन दासमुंशी ने जो सांविधिक संकल्प के माध्यम से निरनुमोदन की बात कही है, उससे मैं असहमति व्यक्त करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले में कम से कम निरनुमोदन सांविधिक संकल्प न दें तो ज्यादा अच्छा है। आप और हम सब अनेक वर्षों से यह देख रहे हैं और मांग भी करते आ रहे हैं, सरकार से उपेक्षा भी करते आ रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष और अच्छी तरह सम्पन्न हों, शांतिपूर्ण सम्पन्न हों। लड़ाई–झगड़े आदि की गड़बड़ी की शंका नहीं हो इसलिए जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनका नियंत्रण उस क्षेत्र पर ठीक से रहे और चुनाव कार्यवाही ठीक से सम्पन्न हो जाये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है परन्तु संघ शासित क्षेत्र अर्थात् केन्द्र शासित क्षेत्र में विशेषकर जैसे अभी दिल्ली के चुनाव होने थे, यहां अगर वह अध्यादेश जारी करके कानूनी प्रावधान नहीं किया होता तो चुनाव प्रक्रिया में उसका ठीक से पालन करवाने में खर्च वगैरह जो उम्मीदवार की ओर से प्रदर्शित किये जाते हैं, उसे देखने में कठिनाई होती।

अपराह्न 3.39 बजे

(श्री पी. एच. पांडियान *पीठासीन हुए*)

और चुनावी कार्यवाही पर नियंत्रण करने में भी कठिनाई होती क्योंकि जो पुराना कानून था, उसमें यह प्रावधान है कि संघ राज्य शासित क्षेत्र पूरे में एक ही निर्वाचन अधिकारी होता और उसी निर्वाचन अधिकारी को उस क्षेत्र में अर्थात् पूरी दिल्ली में चुनावी कार्यवाही सम्पन्न करनी होती थी। अगर उसी के पास प्रावधान सीमित होता, केन्द्रित होता और सारे 70 उम्मीदवार अपने हिसाब का पर्चा दूसरे या तीसरे दिन लेकर उसके पास जाते या निर्वाचक नियमावली में चुनाव के पहले संशोधन हुआ था, उस प्रक्रिया में उसके पास जाते रहते तो उसके ऊपर काम का बहुत बर्डन होता। शायद सुव्यवस्थित चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराने में कठिनाई होती। इसलिए यह आवश्यक महसूस किया गया कि इसमें संशोधन करके राज्यों की भांति हर जिले में निर्वाचन अधिकारी ऐप्वाइंट कर दिए जाएं। वे फिर अपने–अपने क्षेत्र का निर्वाचन कार्यक्रम बनाकर, जो बना है, उस पर अमल करने के लिए कार्यवाही करें। जो संशोधन लाया जा रहा है, वह उसी की पूर्ति करने के लिए है। मैं यह मानता हूं कि यह संशोधन हो गया और दिल्ली जैसे राज्य क्षेत्र में 1966 के बाद इसका बहुत विस्तार हुआ और उसके साथ–साथ क्षेत्रफल भी बढ़ा। अगर निर्वाचन अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ती और एक ही होता तो वह सब कार्यवाही सम्पन्न कराने में कठिनाई महसूस करता। वह कठिनाई न हो, इसलिए इसका विकेन्द्रीकरण हुआ और निर्वाचन अधिकारी भिन्न–भिन्न जिलों में नियुक्त किए गए जिसके कारण निर्वाचन कार्यवाही सम्पन्न होने में काफी मदद मिली और शांतिपूर्वक निर्वाचन सम्पन्न हुए। निष्पक्षता से निर्वाचन कार्यवाही सम्पन्न हुई। चुनाव आयोग ने समय–समय पर अनेक निर्देश दिए हैं और उनका पालन करने में एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी होने के कारण काफी सफलता मिली है और चुनाव सम्पन्न कराने में उनको कम कठिनाई महसूस हुई है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव में जो छोटी–मोटी और खामियां दिखाई देती हैं, गड़बड़ी करने वालों, धनबल, बाहू–बल आदि भिन्न–भिन्न प्रकार से चुनाव जीतने के जो उपाय किए जाते हैं, इस दिशा में भी गंभीरता से विचार करके इस प्रकार के कानूनी प्रावधान कर दिए जाएं कि वास्तविक जनसेवा का लक्ष्य लेकर जो लोग राजनीति में काम करते हैं, उनको इस प्रकार के बाहूबल और धनबल से नुकसान नहीं हो और जो जनसेवा की भावना से राजनीतिक क्षेत्र में अच्छे लोग, निष्ठावान लोग आए हैं, जनसेवा में विश्वास करके ईमानदारी और कर्तव्य

(श्री थावरचन्द गेहलोत)

निष्ठा से काम करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को भी लाभ मिल सके। इस प्रकार के चुनाव प्रबंधन के लिए जो भी कानूनी प्रावधान करना आवश्यक हो, उस प्रकार के कानून बनाने में भी अग्रसर होना चाहिए। सरकार ने अध्यादेश जारी करके कानून में जो प्रावधान किया और निर्वाचर अधिकारियों की संख्या क्षेत्रवार की, इस बात का समर्थन करता हूं और निरनुमोदन का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003 का विरोध करता हूं। मैं निर्वाचन प्रक्रिया में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उनका मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन सदन से व्युत्पन्न विधियां और अध्यादेश मात्र अपवाद हैं। संविधान में आकस्मिक और अपवादिक स्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह हल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए और न ही नेमी कार्यों की तरह किया जाना चाहिए। यह 'अपवादिक मामलें' शब्द की सच्ची भावना से सहमत होना चाहिए।

भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 123 और राज्यपालों को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि ऐसी आकस्मिकता होनी चाहिए, जो उत्पन्न परिस्थिति से निपटने को आवश्यक है, अन्यथा अध्यादेशों के जरिए विधि बनाना, बहुमत के प्रयोग से विधायिका की कार्यपालिका के हाथ की कठपुतली बनाने के समान होगा। इस कानून में 1966 में ही संशोधन कर दिया गया था। मूल कानून 1950 में पारित किया गया था। और संशोधन 1966 में प्रभावी हुआ था। हम सब यह जानते हैं कि संघ राज्यों में एक जिले को प्रशासनिक प्रयोजन से दो अथवा तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ष 1966 के आरम्भ में प्रत्येक जिले में एक निर्वाचन अधिकारी के पद का उपबंध था। अतः यह स्वाभाविक है कि संघ राज्य क्षेत्रों के एक जिले को प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एक से अधिक भागों में विभाजित किया गया। यह पता लगाने का कर्त्तव्य विधि विभाग का है कि निर्वाचन विधि को इस रीति से संशोधित किया जाए कि वह प्रशासनिक सुविधा के अनुरूप हो। ऐसा नहीं किया गया। ऐसी क्या आपाप अवस्था थी। मैं पहले ही दो शर्तों का उल्लेख कर चुका हूं। पहली शर्त यह है कि आकस्मिक स्थिति हो। दूसरी यह कि पश्चातवर्ती सत्र में सदन इसे अनुमोदित करे, अन्यथा यह व्यपगत हो जाएगी। अतः व्यपगत होने की कार्यवाही को निवारित करने के लिए, उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित किया था। यदि यह उपबंध नहीं होता, तो उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया होता। स्थिति यह है। संसदीय प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि विधि सदन से उत्पन्न होनी चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय अथवा किसी दूसरे स्थान से नहीं। लेकिन सरकार के पास सभा में इस प्रयोजनार्थ विधि बनाने के लिए पर्याप्त समय था। उनके पास क्या तात्कालिकता थी? आप इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि प्रत्येक जिले में एक निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए। आप सो रहे थे। तत्पश्चात् उन्होंने अचानक सोचा कि निर्वाचन आयोग इन लोगों को परामर्श दे। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि संघ राज्यों की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के लिए पृथक अधिकारियों को नियुक्त किया जाए। क्या वे इससे अवगत नहीं थे? क्या निर्वाचन आयोग को इस मामले में आपको परामर्श देना चाहिए? आपने पहले ही यह कर लिया होता। क्या आप यह तर्क देते हैं कि आज निर्वाचन आयोग का परामर्श सदैव मानेंगे? उन दिनों, निर्वाचन आयोग ने आपको यह परामर्श दिया था कि प्रत्येक प्रत्याशी को नामांकन के समय अपनी परिसम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता के बारे में ब्यौरा दाखिल करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने केन्द्र सरकार को यह परामर्श दिया था। केन्द्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया कि निर्वाचन आयोग की बात ठीक है। इसी वजह से हम अब ब्यौरे दाखिल कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने निर्वाचन आयोग का इन मामलों में परामर्श को पहले भी नहीं माना था। अतः अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए निर्वाचन आयोग के परामर्श को एक मात्र आधार मानने की बात गले नहीं उतरती है।

इसके अतिरिक्त, हम सभी को दिल्ली में चुनाव होने की जानकारी थी। कोई आकस्मिक स्थिति नहीं थी। केन्द्र सरकार के साथ-साथ भारत के लोगों, सभी को यह ज्ञात था कि चार राज्यों में निर्वाचन होगा, जिसमें से एक संघ राज्य है और यह संघ राज्य ही नहीं अपितु राजधानी क्षेत्र भी है। हम सभी को यह जानकारी है कि प्रत्येक जिले में एक निर्वाचन अधिकारी होना चाहिए। यदि यह कोई दूर-दराज का संघ राज्य होता तो मैं मान सकता था।

उनका विचार यह है कि प्रत्येक संघ राज्य कई प्रशासनिक जिलों में विभाजित है। पहले क्या आप सो रहे थे? आपको पहले क्या हो गया था? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको यह घमण्ड है कि आप बहुमत में हैं और किसी भी विधेयक को पारित करा लेंगे। यही बात थी जिसकी वजह से ऐसा किया गया था। उन्हें, सामान्य रूप से अध्यादेश के स्थान पर विधेयक को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं न केवल इस मामले का उल्लेख कर रहा हूं, अपितु दूसरे मामले का भी उल्लेख दे रहा हूं जिसमें यही प्रक्रिया दोहराई गई। प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात था कि संसद का शीतकालीन सत्र होगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने काफी

पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि किस तारीख से सत्र शुरु होगा। उन्होंने निर्णय को लेख बद्ध करने के पश्चात् भी अध्यादेश जारी किया। मैं इसे नहीं समझता। यदि केन्द्र सरकार ने इस माह के दूसरे सप्ताह से शीत कालीन सत्र आयोजित करने का निर्णय ले लिया था तो उन्हें अध्यादेश जारी नहीं करना था। न केवल यह अध्यादेश अपितु कई अन्य अध्यादेश भी जारी किए गए थे। क्या आप रबर स्टाम्प की मजाक उड़ाना चाहते हैं।

क्या हम यहां पर आपके प्रत्येक कार्य का अनुमोदन करने के लिए और हस्ताक्षर करने के लिए है। क्या यह विवेक हीनता है? केन्द्र सरकार आम तौर पर ऐसा कर रही है। यदि आकस्मिक स्थिति होती, तो मैं इसे मान सकता था। अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अप्रत्याशित घटनाओं के कारण थे। संविधान में यह प्रावधान अनापेक्षित और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए ही बनाया गया था। यह केवल निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करने, अथवा न ही साधारण सांविधि बनाने के लिए है, अपितु, यह ऐसी आकस्मिक और अप्रत्याशित स्थिति के लिए है, जो देश को प्रभावित करती है। इन परिस्थितियों में अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

आप प्रत्येक प्रयोजन के लिए यों ही अध्यादेश जारी कर रहे हैं और संसदीय प्रजातंत्र का उपहास कर रहे हैं। सभा के निर्णय को न्यूनाधिक रूप से महत्वहीन बना दिया गया है।

हमें महान प्रधानमंत्री मिला है, जिन्हें इन मामलों की अच्छी जानकारी भी है और लगभग 50 वर्षों का संसदीय अनुभव है। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के शासन काल में ऐसा कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। यदि ऐसा व्यक्ति, जिसे अधिक अनुभव नहीं है, ऐसा कार्य करे, तो मैं मान सकता हूं। ऐसी अवधि में ऐसा हो सकता है, परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो काफी लम्बे समय से इस सभा के सदस्य हैं और अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया से अवगत है, के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कर रहे हैं और हमें इसको सहना पड़ेगा। हमें इन सब चीजों को अलविदा कहना चाहिए। क्या आप ऐसा ही सोचते हैं।

आपको पक्का पता था कि सभा इन तारीखों को समवेत होगी किंतु आपकी यह धारणा है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अंग हैं और हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए आप अध्यादेश जारी करते हैं और अब अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक लाए हैं और हमसे अपनी स्वीकृति देने के लिए कह रहे हैं।

महोदय, मैं अपनी स्वीकृति देता हूं क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। किंतु हमारे विद्वान विधि मंत्री भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। यह एक सच्चाई है। मैं उनसे किसी उत्तर की अपेक्षा भी नहीं कर रहा हूं किंतु यह बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जानी चाहिए कि एक वरिष्ठ सदस्य ने ये सब बातें कही थी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अध्यादेश जारी करने की इस कार्यवाही का पुरजोर विरोध करता हूं।

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : महोदय, मैं अध्यादेश तथा लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि ऐसा करने की अत्यावश्यकता थी क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र और राजधानी दिल्ली में चुनाव होने थे और इस अध्यादेश की आवश्यकता थी।

मैं माननीय सदस्य, श्री पवन कुमार बंसल की इस मंशा से असहमत हूं कि आजकल यह सरकार अध्यादेशों पर चल रही है। सारा देश यह जानता है कि वह कौन सा दल था कौन सी सरकार थी जो अध्यादेशों पर चल रही थी। मैं इस सूची को विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं। महोदय, देश यह सब जानता है। इसलिए मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* देश यह जानता है। हम भी इस देश के अंग हैं। हम संसद सदस्य भी इस देश के अंग हैं और यहां के नागरिक हैं।

महोदय, इस विधेयक में चुनाव प्रक्रिया की धारा 13 क क में संशोधन करके राज्य में किसी अन्य जिले की तरह संघ शासित राज्यों के जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने की मांग की गई है।

उस समय, आजादी से लेकर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था। जैसे–जैसे समय गुजरता गया, हमने देश के समस्त निर्वाचन कार्य की देखरेख हेतु दो और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। इसी प्रकार, यद्यपि उस समय कोई प्रावधान नहीं था। जैसे–जैसे समय बीतता गया, इसकी आवश्यकता पड़ी क्योंकि चुनाव प्रक्रिया काफी बदल गई है और उसका स्वरूप भी बदल रहा है। इसलिए, हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। मेरी राय में, जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति केवल कागजों पर किया जाने वाला काम ही नहीं होना चाहिए। आजकल, चुनाव काफी खर्चीला है। ऐसा चुनावी प्रक्रिया, मतदाता–सूची का पर्यवेक्षण न करने के कारण हुआ है, जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने कहा, कि मतदाता का नाम जोड़ने और काटने में काफी विसंगतियां हैं। यदि यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी को दिया जाता अथवा वह यह कार्य करता तो मतदाता पहचान पत्र वाले लोगों का नाम काटने की गलती नहीं होती और इन सब बातों को ठीक किया जा सकेगा।

(डा. मन्दा जगन्नाथ)

जैसा कि मैंने पहले कहा था कि समय के साथ–साथ चुनाव काफी खर्चीला हो गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं लोग चुनावी दिशा–निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे पैसा खर्च करने और चुनावी प्रक्रिया को खर्चीली बनाने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। अतः इससे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को काफी असुविधा हो रही है। वे चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए, इन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, और यदि वे इन पहलुओं पर ध्यान देते हैं, यदि वे चुनव आयोग के नियमों का पालन करते हैं और यदि इस अध्याय पर ध्यान दिया जाता है तो खर्चे में भारी कमी आएगी। यह समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर देगी।

इससे चुनाव आयोग पर काम का बोझ भी कम होगा। इस अध्यादेश को लाने से पहले ऐसा लगता है कि संघ राज्य क्षेत्रों में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था और इससे उस पर चुनावी प्रक्रिया की देखरेख करने का काफी बोझ पड़ा। यह उसे इस बोझ को बांटने का अवसर देगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि चुनावी प्रक्रिया काफी अच्छी तरह चल रही है।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : सर्वप्रथम, मैं अध्यादेश को प्रख्यापित करने के गुण–दोषों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। न तो मैं इसके पक्ष में हूं और न ही इसके विरोध में। मैं इस बारे में तटस्थ हूं।

विधेयक की व्याप्ति की बात करें, तो यह सही है कि उसका क्षेत्र सीमित है। अध्यादेश, जिसे अब एक विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, का उद्देश्य एक विशेष अधिकारी को एक जिला निर्वाचन अधिकारी हेतु नामजद अथवा मनोनीत करने उसे शक्ति प्रदान करना है। अभी तक प्रत्येक राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारी का पद है। प्रत्येक राज्य में, जिला प्रमुख, अर्थात् जिला आयुक्त अथवा जिला दंडाधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में, चूंकि संघ राज्य क्षेत्रों में जिले नहीं होते हैं इसलिए वहां यह नामजद अधिकारी नहीं होता है। अतः अब संघ राज्य क्षेत्रों को जिलों में बांट दिया गया है। वे अन्य राज्यों के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए पहले अध्यादेश को लाया गया है और फिर इसे प्रतिस्थापित करने के लिए वह एक विधेयक के रूप में लाया गया है।

अब विधेयक के गुणा व गुण की बात करते हैं। हमारा भारतीय लोकतंत्र कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका रूपी तीन खंबों पर खड़ा है यह नौकरशाही के माध्यम से काम करता है और प्रेस इनकी सहायता करता है। अतः ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के अंग हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका को संसदीय लोकतंत्र में शक्ति प्राप्त होती है और नौकरशाह उनके अंतर्गत काम करते हैं। राजनैतिक कार्यपालक का काम होता है – क्या करना है, और नौकरशाह का काम है – काम कैसे किया जाए। अब, जैसा कि हम और सभापति जी भलीभांति जानते हैं, समस्त जिला प्रशासन जिला प्रमुख अर्थात् जिला आयुक्त अथवा जिला दंडाधिकारी के हाथों में होता है।

अपराह्न 4.00 बजे

उनके अधीन राजस्व प्रभाग होता है और तहसीलदार भी उनके अधीन होते हैं। अतः वहां पर पहले से ही सोपानिक अनुशासन होता है। यह आयुक्त से शुरू होकर तहसीलदार पर समाप्त होता है। यह एक सुसंबद्ध और सोपानिक संपर्क है तथा औपनिवेशिक शासन के समय से ही अनुशासन सुस्थापित है और हम उसका कड़ाई से पालन कर रहे हैं।

अब, जहां तक जिला निर्वाचन अधिकारी का संबंध है वह न केवल जिला प्रमुख होना चाहिए अपितु उसे एक समन्वय एजेंसी भी होना चाहिए। जिला दंडाधिकारी अथवा जिला आयुक्त या जिला समाहर्त्ता का काम अन्य सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है और सभी मामलों में उसकी बात सर्वोपरि होती है। इसलिए उसे जिला निर्वाचर अधिकारी के रूप में नियुक्त करना ठीक है। राज्यो और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसा करने के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे अनेक मित्रों ने यह कहा है कि इसमें अनेक सुधार किए जाने हैं। मैं उन लोगों में से एक हूं जो सदैव यह चाहते हैं कि व्यापक चुनावी सुधार हों, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हों और बेहतर चुनावी प्रक्रिया हो। दुर्भाग्यवश, अनेक चुनावी सुधार संबंधी उपाय किए जाने के बावजूद कई शिकयतें सामने आ रही हैं।

इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं या कतिपय टिप्पणियाँ करना चाहता हूं। नियुक्त किया जनो वाला जिला निर्वाचन अधिकारी कोई और नहीं बल्कि राज्य की मशीनरी का एक अंग होता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक प्रधिकरण है। किंतु वह प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, उसे केवल राज्य की मशीनरी के माध्यम से ही कार्य करना होता है। राज्य की मशीनरी में, जिला समाहर्त्ता अथवा आयुक्त उस राज्य का एक सरकारी नौकर होता है। यद्यपि वे उस विशेष अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के अधीन सीधे कार्य करते हैं और हालांकि कानून भी यही कहता है, तथापि उनका स्थानांतरण, नियुक्ति और अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी अधिकार संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के पास होते हैं। उस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नामजद अथवा मनोनीत किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी अब स्वतंत्र हो सकते हैं चूंकि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र हो सकता है। मेरा पहला प्रश्न यह है।

इस संबंध में, क्या आपका कानून या आपकी प्रक्रिया राज्य से बाहर के जिला निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। क्या आप उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में ला सकते हैं? एक संवेदनशील क्षेत्र में क्या एक दूसरे राज्य के अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी तैनात किया जा सकता है? मान लीजिए कि यह संभव नहीं है, तो क्या आप राज्य में से अपने जिला निर्वाचन अधिकारी का चुनाव कर सकते हैं अथवा क्या आप सही काम के लिए एक सही आदमी का चुनाव कर सकते हैं? मैं यह जाना चाहता हूं कि क्या यह संभव है। यह मेरी दूसरी टिप्पणी है। तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी प्रक्रिया और अन्य बातों को इस प्रकार से सरल और औचित्यपूर्ण बनाया जा सकता है कि जिससे किसी प्रकार के दुरुपयोग अथवा कदाचार को जगह न मिले।

पुनः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप निर्वाचन आयोग की शक्तियों को इस प्रकार से वृद्धि कर सकते हैं कि वह चुनाव प्रक्रिया की प्रत्यक्ष रूप से निगरानी और पर्यवेक्षण कर सके क्योंकि वह अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के हकदार हैं। यह निर्वाचन आयोग का मूल कार्य है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अधीक्षण या नियंत्रण अथवा प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दे सकते हैं और यदि यह संभव नहीं है तो उनकी प्रत्यक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण में कैसे सुधार किया जा सकेगा।

अंततः, नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों की शक्तियां वैद्यानिक नहीं हैं। दूसरी तरफ, वे आते हैं और पर्यवेक्षण करते हैं और रिपोर्ट देते हैं। वे शक्तियों का वस्तुतः प्रयोग नहीं करते। निश्चित ही, वे अन्य राज्यों से आते हैं और वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं। ऐसी स्थिति में, यह समझना आप पर निर्भर करता है कि क्या आप चुनाव के समय पर्यवेक्षकों को और अधिक शक्तियां प्रदान कर सकते हैं ताकि और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।

आपकी बात समाप्त करते हुए, मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री से यह अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार का खंडशः सुधार अथवा खंडशः संशोधन न करें। दूसरी ओर, क्या यह व्यापक चुनाव सुधार के बारे में सोच सकते हैं ताकि हमारे चुनाव पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकें।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक छोटा सा और संशोधन करने वाले विधेयक को सदन में लाने का काम मंत्री महोदय ने किया है और उन्होंने दावा किया है कि इसमें ज्यादा संशोधन नहीं है बल्कि वर्ष 1996 में जो संशोधन हुआ था, उसमें "संघ राज्य क्षेत्र के भिन्न" यानी यूनियन टैरीटरीज में जिला नहीं था, तो हरेक जिले में पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी की बहाली होती थी, इसका प्रावधान था और उस समय जिले नहीं थे। इसलिए इसमें जो "संघ राज्य क्षेत्र के भिन्न" लगा हुआ था, अब इन्होंने कहा है कि चूंकि अब जिला हो गया है इसलिए इस "संघ राज्य क्षेत्र के भिन्न" को इसमें से हटाया जाए और यह भी कि दिल्ली में चुनाव होने जा रहा था इसलिए इन्होंने क्लेम किया है कि आर्डीनेंस चुनाव आयोग के निर्देश पर लागू किया गया।

महोदय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का प्रावधान है, चूंकि अब हर जगह जिला हो गया है, इसलिए जिला निर्वाचन प्राधिकारी के जो कार्य परिभाषित हैं उनमें कहा गया है कि वे मतदाता सूची तैयार करेंगे, नामावली तैयार कराएंगे, बूथ बनाएंगे। उसके बाद बूथ पर रिटर्निंग अफसर की बहाली होगी, निर्वाचित पदाधिकारी, बहाली होगी, प्रिजाइडिंग अफसर की बहाली होगी, आइडंटिटी कार्ड तयार होंगे। ये सारे कार्य, कहा गया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी कराएंगे।

महोदय, यह जो अभी संशोधन आया है कि "संघ राज्य क्षेत्र के भिन्न" को हटाकर सभी राज्यों में, चाहे यूनियन टैरीटरी हो, सभी में यह प्रावधान किया गया है, तो जब जिला नहीं था, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का काम कौन करता था? आप जो संशोधन इसमें लाए हैं, इसमें यदि देखा जाए, तो इन्होंने कहा है।

[अनुवाद]

महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–26 में मतदान केन्द्रों हेतु पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। धारा 26 (5) के अनुसारः

"धारा 25 में और इस धारा में जिला चुनाव अधिकारी का किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित किसी निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी संदर्भ का तात्पर्य उक्त निर्वाचन क्षेत्र हेतु रिटर्निंग आफिसर का संदर्भ माना जाएगा।"

[हिन्दी]

अब इन्होंने कहा है कि हमने उसका लोप कर दिया है। यदि ऐसा है, तो इसमें रिटर्निंग अफसर भी दिया गया है, तो क्या रिटर्निंग अफसर के बिना काम हो जायेगा, यदि ऐसा है, तो कैसे निर्वाचन होगा, इसको लोग करने से कैसे काम चलेगा क्योंकि इन्होंने रिटर्निंग अफसर का कहीं कोई प्रावधान नहीं किया है। ऐसे कैसे काम चलेगा। रिटर्निंग अफसर कैसे चुनाव करायेगा? एक

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

जिला निर्वाचन अधिकारी कलैक्टर को बहाल करता है, इसको इन्होंने खाली छोड़ दिया है और केवल "संघ राज्य के भिन्न" रखा है, जिले के बन जाने से जिला निर्वाचन पदाधिकारी की बहाली हुई है, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं उनमें हमें देखने को मिला है कि कई बूथों पर आईडेंटिटी कार्ड नहीं बने। वहां से गरीबों को लौटा दिया गया। उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। किसी से कहा कि राशन कार्ड लाओ, किसी से कहा कि चुनाव पहचान पत्र लाओ। लोगों का नाम नहीं आया है, यह बहुत असंतुलित स्थिति है, बहुत अव्यवस्थित स्थिति हो गई है। कुछ लोगों का कुछ राज्यों में आईडेंटिटी कार्ड नहीं बना, पहचान पत्र नहीं बना, कुछ का नाम नहीं है, कहीं कहा गया कि नाम है, लेकिन पहचान के लिए राशन कार्ड लाओ। इसलिए मेरा कहना है कि कोई एक नियम तो होना चाहिए। लोक तंत्र में वोट का अधिकार है। इसलिए मेरा कहना है कि एक कॉम्प्रीहेंसिव इलैक्टोरल रिफॉर्म्स बिल आना चाहिए। ये बहुत होशियार मंत्री हैं।

ये सब कुछ लेते हैं लेकिन इन्होंने कभी वोट लड़ा होता तो इन्हें पता लगता कि कैसे वोट होता है और क्या–क्या कठिनाईयां होती हैं। इसलिए इलैक्टोरल रिफार्म्स का कॉम्प्रीहैंसिव बिल आना चाहिए। वहां अभी जो मतदाता सूची तैयार हो रही हैं, बूथ पर काफी कशमकश चल रही है। चुनाव आयोग रंग–बिरंगा निर्देश दे रहा है। अभी चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जो कम्युनिटी हॉल बन रहा है, सरकारी बिल्डिंग है, पहले यह था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग में बूथ रहेगा, लेकिन आयोग ने निर्देश दे दिया कि अब उसमें नहीं रहेगा, इसलिए सभी राजनैतिक दलों में मारा–मारी हो रही है। आपने सभी राजनैतिक दलों से क्यों नहीं परमर्श किया और उस संबंध में विचार–विमर्श किया। जिन बूथों पर वोट होता है, जो मतदाता सूची तैयार हो रही हैं, उसमें गरीब व्यक्ति का नाम छूट रहा है। सैशन के समय में उन्होंने कहा था कि हम आईडेंटिटी कार्ड अनिवार्य रूप से लागू करवायेंगे और जिनका नहीं होगा, उन्हें हम वोट नहीं डालने देंगे। फिर कोर्ट में चैलेंज हुआ, अब उन्होंने निर्णय दिया जिनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है, वे वोट डालने के हकदार होंगे। उसके बाद कुछ लोगों का वोट बना और कुछ का नहीं बना, कुछ राज्यों और जिलों में बना और कुछ में नहीं बना तथा अगर बना तो गलत बन गया। फोटो खिंचाने और आइडेंटिटी कार्ड बनाने को वे 18–20 रुपये मांग रहे हैं। मंत्री जी, यह आम जनता की कठिनाई है, इसलिए आप कृपा करके इसकी छानबीन कीजिए। जिसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना, उसका बनाने के लिए 18–20 रुपये का उसे दंड लगा। उसमें कुछ का नाम गलत लिख दिया, इसलिए उसे बूथ से वापस भेज दिया। ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं, बूथ का कैसे मैनेजमैंट होगा। इसमें ये सब संशोधन किया जाए तब इसे पास किया जाए। जिला रिटर्निंग आफिसर का जो कर्त्तव्य है, उसमें जो कठिनाई है, चुनाव आयोग का जो निर्देश होता है, उसमें आपसे परामर्श होता है या नहीं होता, हम नहीं जानते। जो गरीब व्यक्ति है उसका नाम मतदाता सूची में डालना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड निश्चित रूप से सब का बने और अगर नहीं बने तो यह प्रावधान हो कि पहले की तरह जितना वोटर लिस्ट में नाम है, वे वोट डालेंगे। गरीब आदमी का चुनाव के दिन कोई सुनने वाला नहीं होता है।

महोदय, अभी फतुहा में उप–चुनाव हुए, वहां गरीब आदमी को लौटा दिया। अखबारों में खबर छपी कि उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, इसलिए उसे लौटा दिया। उसमें स्पैलिंग मिस्टेक होती है, तालमेल नहीं बैठता है इस कारण से उसे लौटा दिया जाता है। इसलिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें सुधार के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव संबंधी नियम बने हुए हैं, उसका भी अध्ययन किया जाए और किस हिसाब से लोगों को वोट डालने में सहूलियत हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। लोकतंत्र का मतलब है, वोट का राज और जब तक वोट प्रणाली दुरुस्त नहीं होगी तब तक उसके आगे की प्रणाली भी दुरुस्त नहीं होगी, यह हम लोगों का मत है। इसलिए वोट का राज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव साफ–सुथरा और शांति वाला होना चाहिए, जिससे हर मतदाता मतदान कर सके और किसी को कठिनाई न हो। अब उसमें कहा कि पहले 500–700 मतदाता एक बूथ पर होते थे लेकिन इस बार कह दिया कि 1500 मतदाता एक बूथ में रहेंगे, क्योंकि अब इलैक्ट्रोनिक मशीन होगी और उसकी क्षमता है कि 1500 मतदाता एक दिन में सुबह से शाम तक वहां वोट डाल सकते हैं। अब तीन टोलों के मतदाता एक बूथ पर होंगे, इसलिए उन्हें आने–जाने में असुविधा होगी, उनके लिए दूरी बढ़ जाएगी। कमजोर वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने में कठिनाई उत्पन्न होगी। ये किस तरह के निर्देश चलते हैं, इसकी जानकारी विभाग को कोई देता है या नहीं या चुनाव आयोग अपने मन से कुछ न कुछ निर्देश जारी करता रहता है।

चुनाव आयोग के अधिकारी लोग स्थानीय स्तर पर भयभीत होते हैं, इसलिए इन सभी बातों पर क्यों नहीं परामर्श किया गया कि 1500 मतदाताओं पर एक बूथ होगा तो तीन टोलों में जो चार किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें कहीं 200, कहीं 400 और कहीं 500 मतदाता हैं, सभी को एक जगह करने में दो किलोमीटर से अधिक दूरी हो जायेगी, जिससे मतदाताओं को कठिनाई होगी।

बूथ के संबंध में जो निदेश जारी हुए हैं, उनको देखा जाना चाहिए और इस तरह के निदेशों को वापस लिया जाना चाहिए, जिससे गरीब, कमजोर वर्ग और गांव के रहने वाले मतदाताओं को वोट डालने में कठिनाइयां हों और उनको वोट डालने से वंचित

किया जाये। उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया जाये। हमने संशोधन दिया था कि सब जगह फोर्स का प्रावधान होना चाहिए। अगर पैरा मिलिट्री फोर्स वहां रहेगी तो वहां जोर–जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस हिसाब से तीन राज्यों में चुनाव हुआ है, हमारे यहां भी तीन विधान सभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है। प्रथम बार चंडी में हुआ था, जिसमें इलैक्ट्रोनिक प्रणाली से मतदान हुआ था, इसमें समय कम लगता है, लेकिन उसमें भी कई बूथों पर इलैक्ट्रोनिक मशीन लगी हुई थी। लोगों ने वोट डाला तो मशीन बोली ही नहीं। दिल्ली में अभी मतदान हुआ है, मल्होत्रा जी को सब अनुभव हुआ होगा। ये सारी कठिनाइयां हैं, इन सब पर विचार–विमर्श करके ठीक ढंग से कानून बनना चाहिए और चुनाव आयोग को निदेश जाना चाहिए और वह प्रणाली लागू होनी चाहिए। केवल अदर दैन यूनियन टैरीटरी को हटा देने से काम नहीं चलेगा, ऐसा विधेयक आने से चुनाव प्रणाली में सुधार की सम्भावना है। हमें लगता है कि सरकार इस माने में बहुत गम्भीर नहीं है। जैसे–तैसे चुनाव हो जाये, वह समय अब नहीं है। वोट साफ–सुथरा होना चाहिए। जब तक वोट साफ–सुथरा और चुनाव दुरुस्त नहीं होगा, तब तक आगे का भी काम ठीक नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल को तो पास कर दिया जाये, किन्तु जो सब बिन्दु बहस के दौरान उठाये गये हैं, उन पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है और चुनाव आयोग से परामर्श करके उन पर आगे कार्रवाई करने की जरूरत है, जिससे आम मतदाता का नाम न छूटे, आम मतदाता को आइडेंटिटी कार्ड मिले और नहीं भी मिले तो भी उसे वोट डालने से वंचित नहीं किया जाये। उनको बूथों पर सुरक्षा मिले और उनके टोले से कम दूरी पर बूथ होना चाहिए ताकि वे वोट डाल सकें। इन सभी बिन्दुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, तब इस विधेयक को पास करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं।

जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूची को तैयार करने और उसे संशोधित करने से संबंधित कार्य का समन्वय और निगरानी करता है तथा सभी संबंधित जिलों के अंतर्गत सभी संसदीय विधान सभा और विधान परिषद हेतु चुनाव आयोजित करता है। यह एक स्वागत योग्य उपाय है।

मतदाता सूचियों के संशोधन का कार्य अभी जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुदेश बड़े ही स्पष्ट और नागरिकों के लिए मददगार हैं। परन्तु राज्य के निर्वाचन अधिकारी राज्यों में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करते हैं। उदाहरणतः, तमिलनाडु में, उन्होंने मतदाता सूचियों को निर्धारित तिथि के एक सप्ताह के बाद प्रदर्शित किया। ...*(व्यवधान)* उन्होंने दस दिनों के बाद मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूचियां वितरित की। सामान्यतः सभी राजनीतिक दलों को प्रपत्र 6, 7 और 8 को मुद्रित करने की अनुमति है। अब, राज्य निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों को मुद्रित प्रपत्रों का प्रयोग न करने के लिए सख्त चेतावनी दी है।

डीएमके दल के पदाधिकारियों द्वारा दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर उन्हें समझाने के बाद राज्य चुनाव अधिकारियों के प्रपत्र 6, 7 और 8 को मुद्रित करने की अनुमति देने के अनुदेश जारी किए गए थे। मुख्य चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम स्वागतयोग्य है।

तमिलनाडु में, उन्होंने मतदान–केन्द्रों की संख्या में हजारों की कमी की है। लगभग पांच हजार से छह हजार मतदान केन्द्रों को अब समाप्त किया है। मान्यता प्राप्त दलों के साथ विचार–विमर्श किए बगैर, तमिलनाडु राज्य के चुनाव अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया था।

श्री के. मलयसामी : ऐसा सरकार द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ऐसा निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था।

सभापति महोदय : निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : इससे डीएमके दल को भी सहायता मिलेगी।

महोदय, मेरे राज्य में, अधिकतर मतदाता सूचियां स्पष्ट नहीं हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों की मंशा से हजारों मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम) : महोदय, हम इस पर कड़ी आपत्ति करते हैं। ...*(व्यवधान)* वह जो भी बोल रहे हैं, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)* मेरा राज्य इस पर गहरी आपत्ति कर रहा है। ...*(व्यवधान)* उसे हटाया जाना चाहिए।

श्री के. मलयसामी : महोदय, हमें बताया गया था कि डीएमके के दलीय पदाधिकारियों से हजारों आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। वे अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं और वे ऐसे कार्य को भी पूरा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ये दोनों बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जानी चाहिए।

श्री आदि शंकर : महोदय, अधिकतर मतदाता–सूचियों में, क्रम संख्या और मकान नम्बर स्पष्ट नहीं है। अधिकांश जगह, दो प्रविष्टियां हैं। ...*(व्यवधान)* समस्त प्रक्रिया को अवश्य नियमित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका तमिलनाडु से सम्बन्ध नहीं है। यह संघ राज्य से संबंधित है।

...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर : तमिलनाडु में, मतदाता सूचियां भ्रम पैदा करती हैं। ...*(व्यवधान)* 60 प्रतिशत मतदाता सूचियां स्पष्ट नहीं हैं। इसे सुधारा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* प्रणाली में सुधार करने हेतु सभी कदम उठाए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. मलयसामी : महोदय, उनके द्वारा मतदाता सूचियां तैयार की गई थी। अब, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री आदि शंकर : महोदय, तब वह निर्वाचन अधिकारी थे। ...*(व्यवधान)* मैं सिर्फ राज्य निर्वाचन आयुक्त था।

श्री के. मलयसामी : जी नहीं, मैं निर्वाचन अधिकारी नहीं था ...*(व्यवधान)* मैं राज्य निर्वाचन आयुक्त था।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2003 का, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन विधेयक के ऊपर बहुत कुछ डिस्कशन हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 का संशोधन इस बिल में हो रहा है।

सभापति महोदय, मैं इस बिल पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल दो–तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डालूंगा। हमारी डेमोक्रेसी में जो चुनाव होते हैं, वे निर्भय और निष्पक्ष होने चाहिए। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। इस डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज डेमोक्रेसी की आत्मा मतदान और मतदान की प्रक्रिया है और वोटर्स लिस्ट है। अगर निर्भयता और निष्पक्षता से चुनाव होंगे तो हमारी 55 साल की डेमोक्रेसी आगे भी सशक्त होगी।

सभापति महोदय, मेरी नजर में सबसे ज्यादा अहम चीज वोटर्स लिस्ट है। इस देश का जो नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। उसका मतदान मत पेटी में जाना चाहिए। लेकिन अगर गलती से वोटर्स लिस्ट में किसी सिटिजन का नाम नहीं आता तो वह मतदान करने से वंचित हो जाता है। वह अपने मूल अधिकार से भी वंचित हो जाता है। जब म्नदान सूची बनती है, मतदान सूची बनने का जो पीरियड होता है, उसमें सब सिटिजन्स की सूची बननी चाहिए। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। किसी के लिए डोमीसाइल सैर्टीफिकेट की डिमांड की जाती है, किसी के लिए दूसरे सैर्टीफिकेट की मांग की जाती है। अगर किसी कारणवश गरीब तबके के लोग जिलाधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी के पास कागज जमा नहीं करवा पाते तो उनका नाम मतदान लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 21 नवम्बर को मेरे 31 लोक सभा क्षेत्रों में हिन्दू और मुस्लिमों का बहुत बड़ा रॉयट हुआ था। 21 तारीख से लगातार 8–10 दिन तक कर्फ्यू जारी था। उस समय कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था, कोई मतदाता जिलाधिकारी के कार्यलय या निर्वाचन अधिकारी से नहीं मिल सकता था। मैं एमपी की हैसियत से भी जिलाधिकारी से नहीं मिल सका। उस समय बड़ी विचित्र स्थिति थी। हिन्दु–मुस्लिमों में अविश्वास का वातावरण था। सब लोग अच्छा माहौल क्रिएट करने के कार्य में लगे हुए थे। इस वजह से वोटर्स लिस्ट बनने का समय निकल गया। जब हम ऐप्रोच नहीं कर सके, विधायक ऐप्रोच नहीं कर सके तो जनता कैसे पेप्रोच करती। जब पीरियड खत्म हो गया तो हम जिलाधिकारी से मिले। वे कहने लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पीरियड खत्म हो गया है, अब आप इलैक्शन आयोग के पास जाएं। ऐसी स्थिति में मेरे 31 लोक सभा क्षेत्रों के 70,000 से 80,000 वोटर्स का नाम शामिल नहीं किया गया। अभी इलैक्शन होने वाले हैं। सिर्फ मेरे क्षेत्र में 6 विधान सभा क्षेत्र हैं जिनमें एक विधान सभा क्षेत्र में 15,000 वोटर्स का नाम शामिल नहीं किया गया। वे कहते हैं कि इलैक्शन आयोग के पास जाएं। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि ऐसे स्पैशल केसेज़ में, जब मतदाता डैमोक्रेसी के अधिकार से वंचित रह जाता है, आपको कुछ मदद करनी चाहिए।

हिन्दू–मुस्लिम का बहुत बड़ा कम्युनल राइट्स हुआ था। मस्जिद में बम–ब्लास्ट हुआ था। उसके कारण हिन्दू और मुस्लिम की दोनों तरफ की दुकानें जलाई गईं। बहुत लोगों की दुकानें जली थीं। इसी में हमारा वोटर्स लिस्ट का पीरियड चला गया। ऐसी स्थिति में हम डौमीसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे सके, एम्पलायमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे सके। वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है फिर भी एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन हम

कुछ नहीं दे सके। हम जिलाधिकारी कार्यालय या निर्वाचन अधिकारी को भी एप्रोच नहीं कर सके। ऐसी विशेष परिस्थिति में हमें मदद मिलनी चाहिए और हमारी वोटर्स लिस्ट का जो पीरियड खत्म हुआ था, इलैक्शन कमीशन या सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए मंत्री महोदय हमारी मदद करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

बेसिक जो हमारी वोटर्स लिस्ट है, अगर वोटर्स लिस्ट में ही मतदाताओं का नाम नहीं होगा तो वोट कहां से करेंगे? मैं आपको मेरे क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। 70 से 80 हजार लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं है तो हम वोट कैसे करवाएंगे? अच्छे और निर्भय मतदान के लिए मतदान सूची बननी चाहिए और इसके लिए खास तौर से मतदान सूची बनाने के लिए संबंधित अधिकारी के लिए हमारे मंत्री महोदय जरूर कुछ सूचना देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर (अकोला) : महोदय, मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं भाषण नहीं दे रहा। संघ राज्य दोनों की बदलती परिस्थितियों के कारण किया जाने वाला संशोधन नगण्य है। मेरा एक सुझाव यह है कि, जिसके बारे में अनेक व्यक्तियों ने बोला है – कई राज्यों में मतदाता परिचय पत्र जारी किए गए हैं। पत्र के जारी होने के बाद यह उपेक्षा की जाती है कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले को चुनाव आयोग के साथ उठाएं। संशोधन में, कई नामों को हटा दिया गया है। एक बार नाम को हटा देने के बाद उसके पास मतदान पहचान पत्र के होने के बावजूद उसे मतदान का अधिकार नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस मामले को चुनाव समिति के साथ उठाएं कि यदि उसके पास मतदाता पहचान पत्र है, जो कि वैध है और जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है तो उसे मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। संशोधन के दौरान किसी का नाम गायब होने के कारण ही, वह मतदान के अधिकार से वंचित हो जाता है। उसके पास फोटो पहचान पत्र है। यह फोटो देखी जा सकती है। यदि ऐसा है, तो उसे मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है।

दूसरा सुझाव – जिसके बारे में डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कहा है – यह है कि जहां निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण है, वहां प्रमुख समस्या यह है कि निर्वाचन आयोग के किसी मतदान केन्द्र के लिए कम से कम 1000 मतदाता निर्धारित किये हैं। इलैक्ट्रोनिक प्रणाली के आरंभ किए जाने से, उन्होंने प्रत्येक केन्द्र के लिए न्यूनतम 1500 मत निर्धारित किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर गांव में केवल 1000 मतदाता हैं। कभी–कभी यह संख्या 600 से 700 तक होती है। प्रत्येक गांव के बीच की दूरी लगभग छह से सात किलोमीटर है। यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूं तो इसमें लगभग 1200 गांव हैं। 1200 गावों में से 900 गांव ऐसे हैं जहां की जनसंख्या 750 से ज्यादा नहीं है और एक गांव से दूसरे गांव की दूरी छह से सात किलोमीटर से कम नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है और यदि वे प्रति केन्द्र 1500 मतदाता की न्यूनतम संख्या निर्धारित करने जा रहे हैं, मतदान का प्रतिशत कम होने जा रहा है। अन्यथा, आपको लोक सभा चुनाव के खर्च की अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी करनी होगी क्योंकि वहां लोगों को एक गांव से मतदान केन्द्र तक लाना–ले जाना होगा। मेरा इस मामले में यह सुझाव होगा कि प्रत्येक गांव में एक मतदान केन्द्र होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसका कार्यान्वयन करने के लिए कर्मचारियों की कमी है। बात सिर्फ यही है कि एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना चाहिए कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रत्येक गांव में एक मतदान केन्द्र होना चाहिए।

तीसरा सुझाव यह है कि 74 वें संविधान संशोधन से सामान्यतः निर्वाचन अधिकारी स्वयं स्थानीय निकाय के चुनावों की देखरेख करने वाला मुख्य अधिकारी होता था। हमने राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य में दखल दिया है। प्रश्न यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर आदेश नहीं चलते हैं। उसके पास यहां लगे हुए अधिकारियों को आदेश देने की शक्तियां नहीं हैं। यह बहुत निराशजनक बात है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करे ताकि जिला परिषदों और स्थानीय निकायों को शामिल किया जा सके ताकि वे कार्य कर सकें। या राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून लाएं जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगों को मजबूत बनाया जा सके ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकें।

महोदय, अंत में यहां एक और क्षेत्र है जिसके बारे में विरोधाभासी मत हैं और मैंने सोचा कि इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे इस मुद्दे को उठाना चाहिए। निर्वाचन आयोग की मूल शक्तियां क्या हैं? क्या अधीक्षण है? यदि हां, तो क्या उस अधीक्षण में यह निर्णय करना भी शामिल है कि चुनाव कब कराये जाएं? गुजरात चुनाव के दौरान यह मामला उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था। किंतु उच्चतम न्यायालय अपने कारणों से इस पर निर्णय देने से बचता रहा। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि हर चीज का न्यायालय में निर्णय नहीं हो सकता। कुछ मामलों में परम्परा का भी पालन करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें सभी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत राजनैतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए और इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई विधानसभा भंग की जाती है, अथवा यदि संसद भंग की जाती है और यदि निर्वाचन आयोग कहता है कि वह छः माह तक इन निकायों के चुनाव नहीं कराएंगे

(श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर)

तो क्या हम इस देश में ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं जिसमें चुनाव निर्वाचन आयोग की मनमर्जी के मुताबिक चुनाव होंगे? इसका निर्णय किए जाने की जरूरत है।

मेरा माननीय मंत्री को यह सुझाव है कि सरकार को यह तय करने के लिए कि यदि विधानसभा अथवा लोकसभा भंग होती है तो इन निकायों के चुनाव कितने दिन के भीतर कराये जाने चाहिए, के संबंध में सभी मान्यताप्राप्त और पंजीकृत राजनैतिक दलों की बैठक बुलानी चाहिए। निर्वाचन आयोग कह सकता है कि वह मतदाता सूचियों और अन्य चीजों में संशोधन करेंगे। मतदाता सूचियों में संशोधन एक नियमित मामला है और मैं नहीं समझता कि यह विभिन्न संवैधानिक निकायों के चुनाव कराने के बीच में आए। मेरे यही सुझाव हैं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के विभिन्न तथ्यों के बारे में विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किए।

महोदय, पहले, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था उस समय अध्यादेश जारी करने के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्ति के बारे मुझे एक बात कहनी है। मैं श्री दासमुंशी को भरोसा दिलाता हूं कि जब उन्होंने कहा था कि सरकार कार्य नहीं कर रही है, तो जब आप महसूस करते हैं कि कुछ ऐसी जरूरतें पैदा हो गई हैं जिनके लिए कानून बनाना पड़े, तो अंतर सत्रावधि के दौरान भी अध्यादेश की शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। हम इस संसद की सर्वोच्चता को बनाये रखना चाहते हैं। माननीय सदस्य ठीक कहते हैं कि यहां एक सामान्य नियम है जिसके अनुसार एक साधारण कानून की सभा में प्रस्तुत करके बनाया जाना चाहिए। केवल तभी जब भारी आकस्मिकता हो कि उस आवश्यकता के कारण कानून बनाये जाने के लिए सभा के अगले सत्र तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है तो आप अध्यादेश का सहारा लेते हैं।

महोदय, उदाहरणार्थ इस मामले में निर्वाचन आयोग ने जून माह में सरकार को लिखा था कि चुनाव कराने के लिए विशेषकर संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में, यह संशोधन करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात्, सरकार के विभिन्न विभागों के बीच विचार-विमर्श हुआ था और एक सरकारी विभाग का यह विचार था कि ऐसा केवल उन संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में होगा जिनमें राज्य विधान सभाएं हैं। जिन संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य विधान सभाएं नहीं हैं उनमें यह संशोधन क्यों लागू होना चाहिए? श्री पवन बंसल यह आपत्ति करने वालों में सबसे आगे थे। दिल्ली विभिन्न जिलों में बंटी हुई है और दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी की आवश्यकता होगी। लेकिन चंडीगढ़ के मामले में क्या होगा जहां कोई विधानसभा नहीं है। इसलिए, यह ऐसा सामान्य मामला नहीं था कि निर्वाचन आयोग ने अनुरोध किया और इस पर तुरंत कानून बनाया जाना चाहिए था। इसे विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् ही किया जाना था। यह विचार भी निर्वाचन आयोग को बता दिया गया था। उन्होंने इस विचार का विश्लेषण किया और कहा कि कभी-कभी नगर निगम चुनावों के लिए भी मतदाता सूचियों की आवश्यकता होती है। लेकिन अंत में सरकार में विचार-विमर्श के पश्चात् यह राय बनी कि हमें संघ राज्य क्षेत्र में भी प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी की जरूरत होगी, यह ऐसा प्रावधान है जिसे 1950 के अधिनियम की धारा 13A में 1996 में किए गए संशोधन में छोड़ दिया गया था। उसके कारण 1951 के अधिनियम में दो परिभाषी संशोधनों की जरूरत हुई जिसका इसमें उल्लेख किया जा रहा है। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में उठाये गए हैं। मैं श्री जाधव से अनुरोध करता हूं कि उन मुद्दों के संबंध में वह निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे और मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग इस बारे में तर्कसंगत रूप से विचार करेंगे यदि किसी समय उस निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक तनाव रहा है और मतदाता उस अवधि में मत नहीं दे सके तो वहां वे क्या पद्धति अपनाएंगे।

निर्वाचन आयोग की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। श्री अम्बेडकर जानना चाहते थे कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत वास्तव में कितनी शक्ति होगी। हमारी जानकारी के अनुसार अनुच्छेद 324 के अंतर्गत शक्तियां बहुत स्पष्ट हैं अधीक्षण की शक्ति है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रयोग की जाती है। श्री जोस यह शक्ति बहुत व्यापक है क्योंकि इसे अवशिष्ट शक्तियों का भण्डार कहा गया है। अवशिष्ट शक्तियों के भंडार का अर्थ है कि जहां कहीं प्राथमिक विधान अथवा अधीनस्थ विधान द्वारा स्थान लिया जाता है तो उस स्थान को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत शक्तियों के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। एक और रोचक बात है, एक मामले में जहां उच्चतम न्यायालय ने इसका निर्णय किया है वह भी जोस के मुकदमा शीर्षक से है जो कि मशीनों और ईवीएम के सम्बन्ध में है। इसलिए, जहां कहीं भी विशेष स्थान है जिस पर प्राथमिक विधान अथवा अधीनस्थ विधान का अधिकार है वहां निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उसके विरूद्ध नहीं जा सकता। परन्तु जहां शून्यता है और निर्वाचन आयोग महसूस करता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता है तो वहां निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत उस शक्ति का प्रयोग कर सकता है और इसीलिए इसे निर्वाचन आयोग की अवशिष्ट शक्तियों का भंडार कहा जाता है।

ए आई ए डी एम के के मेरे माननीय मित्रों द्वारा प्रश्न उठाये

गए थे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। जब आप जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो कि राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं, तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव करायें जाएं क्योंकि ये सरकारी अधिकारी राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा लिखी जायेगी उनकी पदोन्नति होना राज्य सरकार के कहने पर निर्भर करेगी। अनुशासनात्मक शक्ति राज्य सरकार की होगी। इसलिए, यदि वह स्थिति रहती है तो इसका कहीं न कहीं परोक्ष रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराये जाने पर प्रभाव पड़ेगा, हालांकि चुनाव के प्रयोजनार्थ वे निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होते हैं। बहुत लम्बे समय से यही समस्या बनी हुई है।

मुझे याद है तीन वर्ष पूर्व श्री गिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे तब उस तरह का एक मामला उच्चतम न्यायालय में भी था। सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों को इसका पता होगा कि श्री गिल और मैंने एक विशेष फार्मूला तैयार किया था। अंत में फार्मूला उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया गया था इसे उच्चतम न्यायालय की न्यायिक स्वीकृति मिली थी और अब विधिक प्रावधान यह है कि वे सभी अधिकारी जो उस चुनाव ड्यूटी के सीमित प्रयोजनार्थ ही चुनाव ड्यूटी में लगे होते हैं वे निर्वाचन आयोग के प्रति जवाबदेह होंगे।

चुनाव संबंधी आदेश यहां तक कि स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित आदेश भी निर्वाचन आयोग द्वारा पारित किए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के पास उन्हें हटाने की शक्ति हो सकती है परन्तु यह केवल राज्य सरकार अथवा समुचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अनुशासनात्मक शक्ति की सिफारिश कर सकता है वह अवशिष्ट शक्ति केवल राज्य सरकार के पास ही रहेगी। इन अधिकारियों के अनुशासनात्मक मामलों पर कैसे विचार किया जाएगा इस संबंध में न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत आदेश हैं। अब यह देश का कानून है और निर्वाचन आयोग उसके अनुसार ही कार्य करता है।

मुझे आशा है कि हमारे निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में हुए अनुभव से इन समस्याओं को हल कर लिया जायेगा। उदाहरणार्थ, जम्मू और कश्मीर में बहु–दलीय लोकतंत्र था जो हमारी तरह ही रहेगा। किंतु यह प्रणाली स्वयं अपने को दुरुस्त कर लेगी, अंततोगत्वा इसमें उन समस्याओं का संवैधानिक ढांचे, जिसका हमने निर्माण किया है, के संबंध में समाधान करने की क्षमता होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सभा से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जो कुछ विधि मंत्री ने अभी कहा, जो दलील उन्होंने दी कि निर्वाचन आयोग के 9 जून का संदेश काफी समय बाद आया और अगस्त तक अन्तर्मन्त्रिमण्डलीय बातचीत में वे कोई हल नहीं ढूंढ पाए और इसी कारणवश यह विलम्ब हो रहा है, इसके प्रत्युत्तर में मुझे कहना है कि यह स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। मेरे विचार से वह स्वयं समझते हैं कि निर्वाचन आयोग की सिफारिशें बहुत स्पष्ट हैं।

यह पूरे प्रकरण को अलग करने के लिए था कि क्या संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को समान माना जाना चाहिए या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशेष मामले के रूप में लिया जाना चाहिए। अब मैं और तर्क–वितर्क नहीं करना चाहता क्योंकि ये पूरी बहस उनके घटक दलों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि पिछले सत्र में ही एक विधेयक लाने के बजाए इस अध्यादेश के तरीके को क्यों चुना गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं माननीय विधि मंत्री से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि वह निम्नलिखित चार बातों पर विचार करें। मैं इस विधान का महत्व समझता हूं। मैं परसों ही अपने निर्वाचन क्षेत्र से लौटा हूं। मुझे लगा कि नामांकन के समय जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। मैं विधिमंत्री से अपील करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन आयोग से परामर्श करें और निर्वाचन आयोग के माध्यम से संबंधित राज्यों को इन बिन्दुओं पर निर्देश दें। एक बड़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भ्रम यह है कि; (1) राज्य निर्वाचन अधिकारियों की उस बैठक में हमें जो परिपत्र मिला उसके अनुसार राजनीतिक दल एक समूह में शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के पास जमा करा सकते हैं। वे सुनवाई की तारीख नियत करेंगे और तब वह मतदाता सूची का निर्णय करेंगे। जैसा कि विधि मंत्री ने सही उल्लेख किया है, डर यह है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिसके अंतर्गत प्रखंड विकास अधिकारी काम करते हैं – वे कनिष्ठ अधिकारी हैं – उन्हें अन्तिम सूची तय करने का अधिकार होता है। यदि मैं 5000 निर्वाचन प्रपत्र देता हूं, भाजपा 4000 प्रपत्र देती है और वामपंथी दल 5000 प्रपत्र देते हैं – मैं राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं – यदि सत्तादल से दबाव पड़ता है कि दूसरे दलों को उचित मौकों से वंचित करके इसे आप शामिल करें तो इसके बाद वे अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं? यह एक बड़ा प्रश्न है? दूसरा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति विशेष 18 वर्ष का है, इसे तय करने के लिए आयु प्रमाण पत्र का निर्धारण। भारत में बड़ी संख्या में गावों में बच्चे नगरपालिका या जिला अस्पतालों में पैदा नहीं होते हैं अतः वे जन्म की ठीक तिथि नहीं दे सकते। गावों में बच्चे अपने घरों में दाई मां की गोद में पैदा होते हैं। उनमें से कुछ पांचवे, छठे दर्जे तक विद्यालय गए हैं। अस्पताल के अधिकारियों के लिए उन्हें जन्म प्रमाणपत्र देना असम्भव है। केवल तीन संस्थाएं हैं जो ऐसा कर सकती हैं। पहली स्थानीय

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

पंचायत, दूसरा तहसीलदार और तीसरा उसके माता–पिता जिनका नाम मतदाता सूची में है। माता–पिता यह प्रमाण पत्र देते हैं कि मेरा बेटा इस इस तिथि को पैदा हुआ था। वे कैसे साबित करेंगे कि वह 18 या 19 वर्ष का है? मैंने इस समस्या का सामना अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा इस सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन के निर्वाचन क्षेत्र में किया है। ग्रामीणों द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है।

दूसरी जटिलता यह है कि मतदाता पहचान पत्र जारी किया गया है और एक व्यक्ति मत डालने जाता है किन्तु उसका नाम सूची में नहीं है। नाम सूची में है किन्तु मतदाता पहचान पत्र नहीं हैं। उन्हें वहां पीठासीन अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है और वे घर लौट आते हैं। मतदाताओं द्वारा इस प्रकार की समस्यओं का सामना किया जा रहा है।

मैं विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया हमें निम्नलिखित बातों पर जानकारी दें। यह सुनने में आ रहा है कि निर्वाचन अधिकारियों को अनौपचारिक रूप से निर्देश मिला है कि सूची में नए नाम शामिल करने की वृद्धि दर को दो प्रतिशत से अधिक न बढ़ाया जाए। यदि वास्तव में 18 से 19 वर्ष की आयु में पहुंचने वाले युवाओं की संख्या दो प्रतिशत से अधिक बढ़ी है और अनौपचारिक निर्देश है कि नए नाम शामिल करने की दर को दो प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाना है तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकेंगे? हमारा देश इस अधिकार को वर्तमान प्रणाली में कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऐसी बातें हो रही हैं।

मैं श्री अम्बेडकर द्वारा उठाये गए इस मुद्दे से पूर्णतः सहमत हूं कि हाल में प्रयुक्त मतदान मशीनों तथा मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन ने नई समस्याएं पैदा की हैं। आप दो मतदान केन्द्रों को मिलाकर एक कर रहे हैं। जब आप उन्हें मिला कर एक कर रहे हैं तो मतदान के लिए एक केन्द्रीय स्थान नहीं चुन रहे हैं। वे उद्देश्यपूर्ण स्थल चुन रहे हैं, जो स्थानीय सत्ता दल के इशारे पर होता है। इससे दूसरे तरफ के लोग उस दिन मतदान केन्द्र पर जाने से वंचित रह जाते हैं। अतएव, मुझे लगता है कि शहरी क्षेत्र में तो नहीं, दूरदरस्थ क्षेत्रों में मतदान का दर नीचे गिरेगा क्योंकि वे मतदान केन्द्र तक नहीं जा सकते हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कुछ ऐसे मतदान केन्द्रों को जानता हूं और उदाहरणार्थ, श्री शाहनवाज हुसैन के निर्वाचन क्षेत्र में नदी पार करनी पड़ेगी। यह असम्भव है। मतदान केन्द्र नदी के दूसरी ओर है। वे कैसे जा सकते हैं? मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग इस संबंध में नए निर्देश दे सकता है। यदि आवश्यक हो तो मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। किन्तु मतदान केन्द्रों को ग्राम पंचायतों में रहने दिया जाए। ग्राम पंचायत सदस्यों को, जो गांवों में हैं उन्हें मत देने दिया जाए। किन्तु इससे एक दूसरी समस्या पैदा हो रही है जहां यह तंत्र ही लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहा है। मेरे विचार से 31 दिसम्बर तक निर्वाचन सूची कार्यक्रम में शामिल होने से, उम्र का मामला, प्रपत्रों को समूह में एकत्रित करना है और एक दिन स्वतः निर्णय देना, इन सबकी व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। मान लीजिए लोग नियत दिन नहीं आते हैं, तो अधिकारी क्या करता है? प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सुनवाई के लिए दिन नियत करता है। हजारों लोग नामांकन भरते हैं। चाहे वह किसी पार्टी के हों। मैं किसी खास पार्टी के बारे में प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। इनमें से आधे से अधिक खेतों में कृषि कार्य में लगे होते हैं। यदि दलों को इन लोगों को इकट्ठा करना हो, वहां जाना हो और शपथ पत्र से सत्यापित करना हो तो यह मुश्किल होगा। अतः राजनीतिक दलों द्वारा समूह में प्रपत्र जमा कराना एक दूसरी अव्यवस्था पैदा करेगा। अतएव कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के पास सीधे जमा कराना ज्यादा स्वीकार्य होगा। ऐसी परिस्थिति में मेरा मत यही है। मैं आशा करता हूं विधि मंत्री सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके शीघ्र ही व्यापक चुनाव सुधार विधेयक लाएंगे। मैं आगे आशा करता हूं कि वे चुनाव प्रक्रिया को सुधार कर कम से कम अगला चरण हमें उपलब्ध करायेंगे।

मैं निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करता हूं। मुझे उनके विरुद्ध कोई निजी शिकायत नहीं है। वे किसी मुश्किल के तहत काम करते हैं? उनके पास कोई स्वतंत्र तंत्र नहीं है। हम उनकी नीयत पर सवाल नहीं करते हैं। वे प्राप्त अधिकारों में वृद्धि कर रहे हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि श्री शेषन से श्री लिंग्दोह तक चुनाव आयोग स्वीकार्य और विश्वसनीय संस्था बन गयी है। लोगों को महसूस होता है कि एक निर्वाचन आयोग है जो न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्हें और सुदृढ़ करने के लिए क्या किया जा सकता है? मुझे विधि मंत्री से इसके दायित्व वाला भाग के विषय में व्यवस्था के बारे में सुन कर प्रसन्नता हुई है। मेरा सुझाव है कि जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर से उत्तरदायित्व शुरू होना चाहिए। जब चुनाव की घोषणा होती है तो पुलिस थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। यदि आप दूसरा तंत्र बनाते हैं यथा जो कलैक्टर है वह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होगा। जो अपर जिला मजिस्ट्रेट है वह अपर पीठासीन अधिकारी होगा, कानून और व्यवस्था के प्रभारी पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस स्टेशनों के अधिकारी – ये सभी जवाबदेह होने चाहिए और इनकी उस अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की जांच निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि द्वारा की जानी चाहिए, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। तब, अधिकार और सुदृढ़ होंगे। अन्यथा, होता यह है कि पुलिस अधीक्षक चुनाव के दिन पूरे जिले का दौरा नहीं कर सकता। अतएव, वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निर्भर रहता

है। अधीनस्थ दावा करते हैं कि वे निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं हैं और पुलिस अधीक्षक जवाब देंगे। वहां ऐसी धृष्टता हो रही है। अतएव, इन बातों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। यदि संभव हो, तो विधि मंत्री राजनीतिक दलों के साथ दूसरी बैठक कर सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली को और बेहतर तरीके से सुदृढ़ करने हेतु निर्वाचन आयोग को हमारी सिफारिशें और सुझाव देकर सहायता कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं है। हालांकि, भविष्य में स्थिति को सुधारने के लिए निर्वाचन आयोग से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर विधि मंत्री कुछ और संशोधन लाते हैं तो उन्हें गोल मेज सम्मेलन या अन्तर मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में नहीं बल्कि उचित मंच पर शीघ्र निपटाया जाना चाहिए। अन्तर मंत्रिमंडलीय बैठकों में इस पर चर्चा करने का तर्क मैं नहीं समझ पाता हूं। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

माननीय मंत्री ने कहा था कि 9 जून के परामर्शदात्री निर्देश में समय लगा; यह 21 अगस्त से भी बाद में गया; पर्याप्त समय नहीं था और इसी वजह से सरकार अध्यादेश लायी है। मैंने माननीय मंत्री के उत्तर का प्रत्युत्तर दे दिया है। मैं अब इस बात पर जोर देता हूं कि अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प को सदन द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। विधि मंत्री पुनः विधान लाएं। मैं यही कहना चाहता था।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 तक विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.55 बजे

परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

परिसीमन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा मद संख्या 20 और 21 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री इकबाल अहमद सारडगी: उपस्थित नहीं। श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, इस मामले में सरकार द्वारा अध्यादेश को लाए जाने का तरीका न्यायोचित नहीं था क्योंकि यदि आप कृपया विधि मंत्री के स्पष्टीकरण वक्तव्य में व्याख्या तथा उसके औचित्य को देखें तो, इसमें कहा गया है की आयोग को 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए आरक्षित सीटों को पुनः निर्धारित करना था। इसमें यह भी कहा गया है कि परिसीमन आयोग के सभापति, न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, ने तत्कालीन विधि मंत्री को संबोधित अपने पत्र में विचार व्यक्त किया कि सामान्य धारणा यह थी कि परिसीमन 1991 की जनगणना

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

के बाद से 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन विधि मंत्री ने यह उल्लेख नहीं किया कि किस दिन और किस महीने को परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के विधि मंत्री को इसके बारे में अवगत कराया। क्या इसके बारे में 3 मार्च, 2003 को अथवा उसके बाद में अवगत कराया गया? यदि यह 3 मार्च, 2003 से बहुत पहले की बात है तो, मैं समझता हूं कि विधि मंत्री ने संविधान (संशोधन) विधेयक लाने से पूर्व इसके बारे में सभा को बताया होता और यह काम और आसान हो गया होता। हालांकि, मैं विधि मंत्री की नेकनीयती पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से सम्पर्क किया और उसके बाद संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया।

महोदय, जिस क्षण संविधान (संशोधन) पारित किया गया विधि मंत्रालय को इसके विधायी जटिलताओं की जानकारी थी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के लिए आरक्षित सीटों के समायोजन के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों के राज्य वालों का नामांकन भी जरूरी था। इसलिए उन्हें इसको इतने दिन तक दबा कर नहीं रखना चाहिए था तथा उसके बाद इस अध्यादेश को नहीं लाना चाहिए था। इसकी कोई नितांत आवश्यकता नहीं थी। पूर्वोत्तर में किसी भी राज्य में अभी कोई चुनाव नहीं है। वे इस विधेयक को सीधे इस सत्र में ला सकते थे। कौन उनका विरोध कर रहा था? हम सभी उनका समर्थन कर रहे हैं। इस सत्र में विधेयक लाने की जगह अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी? मैं इसके कारण को नहीं समझ सका। मैं दिल्ली के मामले को समझ सकता हूं यद्यपि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं।

महोदय, मिजोरम राज्य में हाल ही में चुनाव हुआ था। क्या इसका कारण मिजोरम विधानसभा का चुनाव था जिसके लिए परिसीमन जरूरी था? नहीं। मिजोरम विधानसभा का चुनाव चुनाव क्षेत्रों के बिना परिसीमन के ही सामान्य रूप में ही सम्पन्न हो गया इसलिए अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? इस बिन्दु को उन्होंने अपने कथन में स्पष्ट नहीं किया और यही कारण है कि मैं इस अध्यादेश को अस्वीकृत किए जाने के बारे में सूचना दी है।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आधार वर्ष के सम्बन्ध में संशोधन जिसमें अनुरूप परिसीमन किया जाना है, दो चरणों वाला संशोधन है। प्रथम चरण में, भारत के संविधान में संशोधन करने की जरूरत है। यह सभा तथा दूसरी सभा भी वर्ष 1991 को परिसीमन के लिए आधार वर्ष के रूप में मानते हुए संविधान में संशोधन किया है। यह कहा गया था कि 2001 के जनगणना के आंकड़े इस वर्ष में अंतिम महीनों में ही प्राप्त होंगे। तथापि संविधान (संशोधन) विधेयक पारित हो जाने के बाद, परिसीमन विधेयक, 2002 को भी इस सभा द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था। तत्पश्चात्, परिसीमन आयोग का गठन किया गया और परिसीमन आयोग ने कई राज्यों में खासकर उन राज्यों में जहां इस साल चुनाव होने वाले थे, अपना कार्य शुरू कर दिया था।

अपराह्न 05.00 बजे

जब यह कार्य शुरू हो गया था, जब लगभग सभी राजनीतिक दलों से तथा राज्यों से भी इस सभा को परिसीमन आयोग द्वारा अपनाई जा रही कुछ प्रक्रियाओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होने लगे। इस सभा में जिस मुद्दे पर व्यापक सहमति हुई वह यह थी कि जनगणना रिपोर्ट की अधिसूचना की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा कि अधिसूचित होने वाली जनगणना रिपोर्ट के आधार पर, 2001 की जनगणना को आधार मान कर परिसीमन किया जाए क्योंकि अगला परिसीमन 2026 के बाद ही होगा। ऐसा इस कारण हुआ कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित एक संविधान संशोधन इस सभा में प्रस्तुत किया गया था और तत्पश्चात्, राष्ट्रपति की सहमति के बाद, उचित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद संविधान संशोधन को अधिसूचित किया गया था। एक बार जब वह संविधान संशोधन संविधान का हिस्सा बन जाता है तो हम परिसीमन आयोग के साथ परामर्श करते हैं और निश्चित तौर पर यह एक औपचारिकता थी कि स्वयं संविधान संशोधन क्या था अर्थात्, 2001 आधार वर्ष के रूप में था। परिसीमन अधिनियम के तीन खंडों में परिणामी संशोधन किया जाना था जिसमें 1991 को 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। दूसरी बात कि तीन राज्यों – मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड के सम्बन्ध में यह पाया गया कि राज्यपाल द्वारा कोई राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, एक समस्या यह उत्पन्न हो रही थी कि कौन मनोनीत व्यक्ति होगा, उन राज्यों के संदर्भ में परिसीमन के लिए तीसरा मनोनीत व्यक्ति कौन होगा? इसलिए, एक विशेष प्रावधान की जरूरत थी और परामर्श के बाद इस प्रावधान को प्रस्तुत किया गया जो इस अध्यादेश का एक हिस्सा है; यह कि तीन राज्यों के संदर्भ में उस विशेष राज्य के लिए वह व्यक्ति उस राज्य में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा।

चूंकि संविधान संशोधन के बाद इसको लागू करना आवश्यक था और हमारा प्रयास जितना जल्दी संभव हो परिसीमन कार्य को पूरा करना था। इसलिए, परिसीमन कार्य में शीघ्रता लाने के लिए एक अध्यादेश आवश्यक था। नहीं तो, हमने संविधान संशोधन

किया, हमने परिसीमन आयोग बनाया, लेकिन इस संशोधन के अभाव में अर्थात् इस अधिनियम में 1991 के स्थान पर 2001 संशोधित करते हुए परिसीमन आयोग इस कार्य तथा इन गतिविधियों को संचालित कर पाने में सक्षम नहीं था। इसलिए, उसे लागू करने के लिए यह अध्यादेश आवश्यक था और अंतर-सत्रावधि के दौरान इस अध्यादेश को लाने की जरूरत पड़ी। इसलिए, मैं इस विधेयक को इस सभा द्वारा पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : सभापति महोदय, मात्र पिछले वर्ष मैं इस संशोधन विधेयक अर्थात् परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2002 पर बात कर रहा था।

1991 के जनगणना वर्ष के पश्चात् नागालैंड राज्य के पास काफी समस्या आयी क्योंकि जब निर्वाचन आयोग ने विधान सभा क्षेत्र के आकार का पता लगाने हेतु प्रयास करने की कोशिश की तो इसका काफी विरोध हुआ क्योंकि नागालैंड राज्य काफी संवेदनशील राज्य है। इसके पास विभिन्न प्रकार की जनजातियां और विभिन्न भाषाएं हैं। लोग एक निर्वाचन केन्द्र से दूसरे निर्वाचन केन्द्र पर नहीं जाना चाहते हैं जहां अन्य जनजाति रहती हों और अन्य भाषा बोली जाती हो। इसके पश्चात् उन्होंने काफी विरोध किया और पूरा सरकारी तंत्र ठप कर दिया। इसलिए, इस प्रकार की समस्या होने की स्थिति में, लाया गया यह विधेयक काफी आवश्यक था।

मैं यह बताना चाहता हूं कि नागालैंड में 17 जनजातियां हैं और 25 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। नागालैंड जैसे छोटे राज्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं करेंगे तो काफी समस्याएं यथा समुदाय के बीच समस्या, जिलों के बीच समस्या होगी तथा यह मामला सुलझ नहीं पाएगा जिसकी वजह से किसी के लिए भी शांति से रह पाना काफी मुश्किल होगा।

वर्ष 1961 में जब इस राज्य की स्थापना हुई थी तो इसकी जनसंख्या 3.5 लाख थी और वर्तमान में इसकी जनसंख्या दो मिलियन है। उस समय नागालैंड के पास मात्र तीन जिले थे और आज वर्ष 2003 में, इसके पास 11 जिले हैं। इसके मद्देनजर, वस्तुतः नागालैंड के पास और अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की आवश्यकता है जबकि 1961 में इसके गठन के समय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या मात्र 60 थी। आज, नागालैंड विधानसभा ने भी 60 विधान सभा क्षेत्रों को बढ़ाकर 80 विधान सभा क्षेत्र करने की सिफारिश की है। यह एक पहलू है।

दो मिलियन जनसंख्या और उबड़-खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से राज्य के एक विधायक के लिए इसकी जिम्मेदारी पूरा करना कठिन है क्योंकि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कई दिन लग जाते हैं। दूरी एक किलोमीटर हो सकती है परन्तु यदि आप सड़क से जाते हैं तो, इन पर्वतों के टेढ़े-मेढ़े रास्तों को तय करते करते आपको वहां जाने में करीब 20-30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और ये सड़कें भी काफी संकरी होती हैं। एकमात्र संसद सदस्य के लिए पूरे नागालैंड की जिम्मेदारी पूरी करना काफी कठिन हो जाता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि निकट भविष्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 60 से बढ़ाकर 80 तथा संसद सदस्य की सीट एक से बढ़ाकर दो की जानी चाहिए।

नागालैंड की आदिवासी जनसंख्या 85 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है; तथापि वर्तमान में नागालैंड संसदीय निर्वाचन सीट को अनारक्षित रखा गया है जो काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि कल कोई आकर कहेगा कि वह पूरे राज्य को खरीद सकता है और स्वयं यहां निर्वाचित हो सकता है। परन्तु मैं समझता हूं कि उस राज्य की आदिवासी जनसंख्या को संरक्षण देने हेतु नागालैंड का अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट बनाया जाना चाहिए। यदि आप इस पर गौर करें तो पाएंगे कि किसी भी व्यक्ति ने इस सभा में इस मुद्दे को नहीं उठाया है। इसलिए मैं पुनः दुहराता हूं कि नागालैंड को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट घोषित किया जाए। पिछले एसोसिएट सदस्यों ने भी परिसीमन आयोग के समक्ष तत्संबंधी निवेदन किया है, राज्य सरकार ने भी ज्ञापन पारित किया है तथा नागालैंड संसदीय निर्वाचन सीट को अनुसूचित जन-जाति हेतु आरक्षित सीट की मान्यता देने का अनुरोध किया है।

अन्य पहलू भी हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नवगठित जिलों के पास पर्याप्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। 15 अगस्त को नागालैंड में तीन और जिलों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक जिला, जिसकी आबादी एक लाख से अधिक है, मात्र एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार के जनजातीय क्षेत्र में काफी सावधानीपूर्वक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1961 की तुलना में यहां की आबादी में काफी बढ़ोत्तरी हुई है; यह 3.5 लाख से बढ़कर आज 2 मिलियन हो गयी है। इसलिए मैं अनेक विभिन्न जनजातियों और अनेक भाषाओं वाले इस छोटे राज्य की कठिनाईयों और समस्याओं को सामने रखना चाहता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं विभिन्न स्थानों पर रह रहीं विभिन्न जनजातियां छोटी नदियों, झरनों अथवा पहाड़ों में बँटी हुई हैं। इसलिए, इन तथ्यों के मद्देनजर यदि हम परिसीमन आयोग के दिशानिर्देश का उसी तरह पालन करते हैं तो हम कभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो लक्ष्य हमने नागालैंड जैसी जगह के लिए निर्धारित कर रखे हैं। इसलिए, लोगों की भावनाओं पर ध्यान देने हेतु राज्यपाल को पूर्ण अधिकार प्रदान

(श्री के. ए. सांगतम)

किया जाना चाहिए। आयोग को आबादी को लेकर सख्त नहीं होना चाहिए कि 2001 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या से विभाजित किया जाए। इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप समायोजित किया जाना चाहिए जहां उन्हें अपने समुदाय तथा उस जगह विशेष पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर सम्मिलित किया जा सके।

मैं, इन्हीं शब्दों के साथ, परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2002 की धारा 3 की व्याख्या के भाग II के संशोधन का तथा इस परिसीमन (सशोधन) विधेयक, 2003 का समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, जो विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने यहां विचारार्थ प्रस्तुत किया है, जिसके लिए पहले ही अध्यादेश जारी हो चुका है, उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खडा हुआ हूं। यदि यह संशोधन विधेयक बीच में न आता तो जस्टिस कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में गठित जो परिसीमन आयोग है, वह इस लोक सभा के चुनाव से पूर्व अपना काम पूर्ण कर लेता।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी कहा कि यह अध्यादेश इसलिए लाना पड़ा ताकि परिसीमन आयोग अपना काम करता रहे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जहां पहले 1991 की जनगणना को ही आधार लिया गया था वहां अब 2001 की जनगणना को आधार लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

लेकिन मुझे एक शंका है कि क्या यह वर्तमान आयोग, जहां अब लोक सभा की अवधि लगभग एक साल शेष है, अपना काम पूरा कर पाएगा अथवा नहीं क्योंकि जहां तक फिगर्स का संबंध है, फिगर्स उपलब्ध हो गई और उसी के आधार पर एक बैठक भी आयोग ने की। लेकिन उसकी ऑथैंटीकेशन अभी तक हो पाई है या नहीं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह जरूर करूंगा कि कम से कम अपने कार्यकाल में ही यह कमीशन इसको अंतिम रूप दे सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा। अभी नागालैंड के माननीय सदस्य ने अपनी एक समस्या यहां रखी। मैं एक ऐसे प्रान्त से आता हूं जिसका कुल क्षेत्रफल 55,000 स्कवायर किलोमीटर है और तीन जनजातीय क्षेत्र भी उसमें आते हैं जिनका मैं प्रतिनिधि हूं। 17 असैम्बली सैगमैंट्स पर एक संसदीय क्षेत्र है। अकेले मंडी संसदीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 32,000 स्कवायर किलोमीटर है। 23,000 स्कवायर किलोमीटर से तो तीन सांसद चुनकर आते हैं और 32,000 स्कवायर किलोमीटर से केवल एक सांसद चुनकर जाता है। वर्तमान में मतदाता की आशाएं, आकांक्षाएं, उनकी हमारे प्रति जो आशाएं हैं कि जनप्रतिनिधि हर गांव में पहुंचे, यह वहां जैसे क्षेत्रफल में कभी भी संभव नहीं होगा, जैसा इन्होंने कहा। जहां तक जनजाति का संबंध है, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो नौ मास तक देश के बाकी भागों से कट जाते हैं विशेषकर लाहौल स्पीति का क्षेत्र। रोहतांग दर्रा जब बंद हो जाता है तब प्रदेश में भी उनको आना–जाना मुश्किल हो जाता है, हैलीकॉप्टर की व्यवस्था से वे अपने क्षेत्र से बाहर आते हैं। ऑफिशियली 15 अक्टूबर से 15 जून तक वे देश के बाकी भागों से कट जाते हैं। इसलिए राइटली उनके लिए अभी भी जो लेटैस्ट 2001 का सैन्सस है, उसके मुताबिक भी उनकी जनसंख्या सिर्फ 32,224 है और राइटली वह अलग जनजातीय क्षेत्र का चुनाव क्षेत्र है। उसके एक तरफ कुंजुम पास है। यह मेरा जनजातीय क्षेत्र है और ऐसा क्षेत्र है कि किन्नौर जिला और स्पीति के एरिया के साथ चीन का बार्डर है और भरमौर के साथ जो है, वह पाकिस्तान का बार्डर है अर्थात् इंटरनेशनल बार्डर भी है और नैशनल बार्डर भी है। इस प्रकार के बार्डर हमारे यहां लगे हुए हैं और ऐसा सीमावर्ती क्षेत्र है। इन्होंने बिल्कुल उचित कहा। यह सोचना चाहिए कि क्या केवल जनगणना ही आधार है। टोपोग्राफी या कंटिग्युटी नहीं देखी जाएगी तो एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र से किस प्रकार न्याय कर सकेगा। ऐसे–ऐसे क्षेत्र हैं कि अगर मुझे भरमौर जाना हो तो नौ महीने तक भी कोई रास्ता नहीं रहता। अगर पैदल जाना हो तो बीच में कुगती पास आता है। 400 किलोमीटर ऐसा डैड डिस्टैंस है जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री सीट को घट्टा से लेकर चक्की बैंक तक मुझे खड़ा मुख तक जाना पडता है। मेरे क्षेत्र का कोई भी गांव नही है और यह 700 किलोमीटर मुझे डैड डिस्टैंस ट्रैवल करना पडता है। अगर किन्नौर जाना हो तो रामपुर तक जितना एरिया आता है, उसमें हमीरपुर क्षेत्र और शिमला क्षेत्र से होकर जाना पड़ता है, तब जाकर किन्नौर पहुंचते हैं। यह मेरी मांग रहेगी, इन्होंने बिल्कुल उचित कहा कि जहां जनजातीय क्षेत्र का संबंध है, उनके लिए अलग प्रतिनिधि का भी प्रावधान होना चाहिए। उनकी जनसंख्या दो लाख से कम नहीं है। यहां जो टैनटेटिव फिगर आए हैं, उसके मुताबिक एक लाख, 77 हजार मतदाता हैं जो सारे जनजातीय हैं। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि केवल वहां की जनसंख्या ही आधार न हो, कंटिग्युटी और टोपोग्राफी भी होनी चाहिए। उनके लिए या तो सैपरेट कंस्टीटूऐंसी होनी चाहिए नहीं तो भरमौर क्योंकि चंबा जिला का पार्ट है, वह तो कांगड़ा के नजदीक पड़ता है न कि मंडी पार्लियामेंट्री सीट में पडता है। उसे कांगड़ा में होना चाहिए। इसी प्रकार जहां तक रामपुर क्षेत्र है, वह शिमला जिला का पार्ट है लेकिन उसे बराबर करने के लिए फिर भी मंडी में डाला गया है।

अब जो हिमाचल की जनसंख्या थी, वह 1991 के आधार पर 12,92,719 पर पार्लियामेंट्री सीट रखी गयी है लेकिन लेटेस्ट 2001

की जनगणना के मुताबिक जो 15,193,12 वोट हैं, वे एक–एक संसदीय क्षेत्र में हो जाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि या तो एक अलग से जनजातीय क्षेत्र दिया जाना चाहिए ताकि जनजातीय क्षेत्र के लोगों को अपना प्रतिनिधि भेजने का एक अवसर मिले। भले ही उनकी आबादी कम है लेकिन अगर पूर्वोत्तर में लाख–लाख, डेढ़–डेढ़ लाख वोटों पर एक सांसद चुना जाता है तो हिमाचल भी एक सीमावर्ती एरिया है, वहां दो लाख की जनसंख्या पर अलग से एक सांसद क्यों नहीं हो सकता? मेरा यह भी कहना है कि कंटिग्युटी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और हमारी समस्याओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। संसार में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जैसे कि मेरा पांगी भरमौर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हैड–क्वार्टर चम्बा है और पांगी के लोगों को डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर जाने के लिए 900 कि.मी. का फासला तय करना होता है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें 900 कि.मी. चलकर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता हो। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। यहां मैंने ये जो बातें रखी हैं तो क्या आपका आयोग अपने कार्यकाल में इस काम को पूरा कर पाएगा? क्या आने वाली लोक सभा में यह डी–लिमिटेशन लागू होगा? इस पर उत्तर आ जाए तो अच्छा होगा और जो बातें मैंने यहां रखी, उनका ध्यान रखना होगा।

एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां तक विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, भरमौर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर जनसंख्या का संतुलन बनाए रखने के लिए गैर–जनजातीय क्षेत्र के बीच में डाला गया है, जैसा मैंने पहले कहा है कि लाहौलस्पीति का क्षेत्र जहां की जनसंख्या 33224 है, वह एक अलग क्षेत्र हो सकता है तो फिर भरमौर जनजातीय क्षेत्र में गैर–जनजातीय लोगों को नहीं जोड़ना चाहिए। उनकी मांग है कि या तो हमें भी जनजातीय सुविधाएं मिलनी चाहिए अगर जनजातीय क्षेत्र में हमें रखना है अथवा जनजातीय क्षेत्र से हमें अलग कर देना चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : मैं सिद्धांततः इस विधेयक का समर्थन करता हूं, परन्तु मैं जिस तरीके से इस विधेयक को यहां पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

अपराह्न 5.18 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

जब मैंने लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक का विरोध किया था तो मैंने इसका विरोध करने हेतु कुछ कारण बताए

थे। वर्तमान मामले में भी यही कारण लागू होते हैं। इसलिए मैं उन तर्कों को दुहराना नहीं चाहता जो पिछले विधेयक के दौरान दिए गए थे।

यहां मैं जिस मुख्य प्रश्न की चर्चा करना चाहता हूं वह तत्कालिकता के बारे में है। क्या वर्तमान मामले में सरकार के लिए अध्यादेश जारी करना अत्यावश्यक था? प्रक्रिया नियमों के उप–खण्ड एक के नियम 71 के तहत दिए गए उद्देश्य और कारणों का कथन में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि वर्ष 2001 के लिए जनगणना की अंतिम रिपोर्ट को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रकाशित किए जाने की संभावना थी और उक्त आम राय के अनुसरण में परिसीमन अध्यादेश जारी किया गया था। इस प्रकार, इस अध्यादेश को जारी करने के समय वर्ष 2001 के लिए जनगणना की अंतिम रिपोर्ट नहीं आयी थी। फिर इसकी अत्यावश्यकता क्या है? यह इसलिए है क्योंकि आयोग को वर्ष 2001 के लिए जनगणना रिपोर्ट आने के पश्चात् ही कार्य करना पड़ेगा।

अध्यादेश को जारी करते समय कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। यह रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही उपलब्ध हो पाएगी। फिर सरकार ने सभा में विधेयक लाने हेतु इंतजार क्यों नहीं किया? यह एक स्वीकृत तथ्य है कि परिसीमन आयोग 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य कर सकता है। सभा में परिसीमन अधिनियम पर चर्चा के दौरान इसे अभिव्यक्त किया गया था। निश्चित तौर पर हमारी राय यह भी थी कि 2001 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन किया जाए। परन्तु अध्यादेश जारी करने के समय यह जनगणना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में ही उपलब्ध होगी। तब, यह कानून पारित करने की क्या आवश्यकता थी? वे रिपोर्ट प्रकाशित होने तक इंतजार कर सकते थे। परिसीमन आयोग इस रिपोर्ट के बगैर कार्य नहीं कर सकता है। वह अपना कार्य 1991 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर कर रहा था। हमने पाया कि 1991 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन करना तर्कसंगत नहीं है। संसद की भी यही राय थी। हम इस बात पर बल दे रहे थे कि 2001 की रिपोर्ट को आधार बनाया जाना चाहिए। जब वे आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि अध्यादेश जारी करने के पीछे क्या तर्क है। जब यह स्थिति थी तो आखिर इसकी अत्यावश्यकता क्या थी?

जैसा कि मैंने कहा है, परिसीमन आयोग 2001 की रिपोर्ट के बगैर कार्य नहीं कर सकता। सरकार द्वारा नामित व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते। वे सिर्फ तभी कार्य कर सकते हैं जब उन्हें 2001 की जनगणना रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए। वह अभी भी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने कानून पारित का कदम उठाया है। यह ऐसा क्यों

(श्री वरकला राधाकृष्णन)

कर रही है? कुल मिलाकर यह एक विवादास्पद तथ्य नहीं है। पूरी सभा इस कानून को पारित करने में सरकार के साथ है क्योंकि इस सभा को यह बताया गया था कि यह सन् 2001 की जनगणना के आधार पर होगी। इस आधार पर सरकार के लिए यह और अधिक उचित होता कि वह इंतजार करती तथा इस कानून को अपने नार्मल समय में लाती और इसे पारित करवाती क्योंकि यह सभा उनके पक्ष में है। मैं इसका तर्क नहीं समझ पा रहा हूं। इसी वजह से, मैं जिस तरीके से इस विधेयक को पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

जहां तक विधेयक की विषय–वस्तु का प्रश्न है, मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जब परिसीमन अधिनियम को पारित किया गया था तो हमने जनसंख्या वृद्धि पर व्यापक चर्चा की थी। भारत सरकार ने परिवार नियोजन नीति को लगातार कार्यान्वित किया है। परन्तु परिवार नियोजन प्रक्रिया का कार्यान्वयन सिर्फ दक्षिण राज्यों में ही प्रभावी ढंग से किया गया है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने इसे कार्यान्वित किया है। बिहार और उत्तरी राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि असीमित हो गयी है। उत्तरी राज्यों में जनसंख्या की वृद्धि असीमित रही है। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो दक्षिण के राज्य लोक सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अपनी–अपनी अनेक सीट गवां देंगे। दक्षिण के राज्य अपने तीस से चालीस सीट गंवा देंगे क्योंकि उन्होंने परिवार नियोजन से संबंधित भारत सरकार के निर्णय को कार्यान्वित किया है। परन्तु उत्तरी राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। बिहार और अन्य राज्य जनसंख्या बढ़ाने में विशेषकर अग्रणी रहे हैं। परिणाम यह होगा कि दक्षिणी राज्यों द्वारा गंवाई जाने वाली सीट उत्तरी राज्यों के पास चली जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : लेकिन यह अब नहीं हो रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे वर्ष 2005 तक नहीं बदलने का निर्णय लिया है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज उ.प्र.) : मान्यवर, यह जो तर्क दे रहे हैं, यह सत्य नहीं है। इन्होंने शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाया, जिसकी वजह से इन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित किया। उत्तर भारत के राज्य शिक्षा से वंचित रहे हैं। उनको कम धन आबंटित हुआ, जिसकी वजह से वे पिछड़ गए और आबादी बढ़ी। जो बुनियादी समस्या है, उसका समाधान करने की बात करें।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन : इसीलिए हमने निर्णय लिया है। ..*(व्यवधान)* मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अब, हमने वर्ष 2025 तक प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। ऐसा क्यों? यह निर्णय सिर्फ इस कारण लिया गया था कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर चुके दक्षिणी राज्यों को सीटों की संख्या का घाटा होगा। अब राज्यों में और साथ ही लोकसभा में सीटों की संख्या उतनी ही रहेंगी।

यदि इसका निर्णय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो दक्षिणी राज्यों को घाटा होगा। यह बात स्वीकार की गई है। महाराष्ट्र को घटा होगा; कर्नाटक को घाटा होगा; केरल को घाटा होगा; तमिलनाडु को घाटा होगा; आंध्र प्रदेश को घाटा होगा; और पांडिचेरी को घाटा होगा क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि की गति धीमी है। जनसंख्या सीटों की संख्या का निर्णय करने का मानदंड है। यदि ऐसा मामला होता है, तो यही परिणाम होगा। इसीलिए, उन्होंने वर्ष 2025 तक इसमें परिवर्तन नहीं करने का निर्णय किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री : महोदय, यह सही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : मुझे याद आता है कि मैंने उस निर्णय में भाग लिया था। मैं यह मुद्दा लाया था। वर्ष 2025 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था।

श्री अरुण जेटली : इस निर्णय को सभी ने स्वीकार किया है। आप फूट क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : इसका निर्णय सर्व–दलीय बैठक में किया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभा में भी हमने यह निर्णय लिया है कि परिसीमन अधिनियम वर्ष 2025 तक लागू रहेगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पलानीमनिक्कम, उन्हें परेशान मत कीजिए। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन : अब, इसमें एक और कठिनाई है। जब परिसीमन आयोग विधान सभा सीटों के परिसीमन का कार्य आरंभ करेगा तो यही प्रश्न उठेगा क्योंकि जिलों में परिवार नियोजन प्रक्रिया समान रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है। मेरे राज्य में,

कुछ ऐसे जिले हैं जहां जनसंख्या वृद्धि हुई है, हो रही है और अन्य दक्षिणी राज्य हैं जहां जनसंख्या में कमी हुई है। अतः सीटों की संख्या में परिवर्तन होगा। इससे बहुत कठिन स्थिति उत्पन्न होगी। परिसीमन आयोग को यह सुनिश्चित करने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि जिलावार भी सीटों की संख्या में परिवर्तन न हो। निसंदेह, सीटों में आरक्षण और इस सबमें परिवर्तन करना होगा, लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया में, विधानसभा सीटों हेतु परिसीमन कार्य आरंभ करते समय राष्ट्रीय रूप में अपनाए गए सिद्धांत को जिलावार भी लागू किया जाना चाहिए।

मेरा विचार है आयोग को इसे ध्यान में रखना होगा अन्यथा, इससे तनाव होगा, राज्य और राजनीतिक दलों में भी अशांति होगी। विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न होगा। यदि बिना सूझ-बूझ, बिना सावधानी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है तो साम्प्रदायिक तनाव भी फैल सकता है।

अतः, मैं माननीय मंत्री से आयोग को यह निर्देश देने या राय व्यक्त करने का अनुरोध करूंगा कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में कभी भी ऐसी घटना न हो।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, यह जो परिसीमन (संशोधन) विधेयक आया है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि यह जब आया था उस समय हम लोगों ने सरकार को बार-बार सावधान किया था कि जो विधेयक उस समय था कि सन् 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और इस बात के साथ होगा कि सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सीटों का पुनर्निर्धारण हो सकेगा। इन शर्तों के साथ संविधान-संशोधन होगा। सभी लोगों ने मान लिया कि 2025 तक सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। लेकिन उस समय में सरकार ने माना नहीं। हम लोगों ने कहा कि यह संवैधानिक प्रावधान है कि परिसीमन हर जनगणना के बाद हो, और यही ट्यून भी है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होगा। सन् 2002 के बाद में परिसीमन का विधेयक लाये थे जो सन् 1991 की जनगणना के आधार पर था जिस पर हमने कहा था कि यह हास्यास्पद है।

2001 के बाद परिसीमन अधिनियम, 2002, में संशोधन करने वाला विधेयक लाये हैं और उसमें 1991 का गीत गा रहे हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का गठन किया गया और उसने अपना काम करना शुरु कर दिया। अनेक राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई जिसमें महसूस किया गया कि यह आधार 2001 की जनगणना पर होना चाहिए लेकिन कहा गया कि अभी 2001 की जनसंख्या का पब्लिकेशन नहीं हुआ है, उसके डॉटा के बगैर काम कैसे होगा? इस प्रकार की जानकारी हम लोगों को दी गई और बाद में यह कहा गया कि डॉटा अक्टूबर-नवम्बर तक बन जायेगा लेकिन अभी तक की सूचना के अनुसार डॉटा पब्लिश नहीं हुआ है। जब डॉटा नहीं बना तो किस आधार पर परिसीमन आयोग अपना काम कर पायेगा। उसे काम करने के लिए 2 वर्ष लग जायेंगे। इस तरह से वर्ष 2004 में होने वाले लोक सभा के चुनाव किस आधार पर किये जायेंगे? सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए। क्या सरकार यह समझती है कि पुराने आधार पर वोटिंग होगी? इस तरह परिसीमन का काम 2004 से थोड़ा और आगे बढ़ जायेगा। बाद के चुनाव उस आधार पर हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सब से खतरनाक बात यह होगी कि जैसा विधेयक के उद्देश्यों में लिखा गया कि 87वें संविधान संशोधन के जरिये निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, पुनः समायोजन के लिए अधिनियमित किये गये थे। इसका मतलब यह है कि 1991 की जनगणना के आधार पर अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में 3-4 सीटों की वृद्धि होने का अनुमान था और अन्य किसी राज्य में एक या दो सीटों की वृद्धि होने की संभावना थी लेकिन सरकार ने ऐसा उपाय कर दिया कि हम लोग 2001 वाले संशोधन को कर रहे हैं लेकिन 2004 में होने वाले चुनाव 1971 की जनगणना के आधार पर होगें। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि होने वाली थी, वह नहीं होगी। यह सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार है। इससे उन लोगों में भारी क्षोभ है। श्री वरकला राधाकृष्णन् ने भी कहा कि दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हुआ है और केरल में बहुत से लोगों का माइग्रेशन हो गया है, उनकी पापुलेशन कागजों पर नहीं बढ़ रही है। इस प्रकार उनकी जनसंख्या घट रही है। कहीं उन्हें कुछ सीटों का घाटा न हो। उसमें जनरल सीटों की कमी हो सकती है और हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों में वृद्धि न होने से चिन्तित हैं। सरकार ने इस प्रकार का काम करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। यदि कमीशन 1971 के आधार पर कार्य करेगा तो उससे और सीटों के कम होने की संभावना है। सरकार स्पष्ट करे कि 2004 में होने वाले लोक सभा चुनावों को किस आधार पर लिया जायेगा। इस पर यह परिसीमन लागू नहीं हो पायेगा, कारण चाहे जो हो लेकिन यह कब तक हो जायेगा।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

जैसा मैं समझता हूं तो इस विधेयक के दो प्रयोजन हैं,

(श्री के. मलयसामी)

नामतः (1) जैसा कि पहले बताया गया है वर्ष 1991 की जनगणना की बजाय 2001 की जगणना के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या को बढाए या घटाए बिना सीटों के प्रादेशिक विभाजन को पुनः समायोजित करना और (2) राज्य चुनाव आयुक्त नहीं होने के मामले में राज्यपाल की ओर से मनोनीत व्यक्ति को परिसीमन समिति के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित करना।

यह वर्ष 1991 की जनगणना के बजाय वर्ष 2001 की जनगणना को ध्यान में रखने का उचित समय है। मैं लाए गए इस विधेयक की पृष्ठभूमि की सराहना कर सकता हूं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष ने स्वयं सरकार को लिखा था कि संशोधन की आवश्यकता है। सारे राजनीतिक दल वर्ष 2001 की जनगणना के साथ जाना चाहते थे। उस स्थिति में, वर्ष 2001 की जनगणना पर विचार करने के लिए इस संशोधन को लाने का काम सही किया है। मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। माननीय मंत्री वाद–विवाद का उत्तर देते समय इन मुद्दों का उत्तर दे सकते है।

मैं परिसीमन आयोग द्वारा अपनाया गया मानदंड जानना चाहूंगा। क्या वे भिन्न स्थानों पर भिन्न मानदंड अपनाते हैं या वे हर जगह समान मानदंड का पालन कर रहे हैं? क्या वे यह कार्य जनसंख्या, भौगोलिक विशेषताओं, या अन्य मजबूरियों और बाध्यताओं के आधार पर कर रहे हैं? सरकार ने आगे बढने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया है?

दूसरे, जैसा कि अनेक सदस्यों ने सही कहा है, आज तक जनगणना संबंधी आंकडे उपलब्ध नहीं हुए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार 2001 की जनगणना के आंकड़ों को कब तक अपनाना चाहती है, और कितने समय में परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होगी। मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वर्ष 2001 जनगणना आंकडे प्राप्त करने और समूची परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई समय सीमा हो सकती है।

मुझे यह बताया गया था कि परिसीमन आयोग राजनीतिक कार्यपालकों और राजनेताओं सहित विभिन्न क्वार्टरों से वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर विचार प्राप्त कर रहा था। लेकिन शिकायत यह थी कि सुनवाई नहीं की गई और यदि अवसर दिया भी गया तो वह पर्याप्त नहीं था। अब उन्हें वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित समूची प्रक्रिया पर उन्हें पुनः कार्य करना होगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे समूची प्रक्रिया का नए सिरे से अध्ययन करेंगे। मैं इस मुद्दे पर स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

आप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः समायोजित करते समय एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र के भाग को रूप दे सकते हैं और इससे सटे हुए निर्वाचन क्षेत्र के साथ जोड़ सकते हैं। यह व्यवहारिक है। यदि दो निर्वाचन क्षेत्र हर प्रकार से समान हैं; तो आप दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी को भी न घटा सकते हैं और न ही उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। अन्य स्थिति में, आप एक निर्वाचन क्षेत्र से आवश्यकता से अधिक भाग को काट सकते हैं और इसे एक या अधिक निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकृत करके काफी दूर के निर्वाचन क्षेत्र से जोड सकते हैं? क्या आप इसकी अनदेखी कर सकते हैं? क्या आप इसकी अतिव्याप्ति कर सकते हैं? स्वयं परिसीमन आयोग इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं?

अंततः, मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूंगा, यदि एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को अखंड रखना है तो राजस्व जिला पर एक इकाई के रूप में विचार किया जाए। हमने कई मामलों में देखा है जिनमें एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दो या तीन जिलों के अंतर्गत आते हैं। क्या हम यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तरीका सोच सकते हैं जिससे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र केवल एक जिले के अंतर्गत आएं? क्या जिले को एक इकाई के रूप मे रखा जा सकता है? क्या यह व्यवहार्य है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं समझता हूं कि सदन को और सरकार को इसे गभीरतापूर्वक लेना चाहिए। यह मामला कोई एक व्यक्ति का मामला नही है। राम विलास पासवान रिज़र्व्ड कास्टीट्यूएंसी में रहे या नहीं रहे, हमारी सीट रिजर्व हो जाए या डीरिजर्व हो जाय, वह अलग बात है लेकिन यह पूरे दलित और आदिवासी समुदाय का मामला है। पूरे देश में इस पर रिसैन्टमैंट है और अगले महीने से इस पर आंदोलन भी शुरू होने जा रहा है। चूंकि 1971, 1991 और 2001 की तीन तिथियां इसमें हैं, यदि 2001 के मुताबिक होता है तो कम से कम लोक सभा की 18 से 20 सीटें बढ़ जाएंगी और विधान सभा की 60 सीटें पूरे देश में बढ़ जाएंगी। सबस ज्यादा सीटें बढेगी महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों की। यह इसलिए नहीं बढेगी कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि नई–नई जातियां उसमें सम्मिलित की गई हैं। नौ बुद्धों को पहले आरक्षण नहीं था। 1990 में जब मैं मंत्री था, उस समय उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया और अकेले उससे ही छः–सात प्रतिशत महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ गई। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सब जगह है।

महोदय, पहले हर दस साल बाद डीलिमिटेशन होता था। 1971 के बाद उसोक फ्रीज कर दिया गया कि 2000 तक डीलिमिटेशन नहीं होगा, जितनी संख्या है, उतनी रहेगी। सन् 2000 के बाद जब सरकार बनी, उसके बाद यह मामला आया और

हमें याद है कि 12 जुलाई को परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 17 दिसम्बर को परिसीमन आयोग के चेयरमैन कुलदीप सिंह जी ने पत्र लिखा और भारत सरकार से मांग की कि इसको 2001 के आधार पर करें और उसके लिए जल्दी से जल्दी हमें सैन्सस रिपोर्ट दी जाए। इसमें तीन फैक्टर हैं। एक आर.जी.आई. हैं, एक इलैक्शन कमीशन है और तीसरा परिसीमन आयोग है। उस समय आप मंत्री नहीं थे, जन कृष्णमूर्ति जी थे। 24 जनवरी को उन्होंने पत्र लिखा कि 2001 के आधार पर संभव नहीं है। सरकार ने फैसला लिया है कि 1991 के आधार पर करेंगे। उसके बाद 13 मार्च को कानून मंत्री अरुण जेटली जी ने बैठक बुलाई उसमें मैं मौजूद था। मैंने मुद्दा उठाया कि 1991 के आधार पर क्यों करने जा रहे हैं, जबकि 2004 में चुनाव होगा और 2003 में हम बैठे हैं। इन्होंने कहा कि राम विलास जी, आप चाहते हैं कि इसमें वृद्धि हो या नहीं? इन्होंने कहा कि ईमानदारी की बात यह है कि सैन्सस रिपोर्ट अक्तूबर–नवम्बर 2003 के पहले आने वाली नहीं है और सैन्सस रिपोर्ट आने के बाद साल भर या दो साल तक समय चाहिए। इसलिए यदि 2001 के आधार पर करेंगे तो न 2001 हो पाएगा और नतीजा यह होगा कि 1971 के आधार पर होगा। इसलिए 1991 के आधार पर प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, इसको होने दीजिए। हम शांत हो गए और कहा कि ठीक है।

उसके बाद एकाएक निर्णय लिया गया कि 1991 के आधार पर नहीं, 2001 के आधार पर की जाए। आपको याद है कि मैंने उस समय भी यहां सदन में विरोध किया था और तब मंत्री जी ने कहा कि नई टैक्नोलॉजी आई है, सितम्बर तक रिपोर्ट आ जाएगी। दो–तीन महीने में सारा काम हो जाएगा। मैंने उस समय कहा कि मेरी बात आर.जी.आई. से हुई है। वे कहते हैं कि उनके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि हर जगह से जबर्दस्ती सैन्सस रिपोर्ट लाएं। इसलिए यह संभव नहीं है। लेकिन सरकार बार–बार कहती रही कि 2001 तक हो जाएगा। आज दिसम्बर 2003 में हम बैठे हैं। अभी तक सैन्सस रिपोर्ट ऑफिशयली पब्लिश नहीं हुई है। इस स्थिति में आप कानून में संशोधन करने जा रहे हैं कि 1991 के आधार पर नहीं, 2001 के आधार पर करो। हम आपसे सहमत हैं लेकिन यदि लोक सभा का अगला चुनाव 2001 के आधार पर नहीं होता है, तो अंततोगत्वा यह 1971 के आधार पर ही जाएगा। जबकि पिछले तीस सालों में आलरेडी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। वे पहले ही सफर करते आ रहे हैं और आप जान–बूझकर उनको सफर करवाना चाहते हैं और प्रियरंजन दासमुंशी जी बुरा न मानें, जब सरकार से बात होती है तो कहते हैं कि सब कुछ हमने अपोज़ीशन पार्टी और आपके तालमेल से किया है। यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पार्लियामेंट में ही आपके सामने बैठेंगे, दूसरी जगह कहां जाएंगे बैठने के लिए?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसलिए सरकार इस बात को साफ करे। हम चुप इसलिए हैं कि सरकार वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहती है। अगर ऐसा होता है, तो यह सोने पर सुहागा वाली कहावत होगी, लेकिन अगर वर्ष 2001 भी न हो और वर्ष 1991 भी न हो और अन्त में जाकर बात 1971 के आधार पर चुनाव कराने की बात चली जाए, तो यह ठीक नहीं होगा।

महोदय, दलित सांसदों को कहा जा रहा है कि तुम्हारी सीट डी–रिजर्व हो जाएगी। कानून में जो प्रावधान है, उसके अनुसार जहां सबसे अधिक संख्या इन वर्गों की है, वही सीट रिज़र्व होगी, उसे कोई बदल नहीं सकता है, यानी जो पुरानी रिजर्व सीटें हैं, वहीं रिज़र्व रहेंगी। यदि मान भी लिया जाए कि वर्तमान रिजर्व सीटें डी–रिज़र्व हो जाएंगी, तो किसी ने कोई परमानेंट ठेका नहीं लिया है कि वह वहीं से खड़ा होगा। मैं हाजीपुर से नहीं, कहीं और से भी खड़ा हो सकता हूं। कोई यह हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूं। दूसरे भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए। सासाराम बाबू जगजीवन राम जी का क्षेत्र है। वहां से हमेशा रिजर्व कैंडीडेट ही चुनाव लड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए।

महोदय, असली बात यह है कि रिजर्व सीट की समस्या नहीं है कि दलित सांसद की सीट डी–रिजर्व हो जाएगी, यह समस्या नहीं है बल्कि असली समस्या यह है कि जो डी–रिज़र्व सीटें हैं, वे रिजर्व हो जाएंगी। जो डी–रिजर्व सीटों से खड़े होने वाले कैंडीडेट हैं, जो बड़े–बड़े नेता हैं, उन्हें डर है और उन्हें दर्द हो रहा है कि कहीं उनकी सीट रिजर्व न हो जाए। जब रिजर्व सीट, डी–रिजर्व होगी, तो डी–रिज़र्व सीट रिजर्व होगी। जो डी–रिज़र्व सीटों पर खड़े होने वाले बड़े–बड़े नेता हैं, उन्हें चिंता और डर है कि कहीं उनकी सीट रिजर्व न हो जाए और यदि ऐसा होगा, तो वे उस सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उन्हें सिर्फ इसी बात की चिन्ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से साफ–साफ कहना चाहता हूं कि सरकार को आज स्पष्ट बताना होगा कि वह इस विषय में क्या करने वाली है। मैं मंत्री जी से प्रार्थन करूंगा कि वे अपने उत्तर में स्पष्ट करें क्योंकि यह केवल एक संगठन का सवाल नहीं है। एक इलैक्शन कमीशन है, दूसरा परिसीमन आयोग है और तीसरा आर. जी.आई. और इन तीनों में कोई को–आर्डीनेशन नहीं है। को–आर्डीनेशन सरकार कर रही है। इसलिए सरकार इस सदन को बताए कि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने

(श्री राम विलास पासवान)

जा रहा है या नहीं और यदि 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होने नहीं जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि मंत्री महोदय, बिल पास करा लें और बाद में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन न हो, तो वह कह दें कि मैं तो सब कुछ चाहता था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो हैल्पलैस हूं। अगर ऐसा होगा, तो वह दिन भारत के लिए सबसे काला दिन होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरुण जेटली जी से साफ–साफ कहना चाहता हूं कि वे बहुत विद्वान आदमी हैं, बहुत बड़े वकील भी हैं, उन्हें सभी बातों की जानकारी है। वे सही को गलत और गलत को सही, कैसे किया जाता है, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। उनमें यह सारी क्षमता है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब वे अपना जवाब दें, तो सीधे शब्दों में बताएं। मैं इस संबंध में तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा।

महोदय, कुलदीप सिंह जी की इंटीग्रिटी पर हमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बार–बार कहा और स्पष्ट कहा कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए। उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें नोटीफिकेशन के बाद सिर्फ छः महीने का समय दे दीजिए। यदि छः महीनें का समय मिल जाए, तो हम इसे करके दिखा देंगे। जब भी चुनाव हों, मार्च, अप्रैल, मई या जून में, तो वे 2001 की जनसंख्या के आधार पर हों, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है। इसलिए मेरा निवेदन है और सरकार पर चार्ज है, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ काम कर रही है क्योंकि ये 2001 की बात कहकर और कानून पास कराकर चुनाव 1971 के आधार पर कराना चाहते हैं। मैं इसकी आलोचना करता हूं। मैं इस बिल का जिसके आधार पर 2001 की जनसंख्या के अनुसार परिसीमन कराने की बात कही गई है, इसका समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार की जो मंशा है 1971 के अधार पर चुनाव कराने की, उसकी मैं आलोचना करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : पासवान जी, इस विषय में आपने अमेंडमेंट क्यों नहीं दी?

श्री राम विलास पासवान : सर, आपके सामने जो बिल है, वह उससे संबंधित तो है ही नहीं। हम इस मामले को सदन में नियम 184 अथवा किसी अन्य रूप में उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह तो हो सकता है, लेकिन एक रास्ता आपके सामने यह था कि आप इसमें अमेंडमेंट देते।

श्री राम विलास पासवान : सर, यदि अमेंडमेंट दिया होता, तो भी उतना ही बोलते, जितना, अब बोला है। हमारे यहां एक कहावत है – "चोर के सामने ताला क्या और बेईमान के सामने कबाला क्या"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सर, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि वे जो मांग रहे हैं, वही इस बिल में कहा गया है।

श्री राम विलास पासवान : सर, हमारी मांग तो यही है कि 2001 के आधार पर परिसीमन किया जाए और यह विधेयक इसी बात को लेकर है कि परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बंसल जी। वह यह कह सकते हैं कि इसे आरक्षण की शर्त के साथ उचित प्रक्रिया का पालन करके जनसंख्या के आधार पर पारित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री पवन कुमार बंसल : सर, आपकी बात सरकार को मान लेनी चाहिए। सर, हम प्रपोज करेंगे कि सरकार आपकी बात माने।

श्री राम विलास पासवान : हमने वकीलों से पूछा था, उन्होंने कहा कि यह सफिशिएंट है, इसमें अमेंडमेंट आ ही नहीं सकती, अमेंडमेंट 2001 के आधार पर देंगे। ...*(व्यवधान)* अरुण जी कह रहे हैं कि 2001 के आधार पर करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अरुण जी के बारे में बोलते समय आपने बताया कि वकील कैसे होते हैं।

श्री राम विलास पासवान : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : हर वकील वैसा ही होता है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. ए. सांगतम (नागालैण्ड) : महोदय, वास्तव में, मैंने एक मुद्दे को छोड़ दिया था। पिछली बार हम एसोसिएटेड सदस्यों और नागालैण्ड सरकार ने परिसीमन आयोग और भारत सरकार से अभ्यावेदन किया था कि यदि परिसीमन आयोग जनसंख्या द्वारा जनसंख्या को विभाजित किए जाने के मार्ग निर्देश को जारी रखता है तो नागालैण्ड राज्य के लिए यह एक बड़ा सिर दर्द होगा। इसलिए यदि आयोग ऐसा करता रहेगा तो मुझे आशंका है कि वहां काफी शोर गुल और समस्याएं उत्पन्न होंगी और एसोसिएटेड सदस्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। मुझे यह भी

आशंका है कि इससे एशोसिएटेड सदस्य आयोग की सदस्यता को छोड़ने हेतु बाध्य भी हो सकते हैं।

अपराह्न 5.52 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह पीठासीन हुए)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : महोदय, सरकार परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 लेकर आज सदन में आई है। यह विधेयक सरकार की अदूरदर्शिता का परिचायक है। जब हमने सदन में परिसीमन अधिनियम 2002 पारित किया था तो उस समय ही यदि विपक्ष के सदस्यों के सुझावों को सरकार ने समय रहते स्वीकार कर लिया होता तो आज जिन आशंकाओं की तरफ पासवान जी ने अंगुली उठाई है, वे आशंकाएं भी न होती और हम समय से परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करके 2004 के लोक सभा के चुनाव 2001 की जनसंख्या के आधार पर कराने में निश्चित तौर पर सक्षम होते। मैं पासवान जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं, सरकार की नीयत में खोट है और उसी का यह परिणाम है कि आज से लगभग नौ महीने पहले, जब सर्वदलीय बैठक सरकार द्वारा बुलाई गई तो उस समय सरकार ने जो उस बैठक में आश्वासन दिए थे, उन्हें कतई पूरा नहीं किया और आज यह परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 लेकर सरकार आई है।

महोदय, इसमें प्रमुख तौर पर जनसंख्या वृद्धि की बात भी उभर कर आई है, जिसकी हमारे साथियों ने चर्चा की। जनसंख्या वृद्धि के मूल कारणों में मैं समझता हूं कि शिक्षा एक प्रमुख कारण है। अगर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो 56 वर्ष की आज़ादी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन्नयन के लिए हमें जो अपना कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए था, वह नहीं किया, निश्चित तौर पर उन्हें उपेक्षित किया जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हुई। इसलिए अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं तो समाज के सभी वर्गों की शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिए। 55 वर्षों की आजादी के बाद भी यदि हम सब को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या होगी। ...*(व्यवधान)* आपकी नयी सरकार आई है, उसके भी आंकड़े आ जाने चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो रिपोर्ट है, वह वास्तविक तस्वीर को रखती है। वह रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार नहीं की गई है।

महोदय, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की नीयत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति साफ है तो सरकार को आज यह आश्वासन देना चाहिए, खास कर विधि मंत्री जी को स्पष्ट तौर पर आश्वासन देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, यह अनपढ़ लोगों पर आक्षेप है। ...*(व्यवधान)**

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक–एक दर्जन, नौ–नौ कर रहे हैं। इसका पढ़े–लिखे लोगों से क्या संबंध है? ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : इसमें वे कहां से आ गए। व्यक्तिगत तौर पर किसी भी सदस्य का नाम लेकर आपको आक्षेप नहीं करना चाहिए। वे इसी सदन के सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए आपको कम से कम इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए। ...*(व्यवधान)* व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगने चाहिए। ...*(व्यवधान)* आपको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाम रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने वस्तुस्थिति बताई है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बहुत विरोधी हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : *(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह शब्द प्रोसिडिंग में नहीं जाएगा।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार सदन में यह आश्वासन दे कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार छः महीने के अंदर 2001 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कार्य पूर्ण करके लोक सभा के चुनाव सम्पन्न कराएगी।

सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के लोगों को जो सीटों की बढ़ोत्तरी मिल रही है, उस बढ़ोत्तरी के अधिकार से उनको वंचित नहीं करेगी।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, सरकार जो बिल लाई है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। जहां तक अरुण जेटली जी इस बिल को लाये हैं और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की 2001 की पोपुलेशन के मुताबिक उनकी सीटों की बढ़ोत्तरी की जाये, इस तरह का यह जो बिल आप लाये हैं, यह बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह पासवान जी और अखिलेश जी ने शंका व्यक्त की है कि लोक सभा का चुनाव सितम्बर 2004 में आने वाला है, लेकिन अभी तीन राज्यों में अच्छी सफलता आपको मिली है तो फरवरी, मार्च या अप्रैल में ये चुनाव आप कराने की घोषणा करते हैं तो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर यह

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(श्री रामदास आठवले)

अन्याय हो जायेगा। इसलिए अरुण जेटली जी से हमें एश्योरेंस चाहिए कि जिस तरह से आप इस बिल को लाये हैं तो 2001 की सेंसस के मुताबिक कितनी सीटें बढ़नी चाहिए।

मेरी जानकारी के मुताबिक 118 लोक सभा की रिज़र्व सीटें हैं, उनमें 24 सीटें बढ़ाने की आवश्यकता है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र में पासवान जी ने बताया कि बाबासाहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर, 1956 को हिन्दू धर्म को छोड़कर जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, उसके बाद महाराष्ट्र में दलित कम्युनिटी के लोगों का रिजर्वेशन कम हुआ था। महाराष्ट्र में लोक सभा की 6 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से तीन सीटें कम हो गई थीं। विधान सभा की 36 सीटें रिजर्व थीं, उनमें से 18 सीटें कम हुई थीं। अभी 1990 में न्यू बुद्धिस्ट को शैड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलने वाला पूरा रिजर्वेशन देने का कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया था, उसके बाद आटोमेटिकली सीटें बढ़ाने की आवश्यकता थी, उसमें डीलिमिटेशन की काई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वे सीटें नहीं बढ़ीं, इसलिए मंत्री महोदय से हमारी मांग है कि आपने एश्योरेंस दे दिया था कि महाराष्ट्र में 18 विधान सभा की सीटें और तीन लोक सभा की सीटें तो बढ़नी ही चाहिए। हम 2001 की सेंसस का अगर विचार करें तो महाराष्ट्र में और 6 सीटें विधान सभा की बढ़नी चाहिए और लोक सभा की एक शेड्यूल्ड कास्ट्स की और सीट बढ़नी चाहिए। महाराष्ट्र विधान सभा की 23 शेड्यूल्ड ट्राइब्स की सीटें हैं, उनमें भी 6 की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। उसके साथ–साथ अभी महाराष्ट्र में चार सीटें लोक सभा की एस.टी. की हैं, उनमें भी एक की बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इसमें भी आपको बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता है।

हमारी यह भी मांग है कि जिस तरह लोक सभा और विधान सभा में रिजर्वेशन है, उसी तरह राज्य सभा और विधान परिषद् में भी एस.सी. और एस.टी. का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए नया बिल आपको लाना चाहिए। हाउस में हमें यह भी एश्योरेंस चाहिए कि राज्य सभा और विधान परिषद् में भी एस.सी. व एस.टी. को रिजर्वेशन दिया जायेगा।

इस बिल का हम समर्थन करते हैं, मगर आने वाले चुनाव के पहले ये सीटें बढ़नी चाहिए और जब तक सीटें नहीं बढ़ती हैं, तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए, यह भी हमारी मांग है। इसके लिए भी अरुण जेटली जी से हमें एश्योरेंस चाहिए। हम इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, परिसीमन संशोधन विधेयक, 2003 का मैं मेरी तरफ से और शिवसेना पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं।

परिसीमन आयोग गठित हो गया है और परिसीमन आयोग का कार्य चल रहा है। जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। मैं इस बिल पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मंत्री जी से एक बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि आने वाला 2004 का जो लोक सभा का इलैक्शन है, आपने भी बात की कि लोक सभा का इलैक्शन सितम्बर, 2004 में आयेगा। इससे लोगों में कन्फ्यूजन है।

सायं 6.00 बजे

जन प्रतिनिधियों और लोगों में कन्फ्यूजन है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव परिसीमन आयोग के आधार पर होगा या वर्ष 1991 के सेन्सस के आधार पर होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : छः बज गये हैं। यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के पारित होने तक सदन की कार्यावधि बढ़ाई जाये।

अनेक माननीय सदस्य : हाँ।

श्री अरुण जेटली : इसके साथ एक शब्द का विवाह विधि (संशोधन) विधेयक भी है। उसमें बहस की कोई जरूरत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : उसे आप कल पास करा लीजिए। ..*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मेरी समस्या यह है कि मुझे कल डब्ल्यू टी.ओ. की बैठक में जाना है। यह विधेयक दो मिनट में हो जायेगा।

सभापति महोदय : इस पर सभा की सहमति है।

श्री सुरेश रामराव जाधव : सभापति महोदय, मैं एक ही क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आने वाला लोक सभा का चुनाव किस आधार पर होगा। वर्ष 2001 का सन्सेस तो हो गया है लेकिन अभी तक उसकी फांइनल रिपोर्ट नहीं आयी है। इससे यह तो क्लीयर है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव वर्ष 2001 के सेन्सस के मुताबिक नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाला लोक सभा का चुनाव वर्ष 1991 के सेन्सस के मुताबिक होगा। लोगों में इसको लेकर कन्फ्यूजन है। ...*(व्यवधान)* 1971 की सेन्सस के अनुसार होगा तो यह और भी पीछे हो जायेगा। लोगों में इसी बात का कन्फ्यूजन है। मंत्री महोदय, से क्लीयर कट मैसेज लोगों के बीच में जाना चाहिए कि आने वाला लोक सभा का चुनाव 2001 के सेन्सस के अनुसार होगा या 1991 और 1971 के सेन्सस के अनुसार होगा। मैं इतना ही आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। सर्वप्रथम, हमें यह समझना चाहिए कि यह संशोधन उस कमी

को पूरा करेगा जो कि तीन पूर्वोत्तर राज्यों में विद्यमान है जहां कोई भी राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है। इसलिए, परिसीमन आयोग के तीसरे सदस्य के रूप में राज्यपाल के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को लिया जाना होगा। संशोधन का दूसरा भाग परिणामी संशोधन के रूप में है जहां परिसीमन अधिनियम, 2002 में यह संख्या 1991 को 2001 से प्रतिस्थापित करता है। इस परिणामी संवैधानिक संशोधन को पहले ही संसद के दोनों सदनों में पारित कर लिया गया है। इसलिए, ये सभी प्रश्न जो आज उठाये जा रहे हैं नए प्रश्न नहीं हैं। मूल प्रश्न को तब उठाया जाना चाहिए था जब सभा इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दें। यह परिणामी संशोधन है। अब यदि आप इसे स्वीकृत नहीं करते तो इसका प्रभाव होगा कि संविधान में उल्लेख है। "परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाये।" लेकिन संसद कहेगी कि "नहीं, इसे 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जाए।" ससंद ऐसी बेतुकी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती है। और इसलिए, सौहार्द में कार्य करते हुए, परिणामी संशोधन को पारित किया जाना है।

दूसरा यह कि हम समझ सकते हैं कि वह कौन सी बात है जिसमें इस तिथि को 1991 से 2001 करने की आवश्यकता हुई। सरकार पहले इस संबंध में बहुत स्पष्ट थी, यहां तक कि उस समय भी जब 2001 के संबंध में सुझाव दिया गया था, जब इस विधेयक को आरम्भिक रूप से पारित किया गया था, जब पहला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया था कि हम परिसीमन संबंधी कार्य को यथासंभव शीघ्रता पूर्वक पूरा करने का प्रयास करेंगे और इसका कार्यान्वयन करेंगे। मुझे ऐसा कहने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। श्री राम विलास पासवान ने पिछले अवसर पर भी कहा था। हमने सर्वदलीय बैठक की जिसमें कतिपय विचार व्यक्त किए गए और इसके पश्चात् यदि इस पर सर्वसम्मति नहीं थी तो भी उसमें इस बात के लिए काफी आम सहमति थी कि इस तिथि को बदलकर 1991 से 2001 किया जाए बल्कि मुझे कहना चाहिए कि उस संबंध में वहां अत्याधिक आम सहमति थी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जब आपने यह कहा कि वर्ष 2001 पर हो जायेगा तब कहा।

श्री अरुण जेटली : राम विलास पासवान जी, आपने जो कहा, उसे मैं आपको याद दिला दूं। जब ऑल पार्टी की पहले बैठक हुई तब 2001 का समर्थन करने वालों में आप सबसे आगे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं आज भी हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : उसके बाद जब आपको कहा कि इसकी वजह से अनसेटर्निटी पैदा होगी तब आपने कहा कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों का भी यही था कि हमें प्रयास करना चाहिए कि वर्ष 2001 का सेन्सस जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी करें। आज भी उनका वही स्टैंड है और सरकार का भी वही स्टैंड है। इसलिए आज डीलिमिटेशन कौन करेगा और किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होगी। सेन्सस की रिपोर्ट आएगी, वह नोटीफाई होगी। सैन्सस की रिपोर्ट शीघ्र आए, सरकार इसका प्रयास कर रही है। मैंने स्वयं डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन से बात की। उन्होंने भी यह कहा कि कौन्स्टीट्यूशन अमैंडमेंट हो गया, कानून में परिवर्तन नहीं हुआ, हम खाली बैठे हुए हैं। कम से कम सैन्सस के जो ड्राफ्ट फिगर आए, उनका एक अच्छा तर्क थ, जिसे सुनकर आपको सैटिसफैक्शन होगी, कि 1991 के बेसेज पर हमने जो किया, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का माडल बन गया। हमने गतिविधि आगे बढ़ाई। अब जो ड्राफ्ट फिगर्स आ रहे हैं, हम सैन्सस के अधिकारियों से उनको लेने का भी प्रयास करते हैं। अपने उस माडल को, जो भी उसमें संशोधन चाहिए, वह करते हैं। हमने जो कार्यवाही करनी है, उसे आगे बढ़ाते रहें, इसका प्रयास करते हैं और जब नोटीफाइड फीगर्स आएंगे, उन नोटिफाइड फिगर्स में अगर कोई दो–चार परसैंट का अंतर होगा, उसके आधार पर भी हम करेंगे। तब हम सारी कार्यवाही आरंभ करें, इससे बेहतर होगा कि हम इसकी कुछ न कुछ कार्यवाही अभी भी करते रहें ताकि हम इसे बहुत शीघ्र कर पाएं। यह किस–किस विषय के ऊपर आधारित है। आप तो अब विपक्ष में बैठे हैं। आपके लिए तो यह कहना बहुत सरल है कि सरकार की नीयत नहीं है। लेकिन आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि सरकार डीलिमिटेशन करती नहीं है। डीलिमिटेशन कमीशन में तो आप स्वयं भी बैठेंगे। उसमें चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि बैठता है, चेयरमैन एक सुप्रीम कोर्ट का पुराना न्यायाधीश है, स्टेट इलैक्शन कमीशन का एक नॉमिनी बैठता है, उसके बाद लोक सभा में सरकार और विपक्ष के सदस्य बैठते हैं, विधान सभाओं के संबंध में विधान सभाओं की सरकार और विपक्ष के सदस्य बैठते हैं। हर राज्यों में अलग–अलग राजनीतिक दल की सरकार है, जितनी जल्दी एसोसिऐट मैम्बर और मैम्बर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे, सरकार उसके बाद उसे नोटीफाई कर देगी। इसलिए खड़े होकर कहना कि सरकार की यह नीयत नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम तो नौ महीने से मैम्बर होकर बैठे हुए हैं।

श्री अरुण जेटली : आप नौ महीने से इसलिए बैठे हुए हैं कि हम इस सदन की सर्वसम्मति का आदर करते हैं, आदर इसलिए करते हैं कि इस सदन के सदस्यों ने खड़े होकर बजट सैशन में हमसे यह प्रश्न किया कि जिस प्रकार से उसकी गतिविधि चल रही

(श्री अरुण जेटली)

है, वह उचित नहीं है। आप उसका दूसरा कारण भी समझिए। जो तर्क दिया गया था, जिस कॉज़ को आप ऐडवांस कर रहे हैं, उसके और पक्ष में जाता है। जो आज डीलिमिटेशन होगा, वह 2026 तक चलेगा। अब केवल 2031 का चुनाव नए डीलिमिटेशन से होगा। अगर आप 1991 के सैन्सस के आधार पर कर दें, केवल इस चुनाव को सामने देखते हुए, तो अगले छः चुनावों के लिए जो संख्या होगी, वह कम आधार पर होगी। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : क्या डीलिमिटेशन दस साल के बाद नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : इस कानून के तहत नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सीट नहीं बढ़ेगी लेकिन डीलिमिटेशन तो हर दस साल के बाद होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : अगर उस समय का सदन कुछ करेगा, सीटें बढ़ाने या इसकी डीलिमिटेशन करने की बात, वह स्थिति तब आएगी, वह तब के सदन पर होगा। आज यह स्थिति है कि अगर 2001 के बेसेज़ पर होगा तो अगले कुछ चुनावों के लिए संख्या बढ़ेगी भी। केवल इसलिए 2004 तक हो जाए, हम इसलिए प्रसन्न हो गए कि सरकार का आरम्भ से यह प्रयास रहा है कि 2004 तक हो जाए। जहां तक सरकार का रवैया है, इसमें मैं आपको स्टेजेस बता देता हूं। हमने डीलिमिटेशन आयोग को कहा कि जो डाटा आ रहा है, आप उसके आधार पर अपनी गतिविधि शुरू कर दीजिए। इसीलिए इसे अध्यादेश के रूप में लाएं। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल के साथ सम्पर्क कर लिया। जब फाइनल नोटीफाइड फिगर्स आएंगे, उनके बेसेज पर वे अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे, पब्लिक हियरिंग शुरू करेंगे, अपनी गतिविधि आगे बढ़ाएंगे। जब वे उसे आगे बढ़ाएंगे और सरकार को जितनी जल्दी रिपोर्ट देंगे, सरकार पब्लिक नोटिस और ऑब्जैक्शन के लिए उसे नोटीफाई कर देगी। यह विषय ऐसा नहीं है कि केवल सरकार अपने आप तय कर ले, इस विषय में तो हर स्तर पर हम आल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, आल पार्टी मीटिंग से डिसकस करते हैं। अगर चुनाव से चार-छः महीने पहले आ गया तो फिर आप सबसे बात करेंगे कि इसे नोटीफाई करें, अगर चुनाव के केवल महीने या डेढ़ महीने पहले आया तो सांसद खड़े होकर कहेंगे, जैसे जाधव जी ने कहा कि मैं अंत तक इस सस्पैंस में नहीं रहना चाहता कि मेरी सीट यह वाली होगी या वह वाली होगी। उसके बाद जो एक आम राय बनेगी, क्योंकि चुनाव केवल सरकार या एनडीए का विषय नहीं है, सबका विषय है, उसके बाद इसके ऊपर जो कनसैन्सस बनेगा, हमें तुरन्त नोटीफाई करना है क्योंकि आपने ठीक कहा कि यह कठिनाई उत्पन्न है कि आज जो यह गतिविधिह हो रही है, अगर मैं अंग्रेजी शब्द कहूं यह अंतिम समय है, इसलिए उसकी वजह से एक विचित्र स्थिति बनी है। अगर 1991 के डीलिमिटेशन का आधार चलता रहता तो डीलिमिटेशन कमीशन ने स्पष्ट किया था कि हम एक साल पहले आपको रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन हम इस सदन का आदर करते हैं जिसने तय किया कि इसे 1991 नहीं, 2001 के आधार पर करना चाहिए और उस वजह से यह कठिनाई आई है। सरकार को उस पर शीघ्र निर्णय करने और रिकमैंडेशन करने के लिए कोआपरेशन चाहिए। अब डी-लिमिटेशन कमीशन की समस्या सुन लीजिए। कई स्थानों पर जैसे नागालैंड के संबंध में यह कहा गया कि वहां एक शब्द यूज किया गया।

[अनुवाद]

इसमें भावनात्मक तर्क भी शामिल हैं। मानवीय सदस्य ने भी यही कहा है, इसमें निर्वाचन क्षेत्र के परिवर्तन हेतु भी इस तरह के कारक हैं, कुछ क्षेत्रों में विरोध भी हो रहा है।

[हिन्दी]

मुझे याद है कि पिछली बार जब में हिमाचल प्रदेश के अंदर गया था तो वहां एक क्षेत्र के अंदर बंद का आह्वान हो गया था कि हमें डी-लिमिटेशन नहीं चाहिए। इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती रहेंगी तो उस स्पीड को सरकार नियंत्रण नहीं कर पाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी शीघ्र इसकी रिपोर्ट आ जाए, उतनी शीघ्र हम नोटिफाइ करेंगे और आप सबकी राय लेने के बाद ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह कब तक होगा? आपने पिछली बार सितम्बर कहा था। ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : डी-लिमिटेशन आयोग में आप बैठेंगे और सरकार उसका समय बताएगी? ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : हम वहां नही बैठ रहे हैं। ....*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : इसमें राजनैतिक विषय यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सेंसस की रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है?

श्री अरुण जेटली : हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उसकी रिपोर्ट एक्यूरेट होनी चाहिए। पूरे डॉटा के आधार पर होनी चाहिए। इस साल के अंत तक रिपोर्ट के आने की पूरी संभावना है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वह शीघ्र आ जाए। जहां तक दूसरे प्रश्न माननीय सदस्यों ने जो उठाए हैं कि इसमें इसका क्या आधार होगा।

[अनुवाद]

इसमें कई अधीर हैं जो कि वर्ष 2001-02 अधिनियम में

उल्लिखित हैं, इसका एक आधार नहीं है। इस बात का भी आधार है कि आप निर्वाचन क्षेत्रों को जहां तक सम्भव हो एक समान बनायेंगे।

[हिन्दी]

एकदम अर्थमैटिकली क्वॉलिटी संभव नहीं है, नीअरली एज ईक्वल एज पॉसिबल। दूसरे, उसके जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उसकी टोपोग्राफी है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है कि अगर एक ही जिले में आ जाए तो दो जिलों में उसको मत बांटिए। ये सारे आधार हैं जिस कानून को हम पारित कर चुके हैं, उस कानून में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं और उस आधार के ऊपर यह बिल पारित हो चुका है, वह एक्ट में है। यह संविधान का एक कंसीक्वेंशियल अमेंडमेंट हम लोग लाए हैं। अगर सभी राजनैतिक दल यहां पर और राज्यों में उसके लिए कोआपरेट करते हैं।

[अनुवाद]

हमें जितनी जल्दी परिसीमन आयोग की रिपोर्ट मिलेगी, हमें इसे लागू करने में उतनी ही खुशी होगी।

श्री के. ए. सांगतम : यदि लोगों की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं तो आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाए जाने चाहिए और समायोजन करें अथवा यथास्थिति बनाए रखी जाए।

श्री अरुण जेटली : मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूं। दुर्भाग्यवश, आप इसे नागालैंड के मामले में उठा रहे हैं जहां हम कई अच्छे कारणों से इन सभी बातों को बहुत ही सौहार्द्र्य से करना चाहेंगे, यदि आप एक बार अधिनियम बनाते हैं और संवैधानिक संशोधन कर लेते हैं तो परिसीमन आयोग को उसके अनुसार चलना होगा। हम एक बार इसे कुछ राज्यों में लागू कर लेते हैं तो निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के समय लोगों की भावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। तब क्या होगा? नागालैंड के मामले में इसमें एक तर्क हो सकता है तो अन्य राज्यो के मामले में अलग-अलग तरह के तर्क हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मेरे क्षेत्र में ऐसी भावना है कि आपको इसे ऐसे तरीके से करना चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में जाति का वर्चस्व बना रहे या धर्म का वर्चस्व बना रहे। भावनाओं पर आधारित तर्क सार्वजनिक जीवन और राजनीति में अत्याधिक महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इसे संवैधानिक स्वरूप देना अत्याधिक कठिन होगा। मुझे आशा है कि सदस्य अपनी वरिष्ठता और विवेक से इसे समझ सकते हैं। जब परिसीमन आयोग वहां आएगा तो इसमें आपके प्रतिनिधि भी एक भाग के रूप में बैठेंगे। मुझे आशा है कि जो कुछ भी आपको किसी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कहना है वहां के प्रतिनिधि इस बारे में कहेंगे।

श्री के. ए. सांगतम : माना कि एक मांग ऐसी की जाती है कि आपको ऐसा तभी करना चाहिए जब सरकार और लोगों से अनुरोध प्राप्त होते हैं; कि जब तक – विधानसभा और संसद में – सीटें नहीं बढ़ाई जाती आप इसे छुएँगे नहीं, यदि ऐसी बात की जाती है तो क्या आप इसके विरुद्ध काम कर सकते हैं? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों ने ऐसी भावनाएं व्यक्त की हैं।

श्री अरुण जेटली : आपने इसे परिसीमन आयोग के समक्ष उठाया है। यदि उनके लिए इस पर विचार करना सम्भव होगा तो वे करेंगे। मैं तो वही सुझाव दूंगा जो कि श्री पासवान ने कहा है। उनका कहना था कि प्रतिनिधित्व और आरक्षण का निर्वाचन क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए, मुझे याद है कि हमने इसे ही मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किया था। जब हमने इसे स्वीकार किया तो वह बहुत खुश थे। अब इसमें कुछ ऐसे कारणों से विलम्ब हो रहा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम यथाशीघ्र करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इसे जहां तक सम्भव हो सके शीघ्रतापूर्वक अधिसूचित कर दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप अपनी पसर्नल और ऑफिशियल दोनों पावर्स का इस्तेमाल कीजिए तो हो जायेगा। ... *(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : मैंने आपको यह बात कही कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन फिर भी जो ड्राफ्ट डॉटा आ रहा है, हमने डी-लिमिटेशन कमीशन के अध्यक्ष को कहा कि आप ड्राफ्ट डॉटा पर ही काम करिए।

श्री राम विलास पासवान : आप कहेंगे तो हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री अरुण जेटली : इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुशंसा करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति महोदय, मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूंगा कि इस अध्यादेश को लाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रमाणिक जनगणना आंकड़ों के अभाव में परिसीमन आयोग आगे नहीं बढ़ सकता और इसीलिए, सरकार को अध्यादेश लाने के मार्ग को सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए, मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि मेरे द्वारा इस अध्यादेश के निरनुमोदन का नोटिस देने का औचित्य था।

महोदय, जहां तक विधि मंत्री की परिसीमन प्रक्रिया के संबंध में अन्य व्याख्याओं का संबंध है, जैसा कि मैं श्री राम विलास

(श्री प्रियरंजन दासमुंशी)

पासवान से समझता हूं, दिसम्बर, 2002 में स्वयं परिसीमन आयोग ने यह इच्छा जाहिर की थी कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार किया जाना चाहिए। लेकिन इस जानकारी को हम सभी से छिपाया गया।

महोदय, परिसीमन आयोग के कार्यकरण के दौरान, एसोसिऐट सदस्यों ने यह महसूस किया कि सही ढंग से कार्य नहीं हो रहा है। तब, एक सर्वदलीय बैठक बुलायी गयी और हममें से कुछ का अनौपचारिक दृष्टिकोण यह है कि 2001 की जनगणना से अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों को अधिक न्याय मिलेगा और वर्ष 2004 में उचित ढंग से परिसीमन होगा। उस सर्वदलीय बैठक में, आम सहमति बनी थी कि वर्ष 2001 जनगणना के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। लेकिन उस बैठक में भी हमें यह नहीं बताया गया था कि परिसीमन आयोग भी वर्ष 2001 जनगणना के पक्ष में था जैसा कि न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह के पत्र से ज्ञात होता है। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को उनकी जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों को अनारक्षित न किये जाने की मांग नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आवश्यक मामलों में किया जाना चाहिए लेकिन वे यह भी कहते हैं कि सीटों का आरक्षण आवश्यकता और मांग के अनुसार किया जाना चाहिए।

अब, मैं उनके विचारार्थ चार आशंकाएं प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरी पहली आशंका यह है कि सहयोजित सदस्य कार्य कैसे करेंगे? सहयोजित सदस्यों के कार्यकरण के लिए कोई संहिताबद्ध व्यवस्था नहीं है और सहयोजित सदस्यों को मात्र आमन्त्रित माना जाता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके योगदान का कोई महत्व होगा अथवा नहीं।

मेरी दूसरी आशंका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हों उन्हें परिसीमन आयोग का सौंप दिया जाना चाहिए। मैं इस बात से इंकार नहीं करता हूं। परन्तु उन्हें तत्काल परिसीमन आयोग के सहयोजित सदस्यों को सौंप दिया जाना चाहिए ताकि वे राज्यों द्वारा प्रस्तावित मसौदे से उसकी तुलना करने के लिए उनका अध्ययन करके परिसीमन आयोग को सौंप सकें।

मेरी तीसरी आशंका जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। परिसीमन आयोग ने ठीक ही कहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बराबर-बराबर जनसंख्या तो जानी चाहिए और एक जिले की जनसंख्या को एक ही जिले में लाया जाना चाहिए, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता किसी भी राज्य में किसी जिले का पुनर्गठन नहीं किया जायेगा। अन्यथा, इससे परिसीमन की सम्पूर्ण प्रक्रिया बाधित होगी। कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व चार जिलों में है जैसा कि मुझे बताया गया है कि नागालैंड राज्य में, एक विधान सभा अब एक जिला है। वहां पर ये सब कठिनाइयां आ रही हैं।

मेरी चौथी बात यह है कि भारत के महापंजीयक को इस संशोधन की अत्यावश्यकता के संबंध में विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि वह जनसंख्या के आंकड़ों को शीघ्रतापूर्वक जारी करने के लिए अपने कार्यालय का उपयोग कर सके। मैं परिसीमन आयोग के अध्यक्ष का बहुत सम्मान करता हूं। वह देश के प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हैं और वह अपनी ईमानदारी और सम्मान के लिए जाने जाते हैं। मैं सरकार को उन्हें इस कार्य के लिए चुनने पर बधाई देता हूं क्योंकि वह सभी विवादों से मुक्त व्यक्ति हैं और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आदान प्राप्त होने पर वह निश्चित रूप से प्रत्येक पक्ष के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे। इसीलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह परिसीमन आयोग से बातचीत करे और सहयोजित सदस्यों की स्थिति को मजबूत करे।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या परिसीमन आयोग के सहयोजित सदस्य वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कार्य करने का निर्णय लिये जाने के बाद भी अपने पदों पर बने रहेंगे अथवा उन्हें हटा दिया जायेगा क्योंकि उन्हें वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के कार्य के लिए नियुक्त किया गया था।

मेरी ये आशंकाएँ हैं। मैं अपनी यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि सरकार ने अध्यादेश का जो मार्ग चुना है वह औचित्यपूर्ण नहीं था और इसीलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि अध्यादेश के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प को सभा द्वारा स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2003 को प्रख्यापित परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (2003 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"परिसीमन अधिनियम, 2002 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.21 बजे

[अनुवाद]

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 23 पर चर्चा आरंभ करेंगे।

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरुण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों में की गयी कुछ टिप्पणियों के पश्चात् यह छोटा सा संशोधन किया जा रहा है।

विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम में उस स्थान के बारे में प्रावधान है जहां पर उच्च न्यायालयों अथवा अन्य न्यायालयों में विवाह संबंधी विवादों की याचिका प्रस्तुत की जाती है। इसमें वह स्थान शामिल नहीं होता है जहां याचिका के प्रस्तुतीकरण के समय पत्नी रहती है। इसके परिणामस्वरूप, उसे कई बार उस स्थान को जाना पड़ता है जहां विवाह हुआ होता है अथवा जहां पति रह रहा होता है, उसे लंबी दूरी तय करनी पडती है और हम यह जानते हैं कि भारत की स्त्रियां आर्थिक और सामाजिक कारणों से इस मामले में कमजोर पायी जाती हैं। इसलिए, कुछ न्यायिक सम्मतियों में यह सुझाव था कि इस पर विचार किया जाए और इस पर कार्यवाई की जाए कि हमने इन दोनों अधिनियमों में यह कहने के लिए संशोधन किया है कि जहां पर पत्नी फिलहाल रह रही है वह भी उन स्थानों में शामिल है, जहां याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें पिछले स्थान यथावत बने रहते हैं।

दूसरे, पति–पत्नी द्वारा एक–दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप अथवा इसी तरह की शरारतपूर्ण युक्ति अपनाकर एकपक्षीय विवाह–विच्छेदों के मामलों में वृद्धि हो रही है। उस विवाह–विच्छेद के पश्चात् अपील दायर करने की अवधि केवल 30 दिन है। अब जो हो रहा है वह यह है कि पति या पत्नी जो भी स्थिति हो के पीछे जो भी एकपक्षीय विवाह–विच्छेद को प्राप्त करता है, उसके पश्चात् विवाह–विच्छेद प्राप्त करने वाला पति अथवा पत्नी विवाह कर सकता है। होता यह है कि दूसरे को बाद में इसके बारे में पता चलता है। इसलिए, यह सिफारिश की गयी है कि 30 दिनों की इस अवधि को बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाए ताकि प्रभावित इस संबंध में अधिक जानकारी एकत्रित कर सके और अदालत में जा सके।

इसलिए इस संशोधन का दूसरा भाग यह है कि अपील दायर करने की 30 दिन की अवधि को दोनों कानूनों में 90 दिन किए जाने का प्रस्ताव है।

ये अनिवार्य रूप से लाभकारी कानून हैं जिनसे महिलाओं को सहायता मिलेगी। यदि आवश्यक हो और मेरे मित्र सहमत हों तो बिना किसी विचार विमर्श के मैं इस सभा से इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, इस संशोधन से निश्चित रूप से उन महिलाओं को सहायता मिलेगी जो हमारे समाज में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त परिस्थितियों के कारण उस स्थान पर याचिका दायर करने में बहुत कठिनाई आती थी जहां शादी हुई होती थी अथवा जहां इससे पहले इकट्ठा रहते थे और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, यदि याचिका पति द्वारा दर्ज करायी जाती थी तो उन स्थानों तक उन्हें जाना पड़ता था। इसलिए, यह प्रावधान निश्चित रूप से लाभकारी है। मैं आशा

(श्री पवन कुमार बंसल)

करता हूं कि निश्चित रूप से सभी इसका समर्थन करेंगे क्योंकि यह अपील की अवधि को बढ़ाने वाला संशोधन है।

महोदय, मैं इन दोनों प्रावधानों का समर्थन तो करता हूं लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि उन्होंने इस खंड 6 में परन्तुक क्यों शामिल किया है। जब आप एक बार सहमत हो गये कि इसमें लंबित मामले भी शामिल किए जायेंगे तो मैं समझता हूं कि उन मामलों में भी जहां आरंभ होने की तिथि से जब यह विधेयक प्रारंभ होता है, यदि 30 दिन की अवधि बीत गई, लेकिन फिर भी 90 दिन की अवधि नहीं बीती तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए था जैसा कि उन्होंने खंड 6 के मुख्य प्रावधान में भी किया है। यह परंतु क शामिल नहीं किया जाना चाहिए था और यदि किसी को लाभ मिल सकता था तो इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए था।

मैं समझता हूं कि आप मौजूदा प्रावधान की विधिक व्याख्या का अवलोकन करेंगे। मैं इससे भी आगे की बात कह रहा हूं। एक स्पष्ट प्रावधान के माध्यम से आप फैसला दिए जाने के दिन से 90 दिनों की अवधि सभी मामलों को प्रदान कर सकते थे। जो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकता हो उसे ही इसका लाभ प्रावधान के गुणदोष के आधार पर प्रदान करते।

इतना कहकर मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि हम इस तरह के प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन व्यावहारिकता में यह देखने को मिलता है कि अधिकांश मामलों में महिलाएँ जीवन की दुरूहता के कारण मामले आगे बढ़ाना बहुत कठिन समझती हैं। उन्हें उनके पति छोड़ देते हैं। उन्हें अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जाती और वे वास्तव में भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे मामलों के लिए आपका अपनी कानूनी सहायता प्रणाली को सुदृढ करना होगा। यह कार्य नहीं किया जा रहा है। यदि हम कार्य चाहते हैं, यदि हम इन लाभकारी प्रावधानों को उन महिलाओं तक पहुचाना चाहते हैं जो अपनी बिना किसी गलती के मुकदमेंबाजी में फंसा दी जाती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए ताकि वे आर्थिक स्थिति की अड़चन के बगैर अदालत में अपने मुकदमें लड़ने में सक्षम हों।

वह निश्चित तौर पर इसका भाग नहीं है। यह विधेयक का भाग नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री से इस बारे में अन्य प्रासंगिक उपबंधों के बारे में ठोस प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : सभापति महोदय, शिरोमणी अकाली दल बादल और मान को संयुक्त ताकत से इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि यह विधेयक हिन्दू धर्म के लोगों पर लागू होता है। दोनों अकाली दल इस मुद्दे पर एक साथ हैं इसलिए हमारे लिए एक क्रांतिकारी कदम है और श्री त्रिलोचन सिंह तूर, अकाली दल बादल के नेता ने आपको लिखा था कि मैं इस मामले में सिखों का प्रतिनिधित्व करूंगा। हम इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करते हैं क्योंकि विधेयक हमारी सहमति के बिना हमें हिन्दू धर्म से जोड़ता है। सिख धर्म एक पृथक धर्म है जिसका अपना इतिहास, संस्कृति, भाषा, लिपि, परम्पराएं, राज्य सीमा और अन्य विशेषताएं है जो हमें पूर्ण तथा अखण्ड धर्म का स्तर प्रदान करता है। हमारी हिन्दुत्व के साथ कुछ समानताएं हो सकती हैं लेकिन दूसरी ओर इब्राहिम तथा मूसा, मुस्लिम, ईसा और यहूदी धर्म के कॉमन गोडफादर हैं, लेकिन फिर भी यह तीनों धर्म एक ही नहीं हैं। वे तीनों धर्म पूरब और पश्चिम की तरह अलग हैं। मध्य पूर्व के इतिहास से आपको ज्ञात होगा कि इब्राहिम तथा मूसा को अपना गोडफॉदर मानने वाले तीनों धर्मों में आपस में तना–तनी रहती है और एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। यद्यपि हम एक दूसरे से लड़ नहीं रहे है तथापि हमारा धर्म हिन्दू धर्म से उतना ही अलग है जितना कि मुस्लिम धर्म यहूदी अथवा ईसाई से भिन्न है। हिन्दू लीडरशिप परम्पराओं, प्रथाओं और इतिहास का सबूत दिए बिना किस प्रकार निरंकुश ढंग से सिख धर्म को हिन्दू धर्म के आगोश में ले सकते हैं? हम इसे अपने गर्व और धार्मिक भावनाओं का अपमान समझते है। हमें आशंका है कि यदि हिन्दुत्व के आगोश से हमें वैधानिक और संवैधानिक रूप से अलग नही किया गया, तो हिन्दुत्व रूपी सागर में हमारा अस्तित्व ही विलीन हा जाएगा। सभापति महोदय, देश के जनसंख्या आंकडों का संकलन करते समय सिखों को अलग वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय अल्प संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 में सिखों को देश का विशिष्ट प्रथक अल्प संख्यक समुदाय दिखाया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अरुण जेटली : आपकी बात इस बिल के स्कोप मे नही आती है। महिलाओं का अपील पीरियड कितना है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : हम आप से अलग हैं। मै अपने मामले में सफाई देने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री अरुण जेटली : आप उपयुक्त समय पर इस बारे में

दलील दे सकते हैं। किंतु धर्म का व्यापक दृष्टिकोण क्या है इस बारे में यह कोई मुद्दा नहीं है कि महिलाओं के पास अपील करने के लिए 30 दिन अथवा 90 दिन का समय होना चाहिए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : माननीय विधि मंत्री, मेरे बोलने के बाद आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अरुण जेटली : आप विधेयक पर बोल सकते हैं। आप किसी ऐसे विषय पर व्याख्यान नहीं दे सकते हैं जो इस विधेयक का विषय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : आप हमारी आवाज को बंद नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

***श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर)** : आपको महिलाओं के बारे में कहे गए तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदया, हमारी महिलाएं प्रभावित हैं। फिर हम आपके धर्म का अंग किस प्रकार हो सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

***श्रीमती संतोष चौधरी** : जब भी महिलाओं के बारे में कोई मामला होता है आप विषय से ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट कर देते हैं ...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : क्या आप मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, यह अजीब है। यह हिन्दू धर्म की तानाशाही है कि यदि हम संपर्क–रज्जू को तोडना चाहते हैं तो वे खड़े हो जाते हैं और हमारी आवाज को दबाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : महोदय, मुझे उस वाक्य पर घोर आपत्ति है ...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : महोदय, मैं बोल रहा हूं और हिन्दू विवाह अधिनियम से अपने को पृथक करने के लिए मामला तैयार कर रहा हूं और ऐसा करने पर कांग्रेस के लोग सदैव हमारा विरोध क्यों करते हैं? आप हमारे स्वर्ण मंदिर में घुस गए, आपने हमारी संस्कृति को तबाह कर दिया। आपने हमारा जनसंहार किया ...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : आप जो कुछ कह रहे हैं वह विधेयक के क्षेत्र में नहीं आता है ...*(व्यवधान)*

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : हो सकता है, ऐसा न हो परन्तु मैं जो भी बोल रहा हूं वह विधेयक के प्रावधानों और दायरे के अंतर्गत ही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बिल के प्रावधानों के अनुसार ही बोला जाए।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : जी हां, सभापति महोदय। मैं इस तथ्य के अनुसार बोल रहा हूं कि हम हिन्दू धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। भगवान के लिए, हमें अलग रखिए। यही मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं यही कह रहा हूं इस देश में सिख स्पष्टतः अल्पसंख्यक हैं। धर्म से संबंधित विभिन्न विधानों में सिखों द्वारा बोली जाने वाली गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली पंजाबी भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान सिख धर्म को पृथक दर्जा प्रदान करता है। धारा 25 में जो भी विसंगति हो, संविधान समीक्षा समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि उक्त विसंगति को दूर किया जाना चाहिए और सिखों को पृथक दर्जा और मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। वर्ष 2002 के पहले महीने में यह प्रस्ताव किया गया है।

महोदय, मेरे दल और मैंने संसद और संसद से बाहर कई बार यह मांग की है कि राजग सरकार संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन करने हेतु संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करे और राजग सरकार द्वारा गणित संविधान समीक्षा समिति की सिफारिशों को सम्मिलित करने हेतु इसमें परिवर्तन करे। हम कुछ ज्यादा की मांग नहीं कर रहे हैं और हम कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। महोदय, सरकार और आप इसके लिए अनिच्छुक क्यों हैं? यदि भारत के सभी धर्मों यथा हिन्दुओं, पारसियों, इसाईयों और मुसलमानों के लिए पृथक और उनसे संबद्ध विवाह कानून हैं, तो सिखों के क्यों नहीं हो सकते? अतएव, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि 1909 का आनन्द विवाह अधिनियम को सिख विवाह के लिए स्वीकार्य किया जाए और हमें हमेशा के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम से अलग कर दिया जाए।

विश्व भर में सिख हिन्दू धर्म से एक पक्षीय रूप में जबर्दस्ती

*मूलतः पजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(सरदार सिमरनजीत सिंह मान)

बांधी गई नाभि–रज्जु को हमेशा के लिए काट दिया जाए, और कानूनी और संवैधानिक रूप से हम वैसे ही स्वतंत्र होना चाहते हैं जैसाकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में हमारे प्रथम गुरू नानक थे। यही मेरी मांग है। हम हिन्दू विवाह अधिनियम से शासित नहीं होना चाहते। आप इसे विद्रोह अथवा आंदोलन अथवा कुछ भी कहें परन्तु हम किसी बाहरी धर्म, अन्य धर्म से शासित होना और हमारे विवाह को किसी बाहरी धर्म के अन्तर्गत संपादित होना स्वीकार नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, मैं विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप विवाह विधि विधेयक में संशोधन करने जा रहे हैं। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मंत्री महोदय का अभिनन्दन करना चाहता हूं। इसमें दो बातें हैं – इसके द्वारा जूरिस्डिक्शन बढ़ा दी गयी है। जिस कोर्ट में पति ने याचिका दायर की है, उसमें दुखी और पीड़ित महिला याचिका दायर कर सकती है। इसके अलावा उस महिला के पेरेन्ट्स द्वारा भी पैटिशन दाखिल की जा सकती है।

आपने अपील बढ़ा दी है। मैं इन दोनों बातों का अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से पुरजोर समर्थन करता हूं। एन.डी.ए. सरकार का इरादा यही है कि उसने दुखित महिलाओं के समर्थन के लिए और उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लिए सरकार और मंत्री दोनों धन्यवाद के पात्र हैं।

श्री अरुण जेटली : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। लेकिन इस विधेयक के दायरे में श्री पवन कुमार बंसल द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए कि धारा 6 के लिए परन्तुक क्यों है। विवाह विच्छेद या अन्यथा पहले ही निर्णय दे दिए गए हैं और अपील का समय समाप्त हो गया है, उन मामलों को छोड़कर इस परन्तुक को पुरःस्थापित करने का विधायी कारण यह है कि वह उन पर लागू नहीं होगा क्योंकि पक्षों को पुरानी विधि के अन्तर्गत अधिकार दिए गए होंगे। अब, उन प्रदत्त अधिकारों को इस विधान द्वारा वापस लेने से कानूनी जटिलता पैदा होगी।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लिया जाए कि विवाह विच्छेद को समाप्त हुए 30 दिन की अवधि के बाद और जिस व्यक्ति ने विवाह विच्छेद का आदेश दिया है वह जाए और 50वें या 60वें दिन पुनः विवाह कर लेता है, तब क्या होगा? अब, आप पति या पत्नी, जो इस विवाह विच्छेद से दुखी है को इस सीमा को भूतलरी प्रभाव से बढ़ा कर विवाह विच्छेद को ही चुनौती देने का मौका दे रहे हैं जिसने अनुवर्ती अधिकार और तीसरे पक्ष के अधिकार के संबंध में जटिलताएँ उपस्थित हो जाएंगी। अतएव, बहुत ध्यानपूर्वक इस परन्तुक को पुरःस्थापित किया गया है। यह पहले से पारित आदेशों के आधार पर दिए गए वर्तमान अधिकारों को नहीं छीनता। धारा 6 के परन्तुक का यही औचित्य है।

महोदय, कुछ और विचार भी व्यक्त किए गए हैं। मैं यह विचार प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य का आदर करता हूं। कोई किसी की आवाज दबाने की कोशिश करे, इसका कोई सवाल ही नहीं है। चूंकि ये विचार इस विधेयक के दायरे से पूर्णतः बाहर हैं अतः मैं नहीं समझता कि मेरे लिए उनका जवाब देने की कोई आवश्यकता है।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : विधि मंत्री महोदय, आप हमारी मांग के विषय में जवाब दीजिए; आप हाँ या ना कहिए। यह बहुमत का अत्याचार है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अरुण जेटली : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.38 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 10 दिसम्बर, 2003/19 अग्रहायण 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/37/6/2003 (एन०)
280

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।